खण्ड-364, अंक-5
सोमवार, 1 फाल्गुन, शक संवत् 1905
(20 फरवरी, 1984 ई0)

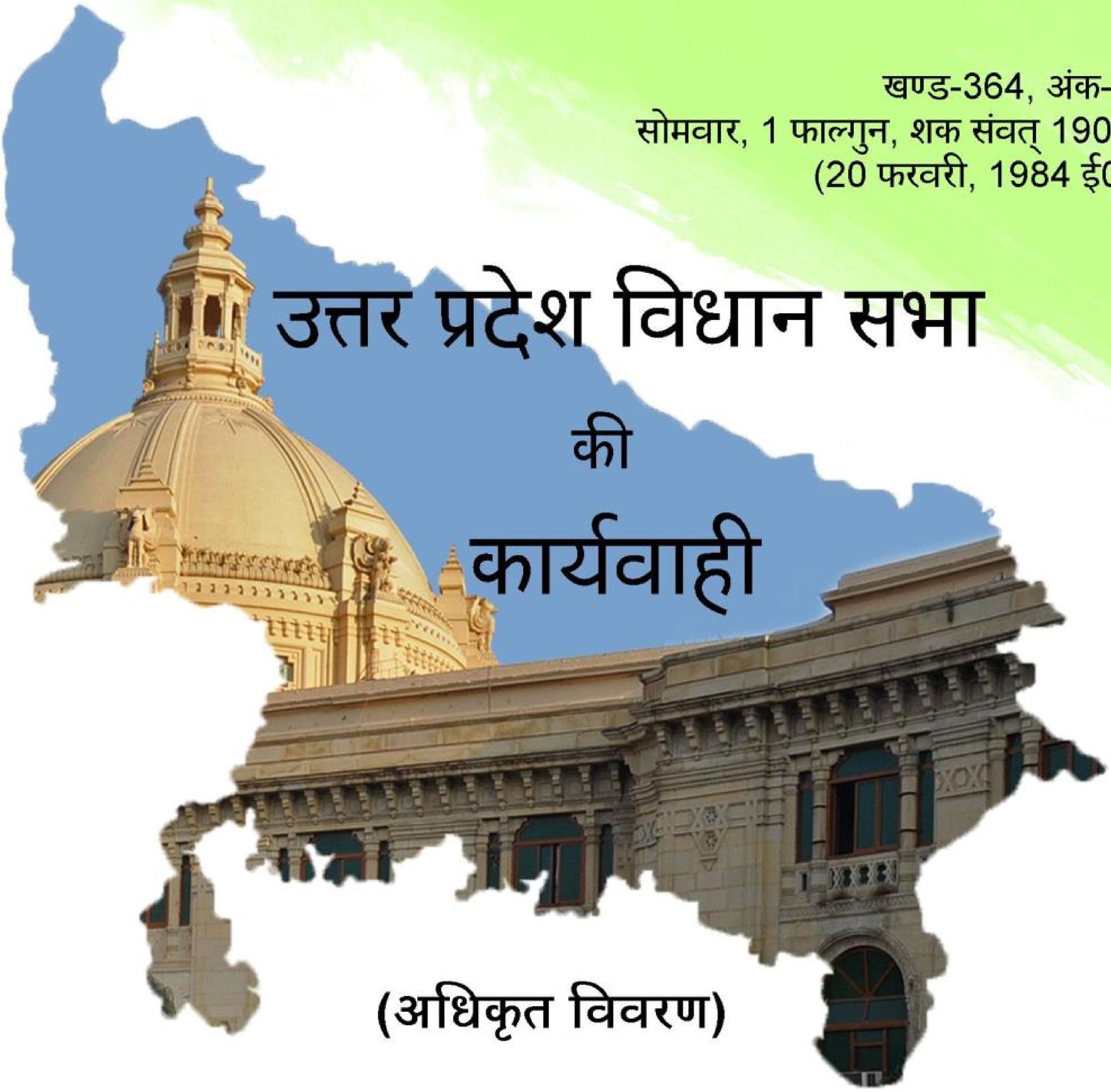

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 364 में 10 अंक है
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	451–454
प्रश्नोत्तर	455–541
अतारांकित प्रश्न संख्या–36 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	542
जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार नगर में आवास विकास परिषद् द्वारा उपजाऊ भूमि अधिग्रहीत किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	542
माठ ब्रांच गंगा नहर मथुरा के चतुर्थ उपखण्ड में पानी न आने से फसलों के सूखने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	543
रानीखेत के श्री लाल सिंह पटवाल, भूतपूर्व हवलदार की हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	543
बुलन्दशहर में एरोलीन नामक कीटनाशक दवा से फसल के जलने से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	443–544
बस्ती जनपद में माध्यमिक शिक्षा परिषद् के परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	544
मिर्जापुर जनपद में चुनार के पत्थरों के लिए पाषाण संग मोहाल तोड़े जाने से उत्पन्न बेकारी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	544–545
बस्ती जनपद के इटावा थानाअन्तर्गत ग्रामों में सामन्तों द्वारा हरिजनों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	545
नियम 301 की सूचनाओं के उत्तर सम्बन्धित मन्त्री द्वारा न दिए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	545–548
सत्रकाल के समय जिला स्तर की बैठक बुलाए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	548
सदन में लगे माइकों के छोटे होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	548
दैनिक जागरण में छपे कतिपय सदस्यों के बयान के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	550–551
विधायक श्री गहलौत एवं श्री कर्दम के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी की माँग	
गढ़वाल विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय तथा संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के बोर्ड में कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम का प्रस्ताव ..	551–552
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	552–560
वित्तीय वर्ष 1983–84 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा ..	560–589
1983–84 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या–1 आबकारी विभाग .. (स्वीकृत)	589–590
अनुदान संख्या 3—उद्योग विभाग (खाने तथा खनिज) (स्वीकृत)	590
अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) (स्वीकृत)	590
अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत)	590
अनुदान संख्या 7—ऊर्जा विभाग (स्वीकृत)	591

विषय	पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या 8—कार्मिक विभाग (स्वीकृत)	591
अनुदान संख्या 9—कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) (स्वीकृत)	591
अनुदान संख्या 10—कृषि विभाग (कृषि) (स्वीकृत)	591–592
अनुदान संख्या 11—खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत)	592
अनुदान संख्या 13—गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत) ..	592
अनुदान संख्या 14—गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत)	592
अनुदान संख्या 15—गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत)	592–593
अनुदान संख्या 17—गोपन विभाग (स्वीकृत)	593
अनुदान संख्या 18—ग्राम्य विकास विभाग (स्वीकृत)	593
अनुदान संख्या 19—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) (स्वीकृत)	593
अनुदान संख्या 20—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत) ..	593–594
अनुदान संख्या 21—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत) ..	594
अनुदान संख्या 22—नगर विकास विभाग (स्वीकृत)	594
अनुदान संख्या 26—नियोजन विभाग (स्वीकृत)	594
अनुदान संख्या 27—निर्यात प्रोत्साहन विभाग (स्वीकृत)	594–595
अनुदान संख्या 28—निर्वाचन विभाग (स्वीकृत)	595
अनुदान संख्या 29—न्याय विभाग (स्वीकृत)	595
अनुदान संख्या 30—पंचायती राज विभाग (स्वीकृत)	595
अनुदान संख्या 31—परिवहन विभाग (स्वीकृत)	595–596
अनुदान संख्या 32—पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	596
अनुदान संख्या 33—पर्वतीय विकास विभाग (स्वीकृत)	596
अनुदान संख्या 34—पशुधन विभाग (स्वीकृत)	596
अनुदान संख्या 35—पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत) ..	596–597
अनुदान संख्या 37—प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	597
अनुदान संख्या 38—मत्स्य विभाग (स्वीकृत)	597
अनुदानसंख्या 39—मुस्लिम वक्फ विभाग (स्वीकृत)	597
अनुदान संख्या 41—राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) (स्वीकृत)	598
अनुदान संख्या 44—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत)	598
अनुदान संख्या 46—वन विभाग (स्वीकृत)	598
अनुदान संख्या 49—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत) ..	598–599
अनुदान संख्या 50—वित्त विभाग (राज्य लाटरी) (स्वीकृत)	599
अनुदान संख्या 55—विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग (स्वीकृत)	599
अनुदान संख्या 56—शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	599
अनुदान संख्या 57—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत)	600
अनुदान संख्या 58—श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत)	600
अनुदान संख्या 60—संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) (स्वीकृत) ..	600
अनुदान संख्या 61—संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर) (स्वीकृत) ..	600–601
अनुदान संख्या 62—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत)	601
अनुदान संख्या 63—संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत) ..	601
अनुदान संख्या 64—सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	601
अनुदान संख्या 65—सतर्कता विभाग (स्वीकृत)	602
अनुदान संख्या 66—सहकारिता विभाग (स्वीकृत)	602
अनुदान संख्या 68—सांस्कृतिक कार्य विभाग (स्वीकृत)	602
अनुदान संख्या 69—सामान्य प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	602–603

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 72—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) (स्वीकृत) ..	603
अनुदान संख्या 73—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) .. (स्वीकृत) ..	603
अनुदान संख्या 74—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) (स्वीकृत) ..	603
अनुदान संख्या 75—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) .. (स्वीकृत) ..	604
अनुदान संख्या 76—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत)	604
अनुदान संख्या 77—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत)	604
अनुदान संख्या 78—सूचना विभाग (स्वीकृत)	604–605
अनुदान संख्या 80—स्पोर्ट्स विभाग (स्वीकृत)	605
अनुदान संख्या 81—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (स्वीकृत) ..	605
उत्तर प्रदेश विनियोग (1983–84 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1984 (स्वीकृत)	605–614
वर्ष 1984–85 के लिए लेखानुदान का प्रस्ताव (स्वीकृत)	614
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1984 (स्वीकृत)	615–623
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	623
मोदी टेक्सटाइल मिल (मोदीनगर) के मजदूर नेताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत बन्द किए जाने के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में आज होने वाले वक्तव्य को स्थगित कराये जाने पर आपत्ति	624–628
नत्थियाँ	629–643

विधान सभा उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

20 फरवरी, 1984

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—384

अकबर अहमद, श्री — नैनीताल
अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
अजहर इमाम श्री — मिर्जापुर
अजीत कुमार सिंह, श्री — कानपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री — मेरठ
अनवार खां, श्री — अलीगढ़
अनवार मुहम्मद खां, श्री — फर्रुखाबाद
अबुल कलाम, श्री — आजमगढ़
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) — फतेहपुर
अमर सिंह, श्री — सहारनपुर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री — बरेली
अम्बिका सिंह, श्री — बस्ती
अम्मार रिजवी, श्री — सीतापुर
अलमेलु अम्माल, श्री — बस्ती
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री — बरेली
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री — इलाहाबाद
इन्द्रजीत, श्री — फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) — बहराइच
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री — इलाहाबाद
उदयवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुत्तन भैय्या) — खीरी
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री — गोंडा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी — एटा
ऊदल, श्री — वाराणसी
ए0सी0 ग्राइस, श्री नाम (निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री — आगरा
कन्हैया लाल, श्री — मथुरा
कन्हैया लाल महेन्द्र, श्री — लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती — कानपुर
कमला देवी, श्रीमती — हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री — जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती — बस्ती
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री — बरेली
किशोरी शुक्ला, श्रीमती — गोरखपुर
कल्लू राम रत्नाकर, श्री — मिर्जापुर
काजी मोहिउद्दीन, श्री — सहारनपुर
किरन पाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री — हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री — चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल) — हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री — देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री — रायबरेली
कृष्णदत्त (उर्फ बालराज) — फतेहपुर
कृष्ण मगन सिंह, श्री — बाराबंकी
कृष्ण वीर सिंह कौशल, डाक्टर — आगरा
केदार सिंह, श्री — आजमगढ़
केदार नाथ सिंह, श्री — गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री — जौनपुर
केशोराम, श्री — बदायूं
कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट), श्री — एटा
कैलाश टण्डन, श्री — वाराणसी
कैलाश प्रसाद, श्री — गोरखपुर
खरपत, श्री — वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री — फतेहपुर
खुर्शेद अहमद अन्सारी, श्री — मुरादाबाद
खुर्शेद अहमद, श्री — बहराइच
ख्वाजा हलीम, श्री — अलीगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री — कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री — इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री — बाराबंकी
गया सिंह, श्री — उन्नाव
गुलाम नबी, श्री — आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती — बस्ती
गोपाल राम दास, श्री — अल्मोड़ा
गोपी नाथ वर्मा, श्री — फैजाबाद
गोरे लाल शाक्य, श्री — इटावा
गोवर्धन तिवारी, श्री — अल्मोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती — गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट श्री — इटावा
चन्दन सिंह, श्री — मथुरा
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0 — बांदा
चन्द्र बली ब्रह्मचारी, श्री — आजमगढ़

चन्द्र भान सिंह, श्री	बांदा
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री	पौड़ी गढ़वाल
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री	लखनऊ
चारु चन्द्र ओझा, श्री	पिथौरागढ़
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली
छत्तर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
छेदी लाल चौधरी, श्री	खीरी
छेदी लाल, श्री	गोंडा
जंग बहादुर, श्री	जौनपुर
जगदीश नरायन, श्री	फतेहपुर
जगदीश प्रसाद, श्री	इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री	शाहजहाँपुर
जगदीश सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर
जफर अली नकवी, श्री	खीरी
जयदीप सिंह बरार, श्री	बरेली
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री	अल्मोड़ा
जावेद अली, श्री	मथुरा
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
जितेन्द्र शाह, श्री	जालौन
जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री	फैजाबाद
जैराज गौतम, श्री	सुल्तानपुर
तपेश्वर, श्री	आजमगढ़
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री	खीरी
तेजबहादुर सिंह, श्री	जौनपुर
दयाल कृष्ण, श्री	मथुरा
दलजीत सिंह, श्री	रामपुर
दल सिंगार, श्री	आजमगढ़
दामोदर शर्मा, श्री	मेरठ
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती
दीनानाथ, श्री	बस्ती
दीपक कुमार, श्री	मुफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्थ, श्री	गोण्डा
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री	आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री	आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री	बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री	कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री	देहरादून
धनी राम वर्मा, श्री	इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती	वाराणसी
धरमपाल, श्री	बहराइच
धर्मपाल सिंह, डाक्टर	अलीगढ़
धर्मवीर सिंह, श्री	मेरठ
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री	मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री	बुलन्दशहर
ध्रुव प्रसाद राय, श्री	देवरिया
नकली सिंह, श्री	मुजफ्फ नगर
नत्थु लाल, श्री	हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री	देवरिया
नन्द राम, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री	पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	पिथौरागढ़
नाजिर अली, श्री	शाहजहाँपुर
निर्मल खत्री, श्री	फैजाबाद
नेत्रपाल सिंह राघव, श्री	एटा
नौनिहाल सिंह चौधरी, श्री	इलाहाबाद
पंचानन राय, श्री	आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री	गोरखपुर
परमाई लाल, श्री	हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री	बस्ती
परागी लाल चौधरी, श्री	सीतापुर
पहलवान, श्री	जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती	बाराबंकी
पूरन चन्द्र, श्री	अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री	हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री	बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री	प्रतापगढ़
प्रभु नारायण सिंह, श्री	जौनपुर
प्रमाद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेतली, श्री	फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती	बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती	लखनऊ
फखरे आलम, श्री	बदायूं
बंशीधर, श्री	रामपुर
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बच्चा पाठक, श्री	बलिया
बनवारी राम, श्री	वाराणसी
बलराम सिंह यादव, श्री	इटावा
बलवीर सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बलवीर सिंह, श्री	रामपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
बाबू राम, श्री	पीलीभीत
बाबू लाल, श्री	गोंडा
बाबू लाल, हमीरपुर	हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री	अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री	नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बुद्धपाल सिंह 'खुर्जेवाला', श्री	बुलन्दशहर

बृज किशोर मिश्र, डाक्टर	देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती	झांसी
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री	इलाहाबाद
ब्रह्म दत्त, श्री	देहरादून
भगवती सिंह विशारद, श्री	उन्नाव
भगवान दीन कुशवाहा, श्री	कानपुर
भानु प्रताप सिंह श्री	बरेली
भास्कर पाण्डेय, श्री	देवरिया
भीखा लाल, श्री	उन्नाव
भूधर नारायण मिश्रा, श्री	कानपुर
भूपसिंह केन, श्री	गाजियाबाद
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री	बलिया
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज)	गोण्डा
महाबीर सिंह, श्री	सहारनपुर
महराज सिंह, श्री	आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती	इटावा
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा	आगरा
महेश उपाध्याय, श्री	आगरा
महेश प्रसाद, श्री	देवरिया
मण्डवी प्रसाद सिंह, श्री	वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
माधव प्रसाद, श्री	फैजाबाद
मान बहादुर, श्री	गोण्डा
मारकेण्डय चन्द, श्री	गोरखपुर
मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुन्शी लाल, श्री	मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री	गोण्डा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मेंहदी असगर, श्री	मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री	कानपुर
मोहन लाल, श्री	हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री	देवरिया
मोहम्मद अमीक, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद उमर, डाक्टर	गोण्डा
मोहम्मद रफी सिदीकी, श्री	लखनऊ
मोहम्मद वसीम, हाजी	रायबरेली
यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
यमुना प्रसाद, श्री	बाराबंकी
यशपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
यशपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद
योगेश चन्द्र, श्री	वाराणसी
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री	गोण्डा
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
रमाकान्त मिश्रा, श्री	इलाहाबाद
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
रवीन्द्र, श्री	आजमगढ़
राज कुमार राय, श्री	आजमगढ़
राज किशोर राव, श्री	बहराइच
राजपति देवी, श्रीमती	सुल्तानपुर
राजपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राज मंगल पाण्डेय, श्री	देवरिया
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
राजन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह, श्री	एटा
राजन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
राधे श्याम पटेल, श्री	इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री	फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री	बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री	हरदोई
राम करन, श्री	वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री	आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री	सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, श्री	जौनपुर
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री	मुरादाबाद
राम गोविन्द, श्री	बलिया
राम चन्द्र, श्री	वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री	मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री	वाराणसी
रामजी राम, श्री	फैजाबाद
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नारायण सिंह, श्री (एडवोकेट)	गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम नारायण पाठक, श्री	कानपुर
राम प्यारे पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री	जालौन
राम प्रसाद, श्री	मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री	खीरी
राम यश सिंह, श्री	सहारनपुर
राम लाल, श्री	सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम शिरोमणि, श्री	जौनपुर
राम समुझावन, श्री	जौनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
राम सिंह, श्री	सहारनपुर
राम सिंह, श्री	सुल्तानपुर
राम सिंह खन्ना, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप गिनम, श्री	सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री	कानपुर

राम हर्ष मिश्र, श्री — बहराइच
राम हर्ष राय, श्री — गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री — बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री — बाँदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री — बाराबंकी
रियासत हुसैन, श्री — मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
रुल्हा सिंह, श्री — सहारनपुर
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी) — इलाहाबाद
लटूरी सिंह, श्री — एटा
लल्लू सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ़
वासुदेव सिंह, श्री — प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री — लखनऊ
विजय पाल सिंह, श्री — गाजियाबाद
विजय शंकर सिंह, श्री — गाजीपुर
विजय सिंह, श्री — मिर्जापुर
विजय सिंह राना, श्री — आगरा
विद्या भूषण, श्री — मुजफ्फरनगर
विद्या सागर नौटियाल, श्री — टिहरी गढ़वाल
विनोद कुमार तिवारी, डाक्टर — पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री — फर्रुखाबाद
विलायती राम कत्याल, श्री — कानपुर
विशन लाल, श्री — बिजनौर
विश्वनाथ, श्री — देवरिया
विश्राम दास, श्री — इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री — मैनपुरी
वीर बहादुर सिंह, श्री — गोरखपुर
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री — सीतापुर
वृद्धि नारायन सिंह, श्री — वाराणसी
शंकर सिंह, श्री — जालौन
शम्भू नाथ, श्री — आजमगढ़
शरीयतुल्ला, श्री — मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री — बाँदा
शिव दर्शन, श्री — रायबरेली
शिव नरेश, श्री — बाँदा
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, श्री — कानपुर
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री — नैनीताल
शिवमंगल सिंह, श्री — मैनपुरी
शिवराज सिंह, श्री — अलीगढ़
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर — पौड़ी गढ़वाल
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — गोरखपुर
शेर बहादुर, श्री — फैजाबाद
शौनाथ सिंह, श्री — बिजनौर
श्याम नरायन तिवारी, श्री — गोरखपुर
श्याम लाल बाजपेयी, श्री — बाराबंकी
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री — इलाहाबाद
श्रीनाथ सिंह, श्री — वाराणसी
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री — वाराणसी
सच्चिदानन्द, श्री — उन्नाव
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री — इलाहाबाद
सत्यपाल सिंह, श्री — शाहजहाँपुर
सन्त बख्श रावत श्री — लखनऊ
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री — प्रतापगढ़
सरदार सिंह, श्री — मथुरा
साहब सिंह, श्री — गाजीपुर
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री — शाहजहाँपुर
सुखदा मिश्रा, श्रीमती — इटावा
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री — गाजियाबाद
सुग्रीव सिंह, श्री — देवरिया
सुनीता चौहान, श्रीमती — रायबरेली
सुन्दर सिंह, श्री — बहराइच
सुमन लता, श्रीमती — कानपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री — सहारनपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) — गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री — बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री — गाजीपुर
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री — अलीगढ़
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री — जालौन
सुल्तान सिंह, श्री — मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री — मैनपुरी
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री — जौनपुर
सोमांश प्रकाश, श्री — मुजफ्फरनगर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती — लखनऊ
स्वामी नेमपाल, श्री — बुलन्दशहर
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री — हमीरपुर
हंसराज सिंह वर्मा, श्री — एटा
हरगोविन्द वर्मा, श्री — सीतापुर
हरदेव, श्री — बलिया
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री — बाँदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री — गोरखपुर
हरिप्रसाद कुरील, श्री — उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री — देवरिया
हरि सिंह, श्री — बुलन्दशहर
हरीकिशन श्रीवास्तव, श्री — कानपुर
हरी शंकर, श्री — हरदोई
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री — मुरादाबाद
हुकुम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर

नोट—माननीय नगर विकास एवं आवास राज्य मन्त्री श्री अरुण कुमार सिंह तथा माननीय पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास राज्य मन्त्री श्री राम संजीवन सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 20 फरवरी, 1984

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री हुक्म सिंह–

मान्यवर, ये तो वाक-आउट कर गये कांग्रेस (आई0) वाले ।

श्री मुख्तार अनीस–

जो हस्ताक्षर अभियान चला था, उसी का यह नतीजा है मान्यवर ।

प्रदेश में आलू का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की मांग

**1–श्री राम नारायण सिंह तथा श्री सरदार सिंह–

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 1984 में आलू के रिकार्ड उत्पादन की सम्भावना को देखते हुए धान आदि की तरह कृषकों को आलू का लाभकारी दाम दिलाने हेतु आलू का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि राज्य मन्त्री (श्रीमती बेनी बाई)–

जी हां ।

राज्य सरकार के सीमित वित्तीय साधनों को दृष्टिगत रखते हुए आलू के न्यूनतम मूल्य को निर्धारित करना संभव नहीं है ।

श्री राम नारायण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बड़े दुःख के साथ मैंने यह मामला सरकार के सामने उठाया था। गन्ना और आलू ये दोनों उत्तर प्रदेश में कामर्शियल क्राप्स हैं। मान्यवर, आलू के बारे में सरकार ने घोषणा किया था कि पी0 सी0 एफ0 के द्वारा क्रय केन्द्र खोलेंगे, लेकिन मान्यवर, सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है ।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें ।

श्री राम नारायण सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से जानना चाहता हूं कि आलू का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने में क्या-क्या दिक्कतें सरकार के सामने आ रही हैं, उसके सामने क्या कठिनाइयां हैं ?

कृषि मन्त्री (श्री यशपाल सिंह)–

मान्यवर, सरकार के सामने वित्तीय कठिनाई है, इस कारण से आलू के न्यूनतम मूल्य को निर्धारित करना संभव नहीं है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि सरकार के सामने वित्तीय कठिनाई है, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जैसे धान का मूल्य सरकार ने निश्चित किया, उसी तरह से

आलू भी किसान की एक मुख्य उपज है। वह कौन से विशेष कारण हैं जिसके कारण वह आलू का न्यूनतम मूल्य नहीं निर्धारित कर रहे हैं ?

श्री यशपाल सिंह–

मान्यवर, किसी भी फसल के न्यूनतम भाव को मुकर्रर करने का जो आधार होता है, वह यह है कि जिस समय वह मारकेट में सरप्लस हो जाये, उसके बाद बाजार डम्प न हो जाय, ताकि किसान को उचित मूल्य भी न मिल पाये, ऐसी स्थिति में सरकार न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। लेकिन पिछले दो सालों से सम्भवतः सम्मानित सदस्य सभी जानते हैं कि आलू के भाव जो न्यूनतम हो सकते हैं, उनसे ऊपर कहीं अधिक भाव आज मारकेट में प्रिवेल कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आलू के सम्बन्ध में केवल एक वित्तीय दृष्टिकोण ही नहीं बल्कि हमको यह भी ध्यान रखना होगा कि यह पैरिशिबिल कमोडिटी है और उसकी ट्रान्सपोरटेशन की और तमाम क्या समस्यायें आ सकती हैं ? मान्यवर, इन सभी चीजों को दृष्टिकोण में रखते हुए सरकार अपने आप को अभी असमर्थ पा रही है कि उसका न्यूनतम मूल्य भाव मुकर्रर किया जाय। लेकिन इतना सरकार ने पिछले वर्ष यह निश्चित कर रखा है कि जब भी आलू के भाव मारकेट में 50 रु0 से कम चले जायेंगे, उसी समय बीच मारकेट में खरीददार की हैसियत से पी0 सी0 एफ0 और दूसरी एजेंसीज जो हैं, वह मारकेट में आ जायेंगी। इस समय अभी पी0 सी0 एफ0 मारकेट रेट के आधार पर परचेज कर रही है। लिहाजा अभी कोई ऐसी आवश्यकता महसूस नहीं होती है कि न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाए।

श्री सरदार सिंह–

मेरी निश्चित जानकारी है कि बाजार भाव बहुत कम है और आलू सरप्लस में है। किसान को बहुत हानि उठानी पड़ रही है। मैं यह जानना चाहूंगा कि कितना संकट आ जायेगा प्रदेश के खजाने पर अगर न्यूनतम मूल्य सरकार घोषित कर देगी ? कितना आर्थिक धन व्यय करना पड़ेगा ?

श्री अध्यक्ष–

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। यह बहुत व्यापक है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या माननीय मन्त्री जी अपने उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे, जैसा उन्होंने बताया कि कुछ एजेन्सी आलू खरीद रही हैं और शासन ने उनके द्वारा आलू खरीद की व्यवस्था की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कौन-कौन सी एजेन्सियां आलू खरीद रही हैं और किस भाव पर खरीद रही हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए और इसमें दो मत नहीं है कि आलू 50 रुपये से कम कीमत में बिक रहा है और सरप्लस का मतलब यह होता है कि लागत से कम दाम मिले। इस समय किसान को लागत से कम मूल्य मिल रहा है। इसके लिये शासन की ओर से क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

एजेन्सी का क्या सम्बन्ध है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मन्त्री जी ने उत्तर में एजेन्सी कहा है। वह सदन की सम्पत्ति हो गयी इसलिये मुझे पूछने का हक है।

श्री यशपाल सिंह–

प्रश्न स्पष्ट कर दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि हमने आलू खरीदने के लिये कुछ एजेन्सियों की व्यवस्था की है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस समस्त उत्तर प्रदेश में कौन-कौन सी एजेन्सी आलू खरीद रही हैं और किस भाव पर खरीद रही है और यदि आंकड़े उपलब्ध हों तो यह भी बता दें कि इस समय तक कितना आलू उनके द्वारा खरीदा गया है। इसके अलावा आलू की जो लागत है, उसके अनुसार प्रोत्साहन मूल्य किसानों को नहीं मिल रहा है, क्या सरकार के पास कोई योजना है जिसके द्वारा किसानों को प्रोत्साहन मूल्य मिल सके ?

श्री यशपाल सिंह–

मैंने अपने उत्तर में बताया कि पी0 सी0 एफ0 मार्केट रेट पर खरीद रहा है। आपने कहा कि बाजार का भाव बहुत कम है। जो आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं उसके अनुसार मैं आलू का भाव बतलाना चाहता हूं। जनवरी, 84 में फर्रुखाबाद में 69 रुपये जबकि जनवरी, 83 में यहां 45 रुपये था। इस वर्ष बरेली में 76 रुपये पिछले वर्ष 55 रुपये, कानपुर में 73 रुपये पिछले वर्ष 44 रुपये, बहराइच में 103 रुपये, फैजाबाद 71 रुपये, वाराणसी 92 रुपये, आगरा 72 रुपये, बहराइच 101 रुपये, गोरखपुर 96 रुपये, हल्द्वानी 93 रुपये, झांसी 96 रुपये, लखनऊ 108 रुपये, अलीगढ़ 83.50 रु0। यह भाव आलू का है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी–

मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी को और इस सरकार को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि शासन द्वारा निर्धारित एजेन्सियों पर पी0 सी0 एफ0 आलू खरीद रहा है। एक जानकारी और जानना चाहूंगा कि आलू शीत-गृह में जाने का समय आ गया है और शीत-गृहों में जाने भी लगा है तो क्या सरकार शीत-गृह अधिनियम के अन्तर्गत आलू रखने को लेगी या शीघ्र ही कोई तिथि निर्धारित करने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं क्योंकि यह बहुत व्यापक सवाल है।

श्री भीखा लाल–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि कुछ कठिनाइयों की वजह से न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना संभव नहीं है। मान्यवर, जहां तक मैं समझता हूं कि न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की पालिसी न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है और बाजार भाव कम हो जाता है तो सरकार न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है जिससे किसानों को कठिनाई न हो। वित्तीय कठिनाई भी हो सकती है तो इस पालिसी के अन्दर आलू की खरीद पी0 सी0 एफ0 कर रहे हैं तो न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री यशपाल सिंह–

मान्यवर, मैं इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के कुछ अधिकार होते हैं । कुछ बातें मैंने यह भी कही कि वित्तीय कठिनाइयों के साथ-साथ न्यूनतम भाव निश्चित करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है । दूसरी बात एक वित्तीय प्रश्न उठाया जा रहा है। पहले केन्द्रीय सरकार ने एक सुझाव भेजा था कि न्यूनतम भाव आलू का मुकर्रर किया जाये जिसमें 14 हजार टन से ऊपर की खरीद न हो, दूसरा 11 लाख रुपये कुण्टल दिया गया अगर उसमें नुकसान होता है तो 50 फीसदी केन्द्र उसका वहन करेगा और 50 प्रतिशत प्रदेशीय सरकार को करना पड़ेगा । इस प्रकार केवल 14 हजार टन पर ही 15 लाख रुपये की हानि का अनुमान है । साढ़े सात लाख प्रदेश सरकार को वहन करना है । प्रश्न यह है 11 लाख रुपये की हानि होती है तो कौन वहन करेगा। हमारे पास इसमें वित्तीय साधन नहीं हैं इसलिये कुछ कहना संभव नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के संदर्भ में मुझे यह कहना है कि उनका उत्तर परस्पर विरोधी है। एक तरफ तो उनके माननीय सदस्य कहते हैं कि सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि आलू उत्पादकों को क्या-क्या किया । मैं जानना चाहता हूं कि इण्डस्ट्रीज में जितने सामान हैं उनका मूल्य निर्धारित है तो मैं पूछना चाहता हूं कि किसानों ने क्या पाप किया है कि धान, गेहूं आदि के मूल्य निर्धारित हैं उसी तरह से आलू का न्यूनतम मूल्य निर्धारित न करने का क्या औचित्य है ? दूसरी बात वित्तीय साधनों की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया ,तमाम ऐसी समस्या है । माननीय मन्त्री जी ने कहा कि जब देखेंगे कि मार्केट रेट गिर रहा है तो हम खरीदना शुरु कर देंगे तो उस वक्त वित्तीय कठिनाइयां कैसे दूर हो जायेंगी तो तमाम कठिनाइयों को दूर करते हुए क्या मन्त्री जी पुनर्विचार करेंगे । क्या वह आलू का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने हेतु पुनर्विचार करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह–

मान्यवर, पुनर्विचार करने की इसमें आवश्यकता नहीं है ।

शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की मांग

**2–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा एवं सांस्कृतिक राज्य मन्त्री (श्री राम सिंह)–

जी नहीं ।

राष्ट्रीयकरण में निहित विभिन्न विधिक एवं आर्थिक प्रश्नों के कारण सम्प्रति शासन द्वारा राष्ट्रीयकरण करने का विचार नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया, उसको ध्यान में रखते हुए....।

(एक सदस्य द्वारा नीचे बैठकर मन्त्री जी से बात करने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह कौन माननीय सदस्य नीचे बैठे हुए बात कर रहे हैं? आप भविष्य में नियमों का पालन करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आज माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि विभिन्न विधिक एवं आर्थिक प्रश्नों के कारण राष्ट्रीयकरण करना कठिन है। मैं इस बारे में शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जिस समय श्री कमलापति त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री थे, उस समय उन्होंने माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बात सिद्धांततः स्वीकार की थी। उस समय श्री राम जी लाल सहायक उनके शिक्षा मन्त्री थे। माननीय मन्त्री जी व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि उस समय एक कमेटी बनी थी, जिसमें निजी प्रबन्ध तन्त्र को समाप्त कर उसकी वैकल्पिक व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार होना था। कमेटी ने उस पर विचार भी किया और उसने दो विकल्प सुझाये। एक विचार यह था कि शिक्षा का वही रूप कर दिया जाए जिस तरह से गवर्नमेन्ट स्कूल चलते हैं। दूसरा यह कि निजी प्रबन्ध तन्त्र को समाप्त कर दिया जाय और उसका एक एटानामस निकाय बनाया जाय।

मान्यवर, इस प्रकार मेरा कहना है कि इस राष्ट्रीयकरण की बात को इन्होंने सिद्धांततः स्वीकार किया था। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब यहां इस दल की सरकार थी और राम प्रकाश जी मन्त्री थे, तो उन्होंने भी इस बात को सिद्धांततः स्वीकार करते हुए इसके लिये बजट में व्यवस्था भी कर दी थी और इसके लिये एक अलग हेड भी बना दिया था। लेकिन उसके बाद कौन सी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गयीं कि अब सरकार कहती है कि राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे। खास तौर से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस बात के लिये आज सम्प्रति प्रदेश में आन्दोलन हो रहे हैं, अध्यापक जेल गये हैं। शिक्षकों के दोनों गुट अपनी इसी मांग को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस राष्ट्रीयकरण के बारे में सरकार का सिद्धांततः फैसला क्या है, क्या वह पहले निर्णय के आधार पर सिद्धांततः इस बात को स्वीकार करती है? अगर स्वीकार करती है तो निजी प्रबन्ध तन्त्र के स्थान पर विकल्प के रूप में सरकारीकरण या अन्य कौन सी व्यवस्था के बारे में सरकार विचार कर रही है?

श्री राम सिंह–

मान्यवर, यह सही है कि इसी सदन के पटल पर माननीय कमलापति त्रिपाठी जी ने सिद्धांततः माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बात को स्वीकार किया था। इसके उपरान्त एक हाई पावर कमेटी गठित की गयी थी। इस उच्च स्तरीय कमेटी का गठन वर्ष 1973 में हुआ, जिसने अपने प्रतिवेदन में, जो उसने 10-2-75 को दिया जैसा कि माननीय गुप्ता जी ने कहा, दो विचार सामने आये। एक यह कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय और दूसरा विचार यह था कि शिक्षा को एक निगम के अन्तर्गत सौंप दिया जाय। इसके उपरान्त शासन ने इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार किया। यदि हम शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर देते या सरकारीकरण

नोट :–अल्पसूचित प्रश्न संख्या 2, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की रुचि पर लिया गया।

कर दें तो कुल मिलाकर पेमेन्ट के लिये 25 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। वर्तमान प्रबन्ध के जो भवन और अन्य सामग्री हैं, उपकरण हैं, फील्ड हैं, या और भी जो चीजें हैं, उनके मूल्य का पेमेन्ट करना पड़ा तो अरबों रुपयों की बात है। अतः 6-7-81 को निर्णय लिया गया कि अपने संसाधनों को देखते हुए सरकारीकरण या निगमीकरण करना संभव नहीं है। आज की जो परिस्थिति है, उसमें हमारे संसाधन इतने नहीं हैं कि शिक्षा का पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण कमेटी की रिकमण्डेशन के अनुसार कर दें।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री यहां पर उपस्थित हैं, उन्होंने 31 मार्च, 1975 को यह घोषित किया था कि शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के मामले में सरकार ने उच्च स्तरीय आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और वह उस दिशा में उत्तरोत्तर कार्यवाही करेगी। कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने यह नीति संबंधी विषय को स्वीकार भी किया था कि हम मध्य से बांये की ओर चलेंगे। क्या यह सरकार मध्य से बांये चलने से हटकर और राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त से पीछे हटकर, क्या सदन में, शिक्षा मंत्री द्वारा घोषित उस नीति और कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुरूप यह सरकार चल रही है?

श्री राम सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम शनैः-शनैः जैसा कि माननीय श्री पंचानन राय जी ने कहा कि हम मध्य से बांयें नहीं चल रहे हैं, हम बांयें ही चल रहे हैं। इस बात को तो वह स्वयं जानते हैं कि हमारे विद्यालयों में जो कार्यकर्ता थे, उनकी पे, डी0 ए0 तथा अन्य सुविधाओं में बहुत अन्तर था, किन्तु अब हमने उस अन्तर को समाप्त कर दिया है। हमने उनके डी0 ए0, पे, तथा अन्य सुविधायें बढ़ा दी हैं। आप नहीं कह सकते हैं कि हम बांयें की तरफ चल रहे हैं। हमारा तो समाजवादी दृष्टिकोण है।

जहां तक उनके सर्विस कन्डीशन्स का सवाल था, उसके लिए हमने एक चयन आयोग बना दिया है, उसी के द्वारा उनका सलेक्शन होगा, और प्रतिभाशाली छात्र आ सकेंगे। जैसा कि आज तक होता था कि मैनेजर अपने भाई-भतीजों का चयन करता था, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता था, वह इस चयन आयोग के बन जाने से समाप्त हो गयी है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सीनियर बेसिक स्कूलों के शिक्षकों द्वारा दिया गया मांग पत्र

*1–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के तत्वावधान में उ0 प्र0 के सीनियर बेसिक स्कूलों के शिक्षकों द्वारा जिला मुख्यालयों पर 30-12-83 को प्रदर्शन करके जो मांग-पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा

जिला विद्यालय निरीक्षकों को दिया गया उसमें मुख्य मांगें क्या हैं तथा मांगों पर सरकारी दृष्टिकोण क्या है ?

श्री राम सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो प्रश्न मैंने किया है, उसे कृपा करके आप देखें। मैंने तो उसमें सिर्फ यह जानना चाहा था कि प्रदेश में क्या उस तिथि को अध्यापकों द्वारा प्रदर्शन किया गया था और उनकी मांगें क्या थीं? क्योंकि वह मांग-पत्र शासन को भी मिला है, और माननीय मंत्री जी को भी मिला है। तो फिर इसमें सूचना एकत्रित कहां से की जा रही है? उसमें तो नीति संबंधी सवाल है। अध्यापकों की सबसे महत्वपूर्ण मांग यह थी कि उन्हें चेक से पेमेण्ट किया जाय। दूसरा यह कि जब अनुदान सूची में जब उनको मान्यता मिल जाती है तो उन्हें पे सही समय पर दिलवाई जाय। ये दोनों प्रश्न नीति संबंधी हैं। माननीय मंत्री जी यह बतायें कि इन दोनों विषयों के ऊपर शासन का क्या नीतिगत निर्णय है?

श्री राम सिंह–

मान्यवर, वस्तुस्थिति यह थी कि कुछ जिलों से सूचना आयी थी कि प्रदर्शन हुए हैं और कुछ से अभी सूचना नहीं आयी है। तीन जगह से मांग-पत्र आये हैं, वे हैं सीतापुर, बिजनौर और गाजियाबाद। गाजियाबाद और बिजनौर के जो मांग-पत्र हैं, उसमें समानता है....

श्री अध्यक्ष–

आप डिटेल में उत्तर न दें, संक्षेप में दें।

श्री राम सिंह–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि सूचना पूरी नहीं थी, इसलिए सदन में नहीं रखी जा सकी। पूर्ण सूचना के संकलित होने के बाद ही उससे माननीय सदस्य को सूचित किया जा सकता है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

फूलमती कन्या इण्टर कालेज, कटघर, जिला मुरादाबाद की प्राइमरी विभाग की अध्यापिकाओं के बकाया वेतन का भुगतान

*1–श्री भीखा लाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फूलमती कन्या इण्टर कालेज, कटघर, जिला मुरादाबाद से सम्बद्ध प्राइमरी विभाग की अध्यापिकाओं के वेतन मई, 1982 से न दिए जाने के संबंध में अध्यापिकाओं ने 12 सितम्बर, 1982 को उनको एक ज्ञापन उनके बरेली आगमन के अवसर पर दिया था जिस पर उन्होंने तुरन्त वेतन भुगतान के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या बकाया वेतन का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री भीखा लाल–

मान्यवर, इस प्रश्न में दो बिन्दु हैं–एक तो यह कि फूलमती कन्या इण्टर कालेज की अध्यापिकाओं को मई, 1982 से वेतन नहीं मिला और दूसरा यह कि 12 सितम्बर को उन्होंने कोई प्रार्थना-पत्र दिया था। दोनों बिन्दुओं पर जवाब यह आया कि जी नहीं, प्रार्थना-पत्र नहीं मिला। मैं जानना यह चाहता हूं कि क्या इस बात की जानकारी करायी गयी कि उन अध्यापिकाओं को, जिनको मई से वेतन नहीं मिला है, क्या वे वेतन दिला दिया गया है या अभी तक नहीं दिलाया गया है?

श्री रामसिंह–

मान्यवर, उनका वेतन भुगतान दिसम्बर, 1983 तक हो चुका है।

[सोमवार 20 फरवरी, 1984 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बाबा मंशानाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बिलग्राम, जनपद हरदोई के शिक्षकों के बकाया वेतन का भुगतान

*1–श्री हरी शंकर तथा श्री राम आसरे वर्मा (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बाबा मंशानाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बिलग्राम, हरदोई के शिक्षकों को जनवरी, 1983 से वेतन नहीं दिया गया है?, क्या इन लोगों ने 28-9-83 से हड़ताल कर दी है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?,

शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

जून, 83 तक वेतन भुगतान किया जा चुका है। विद्यालय असहायिक होने के कारण वेतन भुगतान का दायित्व प्रबंधतंत्र का है। फिर भी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वेतन भुगतान कराने का प्रयत्न किया जा रहा है।

*2–श्री केदार नाथ सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

*3–श्री सन्त बख्श रावत–

[2 रे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या–3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गाजीपुर जनपद में पाइराइट की खरीद तथा उपभोग

*4–श्री राम नारायण सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983 में गाजीपुर जनपद में कितनी मात्रा में एवं कितनी धनराशि की पाइराट खाद मंगायी गयी तथा इसका उपभोग किन-किन क्षेत्रों में किया गया? क्या यह सत्य है कि तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी (जोखू प्रसाद त्रिपाठी) के कार्यकाल में उक्त खाद को समय से रेलवे स्टेशन से नहीं उठाया गया। जिससे विभाग को 50 हजार रुपये से अधिक धनराशि डेमरेज आदि के रूप में देना पड़ा है? यदि हां, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती बेनी बाई–

वर्ष 1983-84 के माह जून में गाजीपुर जनपद में 799 मै0 टन 900 किलो ग्रा0 मू0 2,98,730.65 पै0 की पाइराइट आवंटित होकर प्राप्त हुयी। पाइराइट का उपभोग ऊसर सुधार के लिए गाजीपुर जनपद के जखनिया, गाजीपुर मनिहारी मुहम्मदाबाद, बिरनों, कासिमाबाद, सादात, बाराचवर, मरदह, सैदपुर तथा करण्डा विकास खण्डों के क्षेत्रों में किया जा रहा है। पाइराइट के पूर्तिकर्त्ता मेसर्स पाइराइट फास्फेट एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा पाइराइट जिला कृषि अधिकारी गाजीपुर के बजाय उप कृषि निदेशक, वाराणसी को भेजा गया जिसके कारण पाइराइट उठाने में देर हुई और इस देर के फलस्वरूप मु0 रुपये 44,673.50 का डेमरेज देना पड़ा। चूंकि माल उठाने में देरी पूर्तिकर्त्ता के कारण हुई थी, अतः डेमरेज की धनराशि पूर्तिकर्त्ता के बिलों से काट ली गई। वर्णित परिस्थितियों में किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम नारायण सिंह–

मान्यवर, इस प्रदेश सरकार के बहुमूल्य खजाने का करोड़ों रुपया इस पाइराइट के नाम पर प्रति वर्ष खर्च किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

आप सवाल पूछिये।

श्री राम नारायण सिंह–

मैं यह जानना चाहूंगा कि यह 2,98,730.65 रु0 की पाइराइट जो गाजीपुर में गयी है, मेरी जानकारी को सुनिश्चित मानते हुए कि आज तक भी उसका उपयोग नहीं हुआ है कहीं भी और वह सड़कों पर फेंकी गयी है, तो क्या संबंधित दोषी अधिकारी को दंडित करेंगे?

श्री यशपाल सिंह–

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ने जो प्रश्न किया था, वह यह था कि यह जो डेमरेज देना पड़ा, जिसके कारण हानि हुई उसमें जहां तक दोष का सवाल था, तो वह दोष कम्पनी का है, किसी अधिकारी का नहीं है। दूसरा प्रश्न मान्यवर सम्मानित सदस्य ने किया था कि पाइराइट पर इतना रुपया खर्च हुआ है गवर्नमेंट का और वह सड़कों पर पड़ा हुआ है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, तो उसके संबंध में यही कहूंगा कि ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसी स्थिति है। लेकिन मैं प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह प्रश्न उठाकर के मेरी दृष्टि उस ओर खींची, उसका प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है, लेकिन मैंने यह महसूस किया कि जितना पाइराइट आबंटन का लक्ष्य उनको रखा था, जितने एकड़ ऊसर सुधार का लक्ष्य दिया गया था, उनका लगभग 1/8 की उन्होंने पूर्ति किया। लिहाजा मैंने उसके जांच के आदेश दे दिये हैं। अगर सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कोई दोष साबित होगा, तो निश्चय ही उनके विरुध्द कार्यवाही की जायेगी।

श्री राम नारायण सिंह–

मैं सरकार का ध्यान इसी बात पर दिलाना चाहूंगा। इसी सम्बन्ध में मान्यवर, गन्ना विकास राज्य मंत्री गाजीपुर गये थे ऊसर अभियान गोष्ठी की शुरुआत करने, तब

मैं भी उसी समय मौके पर गया था और उनको बताया था कि इतनी गाजीपुर की भूमि पर ऊसर पाइराइट का उपयोग नहीं किया गया है, उसी संदर्भ में आज मंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। मैं आज भी कहता हूं कि मेरी गाजीपुर विधान सभाई क्षेत्र में जिसका मैंने 2-3 रोज हुए दौरा किया था, वहां मैंने देखा, हर तरफ पाइराइट बेकार पड़ा हुआ है। तो, माननीय मंत्री जी किस आधार पर सदन को आश्वस्त कर रहे हैं कि नहीं इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने पहले ही आपसे कह दिया और उन्होंने आपको धन्यवाद दिया जो आपने उनका इस ओर ध्यान आकृष्ट किया, उन्होंने यह भी कहा कि वे सम्बन्धित मामले को देखेंगे। अब मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री हुकुम सिंह–

मैं आपके माध्यम से मान्यवर मंत्री जी का ध्यान लिखित प्रश्न के पहले भाग की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। उसमें लिखा हुआ है कि क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983 में गाजीपुर जनपद में कितनी मात्रा में एवं कितनी धनराशि की पाइराइट खाद मंगायी गयी तथा इसका उपयोग किन-किन क्षेत्रों में किया गया? प्रश्न के आगे का हिस्सा इन्होंने पढ़ भी दिया और उत्तर भी दे दिया, लेकिन कितना क्रय किया गया और किस-किस क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया, यह नहीं बताया?

श्री यशपाल सिंह–

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ने प्रश्न पढ़ा, उनको उत्तर भी पढ़ना चाहिये था। स्पष्ट लिखा हुआ है कि वर्ष 1983-84 के माह जून में गाजीपुर जनपद में 799 मै0 टन 900 किलो ग्राम मु0 2, 98, 730.65 पै0 की पाइराइट आवंटित होकर प्राप्त हुई।

श्री हुकुम सिंह–

इसका उपयोग कहां-कहां किया गया?

श्री यशपाल सिंह–

यह उसी के आगे दिया हुआ है कि पाइराइट का उपभोग ऊसर सुधार के लिए गाजीपुर जनपद के जखनिया, गाजीपुर, मनिहारी, मुहम्मदाबाद, बिरनों कासिमाबाद, सादात, बाराचवर, मरदह, सैदपुर तथा करण्डा विकास खण्डों के क्षेत्रों में किया जा रहा है।

*5–श्री कुंवर सिंह नेगी–

[11वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या–2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सीतापुर जिले के तम्बीर कस्बे में कृषि मंडी के निर्माण की मांग

*6–श्री मुख्तार अनीस–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले के तम्बीर कस्बे में कृषि मंडी शासन द्वारा स्वीकृत है और उसके लिये वर्ष 1979 में भूमि भी क्रय कर ली गयी थी? इस मंडी के अब तक निर्माण न हो पाने का क्या कारण है?

श्रीमती बेनी बाई–

केवल मण्डी स्थल के निर्माणार्थ कस्बा तम्बौर में वर्ष 1979 में भूमि क्रय कर ली गयी थी किन्तु पहुंच मार्ग हेतु भूमि अभी तक क्रय नहीं की जा सकी है। इसलिये प्रश्नगत मंडी का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

श्री मुख्तार अनीस–

मण्डी के लिये भूमि 1979 में खरीदी गयी। तब से 5 साल हो गये हैं, इस 5 साल के दौरान आज तक रास्ता क्यों नहीं बन पाया और रास्ता बनवाने में क्या कठिनाई है?

श्री यशपाल सिंह–

जानकारी तो सम्मानित सदस्य को सभी कुछ है कि क्यों वहां पर मण्डी का निर्माण नहीं हो सका । यह सही है कि 1979 में यह जमीन अधिगृहीत नहीं बल्कि "बाई नेगोशियेशन" खरीद की गयी थी और उसके सामने पहुंच मार्ग के लिये सम्भवतः सम्मानित सदस्य ने अधिकारियों को आश्वासन दिया था कि पहुंच मार्ग के लिये जमीन उपलब्ध करा देंगे । रेट्स की जहां तक बात है, सम्मानित सदस्य को भी जानकारी है कि "नेगोशियेशन्स" हुए और फिर टूट गये । सम्मानित सदस्य जब भी कभी "बाई नेगोशियेशन्स" दिलवा देंगे, तभी निर्माण करा दिया जायगा नहीं तो अधिगृहीत करके निर्माण शुरू करा दिया जायगा ।

श्री राम कुमार भार्गव–

तम्बौर में मण्डी के बारे में लिखकर आया हुआ है कि वहां पर लाइसेंस ज्यादा हैं, वहां पर भी विलम्ब हो रहा है। क्या माननीय मंत्री जी बिसवां मंडी को शीघ्रातिशीघ्र बनवाने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री मुख्तार अनीस–

इसमें दो बातें हैं । असल बात यह है कि इसमें राजनीति की जा रही है। तम्बौर की मण्डी की जगह पहले खरीद ली गयी, बाद में बाधा डाली गयी, एक ऐसा सचिव बुलाया गया जिसने जानबूझकर कोई काम नहीं किया। जब रास्ते की बाधा थी और जमीन खरीद ली तो "एक्वायर" क्यों नहीं किया, अधिगृहीत क्यों नहीं किया? अधिग्रहीत करके अपना रास्ता क्यों नहीं बनाया गया अब तक दूसरी बात क्या माननीय मंत्री जी उस भूमि को एक्वायर कराने पर विचार करेंगे?

श्री यशपाल सिंह–

मान्यवर, यह उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं यदि माननीय सदस्य अपना सहयोग देंगे तो मैं अवश्य अधिगृहीत कर लूंगा ।

अयोध्या जनपद फैजाबाद में "आधुनिक मनोरंजन गृह" होटल के निर्माण की योजना

*7–श्री निर्मल खत्री–

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत "आधुनिक मनोरंजन गृह" होटल बनाने की योजना जिसका शिलान्यास तत्कालीन पर्यटन मंत्री द्वारा 18 माह पूर्व किया जा चुका है, पर अभी तक कार्य प्रारम्भ न करने का क्या कारण है?

पर्यटन राज्य मंत्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)–

वर्ष 1981-82 में 48 शैय्या के एक आधुनिक स्वागत केन्द्र के निर्माण की योजना स्वीकृत की गई थी। रु0 14.68 लाख की प्रारम्भिक लागत वाली इस योजना का निर्माण कार्य निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा है। स्वीकृत योजना के अन्तर्गत अयोध्या में विभाग के पर्यटक आवास गृह के कम्पाउण्ड में ही कुछ पुराने पर्यटक आवास गृह के भाग को तोड़कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। डिजाइन में आवश्यक संशोधन किए जाने के कारण निर्माण कार्य में व्यवधान अवश्य पड़ा। पुराने आवास गृह के एक भाग को तोड़ने का कार्य जारी है जो स्वीकृत योजना का ही एक अंग है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आप कृपया अपने विभाग के उत्तर के मध्य में देखें कि "पर्यटक आवास गृह के कम्पाउण्ड में" क्या लिखा है। कम्पाउण्ड की 'मम्पाउंड" टाईप है। कृपया पहले से इन चीजों को देख लिया करें ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो।

श्री निर्मल खत्री–

मान्यवर, मेरी जानकारी को सही मानते हुए कि अभी तक उसके निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं है। राजकीय निर्माण निगम जानबूझकर लापरवाही बरत रहा है। इसलिए माननीय मंत्री जी कृपया उन्हें निर्देशित करें और अभी तक जिन लोगों की वजह से इस मामले में विलम्ब हुआ है क्या उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करेंगे?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

अब शीघ्र ही निर्माण व्यवस्था के लिए आदेश कर दिये जायेंगे और शीघ्र ही निर्माण आरम्भ हो जायेगा।

श्री निर्मल खत्री–

मान्यवर, शीघ्र करते-करते तो दो-ढाई साल गुजर गये हैं इसलिए अब इस बात के स्पष्ट आदेश जारी किये जायें ताकि शिलान्यास हुए स्थान पर अब शीघ्र ही भवन निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ हो सके?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

यह कार्य निर्माण निगम की ओर से करा जा रहा है और देर भी उनकी ही तरफ से हो रही है, विभाग की ओर कोई अड़चन नहीं है, फिर भी उन्हें शीघ्रातिशीघ्र के आदेश दे दिये जायेंगे।

प्रधानाध्यापक (राजपत्रित) के पदों हेतु राजकीय शिक्षकों को अधिकतम आयु सीमा में छूट

*8–श्री जगदीश सिंह (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वि0 स0 21/81-82, दिनांक 27-2-82 के द्वारा विज्ञापित प्रधानाध्यापक (राजपत्रित) के पदों हेतु राजकीय शिक्षकों की अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट प्रदान नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां। अधिकतम आयु सीमा से छूट देने के प्रस्ताव पर लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जा रहा है।

पर्वतीय क्षेत्रों में हाईस्कूल तथा इण्टर की विज्ञान एवं अन्य प्रयोगात्मक परीक्षाओं को लिखित परीक्षा के पूर्व कराये जाने की मांग

*9–श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि पर्वतीय क्षेत्रों, विशेषकर सीमान्त जनपदों में हाई स्कूल तथा इण्टर की विज्ञान व अन्य प्रयोगात्मक परीक्षायें अधिकांशतः लिखित परीक्षाओं के बाद सम्पन्न करायी जाती हैं जिसके कारण वहां के छात्र विभिन्न प्रतियोगिताओं में नहीं बैठ पाते हैं? क्या सरकार सभी पर्वतीय जनपदों, विशेषकर सीमान्त, जनपदों में उपरोक्त परीक्षायें लिखित परीक्षाओं से पूर्व कराने की राजाज्ञा जारी करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम सिंह–

जी नहीं। पर्वतीय क्षेत्रों की प्रयोगात्मक परीक्षायें लिखित परीक्षा के पूर्व हीं सुचारु रूप से सम्पन्न कराने हेतु परीक्षकों तथा विद्यालयों को निर्देश हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी कभी-कभी बड़ा दुख होता है कि इस प्रदेश का शासन क्या इसी ढंग से चलेगा, हमारी जानकारी को सही मानते हुए कि हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट की विज्ञान की परीक्षाएं कभी भी समय से नहीं हुयीं, दो तीन वर्षों का तो यही रिकार्ड है, लेकिन माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि परीक्षाएं समय से पहले हो जाती हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी दो तीन साल पहले की हुयी परीक्षाओं के रिकार्ड की जांच करायेंगे?

श्री राम सिंह–

मान्यवर, इन परीक्षाओं के सिलसिले में हमारे यहां स्पष्ट आदेश हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा जो निर्देश (जी0 ओ0) दिये जाते हैं, उसका पैरा मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूं:–

"पहाड़ी केन्द्रों की परीक्षाएं यथासम्भव लिखित परीक्षाओं के पूर्व ही सम्पन्न कर लें। यदि मैदानी केन्द्रों के साथ कुछ पहाड़ी क्षेत्र हों तो पहाड़ी तथा मैदानी केन्द्रों की प्रयोगात्मक परीक्षाएं लिखित परीक्षा के पूर्व एक ही यात्रा में सम्पन्न करें।"

यह इंस्ट्रक्शन मान्यवर, बोर्ड जो आटोनामस बाडी है उसके द्वारा दिया हुआ है। इससे ज्यादा व्यवस्था और क्या दी जा सकती है? या तो ये प्रश्न यह करते कि पिछले गत वर्षों में किन कारणों से प्रयोगात्मक परीक्षा, लिखित परीक्षा के बाद हुई तो उसका उत्तर स्पष्ट आ जाता परन्तु इन्होंने यह तो प्रश्न किया ही नहीं।

श्री अध्यक्ष–

जहां तक हो सके आप संक्षेप में उत्तर देने का प्रयत्न किया करें।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग जिसको कोढ़ लग गया है तो क्या आप माध्यमिक शिक्षा परिषद् जिसका कि मैं उदाहरण दे रहा हूं और आप मेरी जानकारी को सही मान कर हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षाओं में प्रयोगात्मक परीक्षायें लिखित परीक्षाओं के पूर्व ही सम्पन्न कराने का कष्ट करेंगे?

श्री राम सिंह--

माननीय सदस्य किसी भी जिले को जिसे वे चाहें उसका नाम बतला दें, मैं जांच करा लूंगा। मान्यवर, पहाड़ी क्षेत्रों में फरवरी, मार्च में बर्फ पड़ती रहती है। वैसे व्यवस्था तो ऐसी ही है कि प्रयोगात्मक परीक्षायें, लिखित परीक्षाओं के पूर्व ही सम्पन्न कराने के लिये। परन्तु यदि माननीय सदस्य किसी जिले में रुचि रखते हों तो उसका नाम दे-दें, मैं जांच करा लूंगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में कि सवाल दीगर और जवाब दीगर। मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि किसी भी स्कूल में यदि बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षायें लिखित परीक्षाओं के पूर्व गत वर्षों में हुई हों तो माननीय मंत्री जी उस जिले का ही नाम बतला दें। यह पूरे उत्तर प्रदेश में लिखित परीक्षाओं की बात हो रही है और सदन में बार-बार यह बात आयी है। तो क्या माननीय मंत्री जी सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद् को डि-सेन्ट्रलाइज करने पर विचार करेंगे?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, इसका तो इसमें प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक डि-सेन्ट्रलाइज करने की बात है तो इस पर विचार करेंगे। वैसे माध्यमिक शिक्षा परिषद् को डि-सेन्ट्रलाइज करने का निर्णय ले लिया गया है और मेरठ, बनारस और बरेली में इसे खोला है और शनैः शनैः कार्यभार सौंपा जा रहा है।

आजमगढ़ जनपद में सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में वेतन न वितरित कराये जाने के कारणों की जांच की मांग

*10--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़, जनपद में सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अगस्त, 1983 का वेतन 20 सितम्बर, 1983 तक वितरित नहीं हुआ जिसके कारण 21 सितम्बर, 1983 से विद्यालयों में पठन-पाठन बन्द हो गया? यदि हां, तो वेतन समय से न वितरित किये जाने के क्या कारण हैं तथा इसके लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री राम सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, प्रक्रिया नियमावली सम्बन्धी जो करण हैं उसमें पृष्ठ 8 पर लिखा हुआ है कि जिन सवालों को स्थगित नहीं करना चाहिये, उन्हें मान्यवर, स्थगित किया जा रहा है। उसमें लिखा है कि जिसकी सूचना एक महीने पहले सरकार को मिल गयी हो, वह सवाल स्थगित नहीं होगा। यह सवाल 26-10-83 को यानी 4 महीने पूर्व शासन को मिला था। आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि सदन की जो प्रक्रिया निर्धारित है तो यह सदन उसके हिसाब से चलेगा या फिर शासन जो चाहे उस तरह से प्रश्नों को स्थगित करा दिया करेगा?

श्री अध्यक्ष–

भविष्य में जो आप लोगों ने नियम बनाये हैं और जो करण हैं उनका आप लोग ध्यान रखेंगे और अगले सप्ताह इस प्रश्न का उत्तर शासन दें।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, आपने जो व्यवस्था दी है, वह शिरोधार्य है, आपकी व्यवस्था के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। परन्तु जो प्रश्न तीन-तीन बार एजेण्डे में स्थगित हो जाता है, पिछली बार भी यह प्रश्न स्थगित हुआ था, मेरा एक सवाल उस सत्र में दो बार स्थगित हुआ और आज भी स्थगित हुआ तो इस सम्बन्ध में अवश्य आज कोई व्यवस्था दें?

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात को लिखकर भेज दें तभी उस पर व्यवस्था दी जायेगी।

गोंडा जनपद के गैसंडी विकास खण्ड मुख्यालय पर सरकारी हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव

*11–श्री अकबाल हुसैन (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि गोंडा जनपद के गैसंडी विकास खण्ड में जन-जाति थारुओं की आबादी को ध्यान में रखते हुए गैसंडी विकास खण्ड मुख्यालय पर कोई सरकारी हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां।

इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय ले लिये जाने की सम्भावना है।

कृषि फार्म बानगंगा एवं रिसालटपुर, जनपद बस्ती की भवन मरम्मत हेतु बनाया गया एस्टीमेट तथा व्यय

*12–श्रीमती कमला साहनी (अनुपस्थित)–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 82-83 कृषि फार्म बानगंगा एवं रिसालटपुर, जनपद बस्ती को भवन मरम्मत हेतु ए0 डी0 ओ0 एम0 आई0 ने क्रमशः 14,000, 14,000 रुपये का एस्टीमेट बनाया था ? यदि हां, तो 39,000, 39,000 रुपया खर्च करने का क्या औचित्य है ? इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्या दोषी व्यक्ति को सरकार दंडित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

नोटः–तारांकित प्रश्न संख्या 12 श्री माता प्रसाद पाण्डेय की रुचि पर लिया गया।

श्री यशपाल सिंह–

जी नहीं।

वर्ष 1981-82 में केवल बानगंगा प्रक्षेत्र के भवन मरम्मत के लिए मु0 14,674 रुपये का स्टीमेट ए0डी0ओ0 एम0 आई0 द्वारा बनाया गया था जो मण्डलीय कार्यालय में 19-11-81 को प्राप्त हुआ था।

2. उक्त एस्टीमेट प्राप्त होने से पूर्व ही माह जून, 81 में मण्डलीय कार्यालय के वरिष्ठ अधिदर्शक द्वारा मु0 39,200 रु0 का एस्टीमेट प्रस्तुत कर दिया गया था जिस पर तकनीकी, प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की गयी थी।

3. ए0 डी0 ओ0 एम0 आई0 द्वारा बनाये गये एस्टीमेट में केवल तीन मद थे जबकि विभागीय एस्टीमेट में 11 मद लिये गये हैं जिसके फलस्वरूप धनराशि अधिक होना स्वाभाविक है।

अतः किसी के दोषी होने एवं उसे दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर पढ़ा और बताया। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जब ये ए0 डी0 ओ0 एम0 आई0 ने एस्टीमेट 14,674 रु0 का बनाया, उसके पूर्व ही मंडलीय कार्यालय के वरिष्ठ अधिदर्शक द्वारा मु0 39,200 रु0 का एस्टीमेट प्रस्तुत कर दिया गया था और जब अधिदर्शक का एस्टीमेट उन्हें पहले ही प्राप्त हो गया था, तो फिर उसी चीज का एस्टीमेट ए0 डी0 ओ0 एम0 आई0 से तैयार कराने का क्या औचित्य था, क्योंकि ए0 डी0 ओ0 एम0 आई0 ने तो केवल तीन मदों का ही एस्टीमेट बनाया, जबकि वरिष्ठ अधिदर्शक ने विस्तृत एस्टीमेट बनाया था?

श्री यशपाल सिंह–

मान्यवर, अपने उत्तर में मैंने स्पष्ट कहा था कि ए0 डी0 ओ0 एम0 आई0 द्वारा जो एस्टीमेट बनाया गया था वह केवल तीन मदों पर आधारित था और जो अधिदर्शक द्वारा एस्टीमेट बनाया गया था वह 11 मदों का बनाया था, जो 14,674 रु0 का था तो यह स्वाभाविक था कि एस्टीमेट ज्यादा बनेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शिक्षा मंत्री, प्रश्न 11 को निकालें आप, उसमें केवल शिक्षा मंत्री लिखा है और उसमें कोई नाम नहीं है। इसका आप भविष्य में ध्यान रखें।

लखनऊ जनपद के समस्त विकास खण्डों को वनीकरण हेतु उपलब्ध धनराशि

*13–श्री सन्त बख्श रावत–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विकास अभिकरण (डी0 आर0 डी0 ए0) की बैठक लखनऊ में दिनांक 20 जून, 1983 को हुई थी जिसमें सा0नि0वि0 को 22.50 लाख रु0, सामाजिक वानिकी को 22.50 लाख रु0 और ग्रामीण अभियंत्रण सेवा लखनऊ को 10.50 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई?

यदि हां, तो जिला अभिकरण के सदस्यों द्वारा उक्त विभागों के लिए किन-किन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई थी और उसके लिए कितनी-कितनी धनराशि की व्यवस्था थी? क्या लखनऊ जनपद के समस्त विकास खण्डों में उक्त विभागों को दी गई धनराशि का वितरण समान रूप से किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री राम सजीवन सिंह)–

जी हां, आवंटित धनराशि के समक्ष सार्वजनिक निर्माण विभाग को 12.25 लाख रुपया, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को 5.70 लाख रुपया, वन विभाग को 6.00 लाख रुपया तथा समस्त विकास खण्डों को गांव समाज की भूमि पर वनीकरण हेतु 9.81 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है। आवंटन करते समय यही प्रयास किया गया है कि यथासम्भव समस्त विकास खण्डों को लगभग समान धनराशि उपलब्ध करायी जाये।

श्री सन्त बख्श रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो प्रश्न किया था उसका आशय बिलकुल स्पष्ट था कि क्या सभी विकास खण्डों को समान रूप से पैसा दिया गया है। जो उत्तर प्रदेश की मार्ग दर्शिका है, या गाइड लाइन्स हैं उसके पेज 7 पर मान्यवर, स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो लास्ट सूची बनायी जायेगी वह माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दी जायेगी। समिति ने जो निर्णय लिया है उसमें विकास खण्डों को पैसा देने की बात नहीं थी, जब उनको पैसा देने की बात नहीं थी तो विकास खण्डों को धनराशि क्यों दी गयी और अगर दी गयी है तो कितने विकास खण्डों को मिली है?

श्री राम सजीवन सिंह–

यह कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि सभी विकास खण्डों को समान रूप से धनराशि दी जाये। किस विकास खण्ड को कितनी आवश्यकता है, इस आधार पर धनराशि आवंटित की जाती है।

श्री सन्त बख्श रावत–

मान्यवर, सबसे पिछड़ी हुई तहसील मोहनलाल गंज (जिला लखनऊ) है और इस तहसील में विकास खण्ड गोसाईगंज और मोहनलालगंज बहुत पिछड़े हुए हैं। यहां पर हरिजन आबादी 48 प्रतिशत है। यह हरिजन बाहुल्य क्षेत्र है। तो क्या माननीय मंत्री जी, इन दो विकास खण्डों में वनीकरण और मार्ग बनाये जायेंगे। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि विकास खण्ड गोसाईगंज और मोहनलालगंज में सार्वजनिक निर्माण विभाग और ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अन्तर्गत कौन-कौन सी योजनायें चलायी जा रही हैं?

श्री राम सजीवन सिंह–

जहां तक वनीकरण का सवाल है, 10 प्रतिशत आवंटन करने का प्राविधान है। इस वनीकरण की धनराशि दी जा चुकी है। आगे देने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री बिहारी लाल–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विकास खण्ड तो 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सारे विकास की योजनायें लागू करते हैं। माननीय मंत्री जी गम्भीरता से सोचें, पहले विकास खण्डों को 2 लाख रुपया दिया जाता था फिर 50 हजार

रुपया कर दिया गया। विकास खण्ड में सारी योजनायें आ जाती हैं। हर विकास खण्ड नाली खड़ंजा आदि का काम करता है, तो क्या माननीय मंत्री जी इस धनराशि को 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख करने की कृपा करेंगे?

श्री राम सजीवन सिंह–

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, वह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। इसलिए उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सन्त बख्श रावत–

मैं यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि जब धनराशि का जो आवंटन किया गया जिलाधिकरण द्वारा मात्र पी0 डब्लू0 डी0 और ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा और वन विभाग को किया गया, तो इन्होंने किस हैसियत से और किस प्राविधान से विकास खण्डों को दिया है, मैं यह जानना चाहता हूं?

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)–

मान्यवर, जहां हम विभिन्न एजेंन्सियों जैसे पी0 डब्ल्यू0 डी0, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा और वन विभाग से काम कराते हैं वहीं शासन ने यह निर्णय भी लिया है कि हम ब्लाक के जरिये डी0 आर0 डी0 ए0 से सम्बन्धित कार्य भी करायेंगे। केवल ब्लाकों से ही नहीं बल्कि ग्राम पंचायतों को भी इन्वाल्व करेंगे और उनसे भी काम करायेंगे। ब्लाक से काम कराने की कोई रोक नहीं है।

पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, अतर्रा (बांदा) के बी0 एड0 विभाग के कतिपय अध्यापकों के वेतन निर्धारण में हुई कथित विसंगतियों के सम्बन्ध में कार्यवाही

*14–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि क्या शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उत्तर प्रदेश ने दिनांक 26 मई, 1983 के अर्द्ध शासकीय पत्रांक अर्थ/3214 के द्वारा प्राचार्य, अतर्रा, पोस्ट ग्रेजुएट कालेज अतर्रा (बांदा) को बी0 एड0 विभाग के कतिपय अध्यापकों के वेतन निर्धारण में हुई विसंगतियों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के आदेश दिये थे? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाहूंगा कि किस प्रश्न से संबंधित उन्होंने अभी तक अध्यापकों के वेतन निर्धारण के संबंध में कार्यवाही करायी है?

श्री राम सिंह–

मान्यवर, जिस 26 मई, 1983 के अर्द्ध शासकीय पत्र का माननीय सदस्य ने हवाला दिया है, इस तरह का कोई पत्र हमें नहीं मिला। 11-8-80 को एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था और उसमें यह था कि वेतन निर्धारण जिन अध्यापकों का है उसमें एक साल के एडहाक बेसिस पर जिन्होंने सेवा की है उसकी सेवा का

लाभ उन्हें दिया जाय और एक वर्ष का इन्क्रीमेन्ट दिया जाय इसको देना सम्भव नहीं है। बाकी उनका जो वेतन निर्धारण है एक साल को छोड़कर, वह नियमानुसार कर लिया जायेगा।

*15—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

स्वामी रामानन्द इण्टर कालेज, फर्रुखाबाद के उप प्रबन्धक का भ्रष्टाचार एवं गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में पत्र पर जांच

*16—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 5-10-83 के साथ उन्हें स्वामी रामानन्द इण्टर कालेज, फर्रुखाबाद के उप प्रबन्धक का पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें भ्रष्टाचार एवं गंभीर अनियमितताओं के अनेक आरोप थे? यदि हां, तो इन आरोपों के सम्बन्ध में क्या जांच हुई तथा जांच के उपरान्त क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम सिंह—

जी हां।

मामले में जांच के उपरान्त माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16—घ के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी —

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन आरोपों की जांच किस अधिकारी ने की? मेरी निजी जानकारी को सही मानते हुए क्या मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे कि उस जांच के उपरान्त प्रबन्धक और प्रधानाचार्य ने मिलकर ब्वाइज फंड आदि में बड़ी गड़बड़ी की है। इस पर जो कार्यवाही होनी है उसके लिए क्या आप एक निश्चित अवधि निर्धारित करेंगे ताकि विभागीय कार्यवाही पूरी हो सके और आगे कोई गड़बड़ी न हो सके?

श्री राम सिंह—

इस सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक से इन्क्वायरी करायी गयी है। उसमें काफी शिकायतें और घुटाला प्रतीत होता है। मान्यवर, इसमें एक प्रक्रिया है कि 16 डी (2) का नोटिस दिया जाता है और उसके बाद डी (3) का नोटिस दिया जाता है। 16 डी की कार्यवाही जारी है और उसे शीघ्र कराकर अग्रिम कार्यवाही प्रतिपादित की जायेगी। यदि वहां पर अथोराइज्ड कंट्रोलर की आवश्यकता हुई तो वह भी वहां पर नियुक्त किया जायेगा।

श्री पंचानन राय—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि वहां पर घुटाला है तो जैसा कि 16 डी में दिया है तत्काल प्रबन्धाधिकरण को निलम्बित करने में क्या कठिनाई है?

श्री राम सिंह–

मान्यवर, 16 डी के अन्तर्गत वहां पर अथोराइज्ड कंट्रोलर मुकर्रर किया जा सकता है जहां वेतन में गड़बड़ी हो लेकिन जो और गड़बड़ियां होंगी वहां पर 16 डी (3) में ही कार्यवाही की जायेगी।

श्री पंचानन राय–

माननीय मंत्री जी विद्वान आदमी हैं, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 16 डी की उप धारा 8 इसी सदन में बढ़ायी गयी है कि जहां अनियमिततायें गंभीर हों वहां तत्काल प्रबन्धीकरण को निलम्बित कर दिया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं 16 डी (8) की तहत प्रबंधाधिकरण को तत्काल निलम्बित करने की कृपा करेंगे ?

श्री राम सिंह–

मान्यवर, अभी तो डी0 आई0 ओ0 एस0 की पीलिमिनरी रिपोर्ट आई है, उसकी जांच हो रही है उसके बाद कार्यवाही होगी। मैंने प्रतीत होता है कहा है जब वह एस्टेब्लिश हो जायेगा तभी कार्यवाही होगी अभी तो जांच हो रही है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी–

मैं आपके माध्यम से मान्यवर, मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या पिछले एक वर्ष से जिला विद्यालय अधिकारी को इस विद्यालय की गड़बड़ियों के संबंध में शिकायतें मिलती रहीं, यदि हां, तो वह इन शिकायतों को दबायें क्यों बैठे रहे? क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि इस विद्यालय के प्रबंधक 6 माह पूर्व स्वर्गवासी हो गये हैं और उप प्रबंधक के बजाय एक अन्य व्यक्ति प्रबंधाधिकरण के व्यक्ति अनधिकृत रूप से प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो उनके हस्ताक्षरों को डी0 आई0 ओ0 एस0 ने कैसे प्रमाणित किया?

श्री राम सिंह–

मान्यवर, 1-10-82 को वहां के कुछ अध्यापकों से शिकायती पत्र प्राप्त हुए थे उसके बाद वहां के प्राचार्य महोदय ने 15-10-82 को शिकायत की। माननीय सदस्य की यह बात सही है कि वहां के प्रबंधक की मृत्यु हो गयी है। इस मामले की पूरी छानबीन की जा रही है। अगर किसी अधिकारी की शिथिलता इसमें पायी जायेगी तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी?

*17–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में लागू त्रिभाषा सूत्र

*18–श्री नन्द किशोर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में लागू त्रिभाषा सूत्र वर्ष 81-82 से समाप्त कर दिया गया है? यदि हां, तो इसका आधार क्या है?

श्री राम सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नन्द किशोर सिंह–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 1980-81 से किसी भी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल या सहायता प्राप्त स्कूलों में त्रिभाषा सूत्र लागू नहीं किया जा रहा है और वहां के अध्यापकों को पैसा नहीं मिल रहा है?

श्री राम सिंह–

मान्यवर, यह लाभत्रयी योजना 1963 में लागू हुई थी तत्पश्चात् इसके अन्तर्गत जो स्टाफ रखा गया था वह 1973 तक चलता रहा। इस तरह 2,435 अध्यापक इस योजना के अन्तर्गत रखे गये । इसके बाद 1-7-78 से यह निर्णय लिया गया कि जो भी जूनियर हाई स्कूल मान्यता देते हैं उसमें प्रबंध कर दिया गया अधिनियम के अंतर्गत कि वहां के पाठ्यक्रम के अनुसार टाइमटेबुल बनाकर जहां आवश्यकता होगी त्रिभाषा सूत्री वाले अध्यापक होगें और उन्हीं को मान्यता दी जायेगी । अगर उसका प्रावधान नहीं है तो मान्यता नहीं दी जायेगी। रिकगनिशन के लिये यह कन्डीशन अधिनियम में बन गयी है।

श्री नन्द किशोर सिंह–

यह सरकार उर्दू की हिमायत करती है और आज ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है कि उसके कारण उर्दू की पढ़ाई का विकास नहीं हो रहा है । तो क्या इस पर मंत्री जी विचार करेंगे कि जो व्यवस्था पहले थी उसी को लागू किया जाय?

श्री राम सिंह–

मान्यवर, स्पष्ट नहीं हुआ?

श्री नन्द किशोर सिंह–

क्या माननीय मंत्री जी जो व्यवस्था 1978 से पहले लागू थी त्रिभाषा के लिए वही पुनः लागू करेंगें?

श्री राम सिंह–

मान्यवर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता के प्रकरण पर जांच

*19–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 4 मार्च, 1983 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रशासन से संबंधित गंभीर शिकायतों की जांच के लिए श्री एस0एन0 पंडित, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम, मिर्जापुर को नियुक्त किया है? यदि हां, तो शिकायतें क्या थीं?

श्री राम सिंह–

कुछ विशिष्ट प्रशासनिक मामलों तथा विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता के प्रकरण पर जांच श्री एस0 एन0 पंडित को सौंपी गयी थी परन्तु अब विस्तृत शिकायतों की जांच कराने का निर्णय लिया गया है ।

श्रीमती गौरी देवी–

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जांच के लिये सौंपे गये मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या हैं?

श्री राम सिंह–

मान्यवर, मुख्य-मुख्य बिन्दु जांच में यह हैं कि–

(1) विश्वविद्यालय के निष्कासित छात्रों के मामले में उनका निष्कासन आदेश को वापस लेना और पुनः प्रवेश देने में कार्यवाही करने में भेद-भाव यदि कोई हो,

(2) विश्वविद्यालय के चौकीदार श्री राम गोपाल को पदच्युत करने का औचित्य,

(3) विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता, यदि कोई हो, और उसका कारण।

(4) उपर्युक्त विषयों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित समझा गया अन्य कोई विषय।

श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जांच रिपोर्ट कब तक मिलेगी तथा परिसर में अनुशासनहीनता के मामले में जो जांच पहले की गयी थी वह कब दी गयी तथा क्या उसकी कोई अंतरिम रिपोर्ट आयी है, यदि हां, तो वह क्या है?

श्री राम सिंह–

मान्यवर, जांच रिपोर्ट अभी नहीं आयी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह कुलपति के खिलाफ चपरासी का छोटा मामला था जिसको लेकर एक आयोग गठित कर दिया गया? उत्तर में बताया गया कि कुछ मामले जांच के लिए और संदर्भित कर दिये गये हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि पहले जो विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता का मामला आया था तो उसमें अभी तक कोई कार्यवाही हुई है कि नहीं और रिपोर्ट मिली कि नहीं? दूसरे मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कमीशन नियुक्त हुआ अनुशासनहीनता पर जांच के लिये और कुछ मामले बाद में आये, तो पहले क्या टर्म्स आफ रेफरेन्स थे और बाद में क्या टर्म्स आफ रेफेरेन्स हैं? क्या शासन ने कोई जानकारी करने की चेष्टा किया कि रिपोर्ट आयी कि नहीं या जानबूझकर चपरासी का मामला समझकर यह नहीं किया जा रहा है?

श्री राम सिंह–

मान्यवर, जांच अधिकारी, श्री पंडित जांच की अवधि में कोई कार्यवाही नही पूरी कर सके और उन्होंने एक दूसरे अधिकारी की मांग किया। इसी बीच में विश्वविद्यालय के 214 अध्यापकों ने जांच को बृहत् रूप देने के लिये अनुरोध किया। तो शासन ने अब निर्णय लिया है कि हाई कोर्ट के जज से इन सभी मामलों को जो अब विस्तृत रूप से आये हैं उनकी जांच करायी जाये।

श्री जनार्दन प्रसाद झोझा–

मान्यवर, जांच की जो प्रक्रिया शुरु हुई थी, उसमें एक मुख्य कारण था कि कुछ छात्रों को निकाला गया था लेकिन उसमें से कुछ को वापस ले लिया और प्रवेश दे दिया परन्तु कुछ को नहीं। तो किन परिस्थितियों में, प्रवेश कुछ को दिया गया

और कुछ को नहीं ? जांच आयोग का कार्यकाल बढ़ता जा रहा है चूंकि विश्वविद्यालय परिसर राजनीतिक दबाव के कारण इसके लिये कमिटेड है कि उन छात्रों को प्रवेश न दें। इसलिये उन छात्रों का समय बरबाद हो रहा है।

तो तमाम तथ्यों को देखते हुए माननीय मंत्री जी स्पष्ट आश्वासन देंगे कि कम से कम छात्रों के संबंध में अन्तिम निर्णय वह कब तक ले लेंगे?

श्री राम सिंह–

दो विद्यार्थियों का तो रेस्टिकेशन पेनालाइज किया गया था, इसके साथ-साथ 5 ऐसे थे जिन्हें कुछ समय के लिए किया गया था। लेकिन बाद में उन दो विद्यार्थियों को एडमीशन दे दिया गया। अतः इन्हीं तमाम गड़बड़ियों पर हमने वहां जांच करायी और अब यह निर्णय लिया है, चूंकि इसमें कोई दबाव की बात नहीं है, क्योंकि विश्व-विद्यालय आटोनामस बाडी है, कि श्री जी0पी0 श्रीवास्तव जांच करेंगे और जैसे ही जांच करेंगे और जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी, उसके संदर्भ में शीघ्र कार्यवाही की जाएगी।

उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद मंडल श्री हरीश चन्द्र तिवारी के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की शिकायत

*20–श्री प्रियदर्शी जेतली–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद मंडल (श्री हरीशचन्द्र तिवारी) के विरुद्ध गंभीर आरोपों की शिकायत श्री अवधेश कुमार मेहरोत्रा, संवाददाता, अमृत प्रभात तथा यू0पी0 एजुकेशनल मिनिस्टीरियल आफीसर्स एसोशियेशन के पदाधिकारियों द्वारा वर्ष 1983 में तथा प्रश्नकर्ता के तार दिनांक 20 जून, 1983 द्वारा शासन में की गयी थी? यदि हां, तो आरोप क्या थे तथा उनकी जांच करायी गयी? यदि हां, तो कौन-कौन से आरोप प्रमाणित पाये गये और दोषी अधि-कारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम सिंह–

जी हां। तार में यह आरोप लगाया गया था कि श्री हरीश चन्द्र तिवारी बिना सरकार की अनुमति व बिना अवकाश एक सप्ताह के लिए कार द्वारा काठमान्डू (नैपाल) गये। श्री अवधेश कुमार का दिनांक रहित पत्र तथा यू0 पी0 एजूकेशनल मिनस्टीरियल आफिसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के शिकायती पत्र दिनांक 24-2-1983 किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच हेतु शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को मूलरूप में दिनांक 25-5-83 को भेजे गये, जिसकी जांच आख्या अभी प्रतीक्षित है।

तार में उल्लिखित शिकायत प्रारम्भिक जांच में सही पायी गयी और उस कारण उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु आरोप पत्र दिया गया है। जांच आख्या प्रतीक्षित है जिसके प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

श्री प्रियदर्शी जेतली–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित अधिकारी आज इस समय किस पद पर विभाग में हैं और यह जांच आख्या कब तक प्राप्त हो जाने की सम्भावना है?

श्री राम सिंह–

ऐसा है कि माननीय सदस्य ने जो तार भेजा था, उसकी जांच कराई गयी और आरोप सही पाया गया, क्योंकि कोई सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के विदेश नहीं जा सकता है। इस पर सस्पेण्ड कर दिये गये, फिर उन्होंने क्षमा याचना की और फिलहाल उनका ट्रांसफर कर दिया गया ताकि जांच कार्य में कोई बाधा न पड़े। जांच एडीशनल डायरेक्टर आफ एजूकेशन, श्री ईश्वरशरण गौड़ कर रहे हैं।

श्री प्रियदर्शी जेतली–

आज वह किस पद पर कहां कार्य कर रहे हैं?

श्री राम सिंह–

मान्यवर, जहां तक जांच की बात है, वह तो शीघ्र करायी जाएगी।

श्री अध्यक्ष–

इस वक्त जो श्री हरीशचन्द्र तिवारी जी हैं, वह किस पद पर कार्यरत हैं? यह वह पूछ रहे हैं?

श्री राम सिंह–

इस की मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है। जानकारी केवल मात्र यह है कि उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। कहां पर कार्यरत हैं, इसके लिए मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

तो यह कहिये कि सूचना की आवश्यकता है।

श्री राम सिंह–

जी हां, इसके लिए सूचना की आवश्यकता है?

श्री श्यामलाल बाजपेयी–

उप शिक्षा निदेशक, श्री तिवारी पर क्या ऐसा भी कोई आरोप था कि वह नेपाल से भारत में सामान की तस्करी करते थे और आरोप पर उनको निलम्बित किया गया था? यदि निलम्बित किया गया था तो उनको बहाल क्यों किया गया?

श्री राम सिंह–

उसके लिए तो उन्होंने क्षमायाचना की थी। अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार ही तो हम कार्यवाही करेंगे। इसमें पहले प्रिलिमनरी इंक्वायरी होती है, फिर जांच अधिकारी की रिपोर्ट आती है, फिर उसकी रिपोर्ट पर कार्यवाही की जाती है। वह हम कर रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री प्रियदर्शी जेतली–

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जब वे नेपाल से वापस आ रहे थे तो नेपाल बार्डर पर उनको चेक किया गया था और उस समय उनके पास काफी सामान पकड़ा गया, क्या यह सही है?

श्री राम सिंह–

इसकी सूचना नहीं है, सूचना की आवश्यकता है।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मेरी सूचना है कि नैपाल बार्डर पर स्मगलिंग करते हुये वे रंगे हाथ पकड़े गये थे और इसी आरोप में उनको सस्पेंड भी किया गया था । उनको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा गया । अब उनको बचाने के लिये फैजाबाद से इनका ट्रान्सफर इलाहाबाद कर दिया गया इसलिये कि वे जांच को प्रभावित कर सकें । जब उनके खिलाफ इतने गम्भीर आरोप इन्टरनेशनल स्मगलिंग करने के थे तो उनको बहाल करने का क्या औचित्य था ?

श्री राम सिंह–

मान्यवर, जांच की एक निश्चित प्रक्रिया है । मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर जांच में आरोप तस्करी आदि के पाये गये तो जांच के बाद कठोर कार्यवाही की जायेगी जो आरोप हैं उनकी जांच हो रही है । अंतिम निर्णय जांच के बाद ही होगा ।

श्री किरन पाल सिंह–

मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्री तिवारी के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 भी दर्ज हुई थी और क्या उन्होंने जमानत करायी थी ?

श्री राम सिंह–

यह जानकारी मुझे इस समय नहीं है । लेकिन विभागीय कार्यवाही चल रही है ।

श्री रियासत हुसैन–

जब स्वयं मंत्री जी ने माना कि स्मगलिंग का मामला है, गम्भीर आरोप है, और उसने क्षमा याचना की तो एफ0आई0 आर0 दर्ज करा कर पुलिस को मामला न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या कोई मुकदमा उन पर चल रहा है या पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी है ?

श्री राम सिंह–

मैंने यह नहीं कहा है कि उन्होंने स्मगलिंग की है । मैंने यह कहा है कि वे नैपाल गये थे । सर्विस रूल्स के हिसाब से उनको उसके लिए पहले इजाजत लेनी चाहिये थी। अब जो आरोप उनके ऊपर हैं, जांच के बाद ही सारी बातें सामने आयेंगी। उसी के बाद एक्शन लिया जायेगा।

श्री प्रियदर्शी जैतली–

बिना आदेश के विदेश जाना किसी भी अधिकारी के लिए एक गम्भीर आरोप है। उसके बावजूद भी वह अधिकारी वहां गया और कस्टम अधिकारियों के द्वारा पकड़ा गया मेरी बात को सही मानते हुए कि यह अधिकारी सचमुच पकड़ा गया और विदेश बिना परमीशन के गया तो उसके खिलाफ क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही करके सस्पेन्शन की कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम सिंह––

मान्यवर, हमारे यहां हर केस की एक प्रक्रिया होती है। मान लीजिए 302 का मामला भी होता है तो हैंग करने के पहले शो-काज नोटिस और स्पष्टीकरण की प्रक्रिया अपनायी जाती है। मैं आश्वासन देता हूं कि कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायगी।

श्री भौखा लाल–

मान्यवर, माननीय जेतली साहब और माननीय बाजपेयी तथा पंचानन राय जी ने जो प्रश्न किया उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया। आप कहते हैं कि आरोप गम्भीर हैं, प्राग्दर्शन में आरोप सही हैं, उसको निलम्बित किया गया, अभी जांच की प्रक्रिया पूरी भी नहीं है तो उसको किस आधार पर बहाल किया गया।

श्री राम सिंह–

ऐसा था कि जिस वक्त उनको सस्पेन्ड किया गया था तो उन्होंने क्षमायाचना की थी तो पेंडिंग इन्क्वायरी में उनको बहाल किया गया। जो आरोप उन पर हैं उनकी प्रक्रिया चल रही है और सारी की सारी बातें हो रही हैं।

श्री मोती लाल दहेलवी–

मान्यवर, सदन में कई लोगों ने यह प्रश्न किया कि श्री तिवारी जी तस्करी में पकड़े गये कस्टम के द्वारा, मंत्री जी इससे इन्कार नहीं कर रहे हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री तिवारी स्मगलिंग करते हुए पकड़े गये या नहीं दूसरी बात यदि कोई अधिकारी जघन्य अपराध करता है और निलम्बित किया जाता है तथा निलम्बित करने के बाद यदि वह माफी मांग लेता है तो क्या शासन ने यह नीति बनायी है कि उसको माफ कर दिया जायगा और उसको उसी स्थान पर रख दिया जायगा।

श्री राम सिंह–

मान्यवर, मैंने यह कहा था कि वह विदेश बगैर अनुमति के गये थे। मैंने यह स्वीकार नहीं किया कि तस्करी में वह पकड़े गये, सजा हुई कि नहीं। इस पर मुझे जानकारी नहीं है।

श्री मोती लाल दहेलवी–

मान्यवर, मंत्री जी मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, उत्तर दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

हालांकि माननीय मंत्री जी ने इस बात का प्रयत्न किया है, संतोषजनक उत्तर दिये हैं लेकिन फिर भी इस सदन की भावनाओं को देखते हुए मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं। आप पुनः इस मामले को देखेंगे।

अतारांकित प्रश्न

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिरसिया, मिर्जापुर में स्टाफ की कमी

1–श्री राम चरण सिंह–

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिरसिया ठकुराई टोला खैरपुर, मिर्जापुर में स्टाफ की कमी के सम्बन्ध में दिनांक 23-10-82 को पत्र उन्हें लिखा था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां। स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा निदेशक को आदेश दिये जा चुके हैं।

जिला विद्यालय निरीक्षक, मिर्जापुर कार्यालय में लिपिकों का कार्यकाल व स्थानान्तरण

2–श्री राम चरण सिंह–

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय 1982-83 में जिला विद्यालय निरीक्षक, मिर्जापुर कार्यालय में कितने लिपिक ऐसे हैं जो इसी जनपद के निवासी हैं तथा कितने वर्षों से इसी जनपद में कार्यरत हैं ? क्या सरकार उनके स्थानान्तरण करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

चार लिपिक ।

1–श्री प्रेम नारायण शुक्ल (नैत्यिक लिपिक) 15 वर्ष 5 माह से
2–श्री शिव चरण सिंह (नैत्यिक लिपिक) 10 वर्ष 2 माह से
3–श्री निजामुद्दीन खां (नैत्यिक लिपिक) 4 वर्ष 2 माह से
4–श्री सूरज प्रसाद (टीपा लेखक) एक वर्ष से

वर्तमान स्थानान्तरण नीति के प्रकाश में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा निदेशक को आदेश दे दिये गये हैं ।

लखनऊ जनपद के जूनियर बेसिक विद्यालय एवं सीनियर बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या

3–श्री सन्त बख्श रावत–

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के जूनियर बेसिक विद्यालय एवं सीनियर बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या अत्यन्त कम होने के कारण विद्यालय सुचारु रूप से नहीं चल पा रहे हैं ? यदि हां, तो शासन प्रशिक्षित अध्यापकों की कब तक नियुक्ति करके विद्यालय में अध्यापकों की समुचित व्यवस्था करेगा ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं ।

इन विद्यालयों में आवश्यकतानुसार अध्यापकों की नियुक्तियां कर दी गयी हैं ।

4–श्री गोपीनाथ दीक्षित–

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

श्रीमती कमला देवी (द्वितीय), सहायक अध्यापिका, जू0 बे0 वि0 सफेदाबाद, बाराबंकी का वेतन आहरित किये जाने के संबंध में जांच

5–श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री हरिवंश सहाय––

प्रथम सत्र 1982 के पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 195 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वेतन समायोजित करने का आदेश किस अधिकारी द्वारा दिया गया ? क्या अगले माह में वेतन समायोजित कर लिया

गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या संबंधित अध्यापिका माह सितम्बर, 80 में अवकाश पर रहीं ? यदि हां, तो वेतन क्यों आहरित किया तथा आहरित होने के बाद समायोजित करने के आदेश सहित भुगतान क्यों नहीं कराया गया ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी द्वारा सीनियर बेसिक विद्यालयों में संस्कृत/विज्ञान विषयों हेतु विभागीय अध्यापकों की नियुक्तियां

6—श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल/मई, 82 में बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी ने कुछ संस्कृत/विज्ञान अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्तियां सीनियर बेसिक विद्यालयों में की है ? यदि हां, तो कितनी ? क्या क्राफ्ट टीचरों की भी नियुक्तियां की जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां । वर्ष 1981-82 में जनपद बाराबंकी में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत सीनियर बेसिक विद्यालयों में संस्कृत के 18 व विज्ञान के 15 कुल 33 अध्यापकों की नियुक्तियां की गयी हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

7—श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त की गयी नियुक्तियों में से विभागीय अध्यापक कितने हैं ? क्या विभागीय अध्यापक/अध्यापिकायें न मिलने पर बाहरी अध्यापकों की नियुक्तियां की गयीं? यदि हां, तो कितनी?

श्री अम्मार रिजवी—

उक्त नियुक्तियों में से 29 अध्यापक विभागीय हैं ।

उपयुक्त विभागीय अभ्यर्थियों के न मिलने पर चयन समिति द्वारा 4 बाहरी अभ्यर्थियों का चयन किया गया ।

जनपद मैनपुरी की बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षकों के अवशेषों का भुगतान तथा विद्यालयों में भुगतान, दण्ड एवं नियुक्ति के लागू अधिनियम

8—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी की बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षकों का बढ़ोत्तरी, मंहगाई व वेतन का अवशेष धन भुगतान के लिये बकाया है ? यदि हां, तो अवशेष धन को भुगतान करने में विलम्ब क्यों है ? क्या शासन द्वारा प्रश्नगत काम कराया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां । शिक्षकों के अवशेषों का भुगतान कराने हेतु आवश्यक अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करायी जा रही है तथा शीघ्र भुगतान कराया जावेगा।

9—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या सरकार को ज्ञात है कि मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को शासन ने 1973 में अपने अधीन कर लिया है ? क्या यह सही है कि प्रश्नगत विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन का भुगतान, नियुक्ति एवं दण्ड जिला विद्यालय निरीक्षक की स्वीकृति से ही होता है ? यदि हां, तो क्या ऐसे अध्यापक पंचायत चुनाव में पद प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षक भी चुनाव लड़ने के अधिकारी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ।

जी नहीं।

1—गैर सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक/कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्ध-तंत्र का है ।

2—सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों/कर्मचारियों के वेतन का भुगतान वेतन वितरण अधिनियम के अधीन होता है ।

3—मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की नियुक्ति एवं दण्ड उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग एवं चयन बोर्ड अधिनियम 1982 तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के प्राविधानानुसार होता है ।

जी हां ।

क्योंकि उनकी सेवा शर्तों में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

जी नहीं । क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद् के निर्देशानुसार चुनाव में भाग लेने के पूर्व अध्यापक को अपने पद से त्याग पत्र देना आवश्यक है ।

बेसिक शिक्षा परिषद्, मैनपुरी के अध्यापकों का अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा धनराशि एवं भुगतान

10—श्री हरगोविन्द वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के 7वें मंगलवार दिनांक 31 मार्च, 81 के तारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किस अध्यापक का कितना रुपया सी0 डी0 एस0 में जमा हुआ था और उसको कितने रुपयों का भुगतान किया गया और किस अध्यापक का कितना रुपया भुगतान के लिये शेष है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शिक्षा मंत्री को यह भी ज्ञात है कि विलम्ब करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कब क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सी0 डी0 एस0 में अध्यापकवार जमा धनराशि एवं भुगतान की सूचना एकत्र की जा रही है जिसमें समय लगने की संभावना है । किन्तु उपलब्ध सूचनानुसार सी0 डी0 एस0 का रुपया 21,34,262·18 पैसे क्षेत्रिय भविष्य निधि आयुक्त,

कानपुर को बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्रेषित किया गया था तथा रुपया 2188/-कोषागार, मैनपुरी में जमा किया गया था । क्षेत्रिय भविष्य निधि आयुक्त से दो चेकों द्वारा कुल रु0 21,23,244.95 पैसा प्राप्त हुआ था जिसमें से लगभग 20.00 लाख रुपये के चेक 15 विकास क्षेत्रों के अध्यापकों को भुगतान हेतु सम्बन्धित प्रति उप-विद्यालय निरीक्षकों को दिये गये थे । भुगतान के विलम्ब के लिये सम्बन्धित लिपिक दोषी पाया गया जिसे निलम्बित कर दिया गया है । शेष भुगतान की कार्य-वाही की जा रही है ।

बिजनौर में कार्यरत सहायक पर्यवेक्षकों व प्रसार अध्यापकों के मार्ग व्यय बिलों का भुगतान

11—श्री धम्मन सिंह गहलौत—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि बिजनौर में कार्यरत सहायक पर्यवेक्षकों व प्रसार अध्यापकों के दि0 1-4-73 से 31-10-82 तक के मार्ग व्यय बिलों का भुगतान किस तारीख को किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक भुगतान करा दिया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

मार्ग व्यय बिलों की अधिकांश धनराशि का भुगतान संबंधित वर्ष में विभिन्न तिथियों में किया जा चुका है । केवल रू0 6,551.46 पैसे के बिल धनाभाव के कारण पारित न हो सके और जो बिल कालातीत हो गये हैं। अतः इनके अनुसंधान की स्वीकृति होने पर ही इनका भुगतान किया जा सकेगा ।

बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन चालू प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति

12—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर ने दिसम्बर, 1982 में सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश को यह सूचित किया है कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन चालू प्राइमरी पाठशालाओं की नियुक्ति के मानक के अनुसार लगभग 500 स्थान अध्यापकों के रिक्त हैं और स्थान भरने हेतु नियुक्ति की अनुमति मांगी है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? छात्रों की पढ़ायी की हानि को ध्यान में रखते हुए तत्काल अध्यापकों की नियुक्ति न करने का क्या कारण है?

श्री अम्मार रिजवी—

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर ने दिसम्बर, 1982 में नहीं बल्कि जनवरी, 1983 में सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद, से छात्र अध्यापक के निर्धारित अनुपात 40:1 के आधार पर अध्यापकों के 548 अतिरिक्त पदों की मांग की थी । उन्होंने अध्यापकों की 500 उपलब्ध रिक्तियों में भर्ती करने की अनुमति नहीं चाही थी । अतिरिक्त पदों की उक्त मांग पर प्रदेश के अन्य जनपदों से प्राप्त मांगों के साथ संहत रूप में विचार किया गया । परन्तु आय-व्ययक में धन उपलब्ध न होने के कारण अतिरिक्त पदों का सृजन सम्भव नहीं हो सका ।

स्वावलम्बी इंटर कालेज, बिशुनपुरा में जे0टी0सी0 अध्यापकों की पदोन्नति तथा सी0 टी0 वेतनक्रम की धनराशि की मांग

13—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में स्थित स्वावलम्बी इण्टर कालेज बिशुनपुरा में जुलाई, 1963 में जे0 टी0 सी0 वेतन-क्रम में कौन-कौन से सहायक शिक्षक नियुक्त हुए और पांच साल की शिक्षण अवधि पूरी करने के बाद की तिथि से सुमोटी पद्धति में वर्ष 1974 से वर्ष 1979 के बीच पदोन्नति दे दी गयी? इस श्रेणी में आने वाले किन-किन शिक्षकों ने पांच साल पूरा होने के बाद जे0 टी0 सी0 वेतन-क्रम में किये गये कार्य पर सी0 टी0 वेतन-क्रम की धनराशि की मांग प्रबन्धक अंशदान कोष से देने हेतु स्थानीय अधिकारियों व शासन से माह जनवरी, 1982 से माह अक्टूबर, 1982 के अन्दर कितनी बार सूचना देकर मांग किया है ? इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी और नहीं की, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कतिपय प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों की फर्जी आदेशों के आधार पर नियुक्तियां व ट्रान्सफर की जांच

14—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि बेसिक प्राइमरी पाठशाला, राजापुर, ब्लाक हरदुआ, प्रा0 पा0 मझमिटिया, ब्लाक हरदुआ, प्रा0 पा0 प्रकाशपुर, ब्लाक भदोही, कन्या प्रा0 पा0 बड़ागांव जुनियर हाई स्कूल मोढ़, ब्लाक सुरियावां तथा प्रा0 पा0 बनपुरवा, ब्लाक बड़ागांव, विद्यापीठ जिला वाराणसी में क्रमशः राजेन्द्र प्रसाद उपाध्याय, श्रीमती मिथिलेश तिवारी, राज समुझ सिंह, उर्मिला देवी एवं विज्ञान अध्यापक मोढ़ तथा प्रधानाध्यापक बनपुरवा की नियुक्तियां व ट्रान्सफर फर्जी आदेश बनाकर दिया गया था ? क्या यह सही है कि श्रीमती मिथिलेश तिवारी की नियुक्ति अगस्त, 1981 से की गयी है? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां । यह अध्यापक फर्जी आदेशों के आधार पर विद्यालयों में कार्यरत हो गये किन्तु जहां तक जूनियर हाई स्कूल मोंढ़, ब्लाक सुरियावां के विज्ञान अध्यापक का प्रश्न है कोई फर्जी अध्यापक कार्यरत नहीं हुआ है ।

जी हां । श्रीमती मिथिलेश तिवारी की फर्जी स्थानान्तरण आदेश के आधार पर अगस्त, 1981 से कार्य भार ग्रहण करने में सफल हो गई । जी हां, जांच करायी जा रही है ।

15— श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि सैकड़ों अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्तियां व ट्रांसफर सचिव के फर्जी आदेश बनकर तथा फर्जी बी0टी0सी0 ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देकर किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? क्या यह सत्य है कि लाखों रुपया सरकारी कोष से तनख्वाह में दिया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी–

इस प्रकरण के मामले की जांच करायी जा रही है।

प्रा0 पा0 लारपुर, जनपद फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जांच

16–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा0 पा0 लारपुर, जनपद फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 4-10-82 को उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त मामले की जांच किस अधिकारी द्वारा किस तिथि को की गयी तथा जांच के दौरान शिकायतकर्ता से भी लिखित या मौखिक बयान लिया गया? यदि हां, तो सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट क्या है?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला परिषद्, बिजनौर के सेवामुक्त अध्यापकों की पेंशन भुगतान में विलम्ब

17–श्री धम्मन सिंह गहलौत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें दिनांक 3-11-1982 को प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र जो जिला परिषद्, बिजनौर के सेवामुक्त अध्यापकों की पेंशन भुगतान में विलम्ब तथा धांधलेबाजी किये जाने के सम्बन्ध में मिला है? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां। इस पत्र पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बिजनौर की आख्या मांगी गयी थी। उन्होंने सूचित किया है कि उनके द्वारा सेवामुक्त अध्यापकों की पेंशन भुगतान की व्यवस्था में सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं, जिसके फलस्वरूप इन पेंशनरों को निर्धारित तिथि को ही पेंशन का भुगतान सुविधापूर्वक प्राप्त हो जाया करे।

राष्ट्रीय कन्या इण्टर कालेज, झांसी के प्रबन्धाधिकरण द्वारा विद्यालय की अध्यापिकाओं के वेतन में की गयी कटौती

18–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि राष्ट्रीय कन्या इण्टर कालेज, झांसी के प्रबन्धाधिकरण द्वारा विद्यालय की अध्यापिकाओं की किसी भी प्रकार का अवकाश वेतन नहीं स्वीकार किया जाता है? यदि हां, तो क्यों? 1977 से अगस्त, 82 तक किन-किन अध्यापिकाओं की कितने-कितने दिनों के अवकाश की कितनी धनराशि की कटौती की गयी? प्रबन्धाधिकरण के इस आचरण के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

निम्न अध्यापिकाओं से निम्नवत कटौती की गयी :—

अध्यापिका का नाम	अस्वीकृत अवकाश की अवधि	कटौती की धनराशि
1—श्रीमती ऊषा वर्मा	1-11-79 से 9-11-79	145.40
	27-12-79 से 1-1-80	615.70
	9-3-80 से 14-3-80	103.80
	29-3-80 से 30-4-80	588.50
	1-7-80 से 25-9-80	1732.00
	12-7-81 से 12-1-82	4118.60
	17-3-82 से 22-9-82	4437.25
2—श्रीमती उमा भार्गव	6-7-80 से 8-12-80	2927.30
	1-7-81 से 14-1-82	4215.70
	16-8-82 से 19-5-83	4035.00
3—श्रीमती स्वर्णरेखा मिश्रा	5-3-80 से 29-3-80	525.80
	16-10-80 से 29-11-80	868.65
	2-7-82 से 16-7-82	298.05
4—श्रीमती गीता अवस्थी	23-2-79 से 14-1-80	444.40
	31-7-82 से 24-1-84	5565.60
5—श्रीमती स्नेह लता कपूर	19-10-79 से 26-10-79	141.05
	1-2-80 से 17-2-80	378.00
6—श्रीमती कमला चतुर्वेदी	3-10-79 से 1-11-79	558.95
7—कु0 किरण पाण्डेय	25-10-79 से 30-10-79	81.95
	6-3-80 से 21-3-80	257.95
	19-1-82 से 24-2-82	795.80
8—कु0 मीना श्रीवास्तव	19-10-79 से 25-10-79	95.35
9—श्रीमती चम्पा रानी अरोड़ा	29-9-79 से 30-9-79	50.70
10—श्रीमती रमा चोपड़ा	24-10-79 से 17-11-79	431.60
11—कु0 गीता श्रीवास्तव	11-12-79 से 30-12-79	430.90
12—कु0 प्रमिला त्रिपाठी	2-4-80 से 1-5-80	738.05

प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि प्रबन्धाधिकरण ने इस संदर्भ में नियमानुसार कार्य किया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

माध्यमिक विद्यालयों द्वारा अनिवार्य जमा किश्त को स्टाफ को वितरित न किया जाना

19—श्री धर्मवीर सिंह त्यागी—

क्या शिक्षा मंत्री बतलायेंगे कि ऐसे माध्यमिक विद्यालय कितने हैं जिन्होंने भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर के यहां से एक भी अनिवार्य जमा किश्त वापस लेकर 31-12-81 तक स्टाफ को वितरित नहीं की है? सरकार ने ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

प्रदेश की प्राथमिक पाठशालाओं में कुल अध्यापक, अध्यापिकायें व आरक्षण कोटा

20—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक पाठशालाओं में 3 मार्च, 1982 को कुल कितने अध्यापक तथा अध्यापिकाएं अलग-अलग थीं तथा उनमें से कितने अनुसूचित जाति के, कितने जनजाति के, कितने पिछड़े वर्ग के तथा कितने अल्पसंख्यक वर्ग के थे?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपशिक्षा निदेशक, फैजाबाद मण्डल द्वारा आहरित किया गया मकान किराया भत्ता

21—श्री भोला पाण्डेय तथा श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद मण्डल को कितना हाउस एलाउन्स मिलता है और क्या उन्होंने अपने सरकारी आवास का किराया जमा किया है? यदि हां, तो कितना और कब-कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

नियमानुसार सरकारी आवास में रहते हुए किसी अधिकारी को कोई मकान किराया भत्ता अनुमन्य नहीं है किन्तु तत्कालीन उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद ने दिनांक 8 अगस्त, 1981 से 31 जनवरी, 1983 तक की अवधि में कुल रु0 1,518.75 पैसे मकान किराया भत्ता आहरित कर लिया था जिसे उन्होंने चालान संख्या ए—6 दि0 12 फरवरी, 1983 द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दिया है।

सरकारी आवास में रहने के कारण उन्होंने आवासीय भाग का किराया वेतन के 10 प्रतिशत की दर से दिनांक 8 अगस्त, 1981 से 30 जून, 1983 तक की अवधि का कुल रु0 4296.65 पैसे राजकीय कोष में विभिन्न तिथियों को जमा कर दिया है।

लालती देवी, सहायक अध्यापिका, प्राइमरी कन्या पाठशाला अमोला, फैजाबाद द्वारा सस्पेन्स एकाउन्ट से धन निकालने के बारे में प्रार्थना पत्र तथा छात्रों का जमा किया गया शिक्षण शुल्क

22—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद तथा प्रदीप कुमार यादव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लालती देवी, सहायक अध्यापिका, प्राइमरी कन्या पाठशाला अमोला, शिक्षा क्षेत्र बसखारी, ब्लाक रामनगर, जिला फैजाबाद ने दिनांक 8-10-80 को उप जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद दिनांक 10-1-83

को मंत्री जी को मुख्यालय बाबू द्वारा सस्पेन्स एकाउन्ट से धन निकालने के बारे में प्रार्थना-पत्र दिया है? यदि हां, तो इस भ्रष्टाचार के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

23–श्री प्रदीप कुमार यादव तथा श्री मुख्तार अनीस–

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सन्दर्भित छात्रों का शिक्षण शुल्क वर्ष 1982-83 माह अक्तूबर से दिसम्बर तक जमा करा लिया गया है? यदि हां, तो क्या यह शुल्क अगले महीने में व्यवस्थित (मुजरा) किया जायगा?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के सीनियर बेसिक विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत पद तथा नियुक्तियां

24–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के सीनियर बेसिक विद्यालयों में पांच अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं? यदि हां, तो क्या सभी सीनियर बेसिक विद्यालयों में स्वीकृत पदों के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति है? यदि नहीं, तो इसका उत्तरदायी कौन है और उसके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां।

जी नहीं।

नियमानुसार इन रिक्त पदों पर सीधी भर्ती/प्रोन्नति द्वारा चयनित अध्यापकों की नियुक्तियां की गई थीं, परन्तु कतिपय अध्यापकों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया तथा कुछ ने प्राइमरी विद्यालयों के अपने पूर्व पदों पर प्रत्यावर्तन ले लिया। अतः कुछ पद अब भी रिक्त हैं जिनके समक्ष नियुक्तियां करने का जिला स्तर पर बराबर प्रयास किया जा रहा है। अतः किसी के उत्तरदायी होने और उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

डिप्टी इन्सपेक्टर, जौनपुर द्वारा अध्यापकों को पुनरीक्षित वेतन देने में अनियमितता की जांच

25–श्री भीखालाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक शिक्षक संघ, जौनपुर के प्रतिनिधियों ने दिनांक 10-1-83 को शिक्षा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को प्रार्थना-पत्र देकर यह शिकायत की है कि डिप्टी इन्सपेक्टर, जौनपुर अध्यापकों को पुनरीक्षित वेतन देने में अधिक अनियमितता करते रहे हैं? यदि हां, तो इसकी जांच किसके द्वारा की गयी और जांच का क्या परिणाम निकला?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां। शिक्षा निदेशक द्वारा जांच करायी जा रही है जो कि अभी पूर्ण नहीं हुई है।

26–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

प्रधानाध्यापक, श्री त्रिभुवन सिंह, प्राइमरी पाठशाला गौरा, सुल्तानपुर के स्थानान्तरण की मांग

27–श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रधानाध्यापक श्री त्रिभुवन सिंह, प्राइमरी पाठशाला, गौरा, जिला सुल्तानपुर विगत बीस वर्षों से उसी विद्यालय में कार्यरत हैं? यदि हां, तो अब तक उनका स्थानान्तरण न किये जाने का क्या कारण है? क्या सरकार उक्त प्रधानाध्यापक का तुरन्त स्थानान्तरण करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां।

बेसिक शिक्षा परिषदीय अध्यापकों के एक विद्यालय में अधिकतम अथवा न्यूनतम ठहराव की कोई अवधि निर्धारित नहीं है। इसलिये श्री त्रिभुवन सिंह, प्रधानाध्यापक का स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

उक्त प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है। अतः स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्रीमती कमला चौहान, सहायक अध्यापिका, जूनियर बेसिक मिश्रित विद्यालय, लखनऊ को प्रशिक्षण से मुक्ति देने के सम्बन्ध में पत्र

28–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती कमला चौहान, सहायक अध्यापिका, जूनियर बेसिक मिश्रित विद्यालय, गुरम्बा, जिला लखनऊ को प्रशिक्षण से मुक्ति देने के सम्बन्ध में उप सचिव, शिक्षा अनुभाग-5 के पत्र संख्या 6468/15–65–1980 दिनांक 22/23 सितम्बर, 1980 तथा अनुस्मारक संख्या 7758/15 (5)–80–400 (347)/80 दिनांक 24-11-80 एवं 6961/15-5-82–400 (241)/82, दिनांक 7-9-1982 के सन्दर्भ में बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ द्वारा अब तक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं? क्या सरकार उनके विरुद्ध शासनादेशों का पालन न करने के सम्बन्ध में अविलम्ब कार्यवाही करेगी?

श्री अम्मार रिजवी–

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती कमला चौहान, सहायक अध्यापिका को प्रशिक्षण से मुक्ति नहीं दी गयी है क्योंकि श्रीमती चौहान बेसिक शिक्षा परिषद् की अध्यापिका हैं, जिनके सम्बन्ध में प्रशिक्षण से छूट सम्बन्धी शासनादेश लागू नहीं होते।

यह प्रश्न विचाराधीन है।

प्राइमरी पाठशाला, गौरा के प्रधानाध्यापक श्री त्रिभुवन सिंह द्वारा श्री गौरी शंकर, अध्यापक का वेतन आहरित किये जाने की छानबीन

29—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री त्रिभुवन सिंह, प्रधानाध्यापक, प्राइमरी पाठशाला गौरा, सुल्तानपुर ने उक्त पाठशाला में ही सहायक अध्यापक, श्री गौरी शंकर, हरिजन का माह अक्टूबर, 1981 का वेतन आहरित करके निजी कार्यों में प्रयोग कर लिया है? क्या इस सम्बन्ध में उक्त अध्यापक का कोई प्रार्थना-पत्र माह नवम्बर 1981 में ही जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या उक्त अध्यापक का वेतन उसे दिला दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

प्राप्त सूचना के अनुसार वस्तुस्थिति यह है कि श्री गौरी शंकर, सहायक अध्यापक का माह अक्तूबर, 1981 का वेतन आहरित कर प्राइमरी पाठशाला, गौरा के प्रधानाध्यापक श्री त्रिभुवन सिंह को वितरण हेतु दिया गया था। श्री त्रिभुवन सिंह का मौखिक कथन है कि उन्होंने भुगतान श्री गौरी शंकर को कर दिया था। इसकी छानबीन की जा रही है। उक्त अध्यापक द्वारा नवम्बर, 1981 में जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को प्रार्थना-पत्र दिये जाने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। श्री गौरी शंकर ने उपरोक्त प्रधानाध्यापक के विरुद्ध न्यायालय में माननीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत इस्तगासा दाखिल किया है। जो कि न्यायालय के विचाराधीन है।

श्रीमती सावित्री देवी वर्मा, प्रधान अध्यापिका, कन्या जूनियर हाई स्कूल, दर्शन नगर, फैजाबाद के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आदेश

30—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सावित्री देवी वर्मा, प्रधान अध्यापिका कन्या जूनियर हाई स्कूल, दर्शननगर फैजाबाद के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद को अपने पत्रांक बे0 शि0 प0 64583/82-83, दिनांक 13-3-82 पत्रांक बे0 शि0 प0 2774/81-82 दिनांक 12-4-82 तथा बे0 शि0 प0 10706/82-83 दिनांक 6-7-82 तथा पत्रांक बे0 शि0 प0 14789/82-83 दिनांक अगस्त 11, 1982 को उक्त मामले में स्थानान्तरण निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में आदेश दिया है? यदि हां, तो सचिव के चार आदेश होने के पश्चात् अभी तक आदेश का पालन न किये जाने का क्या कारण है?

श्री अम्मार रिजवी—

प्राप्त सूचनानुसार श्रीमती ज्ञानमती पांडेय का स्थानान्तरण जनवरी, 1982 में ही कन्या जूनियर हाई स्कूल दर्शन नगर में श्रीमती सावित्री वर्मा के स्थान पर हो चुका था। अतः सचिव बेसिक शिक्षा परिषद् के मार्च, अप्रैल व जुलाई, 1982 के आदेशों पर कार्यवाही नहीं की जा सकी। किन्तु उनके आदेश दिनांक 11-8-82 के अनुपालन में पुनः श्रीमती वर्मा का स्थानान्तरण कन्या जूनियर हाई स्कूल दर्शन नगर के लिये और श्रीमती ज्ञानमती पांडेय का स्थानान्तरण वहां से कन्या जूनियर हाई स्कूल बड़ागांव, इब्राहीमपुर के लिये अनुमोदित किया गया जिसके आधार पर श्रीमती वर्मा ने दिनांक

3-1-83 को दर्शन नगर विद्यालय में कार्यभार ग्रहण तो कर लिया किन्तु नियमित रूप से कार्य प्रारम्भ नहीं किया । फलस्वरूप छात्राओं के हित में श्रीमती ज्ञानमती पांडेय को वहां से नहीं हटाया गया वर्तमान में श्रीमती वर्मा की तैनाती कन्या जूनियर हाई स्कूल बड़ागांव, इब्राहीमपुर में की गई है किन्तु उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया और चिकित्सीय अवकाश पर चली गई ।

प्राथमिक शिक्षक संघ, शाखा जौनपुर द्वारा दिया गया ज्ञापन तथा अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्तियों के बारे में जांच

31—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक शिक्षक संघ, शाखा जौनपुर का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ तारीख 31-1-83 को माननीय शिक्षा मंत्री को मिला है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां । जांच करवाई जा रही है ।

32—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ज्ञापन में फर्जी ट्रांसफर कराकर आने वाले अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की सन् 81 व 82 में नियुक्तियों के बारे में भी शिकायतें हैं ? यदि हां, तो इसकी जांच सी0 आई0 डी0 से कराने पर विचार करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां । जांच निकर्षों के आधार पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

राजकीय आदर्श विद्यालय में सहायक अध्यापक पदों पर अनियमित नियुक्तियों को निरस्त करने के आदेश

33—श्री बनवारी राम—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा उप निदेशक, पंचम मण्डल, वाराणसी द्वारा राजकीय आदर्श विद्यालय स0 प्र0 पदों पर की जा रही नियुक्ति निदेशालय के आदेशों के अनुसार है ? यदि नहीं, तो क्या इस अनियमित नियुक्ति को निरस्त करना चाहेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं । अनियमित नियुक्तियों को विचारोपरान्त नियमानुसार निरस्त करने के आदेश शिक्षा निदेशक को दे दिए गये हैं ।

इण्टरमीडिएट विद्यालयों में सैन्य विज्ञान विषय में अध्यापक तथा उनका वेतनमान

34—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इण्टरमीडिएट विद्यालयों में सैन्य विज्ञान विषय के ऐसे कितने अध्यापक हैं जो प्रवक्ता वेतनमान पा रहे हैं तथा वह केवल बी0 ए0 अथवा बी0 एस-सी0 सैन्य विज्ञान सहित तथा एन0 सी0 सी0 कमीशन्ड अधिकारी हैं तथा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि नहीं रखते हैं? क्या अध्यापक राजाज्ञा सं0 8239/पन्द्रह 7-76-2(1)-1975 दिनांक 9-12-76 द्वारा सैन्य विज्ञान अध्यापकों की शैक्षिक योग्यताओं में किये गये संशोधनों के आधार पर सैन्य विज्ञान प्रवक्ता वेतनमान (रु0 400—750) पाने के अधिकारी हैं ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

अध्यापिका श्रीमती उर्मिला एवं निर्मला को पुनः सेवा में लिए जाने का आधार

35–श्री मित्रसेन–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती उर्मिला एवं निर्मला नाम की दो अध्यापिकाओं को पूर्व शिक्षाधिकारी, फैजाबाद ने गम्भीर आरोपों के कारण सेवा मुक्त कर दिया था जिन्हें वर्तमान शिक्षा अधिकारी श्री राम इकबाल राम ने मई, 1982 में उक्त दोषी अध्यापिकाओं को पुनः सेवारत कर लिया है? यदि हां, तो उन्हें पुनः सेवा में लिए जाने का आधार क्या था ?

श्री अम्मार रिजवी–

श्रीमती उर्मिला देवी की अस्थाई सेवाओं की आवश्यकता न होने के कारण तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फैजाबाद ने अपने आदेश दिनांक 27, जनवरी, 1973 द्वारा उसे समाप्त कर दिया था और श्रीमती निर्मला देवी को प्रशिक्षण में जाने हेतु दिनांक 27-7-72 को विद्यालय के कार्यभार से मुक्त किया गया था। जिला शिक्षा चयन समिति के समक्ष नवीन नियुक्ति हेतु अन्य अभ्यर्थियों के साथ उक्त दोनों अध्यापिकायें जो क्रमशः 1970 व 1974 की बी0टी0सी0 प्रशिक्षित थीं, भी साक्षात्कार में सम्मिलित हुई और समिति के अनुमोदनोपरान्त इन अध्यापिकाओं की नियुक्तियां की गयीं ।

बस्ती जिले के माध्यमिक विद्यालयों को शिक्षा शुल्क का भुगतान

36–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में माध्यमिक विद्यालय कितने हैं और उन विद्यालयों में से कक्षा 6 का शिक्षा शुल्क गत कितने वर्षों से किन-किन विद्यालय को नहीं भुगतान हुआ ? किस-किस विद्यालय का कितना-कितना धन बकाया है ? इसे भुगतान करने के लिए सरकार सोच रही है ?यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश की प्राइमरी स्कूलों में उर्दू टीचर्स के रिक्त स्थानों की पूर्ति

37–श्री फखरे आलम–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में उर्दू टीचर्स के कितने स्थान थे और उनमें से कितने स्थानों पर नियुक्ति हुई तथा कितने स्थान रिक्त हैं ? यदि स्थान रिक्त हैं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई द्वारा की गयी अध्यापकों की नियुक्तियां

38—श्री रामलाल वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् हरदोई द्वारा मार्च, 82 में 109, जुलाई, 82 में 90 तथा सितम्बर, 1982 में 48 अध्यापकों की नियुक्तियां जो की गयीं उनका विज्ञापन क्या कभी किसी समाचार पत्र द्वारा कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो किन-किन पत्रों में किस-किस दिनांक को रिक्त विषयक विज्ञापन कितने पदों हेतु प्रकाशित हुआ था? क्या यह सत्य है कि इनमें से कुछ ऐसे अध्यापकों की भी नियुक्ति की गयी जो कि निर्धारित उम्र से अधिक हैं तथा कुछ बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित नहीं हैं? यदि हां, तो उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

प्राप्त सूचनानुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई द्वारा मार्च, 1982 में 107, जुलाई, 1982 में 89 तथा सितम्बर, 1982 में 48, कुल 244 प्राइमरी स्कूल के सहायक अध्यापकों तथा 2 जूनियर हाई स्कूल के सिलाई अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी। इनमें से केवल 98 सहायक अध्यापक प्राइमरी स्कूल तथा 2 सिलाई अध्यापक जूनियर हाई स्कूल के पद निम्नांकित पत्रों में उनके आगे उल्लिखित तिथियों में विज्ञापित कराये गये थे।

1—आशापुष्प, हरदोई	15-11-81
2—हरदोई समाचार	16-11-81
3—समतराज, हरदोई	19-11-81
4—स्वतन्त्र भारत, लखनऊ	21-11-81
5—एक बात सुनी, पिहानी,	26-11-81
6—शाहाबाद समाचार	1-12-81

जी हां, 89 अभ्यर्थियों की आयु निर्धारित आयु सीमा 30 वर्ष से अधिक थी और 24 अभ्यर्थी बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित न होकर सी0 टी0, जे0 टी0 सी0 व बी0 एड0 उत्तीर्ण थे। तथा 1 अप्रशिक्षित केवल सिलाई में योग्यता प्राप्त थे। नियुक्तियों में हुयी अनियमितताओं की जानकारी होने पर तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई का स्थानान्तरण कर दिया गया और उनके विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है।

कन्या प्राइमरी पाठशाला, शेरपुर नारायनपुर, जिला मिर्जापुर को बालकों के साथ मिश्रित करने के सम्बन्ध में पत्र

39—श्री राम चरण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 15-8-82 को एक पत्र कन्या प्राइमरी पाठशाला, शेरपुर नारायनपुर, जिला मिर्जापुर के बालकों के साथ मिश्रित करने या अन्य गांवों में हटाने के सम्बन्ध में उन्हें लिखा था? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां।

शिक्षा निदेशक को उचित कार्यवाही हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं तथा माननीय विधायक को भी इसकी सूचना दी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय, शिक्षकों को उपलब्ध सुविधायें

40–श्री प्रभूनारायण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध कितने प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं और उनमें कुल कितने अध्यापक कार्यरत हैं? क्या सरकार इन शिक्षकों को भी वही सुविधायें प्रदान करेगी जो इनके समकक्ष अन्य प्राथमिक शिक्षकों को उपलब्ध हैं?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

कानपुर देहात में प्राथमिक एवं परिषदीय जूनियर हाईस्कूल के भवन बनवाने हेतु स्वीकृत धनराशि

41–श्री भूधर नारायण मिश्र–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर देहात के प्राथमिक एवं परिषदीय जूनियर हाई स्कूल के कितने नए भवन बनवाने हेतु शासन से धन स्वीकृत हुआ इनमें कितने विद्यालयों के भवन दिनांक 24-2-83 तक बन चुके हैं। और जो नहीं बने हैं वह कब तक बनकर तैयार हो जायेंगे?

श्री अम्मार रिजवी–

जनपद कानपुर देहात में 99 प्राथमिक एवं 20 जूनियर हाई स्कूलों के भवन बनवाने हेतु शासन से धन स्वीकृत हुआ है।

उक्त विद्यालय भवनों में से दिनांक 24-2-1983 तक 27 प्राथमिक एवं 5 जूनियर हाई स्कूल बन चुके थे। शेष के बारे में निश्चित तिथि बताना सम्भव नहीं है क्योंकि विद्यालय भवनों का निर्माण अधिकांशतः निर्माण एजेन्सियों पर निर्भर करता है।

जनपद कानपुर के असहायता प्राप्त प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राएं

42–श्री भूधर नारायण मिश्र–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के असहायता प्राप्त प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों में कितनी छात्र एवं छात्राएं अध्ययन कर रही हैं और इनकी संख्या कानपुर के माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 31-3-83 तक कितनी है?

श्री अम्मार रिजवी–

दिनांक 31-3-83 को जनपद कानपुर के असहायता प्राप्त प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों में क्रमशः 65652, 27257 छात्र तथा 42831, 14534 छात्रायें अध्ययनरत रही हैं। असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 31-3-83 को 8481 छात्र तथा 2251 छात्रायें रही हैं।

प्राइमरी पाठशाला अमीरपुर, जिला मथुरा की जीर्णशीर्ण इमारत के सम्बन्ध में पत्र

43—श्री सरदार सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा अमीरपुर के प्रधान श्री छीतर सिंह का एक प्रार्थना-पत्र प्राइमरी पाठशाला अमीरपुर, जिला मथुरा की जीर्णशीर्ण इमारत के मरम्मत के सम्बन्ध में दिनांक 3-2-83 को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। धन की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए परिषदीय विद्यालयों की मरम्मत के सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा ही निर्णय किया जाता है। अभी तक प्रश्नगत विद्यालय के भवन की मरम्मत सम्भव नहीं हो पायी है। अगले वित्तीय वर्ष में धन उपलब्ध होने पर इस सम्बन्ध में उपरोक्त समिति द्वारा विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

इण्टर कालेज सुहपल, जिला गाजीपुर में गबन की जिला नियोजन अधिकारी द्वारा जांच

44—श्री ऊदल—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 11 उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जो स्थिति स्पष्ट करायी जी रही थी तो वह स्पष्ट हुई? यदि हुई, तो क्या है?

श्री अम्मार रिजवी—

हां, उपलब्ध सूचनानुसार कोई गबन प्रकाश में नहीं आया है।

वाराणसी जिले में बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापकों के फर्जी स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध कृत कार्यवाही

45—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में बेसिक शिक्षा विभाग में 6 अध्यापकों का फर्जी ट्रांसफर आदेश नियुक्ति आदेश, बेसिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के सचिव के आदेश से किया गया था? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने 1981 व 1982 में लिखित पत्र भेजा कि वे फर्जी ट्रांसफर आदेश व नियुक्ति आदेश हैं? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। इन 6 अध्यापकों के स्थानान्तरण आदेश फर्जी पाए गए थे।

जी हां।

फर्जी स्थानान्तरण आदेश के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस में एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी गयी। सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् ने सम्बन्धित पुलिस अधीक्षकों से भी इसकी जांच करने व आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

वाराणसी बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों की जीवन बीमा की बनारस स्टेट बैंक के खाते में जमा की गयी धनराशि

46—श्री ऊदल—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के तीसरे सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 69-70 से जीवन बीमा का कटा हुआ 10 रुपया प्रति माह के हिसाब से वाराणसी बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों का 30 अक्टूबर, 82 तक 3,35,920 रु0 79 पैसे बनारस स्टेट बैंक में जमा है, जो काटे गये धन से बहुत ही कम है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर हिसाब ठीक करायेगी और बाकी धन जमा करायेगी?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं।

बनारस स्टेट बैंक के खाते में 30-10-82 को रु0 3,35,920.79 की जमा धनराशि मृत या सेवानिवृत्त अध्यापकों को जीवन बीमा निगम से उन्हें भुगतान करने हेतु प्राप्त हुई थी। इस धनराशि का भुगतान अध्यापकों/उनके उत्तराधिकारियों को कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

अध्यापकों द्वारा फर्जी आदेश लेकर ट्रांसफर कराये जाने के विरुद्ध जांच

47—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 80 व 81 तथा 82 में 15 फर्जी अध्यापक ट्रान्सफर कराकर फर्जी आदेश लेकर बेसिक शिक्षा विभाग, जौनपुर में वाराणसी उप जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश से गये हैं? यदि हां, तो क्या उसकी छानबीन की गयी? क्या उनके एल0 पी0 सी0 एवं सेवा पुस्तिका पर श्री बांके सिंह, डी0 आई0, वाराणसी के हस्ताक्षर हैं? यदि हां, तो इसकी जांच की गयी?

श्री अम्मार रिजवी—

वर्ष 1980-81 में ऐसा कोई अध्यापक नहीं है।

वर्ष 1981-82 में श्री सुभाष चन्द्र सिंह नामक एक अध्यापक ने सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद के फर्जी स्थानान्तरण आदेश के आधार पर वाराणसी से जौनपुर में कार्यभार ग्रहण किया था। उक्त आदेश की पुष्टि सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् से कराये जाने पर यह ज्ञात हुआ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश फर्जी है। अध्यापक की एल0 पी0 सी0 तथा सेवा पुस्तिका पर उप विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी की मुहर लगी हुई है किन्तु हस्ताक्षर किसका है यह स्पष्ट नहीं है। मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करायी गयी है।

बेसिक प्राइमरी पाठशाला, मढ़वा गोसाईपुर शिक्षा क्षेत्र, वाराणसी में श्रीमती विमला श्रीवास्तव द्वारा फर्जी ट्रांस्फर आदेश बनाकर कार्यभार ग्रहण किया जाना

48—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक प्राइमरी पाठशाला, मढ़वा गोसाईपुर शिक्षा क्षेत्र, बेसिक शिक्षा विभाग, वाराणसी में श्रीमती विमला श्रीवास्तव फर्जी ट्रांसफर आदेश गाजीपुर का बनाकर ता0 30-7-80 से कार्यभार ग्रहण किया

था? क्या यह सही है कि पद स्थापन आदेश श्रीमती कालिन्दी पाण्डेय बेसिक शिक्षा अधिकारी महिला, वाराणसी के आदेश से था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी? क्या यह सही है कि बे0 प्रा0 पा0 मढ़वा, ब्लाक हरहुआ, जिला वाराणसी के प्रधान आध्यापक अमरनाथ लाल ने 20-7-82 को एक रिपोर्ट प्रति उप-विद्यालय निरीक्षक हरहुआ, वाराणसी को लिखित दिया है कि उक्त आदेश को उन्होंने श्रीमती कालिन्दी पाण्डेय को दिखाया तो उन्होंने कहा कि मेरा हस्ताक्षर है उसका कार्यभार ग्रहण करा दीजिए ? क्या लाक बुक पर भी सभी आदेश संख्या अंकित हैं?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

ज्ञान भारती कन्या विद्यापीठ, अरौल, जनपद कानपुर में अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा छात्राओं की तलाशी लेने के सम्बन्ध में पत्र की जांच

49–श्री मोती लाल देहलवी–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या अप्रैल सन् 1983 के प्रथम सप्ताह में परीक्षा केन्द्र पर दिनांक 26-3-83 को अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा छात्राओं की तलाशी लेने विषयक ज्ञान भारती कन्या विद्यापीठ, अरौल, जनपद कानपुर (देहात) की प्रधानाचार्या का कोई आवेदन-पत्र विशेष सचिव शिक्षा व जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उस पत्र में किस-किस के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाए गये हैं ? इस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी तथा कृत कार्यवाही पर परिणाम क्या है?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां।

इस पत्र में जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका, कानपुर के शिविर लिपिक श्री शोभनाथ पाण्डेय तथा अन्य के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं।

आरोपों की जांच की जा रही है।

श्री नरेन्द्र देव इण्टर कालेज, जलालपुर, फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में जांच

50–श्री गोपी नाथ वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–66 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त विद्यालय में नियमानुसार सीनियर अध्यापक को प्रधानाचार्य नियुक्ति किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? जांच में पायी गयी अनियमितताओं के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

हां।

प्रबंधतत्र द्वारा विद्यालय के कनिष्ठ अध्यापक से कार्यवाहक प्रधानाचार्य का कार्य लिया जा रहा था। जो कठिनाइयों को दूर करना आदेश 1981 की धारा 4(1) के प्राविधानों के विपरीत था। अतः वेतन वितरण अधिनियम 1971 की धारा 6(3)

के अन्तर्गत नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा विद्यालय के चार वरिष्ठ अध्यापकों को इनकार करने पर पंचम स्थान के प्रवक्ता श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह को तदर्थ पदोन्नति देकर प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त कर कार्यभार ग्रहण करा दिया गया।

जांच में पायी गयी अनियमितताओं पर तत्काल काबू पाने के लिए उप शिक्षा निदेशक फैजाबाद द्वारा वेतन वितरण अधिनियम 1971 की धारा 6(3) के अन्तर्गत प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

महारानी लक्ष्मी बाई बालिका इण्टर कालेज, एटा में गेम्स फण्ड से व्यय की गयी धनराशि

51—श्री गोपी नाथ वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के तीसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या—92 के उत्तर (दिनांक 21-2-83) के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्रीड़ा (खेल) फण्ड से व्यय की गयी धनराशि 3,445 रु0 14 पैसे के व्यय एवं क्रय सामान का तिथिवार विवरण क्या है तथा अन्य फण्ड के व्यय का तिथिवार विवरण क्या है? क्या व्यय धन का औचित्य शिक्षा संहिता के नियमान्तर्गत है? यदि नहीं, तो दोषी के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना संलग्न है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 629—631 पर।)

उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय, बिलसी, जनपद बदायूं के अध्यापकों को सी0 डी0 एफ0 का भुगतान न कराये जाने के सम्बन्ध में जांच

52—श्री गोपी नाथ वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या—22 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि फण्ड कमिश्नर, कानपुर से धनराशि प्राप्त हो चुकी है? यदि हां, तो क्या प्राप्त धनराशि को प्रश्न से सम्बन्धित समस्त अध्यापिकाओं एवं कर्मचारियों को जुलाई, 1974 से 1977 तक सी0 डी0 एस0 का भुगतान करा दिया गया है? यदि नहीं, तो अब तक बकाया भुगतान न किए जाने का क्या कारण है?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

53—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या यह भी सही है कि उक्त मामले से सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मामले को टाला जा रहा है? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर दोषी पाए जाने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

अधीनस्थ कृषि सेवा संघ, उत्तर प्रदेश की मांगों पर अधिकारियों एवं संघ के पदाधिकारियों के बीच बैठक में लिये गये निर्णय

54–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनकी अध्यक्षता में 17-8-82 को अधीनस्थ कृषि सेवा संघ, उत्तर प्रदेश की मांगों पर अधिकारियों एवं संघ के पदाधिकारियों के बीच बैठक हुई थी? यदि हां, तो बैठक में किन-किन मांगों पर निर्णय लिये गये ? सम्पूर्ण निर्णय का विवरण क्या है और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल सिंह–

जी हां।

विभिन्न मांगों पर बैठक में लिये गये निर्णयों एवं उन पर अग्रिम कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 632–634 पर।)

मथुरा जनपद के इण्टरमीडिएट एवं हाई स्कूल विद्यालयों में विभिन्न विषयों के प्रवक्ताओं व अध्यापकों के रिक्त पद

55–श्री सरदार सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि मथुरा जनपद के इण्टरमीडिएट एवं हाई स्कूल विद्यालयों में विभिन्न विषयों के प्रवक्ताओं व अध्यापकों के पद रिक्त चल रहे हैं जिससे छात्रों व अभिभावकों में असंतोष व्याप्त है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है तथा रिक्त पदों पर शासन कब तक नियुक्ति कर देगा?

श्री अम्मार रिजवी–

हां।

परन्तु रिक्त पदों की तदर्थ/अस्थायी व्यवस्था कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा निदेशक से प्राप्त सूचनानुसार तदर्थ नियुक्तियों/पदोन्नतियों हेतु माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद को प्रस्ताव भेजा जा चुका है।

खण्ड विकास अधिकारी, अहिरोरी द्वारा श्री राम लाल बोरिंग मैकेनिक को भेजे गये पत्र में दिये गये निर्देश

56–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के खण्ड विकास अधिकारी, अहिरोरी द्वारा श्री राम लाल, बोरिंग मैकेनिक को अपने पत्र संख्या अ0 वि0 1/1080-81, दिनांक 9 मार्च, 1981 के माध्यम से श्री रूपन पुत्र श्री भिखारी निवासी गोदहैया, नया गांव मुबारकपुर की बोरिंग के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व थोपते हुए निर्देश दिया था कि कृषक के टूटे पाइप तुरन्त निकालने की कार्यवाही करें? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई? यदि कार्यवाही नहीं हुई तो क्यों और कार्यवाही कब तक सम्पन्न हो जायेगी?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)–

श्री रामलाल नाम का कोई बोरिंग मैकेनिक मार्च, 81 में जनपद हरदोई में कार्यरत नहीं था और न ही वर्तमान समय में है।

हिन्दू कन्या इण्टर कालेज, शामली, जनपद मुजफ्फरनगर के प्रबन्धक को भेजा गया नोटिस, अनियमितताओं की जांच

57—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दू कन्या इण्टर कालेज, शामली, जनपद मुजफ्फरनगर के प्रबन्धक को शिक्षा संशोधन अधिनियम की धारा 16डी(2) के अन्तर्गत जो नोटिस हाल में ही भेजा गया है उसमें समस्त अनियमितताओं का उल्लेख कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

हां।

प्रश्न नहीं उठता।

58—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि नोटिस में समस्त अनियमितताओं का उल्लेख नहीं है ?

श्री अम्मार रिजवी—

हां ।

59—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या विद्यालय में व्याप्त अनियमिततायें उक्त अधिनियम की धारा 16 डी (8) की परिधि में आती हैं ? यदि हां, तो साधिकार नियन्त्रक की नियुक्ति क्यों नहीं की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

60—राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हिन्दू कन्या इण्टर कालेज, शामली, जनपद मुज्जफ्फरनगर में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में उन्हें शामली से प्रकाशित समाचार पत्र 'शोषित की आवाज' के सम्पादक श्री सीताराम के पत्र दिनांक 25-1-83 व 1-3-83 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो पत्रों में उल्लिखित अनियमितताओं की क्या कोई जांच करायी गयी है ? यदि जांच करायी गयी है तो उसके क्या परिणाम निकले ? यदि जांच नहीं करायी गयी तो क्यों ? कब तक कार्यवाही पूर्ण की जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

हां । जांच करायी गयी है । जांच में पायी गयी अनियमितताओं के कारण प्रबन्ध समिति के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद अलीगढ़ में अवकाश प्राप्त अध्यापकों के पेंशन का भुगतान

61—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद अलीगढ़ में अवकाश प्राप्त अध्यापकों के पेंशन का भुगतान प्रत्येक मास नहीं होता ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार यह व्यवस्था करेगी कि जनपद के प्राइमरी स्कूलों के अवकाश प्राप्त अध्यापकों के पेंशन की

धनराशि अध्यापकों के निवास स्थान जहां वे रह रहे हैं मनीआर्डर कमीशन काट कर भेजती रही ? क्या इस सम्बन्ध में अवकाश प्राप्त अध्यापकों ने भी प्रार्थना पत्र दिये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां । क्योंकि अध्यापक स्वयं त्रैमासिक, षठमासिक, वार्षिक ही पेंशन की धनराशि प्राप्त करने के इच्छुक हैं ।

जो अध्यापक पेंशन की धनराशि मनीआर्डर से प्राप्त करने के लिये प्रार्थना करते हैं उन्हें उनकी धनराशि मनीआर्डर से कमीशन काटकर उनके निवास स्थान पर जहां वे रह रहे हैं भेजी जाती है ।

जी हां । कुछ अध्यापकों ने अपनी पेंशन की धनराशि मनीआर्डर से भेजने हेतु प्रार्थना पत्र दिये हैं जिन्हें उनकी प्रार्थनानुसार ही उनके द्वारा दिये गये पते पर पेंशन मनीआर्डर से कमीशन काटकर भेजी जाती है ।

जनपद गोरखपुर के ब्लाक मिठौरा व सिसवा के प्राइमरी पाठशालाओं के शिक्षकों का निलम्बन का कारण

62–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक मिठौरा व सिसवा के कौन-कौन प्राइमरी पाठशालाओं के शिक्षक दिनांक 6-8-82 से निलम्बित हैं और किस कारण ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पन्त नगर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष एवं कुलसचिव के बीच हुआ समझौता

63–श्री भीखालाल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 8-5-79 को पन्तनगर कर्मचारी संगठन तथा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, पन्त नगर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष एवं पन्त नगर विश्वविद्यालय के कुल सचिव के बीच कोई समझौता हुआ था कि बाल विलियम स्कूल पन्त नगर से संबंधित शिकायतों की जांच बेसिक शिक्षा अधिकारी, नैनीताल द्वारा की जायगी ? यदि हां, तो क्या बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच करके शिक्षा मंत्रालय तथा कुल सचिव को जांच रिपोर्ट दे दी गयी ? यदि बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अभी तक जांच नहीं की गयी है, तो कब तक की जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां । बेसिक शिक्षा अधिकारी, नैनीताल द्वारा जांच रिपोर्ट कुलपति, जी0 बी0 पन्त कृषि एवं प्राद्योगिक विश्व विद्यालय पन्तनगर, नैनीताल को दिनांक 14-6-79 को ही भेज दी गयी थी । शिक्षा मंत्रालय तथा कुल सचिव को जांच रिपोर्ट नहीं भेजी गयी थी क्योंकि जांच रिपोर्ट उन्हें भेजने का समझौता में कोई उल्लेख नहीं था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय बालिका इन्टर कालेज, उन्नाव में लिपिक वर्ग में हरिजन अभ्यर्थी को प्रोन्नति न करने का कारण

64—श्री भीखालाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बालिका इन्टर कालेज, उन्नाव में लिपिक वर्ग में कोई हरिजन लिपिक नहीं है ? क्या माह जनवरी अथवा फरवरी, 1983 में चतुर्थ श्रेणी से कम योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी की प्रोन्नति लिपिक पद पर की गई है जबकि चतुर्थ श्रेणी में उससे उच्च योग्यता प्राप्त हरिजन अभ्यर्थी उपलब्ध थे ? यदि हां, तो हरिजन अभ्यर्थी को प्रोन्नति न करने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां । क्योंकि हरिजन अभ्यर्थी की सेवा अवधि पांच वर्ष से कम है इस लिये वह प्रोन्नति हेतु अर्ह नहीं था ।

जनता इण्टर कालेज, परसौन (एटा) के अध्यापकों के वेतन से काटी गयी सी0 डी0 एस0 की धनराशि को वापस दिलाने की कार्यवाही

65—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता इन्टर कालेज, परसौन (एटा) के अध्यापकों के वेतन में से काटी गयी सी0 डी0 एस0 की लगभग बत्तीस हजार रुपये की राशि सम्बन्धित खातों में जमा नहीं की गयी ? यदि हां, तो इस राशि को ब्याज सहित अध्यापकों को वापस दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां । प्रबन्ध समिति के विरुद्ध इन्टर मीडिएट एजुकेशन एक्ट की धारा 16-डी (2) के अन्तर्गत साधिकार नियंत्रक नियुक्ति करने पर विचार किया जा रहा है ?

एस0 के0 पी0 इन्टर कालेज, आजमगढ़ में कतिपय शिक्षकों के अनियमित भुगतान की शिकायत की जांच

66—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 5-11-81 तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है तथा 15-4-83 तक क्या कार्यवाही कि गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

श्री विश्वनाथ प्रसाद रस्तोगी, प्रवक्ता अर्थशास्त्र के पक्ष में उच्च न्यायालय का निर्णय तथा अवशेष भुगतान की मांग

67—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 27 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 91956 रु0 50 पैसे के भुगतान पर न्यायालय द्वारा कोई रोक न होने तथा न्यायालय द्वारा उसके भुगतान के निर्णय के होते हुए भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी–

श्री विश्वनाथ प्रसाद रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में सिविल जज मिर्जापुर के न्यायालय में बाद संख्या 44/82 दायर किये जाने तथा उसमें निर्णय की प्रतीक्षा के कारण भुगतान स्थगित है।

श्री अमर नाथ सिंह, भूतपूर्व सहायक अध्यापक, राजकीय इन्टर कालेज लोहाघाट, पिथौरागढ़ द्वारा औपचारिकताओं की पूर्ति कराये जाने हेतु कार्यवाही

68–श्री पंचानन राय–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 120 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अमर नाथ सिंह द्वारा किन-किन औपचारिकताओं की पूर्ति नहीं की गयी है तथा इसे पूरा कराने के लिये क्या प्रयास किये गये ?

श्री अम्मार रिजवी–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अमर नाथ सिंह, भू0पू0 सहायक अध्यापक सी0 टी0 वेतनक्रम राजकीय इण्टर कालेज लोहाघाट (पिथौरागढ़) का वर्ष 1965-66 का चिकित्सीय अवकाश प्रार्थना पत्र एवं चिकित्सीय प्रमाण पत्र तथा स्वस्थता प्रमाण पत्र श्री सिंह के कथनानुसार लोहाघाट में प्रस्तुत किये गये थे इसका श्री सिंह के पास क्या प्रमाण उपलब्ध है। यह प्रमाण श्री सिंह को प्रस्तुत करना है। चिकित्सक का नाम बताना है जिसका प्रमाण पत्र उन्होंने प्रस्तुत किया था।

श्री अमर नाथ सिंह से नियमानुसार अपेक्षित अधिकृत चिकित्सक/चिकित्साधिकारी के चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने का साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं चिकित्सक का नाम बताने हेतु सम्बन्धित विद्यालयों/कार्यालयों द्वारा बराबर प्रयास किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में उन्हें शिक्षा निदेशालय द्वारा दिनांक 8-11-83 को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा स्मरण भी कराया गया है।

जनपद मुजफ्फरनगर के हिन्दू कन्या इण्टर कालेज, शामली में हो रही अनियमितताओं व कुप्रबन्ध की जांच

69–श्री पंचानन राय––

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के हिन्दू कन्या इण्टर कालेज, शामली में हो रही अनियमितताओं व कुप्रबन्ध से सम्बन्धित सरकार को फरवरी, 81 से 15-2-83 तक जो शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं तथा सम्पादक 'शोषित की आवाज' शामली का शिकायती पत्र दिनांक 25-1-83 पर क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? माध्यमिक शिक्षा संशोधन अधिनियम की धारा 16-घ (8) के अन्तर्गत कार्यवाही करने में सरकार को क्या कठिनाई है?

श्री अम्मार रिजवी––

विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं के कारण प्रबन्धक के विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16 घ के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

अधिनियम की धारा 16 घ की उपधारा 5 में उल्लिखित कारण संस्था में विद्यमान न होने के कारण 16 घ (8) के अन्तर्गत कार्यवाही सम्भव नहीं है।

सेवा निवृत अध्यापक श्री राम लाल मिश्र के पी0 एफ0 एवं पेंशन के भुगतान के विलम्ब का कारण

70—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के चौथे सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 164 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम लाल मिश्र कब सेवा निवृत हुए थे ? विद्यालय की क्या-क्या सामग्री उनके पास है जिसका चार्ज उन्होंने नहीं दिया है। प्रबन्धक द्वारा उन्हें किस दिनांक को पंजीकृत पत्र भेजा गया और उसका उन्होंने क्या उत्तर दिया ? सेवा निवृत के सात वर्ष तक पी0 एफ0 एवं पेंशन के भुगतान को न करने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्री राम लाल मिश्र 30 जून, 1976 को सेवा निवृत हुए थे। विद्यालय की निम्नलिखित सामग्री तथा अभिलेख श्री मिश्र के पास हैं। जिसका चार्ज उन्होंने नहीं दिया है—

1—विद्यालय कोषों से सम्बन्धित समस्त आय-व्ययक पंजिकायें।
2—समस्त कोषों की बाउचर फाइलें।
3—भण्डारण पंजिकायें (स्टाक रजिस्टर)
4—बैल-एक।
5—बैलगाड़ी-एक
6—चारा काटने की मशीन-एक
7—साइकिल-एक
8—लगभग पांच सौ पत्थर की पट्टियां
9—श्री मिश्र की पी0 एफ0 की पास बुक एवं व्यक्तिगत पत्रावली।

उक्त सामग्री के अलावा अन्य सामान के सम्बन्ध में श्री मिश्र द्वारा भंडारण पंजिकायें (स्टाक रजिस्टर) उपलब्ध करायें जाने के बाद ही जानकारी दी जा सकती है।

श्री मिश्र के पास 1000/—(एक हजार रुपये) मूल्य का बचत पत्र राष्ट्रीय बचत भी है जिसको उन्होंने वापस नहीं किया। तथा न ही इस सम्बन्ध में कोई जानकारी दी है। श्री मिश्र द्वारा आय व्ययक पंजिकायें उपलब्ध करायें जाने पर ही वित्तीय मामलों की सूचना दी जा सकती है।

श्री मिश्र को विद्यालय प्रबन्धक के स्तर से चार्ज हस्तान्तरित करने हेतु निम्न लिखित पंजीकृत पत्र भेजे गये। परन्तु श्री मिश्र ने प्रथम दो पत्रों को लेने से इंकार किया तथा अन्तिम पत्र को प्राप्त किया परन्तु उसका कोई उत्तर प्रबन्धक को प्राप्त नहीं हो सका।

1—38/शि0 वि0/78-79 दिनांक 9-11-78
2—55/शि0 वि0/78-79 दिनांक 13-12-78
3—98/चार्ज/81-82 दिनांक 5-2-82

श्री मिश्र ने आज तक अपना कोई चार्ज नहीं दिया है। चार्ज न देने के कारण ही उनके पी0 एफ0 एवं पेंशन के प्रकरण प्रबन्धक ने जि0 त्रि0 नि0 फैजाबाद को नहीं भेजा ।

श्रीमती तारावती सक्सेना, सहायक अध्यापिका, महात्मा गांधी बालिका विद्यालय इण्टर कालेज, फिरोजाबाद को पेंशन का भुगतान

71—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के चौथे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 168 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वेतन निर्धारण मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षका द्वारा किया जाता है या विद्यालय द्वारा ? सेवा निवृत के पांच साल बाद भी पेंशन का भुगतान न किये जाने का क्या औचित्य है और यह भुगतान कब तक कर लिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

वेतन निर्धारण मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षका द्वारा किया जाता है । वेतन निर्धारण न होने के कारण पेंशन की स्वीकृति नहीं की गयी थी। 27 जनवरी, 1983 को पेंशन स्वीकृत होने के उपरान्त दिनांक 29-1-83 को दिनांक 1-7-78 से 28-2-83 तक का भुगतान किया जा चुका है ।

परिचारक, जूनियर हाई स्कूल कठिहारी, जनपद आजमगढ़ की नियुक्ति तथा वेतन के प्रकरण की जांच

72—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के तीसरे सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 160 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरिकेश राम के पिता पूर्णकालिक कर्मचारी थे या अंशकालिक? अगस्त, 1974 में जो पूर्णकालिक कर्मचारी इन श्रेणी के विद्यालयों में काम करते थे इन्हें क्या वेतन दिया जाता था? यदि नियुक्ति अवैध थी, तो इन्हें 1974 से वेतन का भुगतान क्यों किया जा रहा था? नियुक्ति अवैध होने का क्या आधार है?

श्री अम्मार रिजवी—

श्री हरिकेश राम के पिता पूर्णकालिक कर्मचारी थे। अगस्त, 1974 में इस श्रेणी के विद्यालयों में कार्यरत पूर्णकालिक कर्मचारियों को कुल रु0 31.50 प्रतिमास वेतन दिया जाता था । तत्समय यह प्रकरण में न आने के कारण इसका भुगतान 1974 से किया जाता रहा । सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्ति न होने के कारण नियुक्ति अवैध है ।

जनपद आजमगढ़ के शिक्षकों द्वारा दिये गये शिकायती पत्र पर लिये गये निर्णय

73—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के आठवें सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 197 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संलग्न 12 शिकायतों के संदर्भ में अलग-अलग क्या निर्णय लिये गये तथा शेष आठ प्रकरणों का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बुलन्दशहर में इण्टरमीडिएट संस्थाओं एवं महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पद

74--श्री छत्तर सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1-1-83 तक जनपद बुलन्दशहर में इण्टरमीडिएट संस्थाओं एवं महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के कितने स्थान रिक्त थे ? यह रिक्त रहने का क्या कारण है एवं कब तक भरे जायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

दिनांक 1-1-83 तक जनपद बुलन्दशहर के इण्टरमीडिएट कालेज एवं महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों का कोई पद रिक्त नहीं था।

उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर डा0 एस0 डी0 सिंहल की नियुक्ति का औचित्य

75--श्री जसवन्त सिंह दिष्ट--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा गठित उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष पद पर ऐसे व्यक्ति का चयन हुआ है जिसके कुमायूं विश्वविद्यालय में उप-कुलपति कार्य काल में उनके विरुद्ध व्यापक अनियमितता के आरोप में पूरा कुमायूं बन्द रहा था ? यदि हां, तो सरकार ने उन अनियमितताओं की जांच अब तक क्यों नहीं करायी ? क्या इस पृष्ठभूमि में उन्हें इस वर्तमान पद पर बनाये रखना उचित है ?

श्री अम्मार रिजवी--

कुमायूं विश्वविद्यालय में डा0 एस0 डी0 सिंहल, कुलपति के कार्यकाल में उन्हें कुलपति के पद से हटाने के लिए छात्रों के आह्वान पर दिनांक 14-5-81 को कुमायूं बन्द रहा था। उनके विरुद्ध शिकायतों पर विस्तृत जांच तत्कालीन शिक्षा सचिव, प्रदेश शासन द्वारा की गयी थी। जांच में वे दोषी नहीं पाये गये। उनकी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति सोच विचार के बाद ही की गई है।

श्री रघुनन्दनलाल, सहायक अध्यापक, श्री कृष्ण औद्योगिक इण्टर कालेज मोहम्मदपुर, जिला कानपुर का शिकायती पत्र

76--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1983 के उत्तरार्ध में श्री रघुनन्दनलाल, सहायक अध्यापक, श्री कृष्ण औद्योगिक इण्टर कालेज मोहम्मदपुर, जिला कानपुर का शिकायती पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ है कि उक्त कालेज में प्रोन्नति में नियमोल्लंघन किया गया है? यदि हां, तो सरकार ने उसकी जांच किससे करायी और जांच में क्या तथ्य पाये गये?

श्री अम्मार रिजवी—

शिकायती पत्र अवश्य प्राप्त हुआ है किन्तु कोई प्रोन्नति नहीं की गयी। प्रश्न नहीं उठता।

77—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

जनपद मिर्जापुर के प्राइमरी पाठशालाओं को अन्यत्र गांव में स्थानान्तरण करने पर विचार

78—श्री राम चरण सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में वर्ष 1982-83 में 118 प्राइमरी पाठशाला बालक एवं बालिकाओं के ऐसे भी हैं जो एक ही गांव में चल रहे हैं? यदि हां, तो सरकार उन प्राइमरी पाठशालाओं को एक वहां छोड़कर दूसरे को अन्यत्र गांव में, जहां पाठशाला नहीं है स्थानान्तरण करने पर विचार करेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

79—श्री राम चरण सिंह—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

जनपद मिर्जापुर की पाठशालाओं के निर्माण हेतु आवंटित धनराशि

80—श्री राम चरण सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष 1981-82 में जनपद मिर्जापुर की पाठशालाओं के निर्माण हेतु कितना धन आवंटित किया गया? उक्त धन किन-किन प्राइमरी पाठशालाओं को दिया गया?

श्री अम्मार रिजवी—

वर्ष 1981-82 में जनपद मिर्जापुर की पाठशालाओं के निर्माण हेतु रु0 22,42,200/- की धनराशि आवंटित की गयी।

उक्त धनराशि संलग्न सूची में उल्लिखित 35 पाठशालाओं के लिये दी गयी जिसमें प्राइमरी पाठशालाओं के नाम भी अंकित हैं।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 635 पर।)

जनपद आजमगढ़ के हायर सेकेन्डरी स्कूलों में नवीन पाठ्यक्रम के विषयों हेतु अध्यापकों के पद की सृजन की मांग

81—श्री राज कुमार राय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में कितने हायर सेकेन्डरी स्कूलों में नवीन पाठ्यक्रम के विषयों तथा सामाजिक विषय, विज्ञान एवं नैतिक शिक्षा इत्यादि विषयों को अनिवार्य रूप से पढ़ाने के लिए शासन ने कितने अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति या पद सृजन की व्यवस्था की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

154 अशासकीय विद्यालयों में से 104 विद्यालयों में पूर्व से ही व्यवस्था है। शेष 50 विद्यालयों के पद सृजन सम्बन्धी आवेदन पत्रों पर निर्धारित मानक के अन्तर्गत ही पदों का सृजन करना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड कटेहरी के अन्तर्गत सी0 आर0 जूनियर हाई स्कूल, पांतीमंशापुर के प्रधान अध्यापक को पूर्ववत् कार्यभार ग्रहण कराये जाने के आदेश

82–श्री प्रदीप कुमार यादव–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड कटेहरी के अन्तर्गत चल रहे सी0 आर0 जूनियर हाई स्कूल, पांतीमंशापुर के प्रधान अध्यापक को वहां के प्रबन्धक द्वारा दिनांक 1-7-79 को सेवामुक्त कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उसके आवेदन पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद ने अपने आदेश संख्या दिनांक 24 मई, 1980 में निर्देशित किया था कि उसे पूर्ववत् कार्यभार ग्रहण कराया जाय ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां।

83–श्री प्रदीप कुमार यादव–

क्या यह सही है कि उक्त प्रबन्धक द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत न करने के बावजूद भी उसे कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जा रहा है? यदि हां, तो सम्बन्धित प्रबन्धक के विरुद्ध शासन क्या कोई कार्यवाही करेगा और सम्बन्धित अध्यापक को कब तक कार्यभार ग्रहण करा दिया जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं, प्रबन्धक ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद के समक्ष अपील की थी जो खारिज कर दी गयी तथा प्रबन्धाधिकरण को निर्देश दिये जा चुके हैं कि सम्बन्धित प्रधानाध्यापक को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करा दिया जाय ।

स्वावलम्बी इण्टर कालेज, विशुनपुरा, जनपद गोरखपुर के सम्बन्ध में शिकायतों की जांच

84–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में स्थित स्वावलम्बी इण्टर कालेज, विशुनपुरा में प्रश्नकर्ता द्वारा की गयी शिकायतों पर दिनांक 24-1-83 को उप-शिक्षा निदेशक सप्तम मण्डल गोरखपुर जांच में गये थे? यदि हां, तो शिकायती पत्र में बिन्दुवार शिकायतें क्या-क्या हैं? इनमें से किन-किन की जांच की गयी? जांच में क्या-क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

श्री अम्मार रिजवी–

हां ।

शिक्षक एवं गैर शिक्षकों का बयान न लिया जाना, अध्यापकों के साथ पक्षपात करना टेढ़ व शोभी चपरासी की नियुक्ति एवं उन्हें अनियमित वेतन देने के सम्बन्ध में, चपरासियों के पदों के सृजन सम्बन्धी शिकायतें हैं।

सभी शिकायतों की जांच की गयी। जांच आख्या संलग्न है।

(देखिए तथ्यी "ध" आगे पृष्ठ 636—638 पर।)

श्री हरिवंश तिवारी, वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया को दक्षता रोक पार कराये जाने की अनुमति

85—श्री शैला पाण्डेय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजाज्ञा संख्या 12/42-1981/कार्मिक, दिनांक 28-11-81 के निदेश की अवज्ञा करते हुए उप-शिक्षा निदेशक, वाराणसी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया द्वारा श्री हरिवंश तिवारी, वरिष्ठ लिपिक कार्यालय, जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया का दक्षता रोक जो 1-3-77 को पार करना था, अब भी रोक रखा है? यदि हां, तो उक्त राजाज्ञा के उल्लंघन करने वाले जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया एवं उप-शिक्षा निदेशक, वाराणसी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री अम्मार रिजवी—

17-11-33 को दक्षता रोक पार करने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है। विलम्ब से दक्षता रोक पार कराये जाने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश शिक्षा निदेशक को दे दिये गये हैं।

अतर्रा महाविद्यालय, बांदा की बी0 एड0 परीक्षा का घोषित परीक्षाफल

86—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि अतर्रा महाविद्यालय, अतर्रा (बांदा) की बी0 एड0 परीक्षा, 1983 का परीक्षाफल अब तक घोषित न करने का क्या कारण है? परीक्षाफल कब तक घोषित कर दिया जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी—

परीक्षाफल 27-9-83 को घोषित किया जा चुका है।

लघु माध्यमिक विद्यालय शहाबुद्दीनपुर, जिला सुल्तानपुर के लिपिक श्री जयराम सिंह को नियमित करने के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट पर निर्णय

87—श्री परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री राम गोविन्द तथा श्री नन्द किशोर सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के पहले सोमवार के अता0 प्रश्न संख्या 60 व 61 के उत्तर के सन्दर्भ में सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है? यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब का क्या कारण है और इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? उक्त रिपोर्ट पर किस तिथि तक निर्णय ले लिया जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। जांच आख्या में बताया गया है श्री जयराम सिंह (तत्कालीन लिपिक) लघु माध्यमिक विद्यालय, शहाबुद्दीनपुर, सुल्तानपुर को प्रबन्धक द्वारा चार्ज शीट नहीं

दी गयी, कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया तथा निष्कासन सम्बन्धी कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की गई। केवल विद्यालय उपस्थित पंजिका पर हस्ताक्षर नहीं करने दिया गया है।

प्रकरण सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को निर्णय हेतु सन्दर्भित किया जा चुका है। निर्णय में कितना समय लगेगा यह निश्चित रूप से बताना सम्भव नहीं है।

बस्ती जनपद के जोगिया गांव में जूनियर हाई स्कूल को अन्य गांव में स्थानान्तरित किये जाने की मांग

88—श्रीमती कमला साहनी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के विकास खंड जोगिया गांव में स्थित जूनियर हाई स्कूल कितने वर्षों से निष्क्रिय है और सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है? क्या सरकार उक्त विद्यालय को विकास खण्ड के किसी अन्य गांव में स्थानान्तरित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

हाई स्कूल एवं इण्टर की संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्र तथा रोका गया परीक्षाफल

89—श्री भूधर नारायण मिश्र—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983 की हाई स्कूल एवं इण्टर की संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षा में कितने-कितने छात्र सम्मिलित हुए हैं और उनमें कितनों का परीक्षाफल रोका गया? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31-8-83 तक कितने छात्रों का परीक्षाफल रुका रहा और क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

वर्ष 1983 की परीक्षा में हाई स्कूल संस्थागत में 793837, हाई स्कूल व्यक्तिगत में 286594, इण्टर संस्थागत में 311146 तथा इण्टर व्यक्तिगत परीक्षा में 160778, कुल 15,52,355 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। इनमें से 40745 परीक्षार्थियों का परीक्षाफल विभिन्न कारणों से रोका गया।

दिनांक 31-8-83 तक 38,298 परीक्षार्थियों का परीक्षाफल प्रतिबन्धों की पूर्ति के अभाव में व अन्यान्य कारणों से रुका रहा।

आर्य कन्या महाविद्यालय, हरदोई की बी0 ए0 द्वितीय वर्ष की छात्राओं को प्रेषित की गयी अंकतालिकायें

90—श्री सरदार सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के छठे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 153 के उत्तर के संदर्भ में शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत महाविद्यालय की कुछ छात्राओं की अंकतालिका अभी तक नहीं भेजी गयी है? (जैसे अनुक्रमांक 11801) क्या सरकार इन अंकतालिकाओं को उक्त महाविद्यालय को उपलब्ध कराने का आदेश विश्वविद्यालय को देगी ?

श्री अम्मार रिजवी–

विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत महाविद्यालय की सभी छात्राओं की अंकतालिकायें प्रेषित की जा चुकी हैं केवल अनुक्रमांक 11801 की अंकतालिका इसलिये नहीं भेजी गयी क्योंकि उक्त छात्रा एक प्रश्न पत्र हिन्दी भाषा द्वितीय में नहीं बैठी एवं उसका परीक्षाफल अपूर्ण रहा जिसे हिन्दी भाषा में अनुपस्थित दिखाकर पूर्ण कर दिया गया है और इस बारे में छात्रा को भी सूचित किया जा रहा है।

मंडलीय बालिका निरीक्षिका, झांसी द्वारा की गयी नियुक्तियां

91–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1983 से 30-9-83 तक मंडलीय बालिका निरीक्षिका, झांसी द्वारा कितनी नियुक्तियां की गयीं और कितने पदों पर नियुक्ति हेतु शासन की अनुमति थी? तथा इन नियुक्तियों का आधार क्या था?

श्री अम्मार रिजवी–

32 नियुक्तियां की गयीं। विभाग द्वारा निर्धारित चुनाव प्रक्रिया के आधार पर ही नियुक्तियां की गयीं।

जनपद बांदा के आर्य भट्ट जूनियर हाई स्कूल, गडांव को आर्थिक सहायता देने के संबंध में पत्र

92–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के आर्य भट्ट जूनियर हाई स्कूल गडांव को आर्थिक सहायता देने के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 17-2-83 का प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बांदा से इस विद्यालय के संबंध में आख्या मांगी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जूनियर हाई स्कूल महुवा, बांदा का भवन निर्माण पूर्ण कराने के संबंध में पत्र

93–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जूनियर हाई स्कूल महुवा (बांदा) का अर्ध निर्मित भवन पूर्ण कराने के संबंध में प्रश्नकर्ता का 17-2-83 का कोई पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां।

उक्त पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारी, बांदा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला परिषद्, बांदा को प्राप्त धनराशि से कराये गये कार्य

94–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जिला परिषद् बांदा को जून, 1980 से अब तक कितनी धनराशि प्राप्त हुई ? उक्त धनराशि से क्या-क्या कार्य किये गये?

श्री बलराम सिंह यादव–

जिला परिषद्, बांदा को जून, 1980 से अब तक 10,28,480 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई । इस धनराशि से वर्षा तथा बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्स्थापना, सड़कों का रख-रखाव तथा स्कूल भवनों की मरम्मत का कार्य किया गया। कार्यों का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी ''ङ'' आगे पृष्ठ 639–640 पर ।

जिला विकास अधिकारी, सीतापुर कार्यालय में कनिष्ठ लिपिकों की पदोन्नति

95–श्री सन्त बख्श रावत–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के अन्तर्गत जिला विकास अधिकारी सीतापुर के अधीन कार्यरत कनिष्ठ लिपिकों में से 6 लिपिकों की जो सामान्य जातियों के थे पदोन्नति की गयी है? यदि हां, तो इसी कार्यालय में कार्यरत (बचान प्रसाद) ज्येष्ठतम कनिष्ठ लिपिक को पदोन्नति न दिये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री बलराम सिंह यादव–

मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

जनपद गोण्डा के तरबगंज ब्लाक के ए0 डी0 ओ0 (एम0 आई0) स्वर्गीय श्री राम करन सिंह के आश्रितों को ग्रेच्युटी तथा पारिवारिक पेंशन आदि देयों का भुगतान

96–श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी तथा श्रीमती कमला साहनी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद गोण्डा के तरबगंज ब्लाक में कार्यरत ए0डी0ओ0 (एम0 आई0) श्री रामकरन सिंह की मृत्यु दुर्घटना में दिनांक 26 मार्च, 1979 को आन ड्यूटी हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त मृतक कर्मचारी के आश्रितों को उसकी ग्रेच्युटी, भविष्य निधि आदि देयों का भुगतान करा दिया गया और पारिवारिक पेंशन दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां । स्वर्गीय श्री सिंह के आश्रितों को ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन तथा भविष्य निधि देयों का भुगतान सेवा पुस्तिका अपूर्ण होने के कारण नहीं किया जा सका था। स्वर्गीय श्री सिंह की सेवा पुस्तिका पूर्ण करके ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन तथा भविष्य निधि में जमा देयों से सम्बन्धित पत्रादि जिला विकास अधिकारी, गोण्डा द्वारा महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को स्वीकृति के लिये प्रेषित किये जा चुके हैं । महालेखाकार से शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिये अनुरोध किया गया है । स्वर्गीय श्री सिंह की पत्नी को सामूहिक बीमा योजनान्तर्गत मु0 12281.16 पैसे का चेक दिया जा चुका है ।

सूखा राहत कार्य योजनान्तर्गत ग्राम लीला खेड़ा, लखनऊ में लगाये गये हैण्डपम्प के व्यय की श्रीमती राममूर्ति पाण्डेय को प्रतिपूर्ति के आदेश

97—श्री भीखा लाल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूखा राहत कार्य के अन्तर्गत विकास खण्ड, मलिहाबाद, जनपद लखनऊ द्वारा वर्ष 1980 में ग्राम लीला खेड़ा (मजरा कटौली) थाना काकोरी, जनपद लखनऊ में तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (नियोजन) के आदेशानुसार एक हैण्डपम्प दिनांक 25-9-1980 के आस पास लगाया गया था ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में श्री जमुना प्रसाद, एम0एल0ए0 तथा श्री सुशील कुमार मुखोपाध्याय, एम0 एल0 सी0 के पत्र सहित श्रीमती राममूर्ति पाण्डेय, निवासिनी ग्राम लीलाखेड़ा, काकोरी, जनपद लखनऊ का प्रार्थना पत्र मुख्य विकास अधिकारी लखनऊ तथा सचिव ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को दिनांक 2-6-1983, 27-4-83 तथा 14-6-83 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उपरिलिखित व्यय की प्रतिपूर्ति श्रीमती पाण्डेय को कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां । सूखाग्रस्त राहत कार्य योजना के अन्तर्गत ग्राम लीला खेड़ा में वर्ष 1980 में विकास खण्ड मलिहाबाद के माध्यम से एक हैण्डपम्प लगाया गया था ।

श्री सुनील कुमार मुखोपाध्याय, एम0 एल0सी0 के पत्र दिनांक 27-4-83 तथा श्री जमुना प्रसाद पाण्डेय, एम0 एल0 ए0 के पत्र दिनांक 2-6-1983 के साथ श्रीमती राममूर्ति पाण्डेय निवासिनी ग्राम लीला खेड़ा काकोरी, जनपद लखनऊ का दिनांक 27-4-83 का प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ था। उक्त हैण्डपम्प के व्यय की धनराशि की प्रतिपूर्ति जिलाधिकारी, प्रभारी आपदा, लखनऊ द्वारा प्राप्त धनराशि को खण्ड विकास अधिकारी, मलिहाबाद को इस निर्देश के साथ भेज दिया गया कि वे उक्त धनराशि का भुगतान श्रीमती राममूर्ति पाण्डेय को कराकर उसकी सूचना तुरन्त प्रेषित करें ।

श्री नरसिंह नारायण सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी, बांदा के विरुद्ध शिकायतों की जांच

98—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 8वें सोमवार के अता0 प्रश्न संख्या 118 के उत्तर के संदर्भ में ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जिला पंचायत राज अधिकारी बांदा श्री नरसिंह नारायण सिंह पर भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के लिये सतर्कता विभाग द्वारा एवं विभागीय जांच चल रही है? यदि हां, तो जांच कब तक पूर्ण हो जायेगी ? जनपद बांदा में श्री सिंह को 5 वर्ष से अधिक हो जाने के बावजूद भी इनका स्थानान्तरण अन्यत्र न करने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

श्री नरसिंह नारायण सिंह के विरुद्ध शिकायतों की जांच सतर्कता विभाग में विचाराधीन न होकर सी0बी0सी0आई0डी0 तथा जिलाधिकारी, बांदा के स्तर पर विचाराधीन है जिसकी रिपोर्ट प्रतीक्षित है । श्री सिंह का स्थानान्तरण जनपद बांदा से जनपद रायबरेली को किया जा चुका है ।

99–100–श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

श्री नर सिंह नारायण सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी, बांदा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

101–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद बांदा में कार्यरत जिला पंचायत राज अधिकारी, श्री नर सिंह नारायण सिंह के विरुद्ध जनवरी, 1980 से अब तक कितने शिकायती पत्र प्राप्त हुए तथा किन पर विभागीय जांच चल रही है विभागीय जांच कब प्रारम्भ हुई तथा अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बलराम सिंह यादव–

जनवरी, 1980 से अब तक सात शिकायती पत्र प्राप्त हुए। पांच शिकायती पत्र जांचोपरान्त निराधार पाये गये। शेष शिकायती पत्रों के आरोपों की जांच सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 एवं जिलाधिकारी, बांदा स्तर पर विचाराधीन है।

जनपद फतेहपुर के कृषि माध्यमिक विद्यालय, बड़ाहार (गठी) के अध्यापकों एवं कर्मचारियों को वेतन भुगतान

102–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जनपद फतेहपुर के कृषि माध्यमिक विद्यालय बड़ाहार (गठी) के अध्यापकों एवं कर्मचारियों को विगत 14 माह से वेतन नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो वेतन दिलाने के लिए शासन क्या कार्यवाही कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार हेतु दिये गये प्रतिवेदन के प्रसंग में की गयी कार्यवाही

103–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के तीसरे मंगलवार के अता0 प्र0 संख्या 94 के उत्तर के संदर्भ में शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि प्रतिवेदन के प्रसंग में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

प्रतिवेदन के प्रसंग में निम्न कार्यवाहियां की गयीं:–

(1) बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति श्री डब्लू0 यू0 मलिक के दोषी पाये गये निजी सचिव श्री जे0 पी0 वर्मा, कार्यालय अधीक्षक श्री एच0 बी0 सक्सेना, तथा एक सीनियर सहायक श्री आर0 यू0 खान को दण्ड स्वरूप चेतावनी दी गयी;

(2) दोषी पाये गये एक अन्य सहायक कार्यालय अधीक्षक श्री मोहम्मद उस्मान की सेवायें अन्य अभियोग में पूर्व ही समाप्त कर दी गयी थीं;

(3) अन्य दोषी पाये गये कर्मचारियों सर्वश्री शिव हरे तथा सतीश चन्द्र गुप्ता तथा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवायें दण्ड स्वरूप समाप्त कर दी गईं एवं एक लिपिक की वेतन वृद्धि भी रोक दी गयी;

(4) प्रतिवेदन में कतिपय समितियों के गलत निर्णयों के मामलों को कार्य परिषद्, परीक्षा समिति, यू0 एफ0 एम0 और बी0 एड0 प्रवेश समितियों के ध्यान में ला दिये गये तथा भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति न होने देने के विषय में भी निर्देश दे दिये गये हैं।

स्वर्गीय श्री महेश बहादुर की पत्नी को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

104—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा में दिनांक 2-3-82 (छठा मंगलवार) के अतारांकित प्रश्न संख्या 179 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्व0 श्री महेश बहादुर की पत्नी श्रीमती कृष्णा कुमारी को जो सहायता प्रदान की गई थी, वह अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान द्वारा दी गई थी, न कि शासन द्वारा? क्या सरकार अब उक्त श्रीमती कृष्णा कुमारी (स्व0 श्री महेश बहादुर) के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने की कृपा करेंगी? यदि हां, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

शुकदेव किसान विद्या मन्दिर भुआंपुर (रानीपुर) फैजाबाद को ग्राम सभा द्वारा दी गयी जमीन की जांच

105—श्री बलबीर सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 34 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या सम्बन्धित तहसीलदार की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है? यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब का क्या कारण है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट का सम्पूर्ण विवरण क्या है तथा उसके आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

106—श्री बलबीर सिंह—

उक्त सन्दर्भ में क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्या तत्कालीन भूमि प्रबन्धक समिति मौजा मेवापुर मुतालके देवगांव के उप प्रधान श्री महादेव एवं अन्य सदस्यों का कोई प्रार्थना पत्र उनके जाली हस्ताक्षर बना कर प्रबन्धक तथा व्यवस्थापक द्वारा फर्जी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्री को माह सितम्बर, 1983 में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित मुख्य मुद्दा क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

शुकदेव किसान विद्या मन्दिर, भुआंपुर (रानीपुर) फैजाबाद के व्यवस्थापक द्वारा भूमि प्रबन्धक समिति मेवापुर मु0 देवगांव का फर्जी प्रस्ताव करके मान्यता प्राप्त करने के सम्बन्ध में कार्यवाही

107–श्री बलवीर सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री जिया राम शुक्ल विकल साकेती विधायक के पत्र के साथ मौजा मेवापुर, मुतालके देवगांव, जिला फैजाबाद के भूमि प्रबन्धक समिति (वर्ष 1980 में कार्यरत) के भूतपूर्व सदस्यों का पत्र शुकदेव किसान विद्या मन्दिर भुआंपुर (रानीपुर) के व्यवस्थापक द्वारा उक्त सदस्यों के जाली हस्ताक्षर का प्रस्ताव प्रस्तुत करके विद्यालय की मान्यता प्राप्त करने के विषय में जिलाधिकारी, फैजाबाद को माह अगस्त, 1983 में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी और उसकी जांच रिपोर्ट का सम्पूर्ण विवरण क्या है तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां।

शिकायती पत्र में उल्लिखित आरोप की जांच नायब तहसीलदार द्वारा की गयी थी।

जांच के परिणामस्वरूप इस मामले में वस्तुस्थिति यह पायी गयी कि शुकदेव किसान विद्या मन्दिर मेवापुर मुतालके देवगांव के व्यवस्थापक द्वारा भूमि प्रबन्धक समिति मेवापुर मु0 देवगांव के कथित प्रस्ताव के आधार पर भूमि का आवंटन स्कूल के नाम दिखाते हुए शिक्षा विभाग से विद्यालय की मान्यता प्राप्त की गयी, परन्तु यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ और न ही परगनाधिकारी द्वारा कोई स्वीकृति दी गयी। प्रस्ताव की कोई प्रतिलिपि तहसील में उपलब्ध भी नहीं करायी गयी और न ही तहसील स्तर से इस कथित पट्टे की स्वीकृति करायी गयी।

माननीय विधायक के शिकायती पत्र दिनांक 13-8-83 में ग्राम सभा शानिकपुर के भूमि संख्या 1690/1-17-0 का भी उल्लेख था जिसकी जांच नायब तहसीलदार द्वारा की गयी और यह पाया गया कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव नियम विरुद्ध था और स्कूल का उक्त भूमि पर कब्जा अवैध था जिसके फलस्वरूप परगनाधिकारी ने प्रस्ताव निरस्त कर दिया तथा अवैध कब्जा के सम्बन्ध में स्कूल के व्यवस्थापक के विरुद्ध ज0 वि0 अ0 की धारा 122 बी के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है।

श्री सुधाकर शर्मा, प्रधान लिपिक, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, रायबरेली के विरुद्ध शिकायतों की जांच पर मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा कृत कार्यवाही

108—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सरकार बतायेगी कि श्री सुधाकर शर्मा, प्रधान लिपिक, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड, रायबरेली के विरुद्ध अनेक भ्रष्टाचार किये जाने के सम्बन्ध में जांचोपरान्त उचित कार्यवाही हेतु श्रीमती सुमनलता दीक्षित, सदस्या, विधान सभा, द्वारा दिनांक 31-8-82 को शिकायती पत्र जिला अधिकारी, रायबरेली को दिया? यदि हां, तो प्राप्त पत्र का सम्पूर्ण विवरण क्या है और अब तक पत्र में लिखित आरोपों व मांगों के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

श्रीमती सुमनलता दीक्षित, सदस्या, विधान सभा का श्री सुधाकर शर्मा, प्रधान लिपिक, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के विरुद्ध शिकायती पत्र दिनांक 31-8-82 जिलाधिकारी, रायबरेली को प्राप्त नहीं हुआ वरन् श्रीमती दीक्षित का शिकायती पत्र दिनांक 14-8-82 प्राप्त हुआ था।

उक्त वर्णित शिकायती पत्र में श्री शर्मा के विरुद्ध आरोपों की जांच एवं मुख्य अभियन्ता के पत्र संख्या—2204 दिनांक 10-8-82 द्वारा श्री शर्मा को पैतृक विभाग में प्रत्यावर्तित करने के अधिशासी अभियन्ता, रायबरेली को दिये गये आदेश का सन्दर्भ देते हुए प्रत्यावर्तन की मांग की थी।

श्री शर्मा के विरुद्ध शिकायती पत्रों पर जिलाधिकारी, रायबरेली द्वारा जांच चलते रहने एवं अधिशासी अभियन्ता, रायबरेली से श्री शर्मा के संबंध में आख्या पर विचारोपरान्त मुख्य अभियन्ता ने श्री शर्मा के पैतृक विभाग को वत्यावर्तन के आदेश दिनांक 10-8-82 का कार्यान्वयन पत्रांक-3318 दिनांक 20-8-82 द्वारा स्थगित कर दिया था।

जिलाधिकारी, रायबरेली ने श्री शर्मा के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों पर जांच करायी एवं संस्तुति के अनुसार मुख्य अभियन्ता द्वारा श्री शर्मा को चेतावनी दी जा चुकी है। श्री शर्मा को रायबरेली प्रखण्ड से स्थानान्तरित भी किया जा चुका है।

109—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एम0 आर0 सिद्दीकी, मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, लखनऊ के अर्धशासकीय पत्रांक 2205/ग्रा0 अ0 से0/सी0/मु0 अ0/ग्रा0 अ0/ग्रा0 अ0 से0, उ0 प्र0, लखनऊ दिनांक 10-8-83 को अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, रायबरेली को कोई आदेश दिया गया है? यदि हां, तो आदेश का पूर्ण विवरण क्या है और क्या सम्बन्धित अधिकारी द्वारा आदेश का परिपालन कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं। श्री एम0 आर0 सिद्दीकी मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश का पत्रांक-2205/ग्रा0 अ0 से0, दिनांक 10-8-83 अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, रायबरेली को नहीं भेजा गया। किन्तु मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण

अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश का अर्धशासकीय पत्र संख्या-2204/ग्रा0 अ0 से0/शि0 (मु0 अ0), दिनांक 10-8-82 अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, रायबरेली को भेजा गया था। इस पत्र द्वारा श्री सुधाकर शर्मा, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक, रायबरेली को उनके पैतृक विभाग को वापस करने के आदेश दिये गये थे। तदोपरान्त मुख्य अभियन्ता के पत्रांक-3318/ग्रा0 अ0 से0/शि0 (मु0 अ0), दिनांक 20-8-82 द्वारा श्री शर्मा को उनके पैतृक विभाग को वापस करने के आदेश अग्रेत्तर आदेशों तक स्थगित किये गये। श्री शर्मा को लखनऊ प्रखण्ड को स्थानान्तरित किया गया था तथा वे लखनऊ प्रखण्ड में कार्यरत हैं।

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, रायबरेली द्वारा श्री राजकुमार सिंह की कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति

110—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजकुमार सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह, ग्राम बड़ागांव, पो0 पिलुवा, जिला एटा की नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक के पद पर वेतनक्रम 200-5-250-द0 रो0-6-252-द0 रो0-8-320 में दिनांक 5-9-82 से तदर्थ रूप से 6 माह के लिए पत्र संख्या 26-केन्द्र/1-(18)/82-83 दिनांक 9 अप्रैल, 82 अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा रायबरेली द्वारा की गयी है? यदि हां तो क्या नियुक्त कर्मचारी की उम्र शासनादेश में उल्लिखित नियम के अन्तर्गत है? यदि नहीं, तो क्या अनियमित रूप से की गयी नियुक्ति को निरस्त करते हुए दोषी अधिकारी को दण्डित करने हेतु विचार किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां।

श्री राजकुमार सिंह की नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक के पद पर तदर्थ रूप से दिनांक 9-4-82 को अधिशासी अभियन्ता रायबरेली द्वारा की गयी थी। नियुक्ति की तिथि को श्री सिंह की आयु 28 वर्ष से अधिक थी। श्री सिंह की अधिक आयु में छूट मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा दिनांक 22-11-82 को प्रदान की गयी।

111—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या यह भी सही है कि उक्त अधिशासी अभियन्ता को केवल 6 माह की अवधि तक नियुक्त करने हेतु आदेश करने का अधिकार है? क्या उक्त नियुक्ति पर मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, लखनऊ का अनुमोदन प्राप्त किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त मामले की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा करा कर दोषी अधिकारी को दण्डित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

शासनादेश दिनांक 25-8-72 के तहत अधिशासी अभियन्ता को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है।

डीह वीरगंज सम्पर्क मार्ग, रायबरेली के निर्माण में भ्रष्टाचार के कारण श्री हीरालाल सिंह सहायक विकास अधिकारी का निलम्बन तथा पुनः बहाली

112—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में डीह वीरगंज सम्पर्क मार्ग पर इस प्रखण्ड में कार्यरत श्री हीरालाल सिंह द्वारा सम्पर्क मार्ग निर्माण में भ्रष्टाचार व अन्य अनियमितता किये जाने के कारण मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा 12 मई, 82 को निलम्बित किया गया था? यदि हां, तो किन आरोपों के कारण सम्बन्धित अधिकारी को निलम्बित किया गया तथा निलम्बन के पश्चात् अधिकारी को पुनः बहाल करके पुनः नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां।

मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा अपने निरीक्षण में सहायक विकास अधिकारी श्री हीरा लाल सिंह को उनके द्वारा कराये गये जनपद रायबरेली के डीह वीरगंज सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रथम दृष्टया ईंटों के प्रयोग में दर्शित अवरता एवं सम्भावित अपव्यय सम्बन्धी अनियमितताओं के आधार पर दिनांक 12 मई, 1981 को निलम्बित किया गया था। सम्बन्धित प्रकरण की जांच मुख्यालय पर स्थापित टैकनिकल आडिट सेल से करायी गयी। जांच में मु0 2,12,000/— रुपये के प्रस्तावित सोलिंग कार्य के विरुद्ध मात्र रु0 7607.45 की लागत के ईंट अवर कोटि के पाये जाने के फलस्वरूप शासकीय क्षति दर्शित हुयी जिसके लिए श्री हीरालाल सिंह, स0 वि0 अ0 ही नहीं अन्य सम्बन्धित अधिकारी भी उत्तरदायी पाये गये।

श्री हीरालाल सिंह, स0 वि0 अ0 के विरुद्ध अन्य कोई गम्भीर आरोप स्थापित नहीं पाये गये जिसके फलस्वरूप श्री सिंह को गम्भीर दण्ड दिया जाना परिलक्षित होता। अतः श्री सिंह को पत्रांक-7456 दिनांक 23-11-81 के अन्तर्गत इस आदेश के साथ पुर्नस्थापित किया गया कि दर्शित शासकीय क्षति के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही चलती रहेगी।

रायबरेली जनपद में राही-रूपामऊ-विजयपुर-खालिसपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण में मजदूरों की मजदूरी का भुगतान

113—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ओ0 पी0 कपूर सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, प्रखण्ड रायबरेली द्वारा राही-रूपामऊ-विजयपुर-खालिसपुर सम्पर्क मार्ग रायबरेली पर राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत कार्य कराया गया तथा इसके अन्तर्गत लगभग 32000/- रु0 का मस्टर रोल बनाकर भुगतान कर लिया गया है? यदि हां, तो क्या कार्यरत मजदूरों की मजदूरी दी जा चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सम्पूर्ण मामले की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां।

जी नहीं। मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। "मजदूरों की मजदूरी का अब तक भुगतान न किये जाने के कारण सहित वस्तुस्थिति पर प्रकाश डालने हेतु सम्पूर्ण प्रकरण की जांच मुख्य स्थित टेकनिकल आडिट सेल को सौंप दी गयी है। जांच उपरान्त ही अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

लखनऊ जनपद के विकास खण्ड गोसाईगंज में मुंशीगंज से केवली सम्पर्क मार्ग का निर्माण

114–श्री सन्त बख्श रावत–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड गोसाईगंज जनपद लखनऊ में मुंशीगंज से केवली सम्पर्क मार्ग का निर्माण विकास खण्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 1978-79, 79-80 में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कराया गया था? यदि हां, तो उक्त वित्तीय वर्षों में कितनी धनराशि का खाद्यान्न व्यय किया गया और मार्ग कितना बना है। क्या कई स्थानों पर मिट्टी का कार्य न कराये जाने के कारण क्षेत्रीय नागरिकों को यातायात में असुविधा होती है? यदि हां, तो शासन ने उसे पूरा करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

मुंशीगंज से केवली सम्पर्क मार्ग पर मुंशीगंज से महुराखुर्द तक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तथा महुराखुर्द से करसंडा तक विकास खण्ड द्वारा (कुल 5.867 कि0 मी0 तक) खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराया गया है। उक्त निर्मित लम्बाई के बीच में चार स्थानों पर मिट्टी न मिलने तथा स्थानीय विवादों के कारण मिट्टी भराई का कार्य उक्त योजना के अन्तर्गत नहीं कराया जा सका था। इस अवशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 25,000/- रुपये की धनराशि सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रदान कर दी गई है।

लखनऊ जनपद के विकास खण्ड गोसाईगंज तथा मोहनलालगंज में कार्यरत ग्राम्य विकास अधिकारियों का कार्यकाल तथा स्थानान्तरण

115–श्री सन्त बख्श रावत–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ के विकास खण्ड गोसाईगंज तथा मोहनलालगंज में कितने ऐसे ग्राम्य विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) हैं जो न्याय पंचायत स्तर पर निरन्तर दस वर्षों से एक ही विकास खण्ड में कार्यरत हैं? उनके स्थानान्तरण न करने का क्या कारण है? सरकार कब तक उनका स्थानान्तरण कर देगी?

श्री बलराम सिंह यादव–

विकास खण्ड मोहनलाल गंज तथा गोसाईगंज में ऐसा कोई ग्राम विकास अधिकारी नहीं है जो एक ही न्याय पंचायत क्षेत्र में 10 वर्षों से तैनात हो। इसलिए इस आधार पर किसी ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता है।

लखनऊ जनपद के ग्राम हुलास खेड़ा की पर्यटन विकास विषयक योजना

116—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या पर्यटन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद की तहसील मोहन लालगंज के अन्तर्गत ग्राम हुलास खेड़ा जहां पर सांस्कृतिक विभाग द्वारा पिछले कई वर्षों से उत्खनन कार्य किया जा रहा है, के समीप पर्यटन गृह बनाने एवं झील के सौन्दर्यीकरण करने की शासन ने इस वर्ष क्या योजना बनायी है और योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

वर्ष 1983-84 में जिला सेक्टर के अन्तर्गत हुलासखेड़ा का पर्यटन विकास विषयक योजना जिला स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा अनुमोदित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत निम्न विकास कार्य प्रस्तावित हैं।

1—मुख्य मार्ग से पर्यटन स्थल तक 5 कि0 मी0 सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण।

2—करेला झील की सफाई एवं 10 माउन्ड का निर्माण।

3—4 नौकाओं का क्रय किया जाना तथा उनका रखरखाव।

4—4 शैया वाले पर्यटन विश्राम गृह का निर्माण।

5—स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण।

6—रेस्टोरेंट की व्यवस्था व साज सज्जा।

7—कलात्मक पुल का निर्माण।

प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर योजना की अनुमानित लागत रु0 5.80 लाख आंकी गई थी। योजना के लिए जिला स्तर पर 1.27 लाख के परिव्यय का प्रस्ताव वर्ष 1983-84 में है तथा वर्ष 84-85 हेतु रु0 1.30 लाख के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। योजना के प्रारम्भिक आगणन, तैयार कराए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। आगणन की प्राप्ति पर ही शासन द्वारा वित्तीय स्वीकृति पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा। तत्पश्चात ही योजना के पूर्ण होने का लक्ष्य निर्धारित किया जा सकेगा।

श्रीमती निर्मला देवी, सहायक अध्यापिका, कन्या प्राइमरी पाठशाला पिपराइच, गोरखपुर की अवकाश की स्वीकृति तथा उनका कार्यभार

117—श्री केदार नाथ सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती निर्मला देवी सहायक अध्यापिका कन्या प्राइमरी पाठशाला, पिपराइच, जनपद गोरखपुर ने अवकाश हेतु दिनांक 2-7-69 से 30-7-73 तक कब-कब तथा कितनी-कितनी अवधि के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है और क्या वह अवकाश सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये गये? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमती निर्मला देवी, अप्रशिक्षित अध्यापिका ने दिनांक 2-7-1969 से 30-9-69 तथा दिनांक 1-10-1969 से 30-6-1970 तक अवैतनिक अवकाश का आवेदन पत्र दिया था जो सक्षम अधिकारी, द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था। इस अवकाश के स्वीकृत न किये जाने का कारण ज्ञात नहीं हो सका है। दिनांक 1-5-70 से 30-7-73 तक किसी प्रकार के अवकाश का आवेदन पत्र नहीं दिया गया था।

118–श्री केदारनाथ सिंह–

क्या श्रीमती निर्मला देवी ने दिनांक 31-7-73 को कार्यभार ग्रहण कर लिया था ? यदि हां, तो कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् उप-विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर ने दिनांक 16--8-73 को पत्र जारी कर श्रीमती निर्मला देवी को कार्य करने से रोक दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पटेल स्मारक इण्टर कालेज, पटेलनगर, भटहट, जिला गोरखपुर के कर्मचारी श्री रूदल सिंह का निलम्बन तथा निलम्बन अवधि के बकाया वेतन का भुगतान

119–श्री केदार नाथ सिंह–

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पटेल स्मारक इण्टर कालेज, पटेलनगर, भटहट, जिला गोरखपुर के प्रधानाचार्य ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री रूदल सिंह को दिनांक 5-1-81 को निलम्बित कर दिया था जिसकी जांच जिला विद्यालय निरीक्षक ने की थी ? यदि हां, तो जांच में कौन से तथ्य प्रकाश में आये ?

श्री अम्मार रिजवी–

श्री रूदल सिंह को निलम्बित कर दिया गया था, किन्तु जांच जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नहीं की गयी अतः तथ्यों के प्रकाश में आने का प्रश्न नहीं उठता।

120–श्री नन्द किशोर सिंह–

क्या श्री रूदल सिंह को गत वर्ष पुनः बहाल कर दिया गया परन्तु निलम्बन अवधि का एरियर (बकाया) वेतन अभी तक श्री रूदल सिंह को नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

हां । शिक्षा निदेशक द्वारा नियमानुसार वेतन भुगतान करने सम्बन्धी निर्देश दिये जा चुके हैं ।

प्रदेश के सहायता प्राप्त इण्टर कालेजों में उप प्रधानाचार्य की नियुक्ति

121–श्री नन्द किशोर सिंह–

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सहायता प्राप्त इण्टर कालेजों में उप-प्रधानाचार्य की नियुक्ति की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं ।

वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

गाजीपुर जनपद के ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को निर्माण हेतु आवंटित धनराशि तथा किए गए निर्माण कार्य

122—श्री राम नारायण सिंह (एडवोकेट)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में कितना धन विभिन्न मदों में वित्तीय वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में निर्माण हेतु दिया गया है? उसका विवरण तथा किये गये कार्यों की प्रगति क्या है ? क्या यह सत्य है कि इस विभाग द्वारा बनवाई गयी सड़कें, विद्यालय भवन आदि कमजोर एवं घटिया किस्म के हैं ? क्या सरकार इस विभाग द्वारा निर्माण कार्यों की टेक्निकल सेल से जांच करायगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

वित्तीय वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के प्रखण्ड गाजीपुर को क्रमशः 24,46,550/- रुपया एवं 55,89,250/ रुपये (कुल 80,35,800/— रुपया) प्राप्त हुआ था । उक्त प्राप्त कुल धनराशि के विपरीत । पशु अस्पताल की मरम्मत, 4 विकास खंड आवासीय भवन, 1 मुख्य भवन एवं 7 आवासीय भवन महिला चिकित्सालय, 9 आवासीय भवन व 1 बाउन्ड्रीवाल उद्यान विभाग, 6 प्राइमरी पाठशाला भवन, 3 जूनियर हाई स्कूल, 6 पशु अस्पताल भवन, दैवीय आपदा एवं मंडी समिति मार्गों पर 13.524 कि0मी0 सोलिंग एवं 13.299 कि0मी0 मरम्मत के कार्य के अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत लगभग 89.032 कि0मी0 मार्गों पर मिट्टी का कार्य, सोलिंग एवं पुलिया निर्माण का कार्य प्रस्तावित था । जिसमें से 4 आवासीय भवनों का निर्माण, दैवी आपदा एवं मंडी समिति मार्गों पर 13.524 कि0मी0 सोलिंग एवं 13.299 कि0मी0 मरम्मत के कार्य के अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना से सम्बन्धित मार्गों पर 48.477 कि0मी0 मिट्टी का कार्य एवं 2.483 कि0मी0 सोलिंग का कार्य पूर्ण कराया गया तथा शेष कार्य विभिन्न स्तरीय प्रगति में हैं । उक्त कार्य के विपरीत अब तक कुल 42,02,430/— रुपये व्यय किया जा चुका है ।

सामान्यतः यह कथन सही नहीं है कि ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा जो भी निर्माण कार्य कराये गये हैं वह सभी कमजोर एवं घटिया किस्म के हैं । निर्माण कार्य की गुणता के सम्बन्ध में जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनकी जांच टेक्निकल आडिट सेल से करायी जा रही है ।

किसान हायर सेकेण्डरी स्कूल भभुआ, जनपद गोण्डा को मान्यता

123—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान हायर सेकेण्डरी स्कूल भभुआ, जनपद गोण्डा को सारी शर्तें पूरी होने के बावजूद भी इण्टर की मान्यता न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या विशेष परिस्थिति होने के कारण सरकार मान्यता देने की कृपा करेगी ?यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं, सारी शर्तें पूरी नहीं हैं। प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

124–श्री उमेश्वर प्रताप सिंह–

[2रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या–51 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

श्री रहमानुलहक सिद्दीकी, भूतपूर्व कामदार को जिला कृषि अधिकारी, लखनऊ के अधीन पुनर्नियुक्ति

125–श्री मोहम्मद नबी खां–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जमुना प्रसाद विधायक द्वारा अग्रसारित श्री रहमानुलहक सिद्दीकी, भूतपूर्व कामदार, सरोजनी नगर, लखनऊ का प्रार्थना पत्र उक्त श्री सिद्दीकी को पुनः सेवा में लिये जाने के सम्बन्ध में उनको दिनांक 23-2-83 को दिया गया था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नही, तो क्यों?

श्री यशपाल सिंह–

जी हां। श्री रहमानुलहक सिद्दीकी, भूतपूर्व कामदार को जिला कृषि अधिकारी, लखनऊ के अधीन पुनः सेवा में कामदार के पद पर नियुक्त कर दिया गया है।

राष्ट्रीय रोजगार योजना के अन्तर्गत देवरिया जनपद में कराए गए कार्यों पर व्यय

126–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय रोजगार योजना के तहत देवरिया जिले में जिन कार्यों को कराया गया है उसमें शासन का कितना धन व्यय हुआ है?

श्री बलराम सिंह यादव–

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत देवरिया जिले में योजना के आरम्भ में दिनांक 31 जनवरी, 1984 तक कुल 296.07 लाख रुपया नकद तथा 526 मै0 टन खाद्यान्न का उपभोग हुआ है।

कृषक इण्टरमीडिएट कालेज, मल्लूडीह, जिला देवरिया के प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धक द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच

127–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

प्रथम सत्र 1983 के पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशक को भेजी गई कार्यवाही के उपरान्त शासन को जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नही, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

तत्कालीन भूमि संरक्षण अधिकारी, मथुरा (श्री आत्माराम) के विरुद्ध आरोपों की जांच

128—श्री रुद्र प्रताप सिंह तथा श्री श्याम नारायण तिवारी—

दिनांक 7 फरवरी, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 160 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या क्षेत्रीय विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तत्कालीन भूमि संरक्षण अधिकारी, मथुरा (श्री आत्माराम) के विरुद्ध आरोपों की जांच पूर्ण हो गयी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां,

जांच रिपोर्ट में कतिपय बिन्दुओं पर श्री आत्माराम को दोषी पाया गया है, जिन पर श्री आत्माराम से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है। जांच रिपोर्ट एवं स्पष्टीकरण पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा रहा है एवं शीघ्र ही उस पर समुचित कार्यवाही की जायेगी।

129—श्री रुद्र प्रताप सिंह तथा श्री श्याम नारायण तिवारी—

[दिनांक 17-2-84 को अतारांकित प्रश्न सं0—64 द्वारा उत्तरित।]

130—श्री रुद्र प्रताप सिंह तथा श्री श्याम नारायण तिवारी—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

माध्यमिक शिक्षा आयोग के सदस्य

131—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग में कौन-कौन सदस्य हैं ? क्या अनुसूचित जाति के व्यक्ति को उसमें रखा गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिज्वी—

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग में श्री नरोत्तम प्रसाद त्रिपाठी, अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य हैं :—

1—श्री जमुना प्रसाद सिंह
2—श्री सुधाकर शर्मा
3—प्रोफेसर बृजनाथ सिंह यादव
4—श्रीमती ज्ञानवती जलोटे
5—श्री ख्वाजा अली असगर
6—श्रीमती ऊषा रस्तोगी

अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति सदस्य नहीं है।

उक्त आयोग में "उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा-सेवा आयोग एवं चयन बोर्ड अधिनियम, 1982" की धारा 4 की उप धारा (2) के प्राविधानों के अनुसार सदस्यों की नियुक्ति की गई है। इन प्राविधानों में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व हेतु किसी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।

लखनऊ जनपद के विकास खण्ड गोसाईगंज तथा मोहनलाल गंज के पंचायत सेवकों का कार्यकाल तथा स्थानान्तरण

132—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के विकास खण्ड गोसाईगंज तथा मोहनलालगंज में कितने पंचायत सेवक ऐसे हैं जिन्हें इन विकास खण्डों में कार्य करते हुए दस वर्ष से अधिक हो गया है ? उनका स्थानान्तरण न करने का क्या कारण है ? सरकार कब तक उनका स्थानान्तरण कर देगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

लखनऊ जनपद के विकास खण्ड मोहनलालगंज में कोई भी पंचायत सेवक (ग्राम्य पंचायत अधिकारी) दस वर्ष या इससे अधिक की अवधि से कार्यरत नहीं है । विकास खण्ड गोसाईं गंज में दो पंचायत सेवक (ग्राम्य पंचायत अधिकारी) दस वर्ष से अधिक की अवधि से कार्यरत हैं । इनके स्थानान्तरण का कोई प्रशासनिक औचित्य नहीं पाया गया है ।

उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय में संख्या सहायक के पदों पर नियुक्ति

133—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या पर्यटन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उ0 प्र0 पर्यटन निदेशालय में संख्या सहायक के पद पर उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से पत्रांक सं0 527 (1)/65/सेवा-9/81-82 दिनांक 1-9-82 द्वारा चयनित कराये गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

नियुक्ति नहीं की जा सकी क्योंकि वर्ष 1978 से तदर्थ रूप से कार्यरत संख्या सहायकों ने लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के विरुद्ध उच्च न्यायालय, लखनऊ में रिट याचिका दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया । माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा ।

134—136—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

137—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

138—139—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

माध्यमिक शिक्षा के शिक्षण तथा निरीक्षण शाखा के अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) तक के पदों का पर्वतीय क्षेत्र का संवर्ग तथा पर्वतीय सेल का कार्यालय

140—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजाज्ञा संख्या 9299/पन्द्रह-2-80-27(37) दिनांक 25-11-80 के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के निरीक्षण एवं शिक्षण शाखा के पदों के संवर्गों का विकेन्द्रीकरण तथा अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) तक के

पदों का पर्वतीय क्षेत्र का अलग संवर्ग बनाया गया है? क्या यह सही है कि शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश शिक्षा पर्वतीय सेल अनुभाग, इलाहाबाद के पत्रांक पर्वतीय सेल/502-24/154(1)/81-82 दिनांक 19-8-81 के द्वारा प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा के समस्त राजकीय अध्यापकों, कर्मचारियों तथा अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) तक के अधिकारियों से पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र के विकल्प आमंत्रित किए गये हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त योजना का कार्यान्वयन पूर्ण हो चुका है, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां । शिक्षण तथा निरीक्षण शाखा के अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) तक के पदों के संवर्गों के अनुसार विकल्प मांगे गये थे । योजना का कार्यान्वयन हो रहा है ।

141–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के पर्वतीय सेल के कार्यालय अभी तक पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित नहीं किये गये हैं, यदि हां, तो इसकी क्या वजह है और कब तक ये कार्यालय पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित कर दिये जायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी–

पर्वतीय सेल का कोई स्वतंत्र कार्यालय नहीं है, इसलिए इसे पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती चन्द्रमुखी, अवकाश प्राप्त सहायक अध्यापिका, एन0ए0के0पी0 इण्टर कालेज फर्रुखाबाद का पेन्शन निर्धारण तथा अन्य देयों का भुगतान

142–श्री बिमल प्रसाद तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्रीमती चन्द्र मुखी सहायक अध्यापिका, एन0ए0के0पी0 इण्टर कालेज, फर्रुखाबाद ने जून, 1980 में अवकाश ग्रहण किया था? यदि हां, तो क्या इनकी भविष्य निधि, बीमा निधि एवं पेंशन की धनराशि का निर्धारण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों? इस विलम्ब के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

जी0पी0एफ0 का भुगतान रु0 835.00 का चेक श्रीमती मिश्रा के खाते में जमा कर दिया गया है। अवशेष पी0 एफ0 के भुगतान के पत्रजात विद्यालय द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । सामूहिक जीवन बीमा के पत्रजात भारतीय जीवन बीमा निगम कानपुर को भेजे जा चुके हैं ।

पेंशन पत्रजात अपूर्ण होने के कारण विद्यालय को वापस कर दिये गये हैं, जो अभी तक अप्राप्त हैं । दिनांक 24-1-84 को वाहक द्वारा विद्यालय को स्मरण कराया गया है, विलम्ब के लिये मूलतः अध्यापिका ही उत्तरदायी हैं । उन्होंने विद्यालय से अनुरोध किया था कि उनका वेतन निर्धारण हो जाने के बाद ही उनके पेंशन पत्रजात प्रेषित किये जायें । पेंशन निर्धारण के बाद बुलाने पर भी वे आयीं नहीं तथा लिखित सूचना लेने से इन्कार कर दिया । विद्यालय द्वारा रजिस्ट्री से पत्र भेजने पर वे आयीं और तब 1983 में उन्होंने पेंशन प्रपत्र पर हस्ताक्षर किये ।

नारायण आर्य कन्या पाठशाला इण्टर कालेज, फर्रुखाबाद की शिक्षिकाओं का वेतन निर्धारण

143—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि नारायण आर्य कन्या पाठशाला इन्टर कालेज, फर्रुखाबाद की बारह शिक्षिकाओं का 1979 से लागू नया वेतनमान अगस्त, 1983 तक निर्धारित नहीं किया गया है? यदि हां, तो इस विलम्ब का क्या कारण है तथा इसके लिये दोषी कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं, सभी शिक्षिकाओं का वेतन निर्धारण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

चमोली जनपद के बेसिक परिषदीय विद्यालयों तथा जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पद

144—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में बेसिक शिक्षा में प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों में कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं? इन रिक्तियों को पूर्ण किये जाने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद चमोली में बेसिक परिषदीय विद्यालयों में कुल 150 अध्यापकों के पद रिक्त हैं। जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त पदों की व्यवस्था प्राइमरी पाठशालाओं के उपयुक्त अध्यापकों की प्रोन्नति से तथा प्राइमरी स्कूलों के रिक्त पदों की व्यवस्था जनपद में उपलब्ध बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थी की नियुक्ति से की जा रही है। रिक्तियों को भरने के लिये कुछ बाहरी जनपदों के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की भी नियुक्तियां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, चमोली द्वारा की जा रही है।

जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा स्कूलों के भवन निर्माणार्थ अनुदान स्वीकृत करने हेतु मानदण्ड का निर्धारण

145—श्री गोपी नाथ वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के दूसरे सोमवार दिनांक 14-2-83 के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 105 के उत्तर के सन्दर्भ में शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा स्कूलों को भवन निर्माणार्थ अनुदान स्वीकृत करने हेतु कौन-कौन से मानदण्ड अपनाये जाते हैं तथा उसके अनुसार ग्राम लीलाखेड़ा, विकास खण्ड मलिहाबाद, जनपद, लखनऊ में बेसिक शिक्षा परिषद् (जिला परिषद् लखनऊ) द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूल के भवन निर्माणार्थ अनुदान कब तक स्वीकृत किया जा सकेगा ?

श्री अम्मार रिजवी–

जिला बेसिक शिक्षा समिति स्कूलों के भवन निर्माणार्थ अनुदान स्वीकृत करने के लिये विद्यालयों का चयन करने हेतु मानदण्ड स्वयं निर्धारित करती है।

जिला बेसिक शिक्षा समिति लखनऊ के चयनोंपरान्त ही प्रश्नगत विद्यालय भवन का निर्माण सम्भव हो सकेगा।

कृषि विभाग द्वारा श्री पान सिंह नेगी, सहायक विकास अधिकारी (कृषि) को नियमित करने हेतु ग्राम्य विकास विभाग से ली गयी वांछित सूचना

146–श्री कुंवर सिंह नेगी–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के पहले सोमवार के प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग द्वारा श्री पान सिंह नेगी, सहायक विकास अधिकारी (कृषि) को नियमित करने हेतु ग्राम विकास विभाग से वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही अब तक की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल सिंह–

ग्राम विकास विभाग से वांछित सूचना प्राप्त कर ली गयी है।

राजकीय इण्टर कालेज, गोपेश्वर, जिला चमोली की निष्प्रयोजित बस की नीलामी तथा नई बस की व्यवस्था

147–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज गोपेश्वर, जिला चमोली की पुरानी स्कूल बस निष्प्रयोज्य घोषित होने के उपरान्त बस 1980 में नीलाम कर दी गयी है? यदि हां, तो उसके स्थान पर नई स्कूल बस दे दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक विद्यालय को बस उपलब्ध करा दी जायेगी?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां। बस की नीलामी वर्ष 1981 में हुई।

जी नहीं।

धनाभाव के कारण।

यह बताना सम्भव नहीं है।

148–श्री कुंवर सिंह नेगी–

[दूसरे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पर्वतीय क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में स्नातक एवं प्रवक्ता वेतन क्रम में तदर्थ नियुक्तियों का स्थायीकरण

149–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों में वर्ष 1979-80 तथा उसके बाद, स्नातक एवं प्रवक्ता वेतनक्रम में तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियां की गयी है? यदि हां, तो इनकी सेवाओं को स्थायी कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

जी नहीं ।

नियमों के अनुसार तदर्थ नियुक्त शिक्षकों को स्थायी किया जाना सम्भव नहीं है ।

मैनपुरी जनपद में नवनिर्वाचित प्रधान श्री क्षेत्रपाल सिंह को पुराने अभिलेखों का चार्ज

150–श्री रघुबीर सिंह यादव–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में चुने गये नये प्रधानों में से ऐसे प्रधान कौन-कौन से हैं, जिनको अभी तक पुराने प्रधानों ने चार्ज नहीं दिया है? ऐसे पुराने प्रधानों के नाम व पते क्या हैं और उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव–

मात्र एक गांव पंचायत सुराया, विकास खण्ड एका के भूतपूर्व प्रधान श्री मुरारी लाल शास्त्री, ग्राम व पोस्ट सुराया, जिला मैनपुरी द्वारा नवनिर्वाचित प्रधान श्री क्षेत्रपाल सिंह को कुछ पुराने अभिलेख चार्ज में नहीं दिये गये हैं । अभिलेख दिलाये जाने की पुलिस कार्यवाही चल रही है ।

ग्राम सम्पर्क योजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में ग्राम हुसेनपुर सकरवारी तथा ग्राम कौरां के निवासियों के प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही

151–श्रीमती धनेश्वरी देवी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके कार्यालय में दिनांक 7-2-83 को श्री प्रियदर्शी जेतली, विधायक अकबरपुर फैजाबाद के पत्र के साथ ग्राम हुसेनपुर सकरवारी तथा ग्राम कौंरा के निवासियों का कोई प्रार्थना-पत्र ग्राम सम्पर्क योजना के अन्तर्गत डेढ़ किलोमीटर सड़क निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई है और वह ग्राम सम्पर्क मार्ग कब तक बनकर तैयार हो जायेगी?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की आगामी बैठक में उक्त प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जायेगा। गवर्निंग बाडी के निर्णयानुसार निर्माण कार्य के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी ।

चमोली जनपद में निर्मित लघु सिंचाई योजनाएं

152–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में वर्ष 1982-83 में लघु सिंचाई विभाग द्वारा लघु सिंचाई की कितनी योजनाओं का निर्माण कराया गया ? इनकी सिंचाई की क्षमता क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव–

वर्ष 1982-83 में चमोली जनपद में 38.087 कि0 मी0 पूल 161 हौज तथा 14 हाइड्रम का निर्माण कराया गया । इनकी सिंचाई की क्षमता 481 हेक्टर है ।

श्री गया प्रसाद तिवारी, सहायक अध्यापक प्राइमरी पाठशाला हरैया, बस्ती का निलम्बन तथा बहाली

153—श्रीमती कमला साहनी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विकास खण्ड योगिया के प्राइमरी पाठशाला हरैया के सहायक अध्यापक, गया प्रसाद तिवारी की बराबर गैर-हाजिरी के सम्बन्ध में मई, 1982 में तत्कालीन प्रति उप वि0 निरीक्षक योगिया ने रिपोर्ट की थी? क्या जिला विद्यालय निरीक्षक ने अगस्त, 82 में उक्त पाठशाला के आकस्मिक निरीक्षण में स0 अ0 गया प्रसाद तिवारी को अनुपस्थित पाया था ? क्या पुनः आकस्मिक निरीक्षण बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती द्वारा माह सितम्बर, में किया गया और पुनः गया प्रसाद तिवारी स0 अ0 प्रा0 पा0 हरैया को बिना अवकाश प्रार्थना-पत्र के गायब पाया गया? यदि हां, तो इन अनियमितताओं के सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

श्री गया प्रसाद तिवारी, सहायक अध्यापक, को निलम्बित कर दिया गया था और मामले में उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा जांच करायी गयी। जांच अधिकारी की संस्तुति के आधार पर अध्यापक को दिनांक 7-11-83 को बहाल कर दिया गया है।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा कार्यों का चुनाव तथा वरीयता प्रदान करने का मुख्य आधार तथा काकोरी रेलवे स्टेशन के ग्राम्य जेहटा तक कच्ची सड़क को पक्का किये जाने की मांग

154—श्री गोपीनाथ वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के दूसरे सोमवार दिनांक 14-2-83 के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-125 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा कार्यों का चुनाव तथा पंजीकृत कार्यों को वरीयता प्रदान करने के मुख्य आधार बिन्दु क्या हैं तथा प्रश्नगत कार्य को (काकोरी रेलवे स्टेशन ग्राम जेहटा तक जाने वाली कच्ची सड़क को पक्का किया जाना) वर्ष 1982-83 में सम्पन्न न कराने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा कार्यों का चुनाव तथा कार्यों का वरीयता प्रदान करने का मुख्य आधार स्थानीय अनुभूत आवश्यकताएं तथा स्थानीय प्राथमिकतायें हैं जिस पर निर्णय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की गवर्निंग बाडी का अंतिम होगा। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि योजनाएं पूंजीपरक न होकर श्रम प्रधान हो तथा पिछले वर्षों की अपूर्ण योजनायें तथा ऐसी योजनाओं का चयन हो जिसमें यथा संभव विभागीय तथा अन्य श्रोतों से धनराशि प्राप्त करके स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन किया जा सके। प्रश्नगत कार्य में से 3 कि0 मी0 का अंश ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग तथा 3.1 कि0 मी0 जिला परिषद् द्वारा बनाया जा चुका है, परन्तु पॅटिंग का कार्य अभी तक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण नहीं हुआ।

मिर्जापुर जनपद की चोपन एवं दुद्धी भूमि संरक्षण इकाइयों के लिये धन की व्यवस्था

155—श्री उदल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि संरक्षण इकाई-चोपन व दुध्दी मिर्जापुर को डी0पी0ए0पी0 से जो धन भूमि संरक्षण के लिये मिलता था उसको ए0डी0 एम0 परियोजना मिर्जापुर द्वारा बंद कर दिए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने सचिव कृषि (श्री भूरे लाल जी) को 8 सितम्बर, 1983 को पत्र लिखा था कि इससे भूमि संरक्षण का कार्य बन्द हो जायगा अतः धन की व्यवस्था की जावे? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां। चोपन एवं दुध्दी भूमि संरक्षण इकाइयों को केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित बाढ़ोन्मुख सोन नदी के जलागम क्षेत्र में एकीकृत जल समेट प्रबन्ध की नव स्वीकृत योजना के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर धन की व्यवस्था कर दी गयी है।

कूबा उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय, आजमगढ़ को जूनियर हाई स्कूल की मान्यता

156—श्री उदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कूबा उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय, आजमगढ़ को जूनियर हाई स्कूल की मान्यता सभी शर्तों को पूरा करने के बाद भी न देने का क्या कारण है? क्या इस संबंध में शिक्षा मंत्री को प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र के साथ प्रबन्धक के प्रार्थना-पत्र को 1 सितम्बर, 83 को दिया था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत जूनियर हाई स्कूल की मान्यता के संबंध में आख्या मांगी गयी है। प्रश्न-कर्ता के पत्र के साथ प्रबन्धक का कथित पत्र प्राप्त हुआ था। प्रबन्धक को शासन के पत्र दिनांक 2-11-83 द्वारा सूचित कर दिया गया है कि स्थायी मान्यता देने के लिये मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, गोरखपुर सक्षम अधिकारी है जिससे वे पत्र-व्यवहार करें। उक्त अधिकारी को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश भी दे दिये गये हैं। प्रश्नकर्ता को भी शासन के पत्र दिनांक 6-12-83 द्वारा तदनुसार सूचित कर दिया गया है। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा सामान का क्रय तथा इसकी जांच

157—श्री दल सिंगार यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद वाराणसी में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा वर्ष 1982 में बीस लाख की सप्लाई की गयी है, वह किन-किन सामानों हेतु की गयी है ? क्या सरकार उपरोक्त धन के व्यय की जांच कराने की कृपा करेगी?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं।

जनपद वाराणसी में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा वर्ष 1982 में केवल रुपया 4,52,327.80 पैसे मात्र के सामानों का क्रय किया गया है। इसकी जांच कराई जा रही है।

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग आजमगढ़ को सड़क निर्माण हेतु आवंटित धनराशि तथा कराये गये निर्माण कार्य

158—श्री दल सिंगार यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ में 81—83 (मार्च, 81 से जून, 1983) के बीच ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को कितना धन सड़क निर्माण हेतु दिया गया है? उसमें जिले की किन सड़कों का निर्माण 81-82-83 में किया गया तथा उन सड़कों पर कितना धन व्यय हुआ है?

श्री बलराम सिंह यादव—

जनपद आजमगढ़ में मार्च, 1981 से जून, 1983 तक ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग को सड़क निर्माण हेतु मु0 29.006 लाख रु0 उपलब्ध हुआ है, जिसमें जनपद की 97.82 कि0मी0 लम्बाई में 46 विभिन्न सड़कों पर सोलिंग एवं पुलियों का निर्माण कार्य कराया गया है। कुल व्यय 29,70,600.00 लाख रु0 का है।

उपर्युक्त धन से निर्मित कराये गये सम्पर्क मार्गों के विवरण मेरे कक्ष में देखे जा सकते हैं।

श्रीमती सिद्धेश्वरी सक्सेना अवकाश प्राप्त सहायक अध्यापिका एन0 ए0 के0 पी0 इण्टर कालेज, फर्रुखाबाद का पेन्शन निर्धारण तथा अन्य देयों का भुगतान

159—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सिद्धेश्वरी सक्सेना, सहायक अध्यापिका, एन0 ए0 के0 पी0 इण्टर कालेज, फर्रुखाबाद ने जून, 1982 में अवकाश प्राप्त किया था? यदि हां, तो क्या इनकी भविष्य निधि, बीमा निधि का भुगतान एवं पेन्शन की धनराशि का निर्धारण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां,

जी नहीं,

भुगतान की कार्यवाही की जा रही है?

फैजाबाद में स्थापित 'राज्य विद्यालयी क्रीड़ा संस्थान' योजना हेतु धन का आवंटन

160—श्री निर्मल खत्री—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि फैजाबाद जनपद में स्थापित 'राज्य विद्यालयी क्रीड़ा संस्थान' योजना हेतु आवश्यक धनराशि का आवंटन किया गया है? यदि हां, तो योजना का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। केवल अधिष्ठान और कार्यालय व्यय का आवंटन किया गया है। योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा में निर्माण कार्य अपेक्षित नहीं था, जिसके कारण निर्माण कार्य के लिए बजट में प्राविधान उपलब्ध नहीं है।

श्री धनपत सिंह जिला कृषि परियोजना अधिकारी, बांदा के विरुद्ध शिकायतें तथा उनका स्थानान्तरण

161—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद बांदा में कार्यरत जिला कृषि परियोजना अधिकारी (श्री धनपत सिंह) की बांदा में नियुक्ति कब हुई? इनकी नियुक्ति से अब तक इनके विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा किन-किन पर जांच की कार्यवाही चल रही है? नियुक्ति तिथि से अब तक कितने बार कब-कब स्थानान्तरण आदेश हुए तथा कितनी बार किन-किन कारणों से स्थानान्तरण आदेश निरस्त हुए? दिनांक 28 सितम्बर, 83 को श्री सिंह का पुनः स्थानान्तरण जनपद बांदा से हो गया है क्या इस आदेश को कार्यान्वित कराया गया?

श्री यशपाल सिंह—

जिला कृषि अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी, बांदा के पद पर श्री धनपत सिंह की नियुक्ति दिनांक 11-8-79 को हुई।

श्री धनपत सिंह, जिला कृषि अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी, बांदा के विरुद्ध अब तक 20 शिकायती-पत्र (सूची संलग्न) प्राप्त हुए हैं इन सभी शिकायती पत्रों पर जांच जारी है।

उक्त पद पर नियुक्ति की तिथि दिनांक 11-8-79 के पश्चात् श्री धनपत सिंह के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 30-6-81, 21-6-82, 27-6-83, 21-9-83 तथा 28-9-83 को पांच बार किये गये। उनका स्थानान्तरण बार बार जनहित में निरस्त किया गया। दिनांक 28 सितम्बर, 1983 के स्थानान्तरण आदेश को कार्यान्वित कराया गया है।

(देखिए नत्थी "च" आगे पृष्ठ 641 पर।)

अतर्रा महाविद्यालय, बांदा के प्रवक्ता श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा की वरिष्ठता

162—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि सितम्बर, 1977 में शासन द्वारा गठित बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अतर्रा महाविद्यालय अतर्रा (बांदा) के प्रवक्ता श्री सी0 पी0 शर्मा को वरिष्ठता नहीं दी गयी? यदि हां, तो कानून परामर्शदाता की रिपोर्ट क्या थी और अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा द्वारा उनकी वरिष्ठता के सम्बन्ध में चलाया गया वाद न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है अतएव इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही किया जाना उचित नहीं समझा गया।

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय जांच आयोग द्वारा अतर्रा डिग्री कालेज अतर्रा, बांदा में बी0 एड0 प्रवेश में पायी गयी अनियमितताएं

163—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सितम्बर, 1977 में शासन द्वारा गठित बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय जांच आयोग ने अतर्रा डिग्री कालेज अतर्रा (बांदा) के बी0 एड0 विभागाध्यक्ष श्री डी0 एस0 श्रीवास्तव को छात्रों के प्रवेश में अनियमितताएं करने का उत्तरदायी ठहराया? यदि हां, तो अनियमितताएं करने के लिए दोषी व्यक्ति को दण्डित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

अनियमितताओं को बी0 एड0 प्रवेश समिति के ध्यान में ला दिया गया है और चेतावनी दे दी गयी है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न होने पाए।

अतर्रा महाविद्यालय, अतर्रा (बांदा) की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच

164—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

प्रथम सत्र 1983 के सातवें सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 19 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अतर्रा महाविद्यालय अतर्रा (बांदा) की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के लिए अतर्रा थाने में 17 अक्टूबर, को अपराध संख्या 160 दर्ज किया गया है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

पुलिस विभाग एवं सी0 डी0 सी0 आई0 डी0 विभाग, लखनऊ द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

165—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि जनपद बांदा के अतर्रा महाविद्यालय के अध्यक्ष श्री जगपत सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के लिए कोई जांच अक्तूबर, 78 से अब तक कराई गई है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

एफ0 आई0 आर0 के आधार पर पुलिस विभाग द्वारा जांच की जा रही है। जांच की कार्यवाही चल रही है।

बांदा मण्डी समिति की प्रतिकर की धनराशि में भुगतान के सम्बन्ध में रिपोर्ट

166—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

प्रथम सत्र 1983 के आठवें सोमवार के अता0 प्रश्न संख्या 119 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि बांदा मण्डी समिति की प्रतिकर की धनराशि में भुगतान के सम्बन्ध में मण्डलीय आयुक्त से रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है? यदि हां, तो भुगतान कब तक काश्तकारों को कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्नगत मामले में कोई रिपोर्ट मण्डलायुक्त से अपेक्षित नहीं है।

जिला परिषद्, बांदा को विकास कार्यों हेतु अनुदान

167–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जून, 1980 से लेकर अब तक जिला परिषद्, बांदा को कितना-कितना अनुदान किन-किन विकास कार्यों के लिए दिया गया और उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है?

श्री बलराम सिंह यादव–

जिला परिषद् बांदा को जून, 1980 से लेकर अब तक जिला परिषद् के मार्गों के रख-रखाव, मरम्मत एवं निर्माण हेतु 5,78,480 रु0 तथा शिक्षा विभाग से स्कूल भवनों की मरम्मत हेतु 4,50,000 रु0 अनुदान दिया गया । अनुदान का पूर्ण ब्यौरा संलग्न है ।

(देखिए नत्थी ''छ'' आगे पृष्ठ 642 पर ।)

बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों की क्षेत्र समितियों की सदस्यता

168–श्री प्रभूनारायण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बेसिक शिक्षा परिषद् के कितने अध्यापक क्षेत्र समितियों के सदस्य हैं ? अध्यापकों का उक्त क्षेत्र समिति का सदस्य रहने का क्या औचित्य है ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री बर्डे अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, प्रतापगढ़ के विरुद्ध शिकायतों पर कार्यवाही

169–श्री मुईद अहमद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री बर्डे अधिशासी अभियन्ता, प्रतापगढ़, ग्रामीण अभियंत्रण के भ्रष्टाचार के संबंध में प्रश्नकर्ता की कोई शिकायत 83 में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ? इसके अतिरिक्त इनके विरुद्ध क्या जिलाधीश सुल्तानपुर ने भी गबन के संबंध में शासन को कोई शिकायत भेजी है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं और शिकायतों के आधार पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां, माननीय विधायक श्री मुईद अहमद का अवर कोटि के पल्ले प्रयोग किए जाने विषयक शिकायती पत्र दिनांक 21-2-83 प्राप्त हुआ था । शिकायत की जांच मुख्यालय स्थित टेक्निकल आडिट सेल से करायी गयी । जांच आख्या के आधार पर शासकीय क्षति की वसूली एवं बरती गयी अनियमितताओं हेतु दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रगति में है ।

जी हां । जिलाधिकारी सुल्तानपुर ने अपने पत्र दिनांक 15-7-83 द्वारा सुल्तानपुर में अधिशासी अभियन्ता के पद के कार्यभार से मुक्त होने के उपरान्त भी वहां का एकाउण्ट अप्रेट करने तथा कई लाख रुपये का गोल-माल मामले में सन्निहित प्रतीत होने की शिकायत की थी जिसके आधार पर आदेश दिनांक 26-8-83 द्वारा श्री बर्डे को निलम्बित कर दिया गया । किन्तु मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा यह स्पष्ट किये जाने पर कि श्री बर्डे उनके निर्देशानुसार सुल्तानपुर प्रखण्ड में किए गए कार्यों का भुगतान कर रहे थे तथा यह व्यवस्था इसलिए करी गयी थी कि वे अधिशासी अभियन्ता, सुल्तानपुर को महालेखाकार से अधिकार पत्र अप्राप्त था, श्री बर्डे को शासन के आदेश दिनांक 9-9-83 द्वारा पदारूढ़ कर दिया गया। कतिपय अन्य अनियमितताओं के संबंध में श्री बर्डे से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महराजगंज, सुल्तानपुर हेतु भवन की व्यवस्था

170—श्री मुईन अहमद—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाराजगंज, सुल्तानपुर को खुले हुए लगभग डेढ़ वर्ष हो गया परन्तु विद्यालय के भवन निर्माण हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गयी है? यदि हां, तो विद्यालय भवन कब तक निर्मित करा दिया जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण सम्बन्धी योजनान्तर्गत निर्धारित परिव्यय में कटौती हो जाने के कारण यह बताना सम्भव नहीं है कि कब तक भवन निर्मित हो जायेगा।

राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल कोलल, मिर्जापुर की चहारदीवारी का निर्माण

171—श्री राम चरण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल कोलल विकास खण्ड मराईकलां, जनपद मिर्जापुर के चहारदिवारी का कुछ हिस्सा विगत दो वर्ष 1982 से गिरा पड़ा है ? यदि हां, तो सरकार उसे कब तक बनवाने की व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

धन की उपलब्धता एवं आगणन प्राप्त होने पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मिर्जापुर जनपद में नाचिरागी मौजा हकानीपुर कला को ग्राम सभा विशेषरपुर माफी से मिलाने संबंधित पत्र पर कार्यवाही

172—श्री राम चरण सिंह—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 1-9-83 का पत्र जो नाचिरागी मौजा हकानीपुर कला को ग्राम सभा विशेषरपुर माफी, ब्लाक जमालपुर, जिला मिर्जापुर मिलाने के सम्बन्ध में उनको प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्नकर्ता का दिनांक 4-9-83 का पत्र प्राप्त हुआ है। इस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

मिर्जापुर जनपद में भवनविहीन राजकीय हाई स्कूल

173–श्री राम चरण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद में कितने राजकीय हाई स्कूल भवन हीन हैं? क्या विद्यालय भवन बनवाने के लिए शासन की कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां, 7 विद्यालय हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

मिर्जापुर जनपद के राजगढ़ एवं चुनार में की गयी शुष्क खेती का विवरण

174–श्री राम चरण सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के राजगढ़ एवं चुनार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में शुष्क खेती के अन्तर्गत कितने क्षेत्र में खेती की गयी और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

श्री यशपाल सिंह–

जनपद मिर्जापुर के राजगढ़ एवं चुनार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में शुष्क खेती के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 में 82,530 हे0 एवं वर्ष 1982-83 में 75,827 हे0 क्षेत्र में खेती की गयी जिसका ब्यौरा संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 643 पर।)

मिर्जापुर जनपद में स्वीकृत तथा खोले गए प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूलों का विवरण

175–श्री राम चरण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982-83 में जनपद मिर्जापुर में कितने प्राइमरी स्कूल स्वीकृत किये गये? इनको खोले जाने हेतु जिला शिक्षा सलाहकार समिति ने क्या-क्या निर्णय लिया था? क्या उक्त निर्णय के आधार पर ही उक्त स्कूल खोले जा रहे हैं? यदि हां, तो स्कूल किन-किन स्थान पर खोले जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

जनपद मिर्जापुर में वर्ष 1982-83 में ग्रामीण क्षेत्र में 20 प्राइमरी और 6 जूनियर हाईस्कूल तथा नगर क्षेत्र में 2 प्राइमरी स्कूल स्वीकृत हुए।

जिला शिक्षा सलाहकार समिति का कोई सदस्य उपस्थित न होने के कारण, उक्त विद्यालयों को खोलने का निर्णय जिला बेसिक शिक्षा समिति ने चतुर्थ शैक्षिक सर्वेक्षण के आधार पर लिया।

चतुर्थ शैक्षिक सर्वेक्षण के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार निम्न स्थानों पर विद्यालय खोले गये हैं :—

प्राइमरी स्कूल

1—बेनोवर (म्योरपुर)
2—बिछरी (म्योरपुर)
3—रेहटा (म्योरपुर)
4—झापर (चोपन)
5—दिब्या (चोपन)
6—परहा (चोपन)
7—बरकसहवा (चोपन)
8—नकतवार (चोपन)
9—बरी (हलिया)
10—बसुहरी (हलिया)
11—हरदीमिश्र (मड़िहान)
12—बल्लीपुर
13—पुरौनिया (राजगढ़)
14—बेलाही (राबर्ट्सगंज)
15—धनावल (राजगढ़)
16—बहुअरा (राबर्ट्सगंज)
17—मुठेर (राबर्ट्सगंज)
18—ऊंचीखुर्द (चतरा)
19—धरती डकिवा (दुद्धी)
20—जुर्रा (बभनी)
21—नगरपालिका (चुना)
22—नगरपालिका (अहरौरा)

जूनियर हाई स्कूल

1—धौरा (राजगढ़)
2—टाप (चोपन)
3—चांचीकला (चोपन)
4—बराक (राबर्ट्सगंज)
5—देवरी (म्योरपुर)
6—महुलीक (दुद्धी)

प्रश्न नहीं उठता।

जिला शिक्षा सलाहकार समिति में विधायकों तथा सांसदों की सदस्यता तथा समिति की अध्यक्षता

176–श्री राम चरण सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी जिला शिक्षा सलाहकार समिति में स्थानीय विधायकगण एवं संसद सदस्य हैं? यदि हां, तो क्या इसकी अध्यक्षता विधायकगण अथवा सांसदों द्वारा की जाती है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां। जिला शिक्षा सलाहकार समितियों में स्थानीय विधायकगण एवं सांसद सदस्य हैं और सामान्यतः स्थानीय विधायकगण अथवा संसद द्वारा ही अध्यक्षता हिन्दी के वर्ण माला के क्रमानुसार की जाती है। कभी-कभी विधायकों/सांसदों की अनुपस्थिति के कारण अथवा विशेष परिस्थिति में माननीय विधायकों की सहमति से उक्त समिति की अध्यक्षता कहीं कहीं जिलाधिकारी द्वारा की जा रही है।

मिर्जापुर जनपद के माध्यमिक विद्यालय में बुक बैंक योजना

177–श्री राम चरण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के कितने माध्यमिक विद्यालयों में बुक बैंक योजना लागू है तथा इस योजना से शिक्षा सत्र 1981-82 में कितने छात्र लाभान्वित हुए?

श्री अम्मार रिजवी–

51 विद्यालयों में लागू है।

6110 छात्र/छात्रायें लाभान्वित हुए।

हल्द्वानी मण्डी समिति द्वारा नवीन मण्डी स्थल पर व्यापारियों को कब्जा

178–श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हल्द्वानी मण्डी समिति को निर्मित किये हुए कितने वर्ष हो गये हैं? अब तक दुकानदारों का चयनित स्थान में क्यों नहीं बसाया गया है? सरकार कब तक बसायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल सिंह–

हल्द्वानी मण्डी समिति को निर्मित हुए लगभग एक वर्ष चार महीने हो गये हैं। नवीन मण्डी स्थल में निर्मित दुकानों पर व्यापारियों को कब्जा दिया जा चुका है। अन्य प्रश्न नहीं उठते।

[समय 12 बजकर 22 मिनट]

अतारांकित प्रश्न संख्या 36 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरा एक व्यवस्था का सवाल है। मान्यवर, अतारांकित प्रश्न संख्या 36 जो मेरा है आपके माध्यम से दिनांक 5-11-82 को शिक्षा विभाग को उत्तर के लिए भेज दिया गया था। इसका अन्तरिम उत्तर 5-9-83 को आना था, उस समय भी इसका उत्तर नहीं आया। मान्यवर, आज यह पुनः निर्धारित हुआ, फिर मुख्य मंत्री का पूर्वाभ्यास कर रहे वर्तमान शिक्षा मंत्री जी उसके जबाब में फिर लिख दिये कि कि सूचना एकत्र की जा रही है, जब कि यह प्रश्न बस्ती जनपद के पूरे प्रबन्धतंत्रीय विद्यालयों के कक्षा 6 के विद्यार्थियों की फीस के रि-इम्बर्समेंट के संबंध में है। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इसको स्पष्ट बता दें कि एक निश्चित समय तक वह इसका उत्तर दे देंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शिक्षा मंत्री अतारांकित प्रश्न संख्या 36 को देखकर कार्यवाही करें।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार नगर में आवास विकास परिषद् द्वारा उपजाऊ भूमि अधिगृहीत किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत 15 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, 7 को मैंने स्वीकार किया है, माननीय नरेन्द्र सिंह भंडारी एवं माननीय कुंवर सिंह नेगी, माननीय सरदार सिंह, माननीय जसवन्त सिंह विष्ट, माननीय किरन पाल सिंह, माननीय माता प्रसाद पाण्डेय, माननीय यदुनाथ सिंह, माननीय कुबेर भंडारी की सूचनाएं मैंने स्वीकार किया है, बाकी को अस्वीकार किया है।

*श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी–

मान्यवर, जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार नगर में आवास विकास परिषद् द्वारा भवन निर्माण की योजना बनायी जा रही है, जिसके लिये ग्राम रितावपुर, शिवपुर, एवं काशीरामपुर के गरीब एवं छोटे किसानों की सिंचित उपजाऊ भूमि को लिया जा रहा है, जबकि कोटद्वारा नगर के पास ही काफी मात्रा में बंजर भूमि उपलब्ध है, जिस पर आसानी से आवासीय भवन बनाये जा सकते हैं। परन्तु फिर भी इन ग्रामों में जबरन भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जबकि इस भूमि पर हरे-भरे बाग लगे हैं, भू-स्वामी भूतपूर्व सैनिक, अवकाश प्राप्त कर्मचारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं गरीब हरिजन हैं, जिनकी एक मात्र आजीविका का साधन यह भूमि है। परिषद् के इस रवैये से इन व्यक्तियों में घोर असन्तोष, निराशा एवं आक्रोश व्याप्त हो गया है।

अतएव हम लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं सुनिश्चित प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय नगर विकास मंत्री से निवेदन करते हैं कि इन गरीब किसानों की भूमि का अधिग्रहण न किया जाय, जबकि भवन नगर में उपलब्ध बंजर भूमि पर बनाये जायं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माठ ब्रांच गंगा नहर मथुरा के चतुर्थ उपखण्ड में पानी न आने से फसलों के सूखने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सरदार सिंह–

मैं आपके माध्यम से सरकार एवं सम्मानित सदन की जानकारी में एक लोक-महत्व की घटना की जानकारी लाना चाहता हूं।

माठ ब्रांच गंगा नहर मथुरा के चतुर्थ उप खण्ड में गत एक माह से पानी नहीं आ रहा है। इस कारण इस उप खण्ड के सभी रजबहों एवं माइनर बिना पानी के सूखे पड़े हुए हैं। सम्बन्धित किसानों की फसलें बिना पानी के सूख रही हैं। गांव बरौली सेलखेड़ा, पटलौनी, कचनाऊ, नाला संजा, गढ़सौली, दौलतपुर नगला अर्जुन, कारब, बन्दी, अमीरपुर, नूरपुर, दघेंटा, बन्टीकरी, जुगसना, अबेरनी, हथकोली, ततरौता आदि गांवों की किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। प्रतिदिन अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं जिलाधिकारी, मथुरा से किसानों के प्रतिनिधि मण्डल मिल रहे हैं लेकिन रजबहों एवं माइनरों में आज तक सिंचाई विभाग ने पानी नहीं छोड़ा है। हजारों लाखों किसानों एवं उनके परिवारों की जिन्दगी का मामला है। गत फसल भी अतिवृष्टि के कारण बर्बाद हो गयी थी। यदि रबी की फसल भी इसी तरह से सूखती रही तो किसान तबाह हो जायेगा।

अतः आपके माध्यम से शासन से पुरजोर अनुरोध करता हूं कि अविलम्ब उक्त कैनाल के चतुर्थ उप खण्ड में पानी पर्याप्त मात्रा में पहुंचाने की कृपा करायें।

रानीखेत के श्री लाल सिंह पटवाल, भूतपूर्व हवलदार की हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत दिनांक 25 दिसम्बर, 1983 की सायंकाल लगभग 6-30 बजे श्री लाल सिंह पटवाल, भूतपूर्व हवलदार एवं सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता, जोरासी को तीन व्यक्तियों द्वारा मारा गया है और उनकी लाश लगभग आधा किलोमीटर दूर मिली। अपराधियों ने मृतक का सिर गायब कर दिया है और अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गये हैं। अपराधियों को पहचान लिया गया है। वे मृतक की बन्दूक, रेडियो, टेप रिकार्डर तथा नकदी लेकर फरार हैं। तीन दिन तक लाश का चालान नहीं किया गया। अपराधियों के अभी तक गिरफ्तार न होने से जनता में भय व्याप्त है। मैं उक्त मामले को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से तुरन्त अपराधियों के पकड़ने व दण्ड देने की व्यवस्था कराने की मांग करता हूं।

बुलन्दशहर में एरोलीन नामक कीटनाशक दवा से फसल के जलने से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री किरनपाल सिंह–

महोदय, जनपद बुलन्दशहर के अन्दर कृषकों को गेहूं की फसल को लाभान्वित कराने के लिये एरोलीन नामक रसायन प्रशासन द्वारा जबरदस्ती बेचा जा रहा है। प्रशासन के अधिकारी यह कहकर उक्त रसायन को कृषकों को दबाव डालकर बेच रहे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री किरनपाल सिंह]

है कि यह कीटनाशक व खरपतवार मारक दवाई है। कृषकों ने उक्त एरोलीन का अपनी रबी की फसल पर विशेष तौर से गेहूं पर छिड़का तो गेहूं की फसल ही जल गयी। इस प्रकार से जनपद बुलन्दशहर के कृषकों की गेहूं की फसल के भारी पैमाने पर नष्ट हो जाने की वजह से कृषकों में भारी असन्तोष है तथा दुख है। कृषक अपनी जली हुई फसल का नमूना लेकर जिले के कोने-कोने से जिलाधिकारी के पास पहुंच रहे हैं। मालूम पड़ता है कि उक्त एरोलीन नामक दवाई कोई मिलावटी रसायन है जिसकी वजह से गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि उक्त मामले की जांच करायी जाय तथा जोरजबरदस्ती करने वाले अधिकारियों को दण्डित किया जाय व किसानों को नष्ट हुई फसल का मुआवजा दिलाया जाय।

बस्ती जनपद में माध्यमिक शिक्षा परिषद् के परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री माता प्रसाद पाण्डे–

मान्यवर, बस्ती जनपद में विगत कई वर्षों से हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के परीक्षा केन्द्र निहित स्वार्थी और नकल कराने की सुविधा के उद्देश्य से जनपद के 90 प्रतिशत प्रधानाचार्यों द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारकों को धन देकर निर्धारित कराया जाता रहा है। इस वर्ष भी जनपद बस्ती में 54 परीक्षा केन्द्र मिश्रित व 54 व्यक्तिगत छात्रों के परीक्षा केन्द्र हैं। 5000 रुपये से लेकर 15000 रु0 लेने के बाद निर्धारित किये गये हैं। इससे शासन द्वारा निर्धारित मानकों की उपेक्षा की गई है। पड़ोसी राज्य नेपाल से परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के परीक्षा केन्द्र का निर्धारण 40 हजार रुपये लेकर किया गया है। जिन विद्यालयों ने धन नहीं दिया है उनके बच्चों को 50-50 किलोमीटर दूर असुविधाजनक स्थानों पर परीक्षा केन्द्र निर्धारित किये हैं। उल्लेखनीय है कि बस्ती जनपद में विगत कई वर्षों से नकल कराने वाले परीक्षा केन्द्रों की जांच भी होती रही परन्तु वे अपनी होशियारी से पकड़ से बाहर हो जाते रहे हैं।

अतएव आपके माध्यम से शासन से अनुरोध है कि बस्ती जनपद के सम्पूर्ण निर्धारित परीक्षा केन्द्रों का मानक के आधार पर पुनः निरीक्षण कर पुनः परीक्षा केन्द्र निर्धारित करने का कष्ट करें।

मिर्जापुर जनपद में चुनार के पत्थरों के लिये पाषाण संग मोहाल तोड़े जाने से उत्पन्न बेकारी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, मिर्जापुर चुनार का पत्थर देश में ऐतिहासिक गौरव की बेमिसाल प्रतीक है। जिन पत्थरों को वहां के पिछड़े छोटे बिरादरी के हरिजन, बिन्द, कोल, खरवार, बैगा, बियार, आदि छोटी खनिया से कमाई कर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते रहे हैं। उसी जगह वह मजदूर कुशलतापूर्वक इमारती पत्थरों को निकालने में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवीण हैं। अब शासन पाषाण संग मोहाल तोड़कर माइनर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिनरल एक्ट के अन्तर्गत संचालित करने पर तुली है। वहीं पर डाला में मुख्य मंत्री और तमाम प्रभावी लोगों द्वारा क्रेशर प्लान्ट के सभी नियमों को ताक पर रखकर जिला प्रशासन द्वारा दिया गया है। जबकि यह अंधेर नगरी चौपट राजा की प्रतीक है जिससे वहां के चार लाख मजदूरों में भीषण असन्तोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से आग्रह है कि मिर्जापुर जनपद में चुनार के पत्थरों के ऐतिहासिक गौरव को कायम करने के लिये पाषाण संग मोहाल ही कायम रहने दें।

बस्ती जनपद में इटावा थानान्तर्गत ग्रामों में सामन्तों द्वारा हरिजनों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कुबेर भण्डारी–

मान्यवर, बस्ती जनपद के इटवा थानान्तर्गत ग्राम भदोखर व दबेरुआ थानान्तर्गत ग्राम मदरहवा में पुराने सामन्तों को शक्तिशाली लोगों द्वारा निरन्तर हरिजनों का उत्पीड़न किया जा रहा है। ग्राम भदोखर में विगत 7 वर्षों में 8 व्यक्तियों द्वारा जबरिया सामंती प्रवृत्ति के लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन भी कराया गया। शासन द्वारा बंजर की जमीन इन लोगों को पट्टा दिये जाने के बाद ग्राम के शक्तिशाली लोगों द्वारा उस पर इन्हें कब्जा नहीं करने दिया जा रहा है। भदोखर में तो इस स्तर पर उत्पीड़न हो रहा है कि गांव के हरिजन अगल-बगल के किसी गांव में मजदूरी भी नहीं करने पा रहे हैं। उनके पट्टे की जमीन पर बोई हुई फसलों को पुलिस की साजिश से गांव के शक्तिशाली व्यक्ति काट रहे हैं। शासन द्वारा कब्जा दिलाने के बाद भी उनको आज तक उस पर उनकी बोई फसल को काटने नहीं दिया जाता है। हरिजनों ने बताया है कि उनके ऊपर यह दबाव डाला जा रहा है कि विगत कई वर्षों की भांति यदि वह धर्म परिवर्तन कर लें तो उनकी फसल व जमीन उनको दी जा सकती है। भयवश हरिजन गांव छोड़कर भाग रहे हैं।

अतएव शासन से मांग है कि उक्त घटनाओं की उच्चस्तरीय जांच कराकर हरिजनों को राहत दिलावें।

नियम 301 की सूचनाओं के उत्तर सम्बन्धित मंत्री द्वारा न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

औचित्य के प्रश्न पर मुझे दो सूचनायें प्राप्त हुई हैं। एक तो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त की है दूसरी माननीय सरदार सिंह की है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं औचित्य प्रश्न के माध्यम से नियमों की अवहेलना के सम्बन्ध में एक गम्भीर बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। मान्यवर, आपके द्वारा जो समय-समय पर जारी किये गये करण हैं। अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधान सभा का षष्ठ (संस्करण) के 14(1) को देखने की कृपा करें। जो मान्यवर, 301 में सूचनायें हम पढ़ते हैं उन सूचनाओं पर शासन द्वारा कैसे कार्यवाही की जायेगी इसका समावेश इसमें किया गया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

मान्यवर, 14(1) में व्यवस्था की गयी है कि जो सूचनायें शासन को भेजी जायेंगी उन पर सात दिन के अन्दर उत्तर मिलेगा और कृत कार्यवाही द्वारा एक महीने में सूचित किया जायेगा। इसमें इस बात की भी मान्यवर, जानकारी दी गयी है कि यह हमारा संसदीय अधिकार है और सदन की गरिमा की बात है। जिस सदस्य से सम्बन्धित मामला है उसका उत्तर आना चाहिये। लेकिन मान्यवर, शासन द्वारा अनेक बार उल्लंघन किया जा रहा है। जो संसदीय नियम हैं जो आपके द्वारा जारी किये गये करण हैं, उनकी अवहेलना की जा रही है। मान्यवर, 301 के अन्तर्गत सूचना दी थी सीतापुर की। जिसमें बिजली की व्यवस्था के बारे में सम्पूर्ण उत्तर बिजली ऊर्जा मंत्री द्वारा मिलना चाहिए था मान्यवर, उसमें उस प्रश्न का उत्तर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा दिया गया है। मैं समझता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के द्वारा ऊर्जा मंत्री से सम्बन्धित उत्तर देकर संसदीय परम्पराओं की अवमानना हुई है। आपके करण की अवमानना हुई है। इस एक उदाहरण के द्वारा मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे पास ऐसी सात सूचनाएं हैं जिनमें माननीय मुख्य मंत्री जी के स्थान पर दूसरे मंत्रियों ने उत्तर दिया है। तो मान्यवर, सदन की अवमानना के सम्बन्ध में यह एक उदाहरण सामने लाकर मैं व्यवस्था चाहता हूं।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने यह जो हमारा करण है, इसका चौदहवां अध्याय पढ़ा जिसके अन्दर लिखा है कि दी गयी सूचना का उत्तर कोई मंत्री सदन में देने के लिये बाध्य नहीं है, लेकिन यदि वह चाहे तो उत्तर दे सकता है। सम्बन्धित मंत्री ऐसी सूचना के सम्बन्ध में जांच कराकर अपने हस्ताक्षर से उत्तर देंगे, लेकिन इसके बाद भी रिलेवेन्ट हिस्सा है। यही सही है, इसमें लिखा है कि सम्बन्धित मंत्री देंगे। मान्यवर, मंत्री क्या है, मंत्री की परिभाषा के लिये मैं नियमावली के "ख" की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। इसमें जो पहला अध्याय है उसमें मंत्री का तात्पर्य परिषद् के किसी सदस्य से है एवं उसमें राज्य मंत्री, उप मंत्री भी सम्मिलित हैं, जिसको भी मंत्री नियमों के अन्तर्गत सौंपेगा, वह अपने कर्तव्य का पालन करेगा। अगर किसी मंत्री को कोई पावर डेलीगेट कर दी जाती है तो वह मंत्री वह कार्य दूसरे मंत्री से करा सकता है। यह कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी का प्रश्न है।

मान्यवर, इसी तरह से इस कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी के बारे में मैं एक मिसाल देना चाहता हूं—यह है उत्तर प्रदेश विधान सभा की अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन। मान्यवर, इसके 163 के नम्बर 11 में लिखा है कि मंत्रिमण्डल की संयुक्त जिम्मेदारी होने के कारण सरकार की ओर से कोई भी मंत्री उत्तर दे सकता है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि किस तरह से ये आंकड़ों का उलट-फेर कर सारे सदन को गुमराह कर देते हैं यह पत्र जिसके बारे में इन्होंने कहा यह हमारे जिले से सम्बन्धित है। यह 19-9-83 का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पत्र है, आप देखें राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने 19-9-83 को लिखा है, जिसका हवाला इन्होंने दिया । जो संलग्न पत्र की बात कही मुख्य मंत्री जी के, वह 10 फरवरी, 1984 का है।

मान्यवर, आपको याद होगा कि आपके कक्ष में एक बैठक हुई थी जिसमें कहा गया था कि अक्सर जवाबों में देर हो जाती है, अतः किसी एक मंत्री के सुपुर्द यह काम कर दिया जाय ताकि सारी चीजें समय से आ सकें। उसमें यह तय हुआ था कि संसदीय कार्य मंत्री ये उत्तर देंगे। मा0 अध्यक्ष जी, यह माननीय मुख्य मंत्री जी का पत्र है जिसमें उन्होंने कहा है कि माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के कार्यालय में दिनांक 17 मार्च, 1983 को हुई बैठक के सन्दर्भ में संसदीय कार्य मंत्री इन सबके लिये आथोराइज है। इस प्रकार 19 मार्च, 1983 को अधिकृत किया गया। जब पत्र लिखा माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने उस समय ऊर्जा मंत्री माननीय मुख्य मंत्री जी थे । इसके बाद उस समय जो ऊर्जा विभाग था, वह माननीय श्री ब्रह्म दत्त जी के साथ जोड़ दिया गया था। यहां पर जो हमारे नियम हैं तथा जो कारण है, उसकी अवहेलना कहीं पर भी नहीं हुई है।

मान्यवर, आपका जो नया करण है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा उसके अन्दर मंत्री शब्द के बारे में 14 (1) को देखें, उसमें लिखा है—"इस अध्याय के अधीन किसी सूचना का सदन में उत्तर देने के लिये कोई मंत्री बाध्य नहीं है, किन्तु मंत्री ऐसी" इसमें मंत्री शब्द को निकाल दिया गया है— कोई भी मिनिस्टर किसी दूसरे मिनिस्टर का उत्तर दे सकता है, यह एक प्रकार से कलेक्टिव रिसपान्सबिलिटी भी है । वैसे भी जो यह लिखा गया है, बैठक में निर्णय लेने के बाद ही लिखा गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने तारीखें नहीं देखी हैं, मैं चाहूंगा कि वह तारीखें देख लें । इसमें कहीं भी नियमों की अवहेलना तथा करण की अवहेलना नहीं हुई है ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी के औचित्य के प्रश्न को देखा तथा उस पर उनको सुना । दूसरी ओर मैंने इस पर संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना । जहां तक संयुक्त उत्तरदायित्व के आधार पर संसदीय कार्यमन्त्री जी का उत्तर है, मेरे विचार से वह गलत नहीं है । फिर भी मैं चाहूंगा कि संबंधित विभाग के मन्त्री यदि अपना उत्तर दें, तो यह और बेहतर होगा। भविष्य में जहां तक सम्भव हो सके, इस पर संसदीय कार्य मंत्री जी आप विशेष ध्यान दें । जहां तक माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी के औचित्य का प्रश्न है, उसे मैं अस्वीकार करता हूं ।

श्री मसरूर जाफरी—

मान्यवर, परिवहन मंत्री जी के संबंध में . . . .

श्री अध्यक्ष–

मैंने परिवहन मंत्री जी से टेलीफोन पर बात भी करने की कोशिश की, किन्तु उनसे मुलाकात नहीं हो पायी। आप बैठ जांय।

सत्रकाल के समय जिला स्तर की बैठक बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, आप आपकी पीठ से कई बार यह आदेश कर चुके हैं, कि जब सेशन चल रहा हो, तो उस समय कोई भी अधिकारी, जिसमें इस सम्मानित सदन के माननीय सदस्य भी हों, बैठक नहीं बुला सकता है, इसके बावजूद भी अधिकारी आपके आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। अभी दिनांक 22 फरवरी, 1984 को ब्लाक बलदेव में बैठक बुलायी गयी है। मैं चाहूंगा कि आप इस बैठक को निरस्त कर दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय सरदार सिंह जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, उसके बारे में मुझे निवेदन करना है कि आप दिनांक 22-2-1984 को जो बैठक की तारीख निश्चित की गयी है, उसे निरस्त कर दें। पहले भी इस प्रकार के कई निर्णय हो चुके हैं कि जब हाउस चल रहा हो, तो कोई भी अधिकारी बैठक नहीं बुलायेगा। मैं देख रहा हूं कि उन निर्णयों का पालन नहीं किया जा रहा है। भविष्य में आप इस बात पर विशेष ध्यान दें। किसने यह मीटिंग बुलायी है और क्यों बुलायी उसकी जांच करने के बाद आप उससे मुझे अवगत करायेंगे। जहां तक माननीय श्री सरदार सिंह जी के औचित्य का प्रश्न है, उसे मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, कब तक इस पर माननीय सदस्य कहते रहेंगे और कब तक आप इस पर अपना निर्णय देते रहेंगे। इसकी भी तो कोई सीमा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

आप सही कहते हैं।

(शोर)

सदन में लगे माइकों के छोटे होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री निर्मल खत्री–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन में जो माइक लगे हैं वह छोटे हैं। इस आदरणीय सदन में कुछ माननीय सदस्य लम्बे, जैसे हमारे भाई श्री मुख्तार अनीस जी हैं, उन्हें माइक पर बोलने में असुविधा होती है, मैं चाहूंगा कि आप इन माइकों के हेड को लम्बा करने की व्यवस्था कर दें।

श्री अध्यक्ष–

यह विचाराधीन प्रश्न है।

(शोर)

दैनिक जागरण में छपे कतिपय सदस्यों के बयान के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(श्री अकबर अहमद के खड़े होने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अध्यक्ष जी, आप पहले श्री अकबर अहमद जी को सुन लें। उनके उपरान्त यह जो कार्यसूची का आइटम नं0 4 है, विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं, इस पर मैं कुछ कहना चाहूंगा, मुझे इजाजत दे दीजिएगा।

श्री अकबर अहमद–

[* * *]

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं। यह नियमों के अनुसार नहीं है।

श्री अकबर अहमद–

[* * *]

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप नियमानुसार नहीं बोल रहे हैं। कोई बात नहीं लिखी जायेगी। आप बैठें।

आप पहले इसकी बाबत कोई सूचना लिखकर दें, तब मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है, सुन लें।

(श्री अकबर अहमद हाउस के फ्लोर पर आकर बोलने लगे।)

[* * *]

श्री अध्यक्ष–

श्री अकबर अहमद, अपने स्थान जायें।

(श्री अकबर अहमद अपने स्थान पर वापस चले गये।)

मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था न करें। बिना आज्ञा के बोलते रहना यह गलत बात है। जो सही पद्धति है, उस हिसाब से चलें।

*श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, मैं तो आपकी आज्ञा सबसे अधिक मानता हूं। दुनिया में अगर मैं किसी की बात ज्यादा मानता हूं, तो वह आपकी। लेकिन आप कह रहे हैं कि अव्यवस्था फैला रहे हों। मैं कहना यह चाहता हूं कि इस विधान सभा के अन्दर हम लोगों को कार्य करने के लिये जो पैड दिया है, जिस पर लिखा है सदस्य विधान

नोट– [XX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुख्तार अनीस]

सभा उत्तर प्रदेश। मान्यवर, इस तरह से इसका कोई नाजायज इस्तेमाल नहीं हो सकता है। मान्यवर, बहुत से ऐसे विधायक सदन के अन्दर हैं, जो कहते हैं कि हमने आज तक कोई जाली दस्तखत नहीं बनाये। उनके नाम से दैनिक जागरण में बयान छपा है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि दस्तखत हुए, दूसरी तरफ बयान दिया जा रहा है कि हस्ताक्षर ही नहीं किये।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है।

आप पहले लिखकर दें।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, आप दैनिक जागरण दिखवा लीजिए, उसमें स्पष्ट छपा है।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे दें, आप बैठें।

श्री राम गोविन्द–

मान्यवर, माननीय मुख्तार अनीस जी का व्यवस्था का सवाल तो सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

वह व्यवस्था का सवाल नहीं है। मैं उस पर आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, निवेदन तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें। मैंने राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को बुला लिया है। माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे अपने-अपने स्थानों पर बैठें।

विधायक श्री गहलौत एवं श्री कर्दम के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं मद संख्या-4 की बाबत आपसे जानकारी करना चाहता हूं–यह है विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं। मान्यवर, आपको स्मरण होगा कि 14 तारीख को श्री मन्जूर अहमद माननीय सदस्य मेरठ, जो यहां पर भाषण देने के लिए खड़े हुए थे, उनको इस सदन में जबरिया बिठवाकर के फिजीकल ताकत इस्तेमाल करके, उनको भाषण देने से रोकने का प्रयास किया गया है। उस समय मैंने इस सदन के दो माननीय सदस्यों श्री गहलौत और श्री कर्दम इन दोनों सदस्यों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपकी बात समझ ली।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

पूरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

मैं निर्णय दे रहा हूं उस पर, यह सदन के सम्मुख हुआ था।

मैं इस पर आपको बताना चाहूंगा कि आज ही प्रातः काल मेरे पास संबंधित पत्रावली आयी थी। मैंने मंजूर साहब को और जिन्होंने विशेषाधिकार के बारे में सूचना दी है उनको, कर्दम साहब को और इसके अलावा तीसरे सदस्य गहलौत साहब को अपने कक्ष में बुलाकर के बात करूंगा। मैंने जो पद्धति अपनायी है, उसके हिसाब से मैं पहले बातचीत कर लूं। फिर उस पर मुझे निर्णय करने का अधिकार है। मैं संबंधित लोगों को पत्रादि भिजवा रहा हूं। उनसे बात करने के बाद, इस प्रकरण पर, निर्णय लिया जायेगा। यह विषय मेरी जानकारी में है, उस पर शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह मीटिंग कब कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष–

आज सवेरे ही यह मामला मेरे सामने आया है। समय दीजिए इसमें थोड़ा मुझ को।

गढ़वाल विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय तथा संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के बोर्ड में कार्य करने के लिये सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम का प्रस्ताव

श्री राम गोविन्द–

मान्यवर, जाली हस्ताक्षर वाले मामले पर भी तो निर्णय दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

आप इसको लिखकर दे दीजिये मैं देख लूंगा।

मद संख्या 5 के बारे में मैं यह घोषणा करना चाहता हूं कि दिनांक 12 सितम्बर, 1983 को सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसरण में–

क—गढ़वाल विश्वविद्यालय,

ख—इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तथा

ग—अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद

की सभा में कार्य करने के लिए प्रत्येक के वास्ते पांच-पांच सदस्यों;

घ—उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था के प्रशासकीय बोर्ड के लिए तीन सदस्यों, जिनमें एक महिला सदस्या भी होंगी;

ङ—चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड के लिए दो सदस्यों तथा

च—संजय गंधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो सदस्यों,

के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया :—

(1) नाम-निर्देशन प्राप्त करने की अन्तिम-दिनांक तिथि तथा समय ।	28 फरवरी, 1984 को 4 बजे अपराह्न तक ।
(2) नाम-निर्देशन पत्रों की तिथि तथा समय ।	-दिनांक 1 मार्च, 1984 को 2 बजे अपराह्न (सचिव, विधान सभा के कक्ष में)
(3) नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय ।	-दिनांक 8 मार्च, 1984 को 4 बजे अपराह्न तक ।
(4) निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान।	-दिनांक 20 मार्च, 1984 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.30 बजे तक विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

2—उक्त निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होगा ।

3—इन निर्वाचनों से सम्बन्धित नाम-निर्देशन पत्र आपको विधान सभा सचिवालय के पटल कार्यालय से प्राप्त हो सकेंगे।

श्री विद्यासागर गौटियाल—

मान्यवर, इसमें 20 मई की तारीख लिखी हुई है चुनाव के लिए। इस पर पुनर्विचार होना चाहिए । पिछले 2 वर्षों से यह चुनाव लगातार स्थगित किये जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

चुनाव, यदि आवश्यक हुआ, तो उसकी तिथि 20 मार्च, 1984 है, आप इसको देखें ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ।

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत मुझको 13 सूचनायें प्राप्त हुई हैं ।

पहली सूचना श्री सरदार सिंह के लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों और सुन्नी वर्ग के बीच संघर्ष से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की प्रदेश की इनामी कम्पनियों द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने के सम्बन्ध में है ।

तीसरी सूचना श्री कुंवर सिंह नेगी व श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी की अधीनस्थ कृषि सेवा संघ द्वारा अपनी मांगों के लिए धरना एवं अनशन करने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री मुख्तार अनीस की, प्रदेश शासन द्वारा संचालित 57 निगमों में घाटे के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना श्री जसवन्त सिंह की पुलिस विभाग में पिछले दो-तीन वर्षों से नामी डकैतों तथा अपराध प्रवृत्ति के लोगों की भरती करने के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्री जसवन्त सिंह विष्ट की भूमि विकास बैंक, लखनऊ का लाखों रुपया अधिकारियों द्वारा हड़पने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री यदुनाथ सिंह की, मिर्जापुर जिला जेल में लोकदल के सत्याग्रहियों की पिटाई किये जाने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री रेवतीरमण सिंह की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ला फैकल्टी में आगजनी की घटना के सम्बन्ध में है।

नवीं सूचना श्री राधेश्याम पटेल की इलाहाबाद में ओलावृष्टि से फसल नष्ट होने के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना श्री रियासत हुसैन की जामा मस्जिद, लखनऊ की भूमि पर एल0 डी0 ए0 द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री राम गोविन्द की भी इसी विषय के सम्बन्ध में है।

बारहवीं सूचना श्री सन्त बख्श रावत की, राजकुमार रैदास (हरिजन) निवासी ग्राम बरकोता, जिला लखनऊ की हत्या के सम्बन्ध में है।

तेरहवीं सूचना श्री शंकर सिंह, श्री सुरेश दत्त पालीवाल तथा श्री जितेन्द्र शाह की, विद्युत विभाग द्वारा बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों एवं राजकीय नलकूपों के कनेक्शन काट दिये जाने के सम्बन्ध में है।

मा0 मुख्तार अनीस व अन्य मा0 सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जैसे-जैसे उनके मामले हैं, उनको सुनता चलूंगा और जैसे-जैसे महसूस करूंगा वैसे निर्णय लेता चलूंगा। इसलिए मा0 सदस्य कृपया दो मिनट में केवल ग्राह्यता के बारे में अपनी बात को कहें।

*श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, मैंने अपनी सूचना को नियम 56 के अंतर्गत दी है। जो उत्तर प्रदेश सरकार के 57 निगम हैं, उनमें राज्य सरकार का 3 हजार करोड़ रु0 लगा हुआ है और राज्य विद्युत विभाग की केवल स्थिति यह है कि वह एक सौ करोड़ रु0 के घाटे पर जा रहा है, इसी तरह से परिवहन निगम में घाटा हो रहा है और चीनी निगम में घाटा हो रहा है तो इस प्रकार 3 हजार करोड़ रु0 में दो तिहाई रु0 तो घाटे में जा चुका है। राज्य सरकार का अब बजट पेश हुआ है, जिसमें राज्य सरकार ने अपने पास से दुबारा पैसा देकर इन संस्थाओं को जीवित किया है और दूसरी बात मान्यवर, यह है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पिछले पांच सालों से इन सारे सार्वजनिक उपक्रमों की कोई रिपोर्ट पेश नहीं हुयी है यहां पर जबकि पार्लियामेन्ट में इन सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्ट बराबर पेश होती है, घाटा बराबर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुख्तार अनीस]

पेश होता है और जिससे सारी बातें स्पष्ट होती हैं, लेकिन यहां पर सारे निगमों में व्यापक भ्रष्टाचार है, इसलिए इनकी रिपोर्ट पेश नहीं की जाती है, इसलिए इन संस्थाओं पर जनता का विश्वास उठता जा रहा है, इसलिये यह मामला बहुत ही लोक महत्व का है, इसलिए इस पर वक्तव्य शीघ्र ही दिलाया जाए हालांकि यह चर्चा बजट में होगी। फिर भी यदि यह स्पष्ट हो जाये कि इनकी रिपोर्ट पांच सालों से क्यों नहीं आ रही है ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, हमारा सिर्फ यह निवेदन है कि इस मामले को कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण एवं बजट चर्चा में भी इसकी चर्चा होगी।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, आज सुबह के समाचार-पत्र के पढ़ने के बाद, मैं समझता हूं कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि तमाम भारत के लोग स्तब्ध रह गये होंगे। जो अखबार पायनियर के फ्रण्ट पेज पर छपा है "नटोरियस क्रिमिनल्स एण्ड डेकोएट्स हैव मैनेज्ड टू गेट दमसेल्वस रिक्रूटेड इन दि पुलिस डिपार्टमेन्ट" कि उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेन्ट दो तीन वर्षों से क्रिमनल माइंडेड, तथा डाकू किस्म के लोगों की भरती कर रहा है और यह बात आज तक छिपी रही जब प्रदेश व देश की जनता को आज मालूम हुआ तो वह सारे के सारे दंग रह गये होंगे, यही वजह है कि दिन रात ला-एण्ड-आर्डर की समस्या उत्पन्न होती जा रही है। मान्यवर, जिन व्यक्तियों को दो तीन साल पहले इस सेवा में लिया गया है, उनमें से बहुत से तो ट्रेनिंग पाकर सब-इंस्पेक्टर आदि हो गये और बहुत से आज भी ट्रेनिंग पा रहे होंगे। तो मान्यवर, जनता इस सूचना को पाकर और भी डरने लगी है, वैसे ही इस विभाग का आतंक पहले से क्या कम था, परन्तु इस समाचार से जनता पर आतंक और फैला हुआ है।

रोजाना सूचनाएं अखबारों में मिलती हैं कि फलां जगह पर फलां थाने में बलात्कार की घटना हुयी और अमुक 2 व्यक्ति मारे गये तो इससे स्पष्ट हो गया कि इन वारदातों के कारण क्या हैं, जो पुलिस प्रशासन पर हावी है और इसकी जिंदा मिसाल यह है कि पुलिस आई0 जी0 जो उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा से रिटायर हो चुके हैं उनके लिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री दर-दर भटक रहे हैं क्योंकि वह उनके रिश्तेदार हैं, इसलिए मान्यवर, यह बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न है, इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए और इस तरह के मामलों पर यदि समय रहते विचार नहीं किया गया और चर्चा न की गयी तो यह समस्या और दिनों दिन बढ़ती ही जायेगी, इसलिए इस पर मान्यवर, वक्तव्य दिलवा दें। मान्यवर, पुलिस में अपराधी और डकैत लोग घुस गये हैं तो इसकी खुलासा जांच होनी चाहिए। इसलिये निवेदन है कि इस पर वक्तव्य अवश्य कराया जाय।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने एक बड़ी जनरल बात कही है। यदि माननीय सदस्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई स्पेसिफिक बात कहते या ये कोई स्पेसिफिक बात वो बतायें तो उसकी जांच करायी जा सकती है परन्तु पूरे प्रदेश में जो रिकूटमेन्ट है उसकी जांच कराना कोई आसान काम नहीं है। हो सकता है कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति घुस गया हो, मान्यवर, कहीं इसके लिए रोक तो है नहीं, यदि मा0 सदस्य बतला दें तो हम उसकी जांच करा लेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, 12 सितम्बर को लोकदल के 500 आदमी मिर्जापुर जेल में भरे गये तो वहां के जेल अधीक्षक ने वहां के कैदियों को भंडारे के चेले से पिटाई करायी जिसमें तमाम लोग जख्मी हुए। मैं सत्याग्रह के संदर्भ में कई बार जेल गया हूं। कभी भी इस तरीके से पिटाई नहीं की गई परन्तु उत्तर प्रदेश की इस निकम्मी सरकार के समय में मिर्जापुर जिले में सत्याग्रहियों की बुरी तरह से पिटाई की गयी। मैंने पिछले सत्र में खून से सने कपड़ों को यहां सदन में दिखाया था। वहां 64-65 आदमियों के कपड़े इसी तरीके से खून से रंग गये थे। जिला अधीक्षक वहां पर खुले आम चौधरी चरण सिंह के मुर्दाबाद के नारे लगाता था इन्दिरा गांधी लोकपति जिन्दाबाद और कहता था कि ऐसे आदमियों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। इस तरीके से वहां अर्गला में बन्द तमाम लोगों की पिटाई की गयी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि जिस तरीके से मिर्जापुर जेल में सत्याग्रहियों की पिटाई की गयी जिससे जनता और लोक दल बहुत क्षुब्ध है और उन्हें जेल में उच्च श्रेणी भी नहीं दी गयी और पिटाई अलग की गयी। जबकि जेल में पुलिस के पास अकेले एक व्हिसिल होती है तो उन्हें व्हिसिल की जगह डंडे दिये गये वहां के जेल अधीक्षक के द्वारा जिनसे उन लोगों ने जमकर पिटाई की और जिसमें गिरजा शंकर तथा हरिहर, रवीन्द्र बहादुर, शिवधारी विन्दू, भू0पू0 विधायक आशा राम यादव एवं राम भिहारे, सुभाषा सिंह एडवोकेट आदि तमाम लोग जख्मी हो गये और लोगों के हाथ पैर टूट गये। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर अपना वक्तव्य दे ताकि उत्तर प्रदेश में और लोकदल में जो क्षोभ व्याप्त है उसमें कुछ शान्ति आ सके। साथ ही साथ मेरी यह भी प्रार्थना है कि इसकी जुडिशियल इनक्वायरी सरकार करे क्योंकि मैजिस्टिरियल इंक्वायरी से कहीं पर आज तक शान्ति नसीब नहीं हुई है।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, इस घटना के बारे में मैजिस्टीरियल इंक्वायरी-----

श्री अध्यक्ष–

माननीय यदुनाथ सिंह जी, क्या आप उस समय जेल में थे?

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, मैं तो जेल के फाटक पर ही रह गया, मुझे जेल के अन्दर जाने ही नहीं दिया गया।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, यह जो घटना हुई है इसकी मैजिस्टीरियल इंक्वायरी के आर्डर दे दिये गये हैं। वहां के जेल सुप्रीटेन्डेन्ट का ट्रांसफर कर दिया गया है। जैसे ही इंक्वायरी पूरी हो जायेगी, जो दोषी व्यक्ति होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इलाहाबाद में बड़ी विषम स्थिति पैदा हो गयी है। बब्बन सिंह नाम के छात्र को जो हिन्दू होस्टल में रहता था उसको कमरे में कुछ लोगों ने मारा और घायल कर दिया। जब उस लड़के ने पुलिस में रिपोर्ट लिखायी तो पुलिस जांच के लिए नहीं आयी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष श्री अखिलेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में रोड ब्लाक किया गया और कई घण्टे तक ट्राफिक बन्द रही। जिस आदमी ने बब्बन सिंह को मारा था, उसको गिरफ्तार करने के बजाय इन लोगों ने उलटे छात्रों के खिलाफ वारन्ट जारी कर दिया और उनकी पिटाई की। मान्यवर, 5 मार्च से इम्तहान होने वाले हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अशान्ति है और लड़कों में रोष व्याप्त है वहां पर आगजनी हो गयी है, ऐसी हालत में अगर शीघ्र कार्यवाही न की गयी तो छात्र आन्दोलन हो सकता है। मान्यवर, इस विषम स्थिति पर माननीय मंत्री जी का वक्तव्य दिलायें, जिससे पूरी स्थिति की जानकारी हो जाये।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर इस घटना की जांच की जा रही है और जो आवश्यक कार्यवाही होगी वह की जायेगी। इस संबंध में आदेश दे दिए गए हैं। माननीय सदस्य से भी परामर्श कर लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य को कान्फीडेन्स में ले लिया जाये और अपने कक्ष में बुलाकर कार्यवाही से सूचित कर दें।

*श्री रियासत हुसैन–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़े दुख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि एक तरफ तो श्रीमती इन्दिरा गांधी जी रात-दिन इस बात का प्रयास कर रही हैं और जाल में फांस रही हैं कि वह मुसलमानों के हित की बातें करती हैं। लेकिन जो घटना दिनांक 19-2-1984 को लखनऊ में घटी है उससे उनकी पोल खुल गयी है। टीले वाली मस्जिद लखनऊ की भूमि पर एल0 डी0 ए0 वालों ने जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की। उस समय हजारों की संख्या में सुन्नी मुसलमान वहां पर जमा हो गये और एल0 डी0 ए0 के मजदूरों को काम करने से रोकने का प्रयास किया। इस पर एल0 डी0 ए0 वालों ने पी0 ए0 सी को बुला लिया। पी0 ए0 सी0 और वहां पर इकट्ठे मुसलमानों में मारपीट हो गयी और दोनों तरफ के लोगों को चोटें आयीं। उस समय मुस्लिम लीडर भी वहां पर पहुंच गये। वहां पर मौलाना फजलूल रहमान, इमाम मस्जिद, जफरयाब जिलानी एडवोकेट, लारी साहेब (लोकदल), इस्तियाक हुसैन फारूकी तथा अब्दुल मुईज खां आदि लोग वहां पर पहुंच गये थे। उन्होंने शिकायत की कि एल0 डी0 ए0 लखनऊ ने इससे पूर्व भी मुसलमानों की वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया है और करने का प्रयास कर रहा है जिसमें छितवापुर कब्रिस्तान और नबी उल्ला रोड की मस्जिद भी सम्मिलित है। इस घटना के कारण लखनऊ शहर के मुसलमानों में विशेष तौर से और प्रदेश के मुसलमानों में भी रोष, क्षोभ और अविश्वास की भावना पैदा हो गयी है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर क्या कार्यवाही करेंगे। आप सारे काम रोक दें और इस पर बहस करा दें।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर कुछ कहने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

एक विषय में केवल एक सदस्य को ही बुलाया जा सकता है ।

*पंचायतीराज मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)–

मान्यवर, माननीय रियासत हुसैन जी ने जिस तरीके से इस प्रश्न को यहां पर रखा है, मैं समझता हूं कि वह उचित नहीं है । वहां पर पिछले कई महीनों से विकास हो रहा है, काम हो रहा है और काफी काम उसमें हो चुका है। जहां तक कल की घटना का सम्बन्ध है उसमें राजनीतिक लोग वहां गए जहां पर कार्य हो रहा था । जो सूचना हमको मिली उसके अनुसार जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे, उनके ऊपर हमला किया गया इसलिए हो सकता है कि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से पुलिस बुलायी गयी हो। मान्यवर, ऐसी कोई बात नहीं है। इस मामले को मैं दिखवा लूंगा । जहां तक मुझे जानकारी दी गयी है वक्फ का उस प्रापर्टी पर कोई अधिकार नहीं है और अगर कोई अधिकार है, आपकी भावनाओं की मैं कद्र करता हूं और आपकी भावनायें मेरी भावनायें हैं, मैं उसको दिखवा लूंगा उसकी छानबीन करा-ऊंगा, सारे कागजात देखूंगा और आवश्यक हुआ तो न्याय विभाग से भी जांच करवा लूंगा और यदि कोई अनुचित बात हुई होगी तो उसमें हम सख्त कार्य करने का आश्वासन देते हैं ।

श्री रियासत हुसैन–

कब तक आप कार्यवाही करेंगे, यह आश्वासन दे दें ।

श्री बलराम सिंह यादव–

शीघ्र ही मैं आपको सूचित करूंगा ।

श्री शंकर सिंह–

मान्यवर, बुन्देलखण्ड के संबंध में बड़ी गम्भीर स्थिति सामने आ गयी है । बुन्देलखण्ड के प्रत्येक जिले में जहां भी सरकारी नलकूप हैं, जो भी लिफ्ट सिंचाई कैनाल्स हैं उनके विद्युत कनेक्शन्स काट दिए गए हैं । पिछले दिनों उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड के जो चेयरमैन सान्याल हैं, उन्होंने बुन्देलखण्ड का दौरा किया था और उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि चूंकि चेयरमैन वहां गये हैं, विद्युत आपूर्ति में कुछ सुधार आयेगा। जैसा कि शासन की ओर से आदेश है कि 24 घण्टे बुन्देलखण्ड में विद्युत आपूर्ति होगी उसका कार्यान्वयन तो हुआ नहीं इसके बजाय वे वहां पर यह आदेश दे गये कि जो सरकारी नलकूप हैं, लिफ्ट सिंचाई कैनाल्स हैं, उनकी विद्युत काट दी जाय । इसके फलस्वरूप बुन्देलखण्ड में आज दस-बारह दिनों से गम्भीर समस्या खड़ी हो गयी है ।

वहां पर मान्यवर, केवल एक ही रबी की फसल होती है, किसान बहुत परेशान है, उसका गेहूं सूख रहा है। वह मुख्यालय के चक्कर लगा रहा है, हाइडिल वाले कहते हैं कि हम कनेक्शन नहीं जोड़ सकते हैं । जिला अधिकारी ने प्रयास कर लिया है लेकिन उसको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है । माननीय रणजीत सिंह जूदेव इस समय यहां पर उपस्थित हैं, 4 तारीख को जिला जालौन में उनकी अध्यक्षता में 20 सूत्रीय मीटिंग हुई थी । 20 सूत्री कार्यक्रम में सिंचाई का पहला स्थान है लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शंकर सिंह]

उनके सामने हाईडिल अधिकारी यहां पर थे, ऐसी समस्या बैठक में सामने नहीं लायी और उन्होंने विद्युत कनेक्शन कटवा दिए । पहले तो एक मंत्री बुन्देलखण्ड के थे, लेकिन अब चार मंत्री हो गए हैं और उसका नतीजा यह हो रहा है कि किसान का गेहूं सूख रहा है उसको विद्युत की आपूर्ति नहीं की जा रही है, उसको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है ।

पिछले कई दिनों से जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसके अनुसार रेलवे स्टेशनों की विद्युत भी काट दी जा रही है । परसों उरई रेलवे स्टेशन की विद्युत काट दी गयी उसके बारे में पता चला कि 11 हजार रुपया बकाया था एरियर्स का, उसी से विद्युत काटी गयी। यही हालत ट्यूबवेल वालों की है। वे कहते हैं कि हमने पैसा लखनऊ भेज दिया है । हो सकता है विद्युत विभाग को सूचना न मिली हो, इनकी कार्य-प्रणाली का दोष हो लेकिन इससे किसान सफर कर रहा है । जो किसानों को इससे क्षति हुई है क्या आप उसे पूरी कर सकते हैं ।

मैं आपसे एक और चीज मुख्य तौर पर निवेदन करना चाहता हूं । जहां पर सान्याल विद्युत बोर्ड के चेयरमैन ने किसानों के लिए लिफ्ट सिंचाई और सरकारी नल-कूपों की बिजली कटाई है वहीं पर बुन्देलखण्ड में कितने ही ऐसे निजी क्षेत्र के लोग हैं जिनके ऊपर लाखों रुपया एरियर्स का है, उनमें से एक भी प्राइवेट आदमी का कनेक्शन नहीं काटा गया है और किसानों को इस तरह से तबाह किया जा रहा है । आज वहां का किसान त्राहि-त्राहि बोल रहा है, स्टेशन पर यात्री परेशान हो रहे हैं जिला स्तर पर समस्या हल नहीं हो रही है और अशांति व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गयी है। आयुक्त महोदय के पास रिप्रजेन्टेशन गया, सरकारी आफिसर गये लेकिन कोई सुनवायी नहीं हो रही है । इसलिए मुझे आज मजबूर होकर आपसे अनुरोध करना पड़ रहा है कि सदन की कार्यवाही रुकवा कर इस पर विचार किया जाय । यह समस्या प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी है । इसलिए इसका निराकरण करने के बाद सदन की कार्यवाही शुरू की जाय क्योंकि इससे अधिक अविलम्बनीय लोक महत्व का कोई दूसरा प्रश्न नहीं हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

श्री रणजीत सिंह जूदेव जी का नाम आया है, वह यहां पर बैठे हैं क्या इस तरह की कोई समस्या वहां पर आयी ?

गृह राज्य मन्त्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)–

ऐसी कोई समस्या नहीं है ।

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय शंकर सिंह जी ने जो समस्या बताई यह वाकई बहुत गंभीर है और जो उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। मैं पूरे मामले को देखूंगा और जो विलम्ब ट्यूबवैल्स को रिकनेक्ट करने में हो रहा है दूर किया जायेगा जिनका किसानों की जोत से सीधा संबंध है। साथ ही साथ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अनुरोध है कि इसको वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लें ताकि सही स्थिति सामने आ जाय यदि किसानों के साथ ज्यादती हो रही है तो इसको जल्दी से जल्दी खतम किया जा सके।

*श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इस समय रबी की फसल तैयारी पर है। पानी की तुरन्त आवश्यकता है। वक्तव्य अपनी जगह पर आता रहे लेकिन सरकार की तरफ से यह हो जाय कि इनको तुरन्त रिकनैक्ट कर दिये जायं बाकी जो करते रहें, वह हो जाय।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, जो कनैक्शन ट्यूबवैल के काटे गये हैं जिनका सिंचाई से सीधा संबंध है उनको जोड़ा जायेगा।

श्री शंकर सिंह–

रेलवे स्टेशन का क्या होगा ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो आश्वासन दिया है वह उसको सुन लें बाकी निर्णय मैं दूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उस पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है . .

श्री शंकर सिंह–

मान्यवर, उरई रेलवे स्टेशन पर अंधेरा है वहां से होकर दूर-दूर तक की गाड़ियां जाती हैं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया है उसको देखने की कृपा करें। एक घंटा पहले इसकी सूचना दी जाती है और 10.30 बजे तक आपके कार्यलय से प्रायदर्शन में निस्तारण के बाद संबंधित मंत्री को चला जाता है ताकि इस समय तक सही जानकारी सामने आ जाय। इतना महत्वपूर्ण यह सवाल है जो बुन्देलखण्ड के माननीय सदस्य ने उठाया है जिसका संबंध बुन्देलखण्ड के जनजीवन से है। इस समय तक इसका उत्तर आ जाना चाहिये था बिजली बोर्ड यहां से 10 कदम पर है। अगर शासन की संवेदनशीलता सिंचाई के लिए होती टेलीफोन पर जानकारी लेकर सदन को बताया जा सकता था इस समय संसदीय कार्यमंत्री सदन को अवगत करा सकते थे।

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय मंत्री जी ने इसे स्वीकार किया है वक्तव्य के लिए और जिसका जिक्र माननीय नेता विरोधी दल ने भी किया है। दो ढाई घंटा हो गया है जानकारी शासन तक पहुंच सकती थी। बुन्देलखंड में सिंचाई व्यवस्थी अस्तव्यस्त हो गयी है, रेलवे स्टेशन पर अंधकार है। तीन घंटे हो गये हैं अब तक शासन जानकारी प्राप्त नहीं कर सका। इस सम्बन्ध में मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

जहां तक इन तमाम बातों का संबंध है पहले भी मैंने कहा था कि मैं 4-4 मंत्रियों को इसके बारे में अपने कक्ष में बुलाकर बात करूंगा। जब सूचना आपको मिल गयी थी तो आपको चाहिए था साढ़े 12 बजे तक या एक बजे तक संबंधित मंत्रियों को अपने-अपने विभागों से जानकारी कर लेनी चाहिये और सम्बन्धित मन्त्री को जिस विभाग से संबंधित नियम 56 की सूचना है जहां तक संभव हो सके, उत्तर देना चाहिये। मैं इस तरह का पत्र भी लिख रहा हूं और भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाय।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मुझे सिर्फ एक निवेदन करना है जैसे ही यह सूचना मिली इसकी सूचना मंगायी गयी, बुन्देलखण्ड से भी सूचना आनी है जैसे ही सूचना आ जायेगी वह आपके समक्ष रख दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

जो सूचनायें नियम 56 में मिली हैं, वह कोई नियम के अन्तर्गत नहीं है इसलिए मैं उसको अस्वीकार करता हूं। श्री मुख्तार अनीस की जो सूचना है उसको वक्तव्य के स्वीकार करता हूं।

श्री किरन पाल सिंह की सूचना के बारे में यदि निश्चयपूर्वक आपकी कोई सूची हो चूंकि आपने पत्र में लिखा है, तो पत्र के आधार पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि इस मामले में वह खास तौर से देखें।

श्री रेवाती रमण सिंह की सूचना, जो विश्वविद्यालय से संबंधित है जिसमें शासन ने कोई आश्वासन दिया है तो मंत्री जी आप उनको अपने कक्ष में बुलायें और उनकी बात को सुनें और जो भी संभव हो वह निर्णय करें।

श्री रियासत हुसैन की सूचना के बारे में मंत्री जी ने आश्वासन दिया है।

श्री शंकर सिंह और श्री सुरेश दत्त पालीवाल की सूचना का जहां तक संबंध है तो मैंने उसको वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है और बाकी को मैंने अस्वीकार किया है।

[समय 1 बजकर 20 मिनट]

वित्तीय वर्ष 1983-84 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा

श्री अध्यक्ष–

इसमें सामान्य चर्चा के लिये दो घंटे का समय है। मंत्री जी, यह 3.30 बजे (अपराह्न) तक समाप्त हो जाना चाहिए क्योंकि उसके बाद मदों पर वोटिंग ली जायेगी।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं अनुपूरक अनुदान पर बहस प्रारम्भ करता हूं और इसमें जो प्राविधान किये गये हैं, मैं उनका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, अभी थोड़े दिन पहले मुख्य मंत्री का बयान समाचार पत्रों में पढ़ा था और इस शासन के जो मुख्य सचिव हैं उनकी एक राजाज्ञा जारी हुई है, जो विभागाध्यक्षों को और जिलाधिकारियों को गया है, जिसमें मितव्ययिता के बारे में बड़े

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कठोर निर्देश दिये गये हैं। उस संदर्भ में मैंने बजट को देखा तो मुझे लगा कि वह आदेश होने के बावजूद भी उसकी किंचित भावना का ध्यान अनुपूरक अनुदानों में नहीं दिया गया है। भारत का जो संविधान है, हमारी जो नियमावली है उसके प्राविधानों के अनुसार अनुपूरक अनुदान उन मामलों में रखे गये हैं जिनके बारे में मुख्य जो बजट है उसको बताते समय उनका ध्यान नहीं आया और उसके बाद काम करते-करते यदि कोई अपरिहार्य आवश्यकता है तो विधान मंडल को विश्वास में लिये बिना कंसालीडेटेड फण्ड से खर्च कर दिया गया और स्वीकृति बाद में ली जाती है।

इसलिये हमने देखा तो करीब पूरे अनुपूरक अनुदानों में 60-70 जीपें और कारें खरीदने की व्यवस्था की गयी है और अतिथियों के स्वागत के लिए टैक्सियों की व्यवस्था हो रही है, इसलिये एक तरफ तो मितव्ययिता की बात की जाती है और दूसरी तरफ खरीदारी एवं मुख्य मंत्री के मकान को आधुनिकतम बनाने के लिये सुविधाओं और संचार के लिये 70 हजार रुपये खर्च किया जा रहा है। जबकि ध्यान देने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश का गरीब जो गरीबी की परिस्थितियों में काम कर रहा है जिसको भोजन, पानी और बिजली सस्ते दरों पर मिलने की जरूरत है किन्तु इन चीजों पर खर्च करने के बजाय सचिवालय में मंत्रियों और अधिकारियों के कक्षों को वातानुकूलित करने पर खर्च किया जा रहा है।

(इस समय 1 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री सच्चिदानन्द पीठासीन हुए।)

मान्यवर, आप क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ काम कर लेंगे लेकिन यहां बैठने के बाद यदि वातानुकूलित कमरा नहीं है तो इनको असुविधा पैदा होती है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह मितव्ययिता है। अधिकारियों की इससे एफीशियन्सी बढ़ जायेगी लेकिन यह विलासिता है। इसलिये शासन ने जो मितव्ययिता की बात किया है उसको हृदय से स्वीकार करते हुए कहना चाहता हूं कि उसको पूरा करने की कोई बात नहीं है। और खर्च भी किये गये हैं। महामहिम राज्यपाल के आचरण की हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन बजट में वही सब बातें दिखाई पड़ रही हैं, जिन बातों का संकेत नेता विरोधी दल ने राज्यपाल अभिभाषण के समय अपने वक्तव्य में व्यक्त किया था।

जब राज्यपाल दिल्ली जाएंगे तो वह राष्ट्रपति भवन में रह सकते हैं, किन्तु ऐसा न होकर उनके लिए अपने यू0 पी0 निवास में अलग से विशिष्ट व्यवस्था की जा रही है। यू0 पी0 निवास हम विधायकों और अधिकारियों के ठहरने के लिए है, लेकिन उसके एक हाल पर [***] वहां पर राज्यपाल की गाड़ी के लिये पोर्टिको, मच्छरदानी, बिस्तर, डनलपपिलो, बिस्तर, चादर व तौलिया तथा अन्य साज सज्जाओं के कामों पर एक लाख चौंतिस हजार रुपयों का प्राविधान किया गया है।

मैं जानना चाहता हूं कि इन खर्चों की क्या आवश्यकता थी ? पूरे-पूरे दो चैप्टर, जिसमें 8 लाख रुपये का खर्च किया गया है, इसके लिए दिये गये हैं। राज्यपाल के नये आवास में लिफ्ट बनाई जा रही है। यह बात समझ में नहीं आती है। राज्यपाल के कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों की सुविधाओं पर खर्च की बात तो समझ में आती है, लेकिन राज्यपाल के लिए इतने लक्जुरियस कामों पर इसके माध्यम से खर्च

[***] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

किया जाए, तो यह बात समझ में आने वाली नहीं है। कल मैं गोण्डा गया था, वहां पर राज्यपाल सचिवालय की विश्वसनीयता के बारे में पता चला। राज्यपाल सचिवालय से गोण्डा के एस0 एस0 पी0 को एक पत्र लिखा गया कि राजेन्द्र लाल श्रीवास्तव नामक व्यक्ति वहां पर एक कुख्यात दस्यु है, बहुत असामाजिक तत्व है, उसका एनकाउन्टर कर दिया जाए और इसी पत्र के आधार पर वहां की पुलिस ने उसका फर्जी एन्काउन्टर कर दिया। वह गांव प्रधान भी था लेकिन उसका इसी पत्र के आधार पर एन्काउन्टर कर डाला गया। सम्बन्धित पत्र की विश्वसनियता का अभी पता नहीं है। इस बारे में वहां पर एफ0 आई0 आर0 लिखाई गई है। पत्र गलत होगा तो वह चीज अपनी जगह अलग है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और उस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि नियमों के अनुसार कार्य संचालन नियमावली के अनुसार राज्यपाल भवन व सचिवालय के बारे में यहां पर कोई चर्चा नहीं होगी। इसके अलावा माननीय सदस्य ने राज्यपाल महोदय के एक पत्र का उल्लेख किया है, उसकी प्रतिलिपि वह आपको दे दें तभी उस पर चर्चा हो सकती है? तो इस सम्बन्ध में उन्होंने जो कुछ कहा है उसे कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं इनकी आपत्ति का उत्तर दे दूं, फिर जैसा आप उचित समझें। संविधान के अनुसार हम उनके आचरण या कंडक्ट पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अनुपूरक अनुदानों में चर्चा के समय उन बातों की चर्चा कर सकते हैं जो खर्चा उन पर कर दिया गया है। हम उन पर किये गये खर्चे तक ही सीमित रहेंगे। राज्यपाल की सुख-सुविधाओं पर जो अनाप-शनाप पैसा खर्च किया गया है और जिसकी कोई तात्कालिकता नहीं थे, उस खर्च की हम केवल आलोचना कर रहे हैं न कि राज्यपाल के कंडक्ट या आचरण की। जहां तक राजेन्द्र लाल श्रीवास्तव का सम्बन्ध है, उसके पत्र के बारे में गोण्डा कोतवाली में एफ0 आई0 आर0 लिखायी गयी है। उस पत्र से भ्रमित होकर, उस गांव प्रधान की जो राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करता था, फर्जी एन्काउन्टर दिखाकर हत्या कर दी गयी है। चूंकि उक्त पत्र की एफ0 आई0 आर0 दर्ज हो गयी है इसलिए उसकी प्रमाणिकता पर मुझे कुछ नहीं कहना है। अब आप जैसी व्यवस्था दें?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो विचार माननीय राज्यपाल जी के बारे में व्यक्त किये हैं, उनको कार्यवाही में न रखा जाए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप यह भी तो बता दें कि मैंने राज्यपाल के बारे में ऐसा क्या कहा है, जिसे निकाल देंगे। मैंने तो केवल उन पर किये गये खर्चों के बारे में ही कहा है। क्या आप उसको निकाल देंगे? यदि आप उसको निकालने की बात कहते हैं तो आप अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार कर लें?

श्री अधिष्ठाता–

इसे देख लिया जाएगा और जो भी उपयुक्त शब्द नहीं होंगे उनको निकाल दिया जाएगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

ठीक है । अभी जो कार्यस्थगन प्रस्ताव के बारे में चर्चा हो रही थी, उस समय माननीय सदस्य सीतापुर, मुख्तार अनीस जी ने एक बिन्दु उठाया था सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में, क्योंकि इस हमारे बजट में 7 उपक्रम ऐसे हैं, जिनको विशेष रूप से अनुदान दिया गया है, उनके अंशों को खरीदने की बात कही गयी है । मान्यवर, अगर पैसा आप देते चले जायेंगे और घाटा पर घाटा होता चला जायेगा तो अंत में होगा क्या ? शासन को गम्भीरता के साथ इस पर विचार करना चाहिये । मैं आपको पत्र पढ़ कर सुनाना चाहता हूं, महालेखाकार ने आपत्ति की है . . .

श्री अधिष्ठाता–

जो पत्र आप पढ़ना चाहते हैं, उसकी प्रतिलिपि आपने यहां दे दी है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

दी नहीं है, मैं बाद को दिखा दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

तो कृपया आप उसे न पढ़ें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं उसका केवल संदर्भ दिये देता हूं। 15 जुलाई, 1983 का महालेखाकार का पत्र है जिसमें उन्होंने कहा है कि कुल मिला कर 58 एजेन्सीज आपकी ऐसी हैं जिन्होंने एक वर्ष से लेकर 9 वर्षों से अपनी बैलेन्सशीट ही तैयार नहीं की है । महालेखाकार तक को वह देखने को नहीं मिली हैं, यह उनका कहना है । उन्होंने यह भी कहा है कि कम्पनीज एक्ट में यह प्राविधान है कि 6 माह के अन्दर बैलेन्सशीट तैयार हो जाना चाहिये । आडिट तक नहीं हुआ है उनका । 206 खाते हैं इस तरह के जिनकी बैलेन्सशीट तैयार नहीं है । उनमें 61 खाते इस तरह के हैं जिनकी 7 साल से बैलेन्सशीट नहीं बनी है, कुछ ऐसे हैं जिनकी 9 साल से नहीं बनी है । कई ऐसे हैं जिनकी 4 साल से नहीं बनी है । वहां बराबर घाटा होता चला जा रहा है । इस पर आपको विचार करना चाहिये उनको बन्द करना चाहिये जहां बराबर घाटा हो रहा है ।

उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास निगम की 1979-80 की बैलेन्सशीट सार्वजनिक न्यासों के पास तक अभी तक नहीं गयी है । कुल मिला कर आपका करीब 84 करोड़ रुपया इसमें इन्वाल्व है । विधान मंडल से आप पैसा पास करवा लेंगे, मगर यह तो शासन को देखना चाहिये कि उसका हो क्या रहा है? उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं ? आपने जो यह सफेद हाथी पाल रखे हैं इन पर आपको विचार करना चाहिये और घाटे वाली एजेन्सीज को बन्द कर देना चाहिये ।

मान्यवर, हमारे बजट में एक बड़ी भारी घोषणा की गयी और प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी लाल किले पर 15 अगस्त को घोषणा की थी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम योजना की । 17 करोड़ रुपया उसके लिये इसमें मांगा है पर यह सारा पैसा तो

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

आपको केन्द्र देगा, शतप्रतिशत पैसा वहां से मिलना है, फिर यह क्यों रखा है ? मूल बजट में आपने कहा है कि 26 करोड़ रुपयों की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार ने दी है। चालू वर्ष के बजट में भी आपने इसके लिये 85 करोड़ रुपया रखा है। वर्ष 83-84 में चल रहे हैं इसमें 26 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल गयी है। अनुपूरक अनुदान के लिये आपने 17 करोड़ रुपये की मांग की है तो यह क्या है आप बतायें। आपने एक और काम शुरू किया है। यह जो ग्रामीण रोजगार योजना का कार्यक्रम है उसमें एक दिक्कत है। मैं उसके बारे में एक आंकड़ा देना चाहता हूं। आपने बजट में कहा है, पिछले वर्ष एन0आर0ई0पी0 में 5 करोड़ 70 लाख मानव दिवस सृजित किये गये। इस वर्ष के पिछले 9 महीने में केवल 2 करोड़ 72 लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में आधे भी नहीं हैं। तो आपके आंकड़े यह बताते हैं कि आपकी सरकार के कदम गांवों के विकास की ओर नहीं जा रहे हैं यह केवल दिखावा है।

एक योजना की चर्चा मैं और करना चाहता हूं। स्वतः रोजगार योजना के बारे में बहुत ढोल पीटी गया है। श्री राजीव गांधी का नाम संदर्भ में आ गया है इसलिये उनका नाम लेना चाहता हूं। दिल्ली में बड़ा भारी उनके नाम का प्रचार किया गया। शासन की नीति का प्रचार हो रहा है, लेकिन समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा कि 10 लाख रुपया समारोह पर खर्च किया गया और 70 लोगों को ऋण बांटा गया है। 100 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक बांटा गया है। अगर यह मान लिया जाय कि सबको 5 हजार रुपया दिया गया है तो करीब-करीब 3 लाख रुपया दिया गया है और समारोह पर 10 लाख रुपया खर्च किया गया। 10 लाख का खर्च करके 3 लाख रुपया वितरित किया गया। तो इस तरीके से जनता को गुमराह किया गया है। आपने 37 हजार लोगों को रोजगार देने की बात कही है।

मैं सीतापुर के बारे में कहना चाहता हूं। यह आंकड़े सब जगह एक ही हैं, हर जिले के माननीय विधायक बैठे हैं, वह कृपा करके अपने जिले के बारे में सोचें। मान्यवर, यह बात कही गयी है कि बेरोजगारों को जो हाई स्कूल पास है, जिसकी उम्र 35 साल से कम है उसको कर्जा मिलेगा रोजगार के लिये। बहुत से नौजवानों ने फार्म वगैरह भरा और अपना पैसा खर्च किया और फार्म दफ्तर में जमा किया तो पता चला कि पैसा बैंक से मिलेगा। मैं एक बैंक में गया स्थिति को समझने के लिए तो बैंक वालों ने कहा कि हमको रुपया किसी को नहीं देना है। तो हजारों बेरोजगार नौजवानों की जो मायूसी है, जो उनकी मजबूरी है उसके साथ सरकार ने क्रूर उपहास किया है। सब माननीय विधायक सोचें।

मैं 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बात रखना चाहता हूं। रिजर्व बैंक का एक जी0ओ0 बैंक्स के पास आया है। उसमें कहा गया है कि 30 जून, 83 तक जो बैंक्स ने एडवांस किया है उसका .5 परसेन्ट इस योजना को दिया जायगा। तो सीतापुर जिले के लिये यह .5 परसेंट 15 लाख रुपया होता है। आपने बंधन लगा दिया है कि कोआपरेटिव बैंक, ग्रामीण बैंक लोन न दें तो इस तरह से मामला घटकर 7 लाख पर आ गया है। मुझे यह जानकारी मिली है कि यह संशोधित हो गया है और .5 परसेंट की जगह पर 1 परसेंट हो गया है।

श्री ब्रह्मदत्त–

नो लिमिट।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि नो लिमिट तो वह जब अपना उत्तर दें तो इस नो लिमिट की बात कहें। मैं हाथ जोड़कर सदन से माफी मांग लूंगा कि मैंने गुमराह करने की बात की। नो लिमिट का कोई सर्कुलर रिजर्व बैंक आफ इंडिया से नहीं आया है। और भी बंधन आपने लगाये हैं। आपने विकेन्द्रित किया है कि एक-एक ब्लाक में 25 लोगों को कर्ज दिया जायगा लेकिन क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि बहुत से ब्लाक ऐसे हैं जहां पर कामर्शियल बैंक्स नहीं हैं। सीतापुर जनपद में 5 ब्लाक ऐसे हैं जहां पर कामर्शियल बैंक नहीं हैं। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन ब्लाकों में कामर्शियल बैंक नहीं हैं वहां कैसे कर्जा देंगे। आपने व्यवस्था कर रखी है संस्थागत वित्त निगम की ओर से, हर बैंक का कोई एरिया तय होता है, उसके बाहर वह नहीं जायगी तो बहुत से गांव ऐसे हैं जो 5-6 किलोमीटर की परिधि में नहीं आते हैं, ग्रामीण बैंक की परिधि में नहीं आते हैं, कोआपरेटिव बैंक की परिधि में नहीं आते हैं तो कामर्शियल बैंक्स द्वारा उनको कैसे ऋण दिलायेंगे इस पर प्रकाश डालने की जरूरत है। अगर इन सब बातों की सफाई नहीं हुई, अगर आपने जी0ओ0 नहीं दिया, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने 15 अगस्त को राष्ट्र के नाम संदेश में जो बेरोजगार नवजवानों के लिए आशा जगायी थी, वह मात्र दिखाऊ थी। अगर सरकार की योजना है, अगर वास्तव में सरकार रोजगार देना चाहती है, अगर 37 हजार का लक्ष्य है, 37 हजार नवजवानों को कर्जा दिया जायगा, इन्होंने कहा कि बैंक द्वारा कर्जा दे दिया जायगा, लेकिन जब बैंक में लोग जाते हैं, अभी 21 तारीख तक यह आदेश थे कि फिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और बिजली का कनेक्शन मिल गया हो, तो कर्जा दिया जाय। जहां तक मेरी जानकारी है कि अभी कल तक यह आदेश थे, ये स्वयं ऊर्जा मंत्री हैं कि बिजली के एक भी नये कनेक्शन न रिलीज किये जायं, दूसरी ओर कहते हैं कि बिजली के कनेक्शन का प्रमाण-पत्र ले आइये। इस ताल-मेल के अभाव में कैसे आप उनको रोजगार देंगे।

पर्यटन विभाग पर आइये। बहुत सा पैसा आपने इस विभाग पर दिया है। नैमिष जाने का सबको शौक है और नैनीताल सीतापुर होकर सभी लोग जाते हैं। सीतापुर निर्वाचन क्षेत्र में घुसते ही एक नदी के किनारे एक पत्थर लगा हुआ है। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा शिलान्यास किया हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह चले गये, तो क्या वह योजना भी चली गयी? क्या कारण है कि वहां पर साइड एमूनिटीज विभाग की ओर से अतिथि गृह बनाने की घोषणा थी, अब कहते हैं कि जमीन नहीं है, अगर जमीन नहीं मिली है, तो शिलान्यास करने के पहले पूरी जानकारी क्यों नहीं की गयी? अगर जमीन की जानकारी नहीं थी, जमीन किसी और की थी, तो यह क्यों नहीं देखा गया और मंत्री को पत्थर लगवाने का शौक क्यों होता है? जिस पर्यटन गृह के लिए शिलान्यास किया गया है, वह बनना चाहिए। मान्यवर, मत्स्य विभाग की चर्चा की गयी। इसमें कितना घोटाला हो रहा है। मैं इसकी जानकारी देना चाहता हूं। जो बेचारे मछुवारों के बारे में घोषणा की गयी थी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक महोबा सहकारी समिति है जिला हमीरपुर में। उसने अगर बोली

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

बोली और 45 हजार रुपया जमा कर लिया गया, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस सहकारी समिति को वहां के सत्तारूढ़ दल के लोगों ने कब्जा नहीं लेने दिया। गांव के लोग कोर्ट में चले गये कि इसका हक नहीं है, तो विभाग की ओर से पैरवी नहीं की गयी, जो रुपया जमा किया गया था, उन गरीब मछुवारों का, वह भी वापस नहीं मिल रहा है। मैंने उसी समय चिट्ठी लिखी थी कि मामला कोर्ट में चला गया, विभाग पैरवी नहीं कर रहा है और परिणाम यह हुआ कि गवर्नमेंट मुकदमा हार गयी। विभाग की मिली भगत के कारण सरकार मुकदमा हार गयी। लेकिन उसका रुपया नहीं वापस किया जा रहा है।

मान्यवर, सहकारिता मंत्री बैठे हुए हैं। एक सहकारी संघ है, सहकारी संघ से रुपया देने की व्यवस्था तो कर दिया, माननीय मंत्री को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि जो चीजों का व्यवसाय करता है, ट्रान्सपोरटेशन का 6 बैग का जो खर्च मिलता है, क्या यह सही नहीं है कि 5 करोड़ रु0 आपका बकाया है और केन्द्रीय सरकार आपको नहीं दे रही है, इसलिए नहीं दे रही है कि भ्रष्टाचार की जांच का मामला आपको दिया था, पता लगाने के लिए, जिसकी जांच अभी तक आप नहीं कर सके, इसीलिए आपका 4 करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार में लटकाया है। मान्यवर, मैं गोण्डा की बात बतलाना चाहता हूं। गोण्डा जनपद के पी0सी0एफ0 के सभी कर्मचारियों ने एम0डी0 के खिलाफ एक दरख्वास्त दी थी और आरोप यह लगाया था कि फर्जी ट्रान्सपोर्ट का बिल बनाया जाता है। 70 किलोमीटर दूर के स्टेशन से लोडिंग की बात कही जाती है, 12 किलोमीटर दूरी के स्टेशन को छोड़ दिया जाता है। पी0सी0 एफ0 इसकी जांच नहीं करा सका। रजिस्ट्रार कोआपरेटिव ने उसकी जांच की और आरोप सही पाये लेकिन टौलिया साहब बेचारे निकाल दिये गये और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैंने तो ऐसा सुना नहीं है, पी0सी0एफ0 के प्रबन्ध निदेशक का नवम्बर, दिसम्बर 83 में 42 हजार और 22 हजार का टी0ए0 बिल है। क्या उत्तर प्रदेश में किसी और को इतना टी0ए0 बिल रहा है। और बहुत से एम0डी0 रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार आज तक किसी भी एम0डी0 का बिल 7 हजार से ज्यादा नहीं रहा। बम्बई चले गये जहाज का दो हजार किराया हुआ, दो हजार जाने का और दो हजार आने का और एक टिकट के बराबर इन्सीडेन्ट इस तरह से 42 हजार का बिल बन रहा है।

इसी के साथ मान्यवर, आप रोडवेज को देखें। इस रोडवेज निगम को आपने बहुत पैसा दे दिया है। मैंने सवाल पूछा था 25 प्रतिशत किराया बढ़ाने के बारे में लेकिन उसका जवाब मिला था कि 25 प्रतिशत किराया बढ़ाने का प्रस्ताव निगम की ओर से आया है शासन उस पर आपत्ति और सुझाव प्राप्त कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा व्यक्ति था जिसने 25 प्रतिशत किराया बढ़ाने का सुझाव दिया था और आधी रात को बिना किसी नोटीफिकेशन के बिना किसी विज्ञापन के आपने किराया बढ़ा दिया। जिस दिन किराया बढ़ा उसी दिन मैं दिल्ली से आ रहा था शाहजहांपुर से मुझे 4 बजे बस पकड़नी थी। मैंने देखा विधायकों को लोग गालियां दे रहे हैं। मैंने पूछा क्या मामला है। एक बुढ़िया रो रही थी उसे मोहम्मदी जाना था। मैंने पूछा बहन क्या बात है? उसने बताया, मैं जितने पैसे लगते थे

उतना लेकर आयी हूं लेकिन आज किराया बढ़ गया। मैंने कहा, बहन मैं तुम्हारे जाने की व्यवस्था करूंगा। सदन में यह कहकर कि आपत्ति और सुझाव मांगे जा रहे हैं, सदन को गुमराह किया गया था। मान्यवर, 25 प्रतिशत किराया बढ़ाने के बाद भी निगम की आमदनी नहीं बढ़ी क्योंकि हर रूट पर अनियमित बसें चल रही हैं और सवारी उधर डाइवर्ट हो गयीं, क्योंकि सीतापुर से कहीं का किराया 9-85 है तो प्राइवेट वाले 8 रुपये में ले जाते हैं। लखनऊ मण्डल में 2-4 प्रतिशत आमदनी बढ़ी है।

मैं कहना चाहता हूं कि इस 25 प्रतिशत बढ़े हुए किराये को वापस लिया जाय। मैंने नए परिवहन मंत्री जी की घोषणा सुनी और मैंने वित्त मंत्री जी का भाषण पढ़ा मैंने सोचा कि कहीं न कहीं इसके बारे में घोषणा होगी। मैं चाहूंगा कि परिवहन विभाग को एक भी पैसा देने से पहले उसकी व्यवस्था रख-रखाव और उसकी व्यवस्था का इन्तजाम करें।

एक बात मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में कहना चाहता हूं। बड़ी चर्चा की गयी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को यह दिया जायेगा, वह दिया जायेगा। माननीय मंत्री जी जिले के अन्दर आपने उनको बस पास दिया है लेकिन उसमें व्यवहारिक कठिनाई है और उससे मंत्री जी सहमत होंगे। जैसे सीतापुर से बस चली मेल बस है लखनऊ आ रही है उसमें वह लोग उनको बैठने नहीं देते हैं, कहते हैं सीतापुर जिले की सीमा अटरिया में समाप्त हो गयी। केवल पैसेंजर बस का लाभ उनको मिल रहा है। आप परिवहन विभाग को निर्देशित करें कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेल बस में यात्रा का लाभ मिले। जहां जिले की सीमा समाप्त हो वहीं उनको उतार दिया जाय। और एक सुविधा है। मान्यवर, उनकी मीटिंग्स होती हैं। कभी सरकारी काम से आना पड़ता है कभी, किसी और कार्य से आना पड़ता है तो जहां आपने अन्य सुविधायें दी हैं वहीं अपने क्षेत्र से राजधानी आने की सुविधा दी जाये।

सरकार इस बात पर विचार करें कि दो वर्ष पहले सन् 1981-82 में घोषणा की है अध्यापकगण भी बैठे हुए हैं अनुसूचित वर्ग के विधायक भी बैठे हैं मान्यवर, यह कहा गया था कि कक्षा नौ से शतप्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति दी जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि इस आदेश का पालन अब तक क्यों नहीं किया गया है। शत-प्रतिशत लोगों को क्यों छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। मैंने शत-प्रतिशत सीतापुर की जानकारी लेने की कोशिश की है। जितना पैसा भेजते हैं वह 20 प्रतिशत छात्र-वृत्ति मिल रही है। जो पिछले वर्ष रुपया भेजा गया था इस बार उससे कम भेजा गया है। कक्षा-9 का मसला है जो रुपया बढ़ाया गया है उसे पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुपूरक अनुदान की आलोचना करता हूं।

*श्री लाल प्रताप सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए मैं कुछ अपने जिले की समस्याओं के प्रति सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, हमारा जनपद प्रतापगढ़ बहुत ही पिछड़ा हुआ जनपद है और हर दृष्टि से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लाल प्रताप सिंह]

पिछड़ा हुआ है । सिंचाई की सुविधा में कमी है शिक्षा की सुविधा में भी कमी है और इसके अलावा हमारे जनपद में दो दरिया गुजरते हैं । एक तो सई नदी है दूसरी बकुलही । नदियां तो और भी हैं लेकिन यह दो ऐसी हैं जिनसे वहां के लोगों को बहुत तकलीफ है । बकुलही नदी ऐसी जिकजेक नदी है, इस तरह तूफान पैदा करती है कि वहां के लोग सदियों से प्रभावित हैं और अब तो परेशानी का यह आलम हो गया है कि नहर का पानी साल भर उसमें रहता है और उस नहर के पानी के रहने के कारण हजारों एकड़ जमीन जलमग्न रहती है । तो लगभग साल भर के छः महीने तक एक हिस्से से दूसरे हिस्से का आवागमन बिल्कुल टूट जाता है । उस दरिया पर कोई पुल नहीं है जबकि वहां चार-पांच पुलों की आवश्यकता है। वह क्षेत्र इलाहाबाद के करीब है और दूसरा जो क्षेत्र है जो उससे तकसीम होता है वहां से कोई नहीं आ सकता है । इस संबंध में मैंने कई पत्र लिखे प्रधानमंत्री को भी इस बारे में पत्र लिखा है 301 में सवाल उठाया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई । मैं चाहता हूं कि इस संबंध में कुछ कार्यवाही की जाए और उस जगह दो-तीन पुल बनवाए जाएं । उस दरिया को टेम करने की आवश्यकता है अगर वह दरिया और गहरी कर दी जाए तो हजारों एकड़ जमीन उपलब्ध हो जायेगी और जो उसकी विर्वचना से लोगों को तकलीफ होती है वह भी दूर हो जायेगी क्योंकि कोई ऐसा साल नहीं जाता जिसमें हजारों एकड़ भूमि बरबाद न होती हो। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह बहुत बड़ी समस्या है इस पर ध्यान देने का कष्ट करें ।

दूसरी बात मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं । मेरे जनपद के राजस्व विभाग की बात है । इस कदर हालत खराब है कि कम से कम पांच हजार मुकदमे ए0 डी0 एम0 के यहां पेंडिंग हैं, इससे और ज्यादा ही होंगे, ये फीगर्स पहले की हैं । इससे मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ए0 डी0 एम0 के अलावा कोई व्यक्ति मुकर्रर किया जाय जो केवल मुकदमे ही देखे। ए0 डी0 एम0 से प्लानिंग, जांच आदि बहुत से काम लिए जाते हैं। अतः मुकदमें केवल एक ही व्यक्ति देखे तो बेहतर हो। एक दूसरी चीज आप देखें हर गांव में कोई न कोई जमीन के आवंटन के सम्बन्ध में समस्या पैदा हो गयी है, झगड़े पैदा हो गए हैं । उसके लिए भी ध्यान देने की आवश्यकता है । इसके कारण हत्यायें भी हो जाती हैं । इसके लिए भी अलग अदालत मुकर्रर हो जो थोड़े ही दिनों में मसले को खतम कर दे और देहातों में समस्या हल हो जाय। गांव देहातों में इसी के कारण झगड़े बने हुए हैं, तनाव बना हुआ है और वह तनाव किसी तरह भी कम नहीं हो पा रहा है । गहराई से देखें तो हालत और भी खराब है राजस्व विभाग की। विभाग के जो पत्थर हैं, उनके रख-रखाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इंचार्ज नहीं है । लोग पत्थर उठा कर ले जाते हैं जो चेकों पर लगने होते हैं। इनकी कोई बात समझ में नहीं आती। इन छोटी-छोटी बातों पर विभाग को ध्यान देना चाहिए । ये इतनी तेजी से काम करते हैं कि नक्शे का पता ही नहीं चलता । नक्शों में उलट-पुलट हो जाता है, इससे तमाम गम्भीर समस्यायें उत्पन्न हो जाती हैं । नालों की लिए जगह न देने से भी समस्यायें पैदा हो जाती हैं इसलिए इन सबको गम्भीरता से देखने की आवश्यकता है ।

काम भले ही बाद में शुरू हो लेकिन सही ढंग से होना चाहिए, जिससे तनाव न उत्पन्न हो, या और कोई समस्या न उत्पन्न हो। आप डिप्टी कलेक्टर को मुकदमे दे देते हैं। लेकिन 12-12 साल मसले तय ही नहीं होते। उनको मौका ही नहीं मिलता। या तो आप पुराना तरीका फिर बना दें, जुडिशियल आफिसर राजस्व का काम देखें। लेकिन आप कहते हैं कि इनको भी राजस्व का काम जानना चाहिए, कल उन पर जिम्मेदारी पड़ेगी। ठीक है डिप्टी कलेक्टर्स को भी जानना चाहिए, मैं समझता हूं, लेकिन मुकदमें जल्दी-जल्दी तय करने की कोशिश की जानी चाहिए। कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, जो वहां मौजूद हैं। वैसे तो और भी बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। लेकिन मैंने खास बातें कहीं जिन पर तवज्जह देने की आवश्यकता है। इससे मामला बेहतर हो सकता है। इससे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। उन दिक्कतों को हम दूर कर सकते हैं। कुछ बातें मैं शिक्षा के सम्बन्ध में रखना चाहता हूं। प्राइमरी स्कूलों की पढ़ाई तो प्रदेश में करीब-करीब चौपट हो गयी है।

श्री विद्यासागर नौटियाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आदरणीय ठाकुर साहब का जो भाषण चल रहा है, वह बहुत ही अच्छा है तथा उसमें काफी कन्सट्रक्टिव सुझाव भी हैं। परन्तु इस भाषण का अनुपूरक मांग से क्या सम्बन्ध है?

श्री लाल प्रताप सिंह–

सामान्य चर्चा में तो सारी चीजें आ सकती हैं। मैं तो अपने जिले की बात कह रहा था। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे जिले में लड़कियों की शिक्षा हेतु सुविधा बहुत ही कम है। मेरे जिले में सिर्फ एक इण्टरमीडिएट कालेज है। पापूलेशन तेजी से बढ़ रही है। मैं चाहूंगा कि मेरे जनपद में एक हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट कालेज लड़कियों के लिए खोलने की बहुत आवश्यकता है। प्रत्येक वर्ष हजारों लड़कियों को वहां पर हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती है। 3-4 महत्वपूर्ण बिन्दुओं को मैंने रखा है, इस संबंध में मेरा विश्वास है कि मेरे जिले की तरफ माननीय मंत्री जी विशेष रूप से ध्यान देंगे।

सबसे बड़ी समस्या तो बकुलाई नदी पर बांध बनाने की है। मेरे जिले प्रतापगढ़ में इस नदी द्वारा बाढ़ से काफी नुकशान लोगों को उठाना पड़ता है। यदि आप उसे देख लेंगे तो आपको मालूम हो जायेगा कि यहां पर लोग किस तरह से रह रहे हैं। "सीईंग इज बिलीविंग"। मैं तो चाहूंगा कि इसके लिए एक कमेटी बना दी जाय और उसके सदस्य माननीय श्री शंकर सिंह जी को बना दिया जाय।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अनुपूरक मांग का समर्थन करता हूं। और विश्वास करता हूं कि मेरे जिले की समस्या पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा।

*श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, लगभग 2 अरब 61 करोड़ रुपया सप्लीमेन्टरी बजट के रूप में माननीय वित्त मंत्री जी ने रख दिया। अभी-अभी माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी कुछ पब्लिक अन्डर-टेकिंग्स की बैलेन्श सीटों के ऊपर बड़ा दुख प्रकट कर रहे थे। श्रीमन् ये पब्लिक अन्डर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

टेकिंग्स क्या देंगी । लोक आयुक्त ने इस मंत्रिमण्डल को डिसबेलेन्स कर दिया, परन्तु माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसे रि-बैलेन्स कर दिया, ये क्या बैलेन्स-शीट देंगे ।

श्रीमन्, आज इसकी हालत ऐसी हो गयी है, ब्यूरोक्रेसी के सामने इन्होंने जो अपने को सरेन्डर किया है, डा0 अम्मार रिजवी का खास तौर से इस बात पर ध्यान दिलाऊंगा । श्रीमन्, महमूद-अयास थे महमूद-बादशाह थे और अयास-गुलाम था । महमूद अयास की इज्जत करता था तो लोगों के मन में, वजीरों के दिल में, यह था कि अयास की इतनी इज्जत क्यों करता हूं? महमूद ने इसलिए, केवल उन्हें दिखाने के लिये, कि मैं अयास की इज्जत क्यों करता हूं, उसने सब वजीरों को इक्टठा किया । उसके पास एक बेशकीमती हीरा था । महमूद ने एक-एक करके सारे वजीरों को बुलाया और कहा कि इस हीरे को उठाकर, फर्श पर पटक कर, तोड़ दो ।

एक सदस्य–

आप तो कहानी कह रहे हैं ।

श्री रियासत हुसैन–

कहानी से इस चीज का वास्ता है ।

वे सारे लोग यही सोच में पड़ गये कि आखिर इस कीमती, इतनी लागत के, हीरे को बादशाह सलामत ने तोड़ने का हुकुम क्यों दिया । वे लोग उस काम को नहीं कर पाये । तब महमूद ने अयास को बुलाया और कहा कि इसे तोड़ दो। अयास ने उसे उठा लिया और उसे तोड़ दिया । फिर महमूद ने उन लोगों को बताया कि अयास की वफादारी के लिए मैं उसकी इज्जत करता हूं। उसी तरीके से बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी की गुलामी यहां का मंत्रिमंडल और विधायिका कर रही है । यह ब्यूरोक्रेसी साल भर में दो-दो बार सप्लीमेंटरी बजट बनाकर दे देती है ।

श्री भीखा लाल–

तीन-तीन बार ।

श्री रियासत हुसैन–

हां 3-3 बार, जब उनको जरुरत पड़े । अब जरुरत देखिए काहे की कारों के लिये, मकानों के लिये, कालीनों के लिए और साज सज्जा के लिये । मान्यवर, इन लोगों ने उस पर कभी दिमाग नहीं लगाया और इस बारे में कभी नहीं सोचते हैं, उनकी गुलामी मंजूर कर लेते हैं और इस तरह से वे इनको बना बनाकर सप्लीमेंटरी बजट देते रहते हैं । वे इनको बनाकर दे देंगे, यह इसे यहां मंजूर करा लेंगे । मान्यवर, आप इसमें जरा गौर करें, सप्लीमेंटरी बजट हर साल आता है, लेकिन एक मूल बजट के बाद, हमेशा जब विंटर सेशन हुआ करता है, तब सप्लीमेंटरी बजट आया करता है । एस्टीमेट बढ़ गया, या फिर उनका सप्लीमेंटरी बजट की शक्ल में खर्च हो गया उसे पास करा लिया । लेकिन, अब तो ब्यूरोक्रेसी को एक आदत सी हो गयी है कि जब सेशन हो, सप्लीमेंटरी बजट ले आये और पैसा पास करा लिया ।

मान्यवर, आप देखें अभी मूल बजट पेश हुआ है अगले वर्ष का, लेकिन हम अभी भी पिछले वर्ष के लिये सप्लीमेंटरी बजट की चर्चा कर रहे हैं। यह काहे के लिये कर रहे हैं ? अगर मान्यवर, किसी विकास कार्य के लिये यह आया होता, तो ठीक था कि डेवलपमेंट वर्क फलां-फलां हो रहा था, उसमें कुछ खर्च बढ़ गया था रि-एस्टीमेट हो गया, लिहाजा उसका काम पूरा करना आवश्यक है, उसको सप्लीमेंटरी बजट के रूप में ले आये, तो ठीक था। मगर यहां किस चीजों पर, किन-किन मदों पर मांगा जा रहा है, उसको आप देखें।

इसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पैसा दिया है। आप देखें, अभी ही एलान हुआ है कि 6 घंटे बिजली हम देंगे, जबकि स्थिति यह है कि 2-2 घंटे से ज्यादा का एवरेज किसी भी 24 घंटे में नहीं बैठता है। फिर भी कहा जा रहा है कि बिजली हम 6 घंटे देंगे। लेकिन, इसकी बाबत कभी नहीं सोचेंगे कि यह जो कहीं वायर कटिंग या कहीं ट्रांसफारमर खराब हो गया—तो उसके रिप्लेसमेंट में जो 1-1, 2-2 महीने का समय लगता है, वह भी किसी गिनती में आता है। बिजली बोर्ड की हालत यह है कि अगर किसी कंज्यूमर का डिस्कनेक्शन हो जाय, तो उस डिस्कनेक्शन पर जो भी मिनिमम गारंटी होती होगी, वह पड़ती रहेगी। किसलिए पड़ती रहेगी ? वह इसलिए पड़ती रहेगी चूंकि इसमें लिखकर अगर यह नहीं देते कि मुझे आगे के लिये इसके कनेक्शन की जरूरत नहीं होगी, इसलिये मिनिमम गारंटी पड़ती रहेगी। किसी का डिस्कनेक्शन हो गया, नान पेमेंट में कट गया और उस डिस्कनेक्शन की बात रिकार्ड में आ गयी, रजिस्टर में चढ़ गयी कि फलां कंज्यूमर का पावर कनेक्शन डिस्कनेक्ट है—वह चाहे ट्यूबवेल का हो या कामर्शियल हो, लेकिन वह जब तक यह लिखकर नहीं देता कि आगे के लिये बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी, उस वक्त तक, 6 महीने तक वह गारंटी पड़ती रहेगी। इसमें तो यह कह देना चाहिए कि यह जो मिनिमम गारंटी वाली बात है कि अगर किसी का डिस्कनेक्शन हो जाय और जब वह उसके लिये दरख्वास्त लिखकर दे कि उसे फिर रि-कनेक्ट कर दिया जाय, तब उसे बिल बनाकर दे दिया जाय कि आपको इतनी गारंटी देनी होगी वह चाहे फाइन की ही शक्ल में हो। इस पर कुछ होना चाहिए। यह धांधलेबाजी कि 6 घंटे का एलान करेंगे और 2 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलेगी, ट्रांसफार्मर या वायर कटा होगा तो एक महीने से कम में ठीक नहीं होगा। इसके बावजूद भी इतना पैसा दिया जा रहा है।

इसके अलावा आपने हरिजन कल्याण के लिये पैसा रखा है। गुलाब सेहरा जी ने कहा था कि हरिजनों की लड़कियों की शादी में पांच-पांच हजार रुपया देंगे। अपने जिले की तो मैं जानता हूं। मेरे यहां से 122 में से जांच पड़ताल के बाद डायरेक्टर साहब के यहां से चैक गया, 122 मामले रिकमेण्डेड थे, 18 के यहां गया एक-एक हजार रु0 का चैक, वह भी शादी होने के 4 महीने के बाद। वह भी इस तरह से बंटा कि हरिजन वैलफेयर डिपार्टमेण्ट के क्लर्क ने सबको एक साथ बुला लिया, 200/– रु0 प्रति व्यक्ति के हिसाब से ले लिया शिनाख्त करने का। इस प्रकार उन लोगों को मात्र आठ-आठ सौ रुपये मिले। इस बार भी आपने प्राविधान रखा है, देखिये किसानों को मिलेगा किसानों को नहीं मिलेगा।

[श्री रियासत हुसैन]

साज-सज्जा की बात कही गयी है । विधायक निवासों में भी साज सज्जा की बात कही गयी है । मान्यवर, आप स्वयं आकर देख लें रायल होटल को या दारुलशफा "ए" ब्लाक, "बी" ब्लाक में, टूटी हुई कुर्सियां हैं, वही पुराने फटे हुए परदे हैं, वही पुरानी फटी हुई दरियां हैं। आम के तख्ते को बनवाकर दिये थे, वे टूट गये। बजट में प्रावीजन हो गया । जो खर्च हो चुका है उसी की मन्जूरी तो ली जा रही है। हमें दिखायी नहीं पड़ता है कि एम0एल0एज0 के बारे में जो प्रावीजन दिया गया है वह कार्य कहां पर हुआ है ।

जल निगम के बारे में डिंकिंग वाटर और जल निगम । जल निगम के नाम से जो मांग की गयी है कि मैन्टीनेन्स होगी, तो जल निगम के द्वारा हजारों नल बोर कर दिये गये, 14-14 और 15-15 हजार रु0 के नकली वाउचर बन कर काम हो गया, लेकिन अभी तक यह नहीं तय हो पाया कि मैन्टीनेन्स कौन करेगा । अब सन् 1984-85 का बजट पेश है, अब सोते से आंख खुली कि मैन्टीनेन्स कौन करेगा और इसके लिये मैन्टीनेन्स चाहिये । हरिजनों के डिंकिंग वाटर के लिये पैसा चाहिये, बलिया जिला है, सन् 72 में स्कीम चली "पाइरस स्कीम" । यह स्कीम इसलिये थी कि हरिजनों के गांव में पीने का पानी उपलब्ध कराया जाय । एक गांव में 4 कुंए बनने की बात थी, दो कुंए कागज पर बन गये । जब इन्क्वायरी हुई तो 9 आदमी सस्पेण्ड हुए, बाकी दो कुंए अभी तक बने ही नहीं हैं । 72 से पाइरस स्कीम की आवश्यकता हुई । कई स्कीमें आयी और गयीं लेकिन वह जो उस गांव में 72 की आवश्यकता थी, वे दो कुंए अभी भी नहीं बने हैं । तो यह जो रु0 2 अरब 66 लाख का बजट आया और हम लोगों के सहयोग के साथ पास करा लिया गया और माननीय वित्त मन्त्री जी ने यह घोषणा की कि प्रत्येक जिले में अप्रैल तक पैसा पहुंच जायेगा, लेकिन जब पिछले साल इसकी मीटिंग हुयी तो उद्योग विभाग ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, सिंचाई विभाग ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, काम कहां से करें, यह सब सिर्फ इसलिए होता है जब अधिकारियों की जेब हल्की हो जाती है तब वह यह देते हैं कि फलां योजना के तहत यह-यह कार्य हो गया । होता वह कार्य कागज पर है, लेकिन वाउचर सबके बन जाते हैं। वही महमूद अयास की मिशाल दरपेश होती है कि हम जो भी कहेंगे, वह तुम्हें करना ही पड़ेगा, जिस तरह से आप 2 अरब और 66 लाख रु0 का बजट लाए जिसको पास तो होना ही था ।

मान्यवर, आज सारे नियमों को ताख पर रखकर काम हो रहे हैं और उन नियमों की अवहेलना खुलेतौर पर हो रही है । मान्यवर, नियम 9 की उपेक्षा बराबर हो रही है जिसके अंदर उपाध्यक्ष का चुनाव का मामला है, जो आज तक पूरा नहीं हो सका नियम 14 के अन्तर्गत असेम्बली की मीटिंग साल में तीन बार अथवा 90 दिन की सीटिंग होनी चाहिए जो नहीं हो पा रही है । इसी तरह से और भी बहुत से नियम हैं जिनकी खुलेतौर पर अवहेलना की जा रही है, लेकिन इस सरकार में उसे कोई देखने वाला नहीं है, बस ब्यूरोक्रेसी व इक्जीक्यूटिव बाडीज ने जो भी बनाकर दे दिया, उन पर केवल मोहर लगा दी जाती है, किसी प्रकार का कहीं पर अनुशासन नहीं है,

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सप्लीमेंट्री बजट में जो मांगे रक्खी गयी हैं, उनका विरोध करता हूं ।

[समय 2 बजकर 20 मिनट]

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस द्वितीय अनुपूरक पर बोलने का अवसर दिया । सिंचाई विभाग के अन्तर्गत जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, उनकी प्रगति संतोषजनक नहीं है । आजमगढ़ जिले में शारदा सहायक की दोहरी लिंक कैनाल जो सन् 1977 से बन रही है 1977 में इसके निर्माण में जो खर्च स्वीकार हुआ था वह 681 लाख रु0 था । जबकि अब तक इस पर 474 लाख रु0 व्यय हो चुका था, परन्तु फिर भी आज वह अधूरी है और पिछले दिनों एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया कि इस योजना के पूरा करने के लिए अभी रु0 45[illegible] और चाहिए तो इस तरह कार्य की प्रगति बहुत धीमी और उसी हिसाब से लागत भी बढ़ती जा रही है । जून 80 में यह योजना प्रारम्भ हुयी थी और अब जून 84 आने को है, लेकिन काम आधा नहीं हो सका अभी तक और अब 450 लाख रु0 जब और दिये जाएं तो यह योजना आगे बढ़ सकेगी, इससे बड़ा नुकसान हो रहा है ।

दूसरी बात मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस आधी बनी हुई नहर में पानी छोड़ दिया गया जिससे कृत्रिम बाढ़ से भी जनता काफी प्रभावित हुई । इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि अब शीघ्र ही इस योजना को पूरा करने के लिए जिस 450 लाख रु0 की आवश्यकता है, उसकी तुरन्त व्यवस्था की जाए ताकि यह कार्य शीघ्रता से पूरा हो सके, वरना इसी प्रकार के विलम्ब से बहुत से नुकसान और सामने आयेंगे क्योंकि दिन पर दिन कास्ट आफ कांस्ट्रक्शन बढ़ ही रहा है दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, कि आजमगढ़ जिले के हरौंा ब्लाक में छोटी सरयू और महुला गड़वल के बीच के भाग में नहर की एक योजना है, जिसका सर्वेक्षण हो चुका है, इसे भी तत्काल शुरू करवा दिया जाना चाहिए।

अब मैं आपका ध्यान राजस्व विभाग की ओर ले जाना चाहता हूं, चकबंदी में विलम्ब की वजह से तमाम गांवों में लिटिगेशन शुरू हो चुके हैं। तहसील घोसी के क्रमशः 104 गांवों में चकबंदी पूरी नहीं हुई और सगड़ी के 84 गांवों में चकबंदी 1968 से प्रारम्भ हुई है । इतने दिनों में चकबंदी की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पायी । हमारे यहां सगड़ी तहसील में 39 गांवों में चकबन्दी की प्रक्रिया शुरू होती थी परन्तु वह आज तक नहीं हुई । एक लम्बे अरसे से चकबन्दी की प्रक्रिया हो रही है जिसके कारण गरीब काश्तकार परेशान हैं, तमाम कागजात कार्यालय से गायब हो गये और गायब हो रहे हैं । सामान्यतया चकबन्दी का काम 5 साल में पूरा होना था जिसके कि आज 15-20 साल होने को आये पर वह पूरा नहीं हो रहा है । इसलिये मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे ध्यान देकर चकबन्दी के काम को देखें और उसे शीघ्र ही पूरा होना चाहिये ।

मान्यवर, इसके साथ ही मैं शिक्षा के बारे में दो-तीन बातें संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं । इस सरकार ने 1973 से लेकर 1983 तक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण को

[श्री पंचानन राय]

सिध्दान्त रूप में माना था । अभी पिछले दिनों जो कलकत्ता में सम्मेलन हुआ उसमें कांग्रेस ने मध्य से बांये चलना श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में स्वीकार किया है। किन्तु इस सरकार ने कहा कि हम शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे , तो मेरी समझ में नहीं आता है कि यह मध्य से बायें या मध्य से दायें चलने की चेष्टा है इसमें सरकार की क्या मंशा है । शिक्षा विभाग में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार व्याप्त है। आज प्रश्नोत्तर काल में मान्यवर, आपने स्वयं देखा कि एक अधिकारी जो नैपाल से स्मगलिंग करता हुआ पकड़ा गया वह डिप्टी डाईरेक्टर रैंक का अधिकारी था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जब वह जेल में था तो सरकार आन ड्यूटी तो दिखा नहीं सकती थी तो उसे निलम्बित किया और भ्रष्टाचार के आरोप पर फौजदारी के एक अधिकारी की सिफारिश पर पैसा लेकर उसे बहाल कराया और अध्यक्ष महोदय ने उस प्रश्न को स्थगित कर दिया । पिछले दिनों समाचार पत्रों में जूनियर हाईस्कूल परीक्षाओं के बारे में कितना तो छपा था कि गोरखपुर में 1 रु0 70 पैसे फी विद्यार्थी, बनारस में 1 रु0 80 पैसा प्रति विद्यार्थी पर्चा छपा और वहां के अधिकारियों को दण्डित किया गया परन्तु जिन्होंने 5 रु0 70 पैसा प्रति विद्यार्थी के हिसाब से पर्चा छापा और तमाम समाचार पत्रों में उसकी चर्चा हुई उन्हीं को सरकार ने पदोन्नति कर दी। शिक्षा विभाग में खुले आम भ्रष्टाचार व्याप्त है । राष्ट्रीयकरण से पीछे हटकर 1980 में चुनाव के समय कांग्रेस ने जो वायदा किये थे उसका पालन नहीं कर रही है।

मान्यवर, पी0 डब्लू0 डी0 के बारे में संक्षेप में दो शब्द कहना चाहता हूं । आजमगढ़ जिले में छोटी सरजू नदी है। बरसात के दिनों में वहां पर पानी भर जाता है जिसके लिये दो पुलों के निर्माण का प्रस्ताव आया हुआ है । एक बाजार गोसाईं में तथा दूसरा बरखिया में । निवेदन है कि उन दोनों पुलों का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र करा दिया जाय इसके साथ ही मैं अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय वित्त मंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं । इन्होंने बताया है लेफ्ट सेन्टर तो यह इसको बतला दें कि यह क्या होता है तो हम लोगों की समझ में आ जाय कि सेन्टर टू लेफ्ट क्या होता है ?

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप बैठिये ।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे अनुपूरक अनुदानों पर बोलने का अवसर प्रदान किया । श्रीमन्, महात्मा गांधी के नाम पर चलने वाली सरकार ने अनुपूरक अनुदानों की मांग का प्रथम अध्याय आबकारी विभाग से शुरू किया है । इस सरकार ने प्रोफेसर साहेब को खाद्य विभाग हटाकर आबकारी में भेज दिया । सरकार जो है वह दिशाहीन है, उसकी दिशा साफ नहीं है । जो मांग की गयी है, उसको मैं पढ़कर सुनाता हूं।

"आबकारी आयुक्त कार्यालय के लिए भवन निर्माण—आबकारी आयुक्त के कार्यालय के लिए एक नये भवन के निर्माणार्थ वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय व्ययक में

15 लाख रुपये का प्राविधान किया गया था । चूंकि उक्त धनराशि अपर्याप्त थी तथा कार्य को चालू रखना आवश्यक था और आय व्ययक में इसके लिए समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी । अतः राज्य आकस्मिकता निधि से 15 लाख रुपये का अग्रिम लेकर स्वीकृति प्रदान कर दी गयी थी । अब राज्य आकस्मिकता निधि से लिए गए उक्त अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु इतनी ही धनराशि की आवश्यकता है । तद्नुसार 15 लाख रुपये की सारभूत अनुपूरक मांग प्रस्तुत है ।''

श्रीमन्, 15 लाख रुपये तो पहले दिया था और यह कहते हैं कि वह धन अपर्याप्त है । मैं जानना चाहता हूं कि इस पर कितना टोटल रुपया खर्च होने वाला है। अभी भी सरकार गुमराह कर रही है। सरकार को खुद नहीं पता है कि इस पर कितना रुपया कुल व्यय होगा । 15 लाख रुपया मांगा है और भविष्य में कितने की जरूरत होगी। इसके बारे में यह स्पष्ट नहीं बता रहे हैं। मान्यवर, यह सरकार है जिसमें ब्रह्म दत्त जी बैठे हुए हैं । मैंने तो इनको धन मंत्री के स्थान पर ऋण मंत्री कहा था । यह सरकार और जनता दोनों को ऋण में बांध रहे हैं । अगर सरकार इसी प्रकार से चलती रही तो देश और जनता दोनों का बेड़ा गर्क हो जायेगा।

मान्यवर, इसी प्रकार से मैं पेज 134 पर ''चन्द्र बदनी (टिहरी) गढ़वाल में 29 शैय्याओं के एक पर्यटक गृह का निर्माण'' को पढ़ता हूं । टिहरी (गढ़वाल) जनपद में सतयुग से पूर्व चन्द्रमा ने जिस स्थान पर तपस्या की थी, वह कालान्तर में चन्द्रबदनी के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इस पावन स्थान पर गौतम ऋषि ने भी अपनी धर्मपत्नी अहिल्या के साथ तपस्या की थी। इस स्थान पर गौतम एवं उनके प्राचीन मंदिर जीर्णावस्था में विद्यमान हैं । चन्द्रबदनी समुन्द्र स्थल से 8,000 फीट की उंचाई पर स्थित है । चारों ओर शिवालिक वन का साम्राज्य है और पास ही में क्लेमेंट टाउन कालोनी है । लामाओं के बौद्ध मंदिर वहां पर्यटकों के आकर्षक वा मुख्य केन्द्र हैं । पर्यटकों के लिए नगर के कोलाहल से दूर धार्मिक स्थान होने के साथ-साथ यह एक पिकनिक स्थल भी है। प्रतिवर्ष वैशाखी के महीने में यहां पर विशाल मेला लगता है ।

मान्यवर, क्लेमेंट टाउन देहरादून जनपद में है और वहां से चन्द्रबदनी 200 किलोमीटर दूर पर है जो टिहरी गढ़वाल में है और इसमें आप कह रहे हैं कि वह लके मेन्टाउन के पास ही है । इन्होंने तो दोनों को मिक्स कर दिया है ऐसा मिला दिया कि पता न चले । समुद्र मंथन हो गया, सभी को मिला दिया । अब हमारी सरकार राज भवन का निर्माण करने में सजग है और लगातार उस में लगी हुई है । लेकिन हम लोग जिन कमरों में रहते हैं उनका क्या हाल है । 4 साल हो गये एक साल बाकी रह गया है । उनका सुधार अब होने वाला नहीं है । हम लोग किस हालत में रहते हैं वह हम जानते हैं । जनता ने अगर चुनकर न भेजा होता तो हम लोग उसमें कभी न रहते । उनमें रहना हमारी मजबूरी है । ऐसे कमरों में तो जानवर भी रहना पसन्द नहीं करेंगे । हमारे लिये कोई व्यवस्था नहीं होती है । मान्यवर, पृष्ठ 172 पर आप देखेंगे, लिखा है न्यायालय द्वारा पारित

[श्री विद्यासागर नौटियाल]–

आदेश के अनुपालनार्थ डिक्री की धनराशि का भुगतान, यह एक लाख 29 हजार है। यह वन प्रभाग टिहरी का एक केस था। वहां पर जो डी0 जी0 सी0 सरकारी वकील दीवानी का था उसने बाकायदा दूसरी पार्टी से मिलकर डिक्री करवा दी। माननीय ब्रह्म दत्त जी चाहते हैं कि जो डिक्री का खर्चा है उसको स्वीकृत भी यह आदरणीय सदन दे दे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डी0 जी0 सी0 देहरादून ने जो इस मामलों में गलत पैरवी की है उनमें यह पैसा वसूल किया जाय, हमसे मत वसूल कीजिये, उन गरीब बच्चों से यह पैसा वसूल न कीजिए जिनके पास खाने के लिये साधन नहीं है।

एक विश्व हिन्दी सम्मेलन हुआ था। पृष्ठ 182 में इसके बारे में दिया हुआ है 5 लाख रुपये के अनुदान की स्वीकृति मांगी गयी है। कहा गया है कि भारतीय सदस्यता और संस्कृति को अग्रसर किये जाने के क्षेत्र में यह बहुत बड़ा कदम है। उस संचालन में हिन्दी बोलने वाले सिर्फ वे थे जो विदेशों से आये थे। और उसके लिये पैसा चाहिए। मैं कहता हूं कि आयोजकों से यह पैसा वसूल किया जाना चाहिए जिन्होंने भारत की छवि को धूमिल किया है। संस्कृति के विकास के नाम पर जो पैसा यह सरकार खर्च करती है, यह बिलकुल व्यर्थ चला जाता है। इसी तरह से नई शिक्षा की पद्धति पर यहां एक सम्मेलन किया गया। यह पृष्ठ 184 पर दिया हुआ है। किरीट जोशी कोई हैं कांग्रेस राज के हिम किरीट थे उसमें आये थे और अकेले वे ही उसमें बोलते रहे। उनका भाषण आप टी0 वी0 पर रेडियो में और समाचार पत्रों में दे देते तो ज्यादा लोग सुनते और वह ज्यादा कारगर होता। जैसे राजीव गांधी का भाषण आप प्रसारित करते हैं। इस सम्मेलन में किरीट जोशी अकेले ही बोलते रहे। पांच लाख रुपया उसमें खर्च हुआ। वहां पर कोई अध्यापक नहीं बोल पाया। यह सब क्या है इसलिये मैं माननीय ब्रह्म दत्त जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जबकि इस नये साल का बजट प्रस्तुत किया जा चुका है, आप अनुपूरक मांगें लेकर खड़े हो जाते हैं यह आदत ठीक नहीं है। लिहाजा मैं इन अनुपूरक मांगों का विरोध करता हूं।

*श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बोलने की आज्ञा प्रदान की। मान्यवर, अनुपूरक अनुदान की जो मांग की गयी है वह आवश्यकताओं को न देखकर विलासिता की ओर ज्यादा ध्यान दिया गया है। मैं जनपद चमोली की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा। वहां पर पशुपालन विभाग के अन्तर्गत जो अनुपूरक मांग रखी गई है वह मोटर गाड़ियों की खरीद के लिए रखी गयी है। उसके अन्तर्गत जो भी पैसा मांगा गया है वह जीप की खरीद के लिये मांगा गया है। वहां पर काफी समय से यह मांग है कि एक राजकीय इण्टर कालेज गोपेश्वर की एक बस का एक्सीडेन्ट हो गया था। दो-तीन साल हो गये, उसकी नीलामी होनी चाहिए और दूसरी बस खरीदनी चाहिए। इसके जवाब में हमारे लिये कहा गया कि बस इसलिये नहीं खरीदी जा सकती कि हमारे पास धन का अभाव है। छात्र के लिये बस खरीदने के लिये धन का अभाव है और जीप खरीदने के लिये आप अधिकारियों के लिये अनुदान की मांग कर रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वित्त मंत्री जी, आपके क्षेत्र डोई वाला में पी0 एच0 सी0 में एक एक्स-रे मशीन 3-4 साल से पड़ा हुई है, वह फिट क्यों नहीं हो रही है इसलिये कि आपके पास बिजली का भुगतान करने के लिये पैसा नहीं है, इसलिये उसे नहीं लगा पा रहे हैं ? गढ़वाल जल संस्थान के पास कोई पैसा नहीं है वे कहते हैं कि कहीं पर एक नल लगाने के लिये भी धन नहीं है । और सारी की सारी पेयजल योजनायें खराब पड़ी है उसके लिये आपके पास कोई पैसा नहीं है । पर्वतीय क्षेत्र में अध्यापकों की, डाक्टरों की जगहें खालीं पड़ी हैं उनके लिए कोई ध्यान नहीं है। पशुपालन विभाग का उदाहरण मैं लेता हूं गोपेश्वर में अतिरिक्त निदेशक पशुपालन का कार्यालय है उनकी नियुक्ति हुए दो साल हो गये है लेकिन उनके लिए न कोई स्टाफ है और न आफिस है। इसी तरह गोपेश्वर में भूमि विकास बैंक खुला है चार साल हो गये हैं लेकिन अभी तक एक बाबू के अलावा कोई स्टाफ नहीं है। कोआपरेटिव सोसायटीज का गढ़वाल मंडल में जो डिपुटी रजिस्ट्रार का पद है वह काफी समय से रिक्त है अभी तक मुरादाबाद के अधिकारी ही आफिशियेट कर रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण यह विभाग है लेकिन उस की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जो मांग आपने मांगी है उनका कोई औचित्य नहीं है गलत चीजों के लिये यह मांग रखी गयी हैं इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, जो अनुपूरक अनुदान की मांगे हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में प्रस्तुत की हैं उनको 1983-84 के लिये रखने का कोई औचित्य नहीं है औचित्य तब होता जब कोई नये काम के लिए योजना बनायी होती । या फिर किसानों को कोई राहत देने के लिए मांग रखी होती। दुख के साथ कहना पड़ता है कि विगत 4 वर्षों से ओला, सूखा बाढ़ आदि दैवी आपदाओं से जनता परेशान है लगातार चार साल से लगान स्थगित किया जा रहा है उसकी माफी के लिए यदि वित्त मंत्री जी ने सप्लीमेंटरी बजट पेश किया होता तो मैं इसका औचित्य समझता । आज लगान और सिंचाई आदि की बसूली के लिए किसान को अरेस्ट किया जा रहा है और 24-24 लोगों को एक कमरे में ठूंसा जा रहा है । यदि सचमुच में प्रदेश की जनता को राहत देने की बात की होती तो मैं उसकी प्रशंसा करता । लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रदेश की जनता के हित का बिलकुल ध्यान नहीं रखा गया है । जो भारत सरकार के लगभग 100 निगम हैं, उनमें इस सरकार ने लगभग ढाई हजार करोड़ रुपया उनमें लगा रखा है और वह ढाई हजार करोड़ रुपया अधिकारियों की जेबों मे अधिकतर जा रहा है तथा भ्रष्ट लोगों की सरकार के साथ बैठे हुए और उनके पोषकों की जेबों में जा रहा है। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि यह निगम रूपी सफेद हाथी प्रतिदिन जनता की गाढ़ी कमाई का लगभग 80 लाख रुपया प्रतिदिन घाटा दे रहे हैं । मैं चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री इसे रोकें।

मान्यवर, परिवहन निगम ने अभी 25 प्रतिशत किराया बढ़ाया पिछले बजट में कहा गया था कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया जायेगा लेकिन फिर भी टैक्स बढ़ा दिया गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री धनीराम वर्मा]—

मुझे बड़ी खुशी होती यदि परिवहन निगम यात्री बसों मे लोगों को आने जाने की सुविधाए अधिक बढ़ाती, बसो की सीटे अच्छी करती और त्वरित सेवा चालू करता, तो खुशी होती कि परिवहन निगम को पैसा दे दिया जाए ।

मान्यवर, मैं एक उदाहरण परिवहन निगम को पेश करना चाहता हूं कि मेरे जनपद इटावा में एक औरइया डिपो खोला गया था कि औरइया-कन्नौज मार्ग पर बस चलाई जाय। लेकिन 10 वर्ष डिपो को खोले हो गया और पिछले नवम्बर तक एक भी बस औरइया डिपो से कन्नौज मार्ग पर नहीं गयी । मैंने जब लिखकर दिया, तो जनता के हित को देखते हुए एक निगम ने बस चलायी जिसकी सूचना मेरे पास आयी, जिसको मैं आपको मान्यवर, दिखा सकता हूं। मैंने पुनः एक पत्र लिखा कि जो बस चालू की गयी वह बंद हो गयी और पुनः चलायें। तो तीन बसें चालू की गयीं लेकिन 5.30, 6.30 और 7.30 सबेरे जाना और शाम को आना । मैंने पुनः 9 दिसम्बर को लिखा कि इन बसों की फ्रिक्वेन्सी में परिवर्तन करें और दिन में चलायें। तो 13 फरवरी को पत्र आता है कि अब जांच हेतु भेजा गया है। यह इनके विभाग की इफीशिएन्सी है कि ढाई महीने बाद मेरे पत्र का उत्तर आता है। अब कब उत्तर आता है, कब कार्यवाही होगी मैं नहीं कह सकता हूं।

मान्यवर, साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि इटावा जनपद में औरइया से एक इंजा रोड पी0 डब्लू0 डी0 का है। उसकी हालत है कि पिछले साल उसमें गिट्टी पत्थर की डाली गयी थी लेकिन तारकोल न होने से गिट्टी इधर-उधर बह गयी और सड़क खड्डे के रूप में है।

इसी तरह दिबियापुर से 4 किलोमीटर पर असैनी गांव तक गिट्टी डाली गयी लेकिन कुटाई और तारकोल न होने से गिट्टी इधर उधर फैल गयी और सड़क खड्डे के रूप में है । इस तरह लाखों रुपया पी0 डब्लू0 डी0 का अपव्यय हो गया है। इस पर मैंने लिखकर दिया और तीन-चार बार मीटिंग में इसको उठाया तो पी0 डब्लू0 डी0 के अधिकारियों ने कहा कि पिछले अधिकारी ने गोलमाल किया है, गिट्टी कम है इसलिए चार्ज में नहीं ले रहा हूं क्योंकि यह सारा दोष मेरे ऊपर आयेगा कि गिट्टी कम है इसलिये हमारे खिलाफ कार्यवाही होगी।

मान्यवर, इसी तरह दिबियापुर कस्बे में रेलवे फीडर नाम की एक सड़क है जो औरइया और बेला रोड के बीच में है, जिसमें गिट्टी किनारे-किनारे लगाई गयी किन्तु रोड पर नहीं डाली गयी है क्योंकि वर्तमान अधिकारियों का कहना है कि वह गिट्टी कम है, इसलिए मैं नहीं डलवाऊंगा चूंकि इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयेगी । इस तरह यह सड़क भी एक साल से खराब है ।

मान्यवर, इसी तरह से आपका नगर विकास विभाग है जिसकी हालत बड़ी दयनीय है। श्री राम सिंह खन्ना जी के समय में कई बार मैंने लिखा कि दिबियापुर-औरइया कस्बों में गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है जिससे साल भर गंदा पानी भरा रहता है, लिखने पर नगर विकास मंत्री जी ने लिखित उत्तर दिया कि केवल बरसात में पानी रहता है, इसलिए पैसे की व्यवस्था होने पर जल निकासी की व्यवस्था कर दी जायेगी।

मान्यवर, सप्लीमेंटरी बजट पेश हो गया है तो मैं चाहूंगा कि औरैया दिबियापुर के कस्बों की पानी के निकासी की व्यवस्था करा दें और सड़कों पर हमारे यहां जिनको मैंने अभी बताया है गिट्टी कुटवाकर तारकोल करवा दें तो मैं समझूंगा कि पैसे का सदुपयोग हो गया। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यदि इस सरकार ने किसानों को खाद में छूट देने के लिये यह सप्लीमेन्ट्री मांग की होती तो मैं कहता इससे ज्यादा धन दे दें। मान्यवर, कहीं ऐसा नहीं है। यह पैसा जो मांगा गया है वह सचमुच इनके लिए है। मैं सरकार को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे जनपद इटावा में इस वर्ष एक भी प्राइमरी या जूनियर हाईस्कूल नया नहीं खोला गया है, जबकि पिछले साल प्राविधान था। उसमें से एक भी नहीं खोला गया, पता नहीं बजट का पैसा कहां चला गया? साथ ही इस वर्ष एक भी इमारत उस विभाग द्वारा किसी भी प्राइमरी या मिडिल स्कूल की बनवायें जाने का कहीं कोई प्राविधान नहीं है। अतः यह सप्लीमेंटरी बजट जो लगभग पौने तीन अरब रुपये का है, वह सचमुच सरकारी अधिकारियों की जेब में और सत्ताधारी नेताओं की जेब में जाएगा। इसलिए मैं जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों को इस अनुपूरक अनुदानों के रूप में देने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

*श्री राम गोविन्द–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत अनुपूरक मांगों की चर्चा में अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। जब से कांग्रेस सत्ता में आई है, तब से एक नई परम्परा पड़ गई है कि हर बजट के वक्त अनुपूरक बजट पेश कर दिया जाता है और उसको हमसे पास कराया जाता है और हमारी समझ में नहीं आता है कि इतने पैसों की जरूरत क्या है। क्षेत्र में जाइये तो किसी क्षेत्र में काम होता हो, तो होता हो, मैं अपने जनपद की बात आपको बताऊं, जबसे मैं विधायक होकर आया हूं सिंचाई विभाग, बलिया हमेशा यह कहता है कि हमारे पास किसी काम को करने के लिए कोई पैसा नहीं है। छोटे-छोटे पुल जो नहरों पर बनने परम आवश्यक हैं, वे भी धन के अभाव में वहां नहीं बन रहे हैं। सिंचाई विभाग में सालाना बजट में और इसमें भी बहुत पैसा पास हुआ है, लेकिन इसको कुछ मिला नहीं है। वहां के 10 माइनर्स का नक्शा आदि बनकर सब तैयार है, लेकिन उन पर पैसे के अभाव के कारण आज तक काम नहीं लग पा रहा है।

जनता के हितों का हर काम धन की कमी के बहाने से रुका हुआ है, लेकिन मंत्रियों और अधिकारियों के हित का कोई काम नहीं रुका है और न रुकता है। इनके हित के किसी काम के लिए धन की कमी होती है तो तुरन्त पैसा लेकर व्यय कर दिया जाता है और बाद में अनुपूरक मांग के माध्यम से उसे हमसे पास करा लिया जाता है। जनता के अधिकारी और कर्मचारी जनता से जो पैसा अनधिकृत रूप से बतौर घूस के लेते हैं, यदि उसी पैसे में से नियमित रूप से उनसे कमीशन ले लिया जाए तो उससे तमाम जनता के हितों के काम हो सकते हैं और इस तरह से अनुपूरक बजट ले आने का कोई औचित्य नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दूं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम गोविन्द]–

सन् 78 में पकड़ी से गढ़मुलपुर तक मेरे विधान सभा क्षेत्र में पी0 डब्लू0 डी0 की सड़क बनवाई गई जो कि 78 किलोमीटर की है। इस सड़क के बीच एक नहर पड़ती है उस पर अब तक कोई पुल या पुलिया नहीं बनायी गयी है। अतः इस पुलिया के न बनने से इस 78 कि0मी0 सड़क का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। जब पी0 डब्लू0 डी0 कोई काम नहीं कर सकता तो यह बजट क्यों उस विभाग के लिये मांगा जा रहा है? न यह विभाग पुलिया बनवा सकता है, न सड़क बनवा सकता है, न ड्रेनों की सफाई करवा सकता है, फिर किस लिये यह अनुपूरक बजट हम दें। मान्यवर, इस सरकार में अधिकांश मंत्री ऐसे हैं जो यह भी नहीं जानते होंगे कि अनुपूरक बजट क्या होता है। इसलिए इस अनुपूरक बजट को स्वीकार नहीं करना चाहिए, और जो नियमित बजट आने वाला है उसी से खर्च चलाया जाये। यह सदन उसे पास करेगा। इसकी आज जरूरत नहीं है।

इसी तरह परिवहन विभाग को ले लीजिए। वह भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है। अधिकांश बसें खराब पड़ी हुई हैं, शीशे टूटे हुये हैं, छत टूटी हुई हैं। मेरे जनपद में 80 प्रतिशत बसें ऐसी हैं जो खराब पड़ी हैं, जिन्हें परिवहन विभाग चला ही नहीं रहा है। खराब होने के कारण उनको कैन्सिल कर दिया गया है। मेरे क्षेत्र में एक बस ऐसी थी जो सवेरे और रात को चलती थी, कचहरी जाने वाले लोग उसमें चले जाते थे और वापस आते थे, उसके भी बन्द होने से और रेल की भी सुविधा न होने के कारण लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा है। प्राइवेट बसें भी यह सरकार नहीं चला रही है। इस लिये इस विभाग के लिए भी पैसा देने का कोई औचित्य नहीं है।

राज्यपाल महोदय के लिये जहां-जहां पर निवास हैं उनको और अधिक सुसज्जित करने के लिये तमाम धन मांगा जा रहा है। ग्रामीण जनता के लिये छोटे-छोटे पुल नहीं बनेंगे, उनके लिए सड़कों की मरम्मत नहीं होगी, बसें नहीं चलायी जायेंगी, पर राज्यपाल महोदय की सुविधाओं की वृद्धि में लाखों रुपया खर्च किया जायेगा। मैं कहता हूं कि अगर सरकार को सद्बुद्धि हो तो वह इस अनुपूरक अनुदान को वापस ले और जो बजट आगे आने वाला है उसे पास कराये। हमारे यहां एक सड़क पचीसों वर्ष से खराब पड़ी है, बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं, वहां की जिला कमेटी ने यह मांग की कि उसे पी0 डब्लू0 डी0 को ट्रान्सफर कर दिया जाय, वह सड़क उसे ट्रान्सफर तो हो गयी, पर उसने भी कोई काम नहीं किया। इसलिए यह अनुपूरक बजट पास करने की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुपूरक बजट पर बोलने का अवसर दिया। एक तरफ तो माननीय सदस्य यह मांग करते हैं कि हमारी यहां नाना प्रकार की सुविधायें बढ़ायी जांय, दूसरी तरफ इस अनुपूरक बजट का विरोध कर रहे हैं, यह कहां तक उचित है?

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ माननीय मंत्री ऐसे हैं जो यह भी नहीं जानते कि अनुपूरक बजट क्या होता है। मान्यवर, इसकी दो शक्लें हैं। एक पूरक बजट

होता है। दूसरे अगर किसी काम को जितना हम करना चाहते थे उतना नहीं कर पाये हैं तो हमें पैसे के लिये अनुपूरक बजट की आवश्यकता होती है या अगर पूरक बजट पेश नहीं हुआ और किसी काम के करने की आवश्यकता पड़ गयी और काम को कर दिया गया तो निश्चित रूप से हमारे संविधान के नियमों के तहत सदन के माध्यम से अनुपूरक बजट को पेश करने का हक है। शायद अब माननीय सदस्य की समझ में डेफिनीशन आ गयी होगी।

मान्यवर, सवाल इस बात का उठता है कि बजट तो हम पास करते हैं। हमारे वह भी साथी हाथ उठाते हैं और हम भी हाथ उठाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग सन् 1980 में आये और अब हम 84 का बजट पास कर रहे हैं। यह सही है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और काम भी हो रहे हैं। यह बात नहीं है कि काम नहीं हो रहे हैं। लेकिन जिस इच्छा और आकांक्षा से हमारे क्षेत्र की जनता हमें भेजती है, हमसे जो उम्मीद रखती है कि उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति हमारे माध्यम से होगी, किन्तु अफसोस के साथ कहना पड़ता है वित्त मंत्री जी से कि बजट तो पास करेंगे और करना भी है लेकिन यह भी निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि सिंचाई विभाग का कार्य कई वर्षों से ठप्प पड़ा है। एक पैसे का काम नहीं हो रहा है। जो माइनर खोद कर छोड़ दिये गये हैं उसका किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है और पानी डंप हो रहा है। पानी डंप होने की वजह से फसलें तबाह हो रही हैं। जनता से गलत तरीके से लगान की वसूली की जा रही है।

3 साल हुए हमारे क्षेत्र में एक छोटी सी माइनर है जिस पर से पचासों गांव के आने जाने का रास्ता है। मुश्किल से 8 हजार रुपये की लागत से पुल बनाने की आवश्यकता है। एक माइनर दुर्गवलिया और एक जिगना में। लेकिन अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। हम लोग बजट पास करने के लिये आये हैं, समर्थन के लिये आये हैं और समर्थन करेंगे लेकिन दुख के साथ यह भी निवेदन करूंगा कि जब हम अपने क्षेत्र में जायेंगे तो जनता हमसे हिसाब पूछेगी कि 5 साल में आपने कौन सा काम किया। इसलिए हमें हिसाब देना है। मैं निवेदन करूंगा कि जिले में जब हम सम्पर्क करते हैं तो वहां कहा जाता है कि पैसा नहीं है इसलिये काम नहीं हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं काम में तेजी हो। बजट हम जरूर पास करेंगे, बजट पास करने के लिये आये हैं। काम भी हो रहा है और काम होना भी चाहिये लेकिन जिस सीमा तक होना चाहिये उस सीमा तक नहीं हो रहा है। अंत में मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री शंकर सिंह–

मान्यवर, मुझे खुशी होती लेकिन जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है वह न तो जनता को राहत पहुंचाने के लिये है न किसान को राहत पहुंचाने के लिये है और न सिंचाई की सुख-सुविधायें या सम्पर्क मार्ग बनाने के सम्बन्ध में है। इन कार्यों के लिये बजट नहीं है बल्कि इसके विपरीत, जो रुपया मांगा गया है वह विलासिता के लिये मांगा गया है। इनके अनुपूरक बजट की पहली मद को देखेंगे तो पता चलेगा कि आगरा में पैराशूट रेजीमेंट को सस्ती शराब उपलब्ध कराने के लिये 30 हजार रुपये की मांग है। जब शुरुआत शराब पिलाने से करेंगे तो फिर अंत क्या होगा इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। एक तरफ मद्य निषेध की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो अनुपूरक

[श्री शंकर सिंह]

बजट पेश कर रहे हैं उसकी पहली मद की शुरुआत सस्ती शराब से कर रहे हैं । तो निश्चित रूप से वित्त मंत्री या वित्त मंत्री के सहयोगियों की सस्ती शराब या शराब से संबंधित विषय में निजी दिलचस्पी है। सारे मंत्री तो खैर वैसे ही सत्ता के मद में झूम रहे हैं, लेकिन इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें इनकी ज्यादा दिलचस्पी है । आज इनका जितना सिंचाई का काम है, वह ठप्प पड़ा हुआ है । यही हालत बुन्देलखण्ड की है । नलकूपों की हालत बुन्देलखण्ड में बहुत खराब है जो चार पांच महीने पहले खराब थी, वह आज तक वैसे ही पड़ा हुआ है। अगर कोई चीज खराब हो गयी है, तो वह ठीक नहीं हो रही है। बिजली के ट्रान्सफारमर अगर जल गये हैं, तो ट्रान्सफारमर नहीं लग पा रहे हैं। जो चालू नलकूप हैं, अगर 4 साल पहले से उसमें कोई सामान नहीं लग पाया है, तो आज तक नहीं लगा उसमें पाइप लाइन के लिए एक पैसा खर्च नहीं किया । बनी हुई नाली अगर एक फुट टूट गयी है, तो एक पैसा इनके पास नहीं है कि ये उसको ठीक करा सकें ।

किसान हम लोगों के पास आते हैं, हम लोग विभाग में अधिकारियों के पास जाते हैं, तो स्पष्ट उत्तर मिल जाता है कि न तो हम मोटर लगा सकते हैं और न बिजली लगा सकते हैं। मान्यवर, विभाग उन नलकूपों पर एक पैसा भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, तो मान्यवर, सारी की सारी सिंचाई की क्षमता ठप्प पड़ी हुई है। 5-5, 6-6 जो रिग मशीनें हर जनपद में पड़ी हैं, जो 10-12 लाख रुपये की आती हैं, उनको जंग खा रही है, क्योंकि इनकी नये नलकूपों के लगाने पर पाबन्दी लग गयी है, धन उनके लिए स्वीकार होना नहीं है, पुराने नलकूप ठीक होने ही नहीं हैं, तो इस प्रकार से मान्यवर, वहां पर नलकूप ठीक कराने की कोई व्यवस्था नहीं है और वहां पर सिंचाई का काम ठप्प पड़ा हुआ है।

अभी मैंने नियम 56 में प्रश्न उठाया था कि जो बुन्देलखण्ड में नलकूप हैं, उनके सभी के कनेक्शन काट दिये गये, क्योंकि लिफ्ट इरीगेशन विभाग के पास पैसा नहीं है, और वह बिल का भुगतान नहीं कर सके इसलिये कनेक्शन काट दिये गये । आप भी कहते हैं कि काट दिये जायेंगे। क्या निजी क्षेत्रों के कनेक्शन्स नहीं काटे जायेंगे, निजी कनेक्शन्स जुड़े हैं और काम कर रहे हैं । मान्यवर, यह पीक सीजन है सिंचाई का, इसलिए वह काट दिये गये। उरई रेलवे स्टेशन के कनेक्शन काट दिये गये। वहां पर अंधेरा पड़ा हुआ है। जो 25 हजार रुपये बैंक द्वारा दिलाने की बात है, एक भी व्यक्ति को नहीं मिल सका है। जो जिले का छटा-छटाया गुंडा है, सफेद पोश में वह बैंक में जाता है और चाकू की नोक पर तमंचे की नोक पर बैंक में घुसता है, बैंक के अधिकारी से कहता है कि आप इस पर दस्तखत कर दीजिए, नहीं तो कल तक उड़ा दिये जायेंगे, वह बैंक का अधिकारी दस्तखत कर देता है, लोन मिल जाता है लेकिन जो सीधा-सादा है उसका काम नहीं होता है।

अभी नवम्बर-दिसम्बर में बाढ़ आई थी, तमाम गांव उजड़ गये, लेकिन आज गांवों को बसाने के लिए कोई पैसा नहीं है, कोई अनुदान नहीं दिया गया, भूमि तक नहीं उपलब्ध कराई गयी । आज लोग भूखों मर रहे हैं । आज भी जनपद जालौन में हेमन्तपुरा, पथरहेटा रघुराजपुरा, चन्दरसी, परासन आदि जाने कितने गांव हैं, जोकि बाढ़ में बह गये, एक कच्चे संपर्क मार्ग से भी उसको जोड़ देते, तो कुछ उनको लाभ मिल जाता। आज जो

कालपी तहसील है, आज वहां पर कोई आवागमन के साधन नहीं हैं । मान्यवर, बेतवा नदी पर चन्दौरघाट का पुल, बम्हौरा पर मलंगा का पुल और भदरखी में नून नदी का पुल बहुत ही आवश्यक है । बेतवा नदी का पुल चन्वैत पर बना दिया जाय तो जालौन और हमीरपुर का सीधा सम्पर्क हो जाय । पी0 डब्लू0 डी0 मंत्री बैठे हैं । वहां पर पीपे का पुल बनाने के आदेश देने का कष्ट करेंगे। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि वहां पर कालपी में पैन्टून पीपे खाली हो गये हैं। इसलिए पीपों की भी समस्या नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री शंकर सिंह–

इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री राधे श्याम पटेल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सदन आगामी वर्ष के लक्ष्यों को देखकर बजट पास करता है । हर विभाग को पैसा दिया जाता है किसी योजना के तहत कि इसमें इतना पैसा खर्च किया जाय । जो पैसा मिला जब उसका सदुपयोग नहीं हुआ, उपयोग नहीं हो सका तो फिर और पैसा अनुपूरक बजट के जरिये देना एक विडम्बना है और भ्रष्ट अधिकारियों को लूटने, खसोटने का जरिया बनाया जा रहा है। मैं इस संबंध में अपने क्षेत्र इलाहाबाद के सोरांव के कुछ उदाहरण देना चाहता हूं।

सिंचाई विभाग में कार्य शुरु हुआ नाले बनाने का, जल भराव के पानी को निकालने का काम शुरु हुआ, कागज पर उसका निर्माण हो गया, पैसे का पेमेन्ट हो गया लेकिन वास्तव में कोई कार्य नहीं हुआ । मैंने अधीक्षण अभियन्ता को लिखकर दिया वह मौके पर गये और उन्होंने देखा कि वहां पर कोई सीवेज ड्रेन नहीं है, न कोई नाला है, माइनर जहां बननी चाहिये थी वहां नहीं बनी, उसको बनाकर एक ताल में लाकर डाल दिया जो फसल को डुबो रहो है। अधीक्षण अभियन्ता ने आदेश किया कि इसकी वास्तविक जानकारी हमको और विधायक महोदय को दी जाय लेकिन आज तक उसकी कोई जानकारी हमको नहीं दी गयी।

आज पुनः पैसा दिया जा रहा है उन भ्रष्ट अधिकारियों को लूटने का और उनके सम्पर्क में जो ठेकेदार हैं, उनको लूटने का। पब्लिक मनी को उनके निजी प्रयोग हेतु पुनः दिया जा रहा है।

मैं परिवहन निगम की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब इन्होंने 25 प्रतिशत किराया बढ़ाया था तो हम लोगों ने अखबार में पढ़ा था कि जो अधिक पैसा आयेगा उससे नई बसें खरीदी जायेंगी और उससे जनता को अधिक सुविधा प्रदान की जायेगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इलाहाबाद में जो बसें चल रही हैं जो पहले की सीट थी उस पर गद्दा लगता था डनलप लगता था लेकिन अब उस पर तख्ती जड़ी जा रही है। अगर तख्ती न मिली तो उस पर दरियां बिछाई जायेंगी ताकि यात्री आराम से बैठकर या लेटकर यात्रा करें।

[श्री राधेश्याम पटेल]

शिक्षा विभाग की भी यही हालत है। स्कूलों की मरम्मत के लिये पैसा गया, सलाहकार समिति की बैठक हुई। उसमें कुछ स्कूलों को लिया गया कि वरीयता के साथ बनाया जायेगा लेकिन अधिकारियों ने अपनी अलग से लिस्ट तैयार करके एक विकास खण्ड में एक विद्यालय को लेकर बनाने में लगे हुए हैं। इसलिये मैं इस अनुपूरक अनुदान का विरोध करता हूं। जो पैसा दिया जा रहा है या दिया गया है उसका सर्वेक्षण होना चाहिये कि उसका सदुपयोग हुआ है या नहीं। अगर सदुपयोग हुआ है तो धन देने का औचित्य लगता है वरना एक भी पैसा अनुपूरक बजट के जरिये दिया जायेगा तो उसका दुरुपयोग होगा।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री राधेश्याम पटेल–

मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग में जो सड़कें वर्ष में बनती हैं जो बजट पास होता है सड़कों के लिए उनका निर्माण नहीं हुआ। पन्द्रह दिन के अन्दर उन सड़कों पर मिट्टी डाल दी जाएगी, गिट्टी डाल दी जाएगी और सड़कें बनेंगी लेकिन मान्यवर, दूसरे महीने में उसमें मरम्मत का कार्य शुरू हो जाएगा इस तरह से सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुपूरक अनुदान की मांगों का विरोध करता हूं।

श्री गोरे लाल शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आक्षा से अनुपूरक मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अनुपूरक अनुदानों की बात कहना आवश्यक है। वित्त मंत्री जी से हमारा निवेदन है कि जो यह कमियां हैं जो आपने इसके पहले करोड़ों अरबों रुपयों का बजट दिया है उसकी जांच करा लें कि वह धन सही लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तब तक इसको स्थगित करना चाहिए। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सन् 80 से लेकर आज तक यह देख लें। 1980 से आज तक विभिन्न विभागों में जो पैसा दिया गया है हमारे इटावा में उसका उपयोग नहीं हुआ है चाहे वह सिंचाई का हो, चाहे शिक्षा का हो इसका उपयोग आज तक नहीं किया गया है। तो फिर तमाम अनुपूरक अनुदानों का कोई औचित्य नहीं रहता है। मान्यवर, आज तक हमारे यहां स्कूलों की मरम्मत में पैसे का उपयोग नहीं हो सका है। इसलिए मान्यवर, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा सन् 80 से लेकर जो विकास कार्यों में खर्चा हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। मैं असेम्बली के स्तर पर जांच की मांग करता हूं। जो रुपया खर्च हुआ है उसमें करोड़ों रुपयों का घपला हुआ है इसकी जांच के बाद अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत किया जाए।

(कुछ माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाईं।)

श्री कुबेर भण्डारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से घाटा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पहले घाटे का बजट पेश करते हैं फिर बजट लेकर आते हैं हम बजट पास करते हैं तो खाली अधिकारियों के खाने के लिए करते हैं या सही उपयोग करने के लिए करते हैं? मान्यवर, हमारे जिले में जबसे यह सरकार आयी है कोई भी उद्योग धन्धा शुरू नहीं हुआ।

मान्यवर, बिहार में जो बाढ़ आती है उसको बचाने के लिए हमारे इलाके में नहर खोदी गई है। नहर से सीपेज हो रहा है। कोई उद्योग धन्धा यहां नहीं लगाया गया है। देवरिया में 14 चीनी मिल हैं जब अंग्रेज थे तब चीनी मिलों की स्थापना हुई। तब से कुछ नहीं हुआ है यह रायबरेली, अमेठी में चुनाव जीतने के लिए बजट पेश कर रहे हैं।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो सदस्य इस माननीय सदन का सदस्य न हो उस पर कोई प्रश्न उठाया जाए ऐसी कोई व्यवस्था है।

श्री अधिष्ठाता–

आरोप न लगायें।

श्री हुकुम सिंह–

उनका नाम नहीं लिया गया है उनका संदर्भ दिया गया है।

श्री कुबेर भण्डारी–

मान्यवर, मैं सत्य बात कह रहा हूं। चाहे यहां के सदस्य हों या न हों, वह देश की प्रधान मंत्री हैं, देश के संसद सदस्य हैं, रायबरेली उनका जिला है। वहां चुनाव जीतने के दृष्टिकोण से पैसा लगाया जा रहा है। मुझे लगता है ये पूर्वांचल को कई भागों में बांटना चाहते हैं। इस तरह से काम नहीं चलेगा। मेरा आरोप है इनकी सरकार ने पिछले 35-36 सालों में देवरिया में एक भी कारखाना लगाया हो तो बता दें।

मान्यवर, मेरी यह खुली चुनौती है कि जो पैसा यह सरकार खर्च कर रही है, बजट का, उसका दुरुपयोग हो रहा है। कहीं भी सड़क नहीं बनी है। जनता सरकार ने जो सड़कें बनवायी थी, उनके ऊपर ये अपना बोर्ड लगा रहे हैं। न मिट्टी पड़ रही है न कंकड़ पड़ रहे हैं। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो ये बजट ले रहे हैं, यह एक गरीब मुल्क है, इसका दुरुपयोग न हो। आपकी सरकार है, आप उसको देखें कि यह पैसा अधिकारियों की जेब में न चला जाय। आप इस तरह का अनर्गल दुरुपयोग रोकें।

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)–

मान्यवर, इस अनुपूरक अनुदानों के बारे में चर्चा करते हुए जिन माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं, मुझे आशा और विश्वास है और मैं अपने माननीय सहयोगी मंत्रियों से अनुरोध करूंगा कि इसको मार्गदर्शन के रूप में लें और माननीय सदस्यों के अनुभवों से लाभ उठावें। इस वर्ष मुझे पहले 252.95 करोड़ रुपये के अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत करने का मौका मिला था। प्रस्तुत अनुपूरक मांग कुल 263.44 करोड़ रुपये की है। इस प्रकार कुल 516.39 करोड़ रुपये की मांगें प्रस्तुत की जा चुकी हैं। इसमें शुद्ध लाभ 96.29 करोड़ रुपये का है। इस अनुपूरक मांग में शुद्ध व्यय भार 58.55 करोड़ रुपये का है। इसमें मैं कुछ बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमने जो मांग की है, इसमें हमने दैवी आपदाओं के कारण जो सहायता ली है, उसके लिये 35.19 करोड़ की मांग की है। हम चाहते हैं कि राज्य

[श्री ब्रह्म दत्त]

सड़क परिवहन निगम का कार्य सुचारु रूप से हो। इसके लिये आवश्यक है कि नयी बसें क्रय की जायं। इसके लिये 5.00 करोड़ रुपये लिये हैं। माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों में वेतन वितरण करने के लिये कमी पड़ रही है। उसके लिये 15.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। सहकारी संघ को उर्वरक वितरण और क्रय करने के लिये 10.00 करोड़ रुपये दिये हैं। सहकारी बैंक को भी 10.00 करोड़ रुपये दिये गये हैं। लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु 13.98 करोड़ रुपये दिये गये हैं।

अतः यह देखना है कि यह सब जनता के किसी न किसी भले के लिये है। हमने सामुदायिक विकास खण्ड बनाए हैं और उसके लिये व्यवस्था की है। इनके लिये 6.77 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। सिंचाई विभाग के अधिष्ठान में देने के लिये व्यय की व्यवस्था की है। उसके लिये 4.58 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। सिंचाई एवं बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिये 7.45 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। विद्युत परियोजनाओं के लिये 10.77 करोड़ रुपये दिये हैं। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रही, जो प्रधान मंत्री जी ने शुरू किया था। इसके बारे में आशंकाएं भी उत्पन्न हुई। मैंने अपने बजट भाषण में इसके बारे में 26 करोड़ की योजना शुरू की थी। अब 17.05 करोड़ की और व्यवस्था कर रहे हैं। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो वर्ष 1983-84 में शुरू की गयी थी, वह 1984-85 में भी चालू है और 1985-86 में भी चालू रहेगी। अगर इससे भी ज्यादा व्यय होगा, तो उसे हम तृतीय अनुपूरक अनुदान द्वारा पूरा करेंगे, जिसे मैं मार्च में प्रस्तुत करूंगा।

मैं माननीय सदस्यों को यह सूचना देना चाहूंगा कि हर जिले के लिए यह योजना बनाई गई है। किसी भी जिले को हम 2 करोड़ रुपए से कम आवंटित नहीं करेंगे। जिसमें सम्पर्क मार्ग बनाये जायेंगे, नाले बनाये जायेंगे तथा जहां पर नदियों से कटाव होता है, वहां पर सुरक्षा हेतु बांध बनाये जायेंगे। हमारा प्रयास यह भी रहेगा कि आधा रुपया मजदूरों को मजदूरी के रूप में मिल सके ताकि उनको राहत मिल सके। इससे एक तरफ तो लोगों को रोजगार मिलेगा और दूसरी तरफ हमारे विकास के कार्य पूरे हो जायेंगे। एक बात मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहूंगा कि ये सभी कार्य ठेकेदारी प्रथा से नहीं किए जायेंगे। दूसरा यह कि उन्हीं लोगों को इसमें पैसा मिलेगा, जो वास्तव में कार्य पर लगे हुए हैं।

[समय 3 बजकर 20 मिनट]

श्रीमन्, दैवी- आपदाओं का तो मैं जिक्र कर चुका हूं। दैवी आपदाओं के कारण विभिन्न सहायता कार्यक्रमों हेतु मूल बजट में 10.80 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी, जो राज्य में वर्ष के दौरान पड़े सूखे तथा बाढ़ की स्थिति से निबटने के लिए सर्वथा अपर्याप्त सिद्ध हुई। अतः भारत सरकार द्वारा सहायता कार्यों पर इस वर्ष लगभग 48 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि व्यय किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है जिसका अंशतः भार सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। इस हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृति अग्रिमों में से लगभग 35 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति प्रस्तुत अनुपूरक मांग के माध्यम से की जा रही है।

प्रदेश में गेहूं की फसल को खरपतवार से बचाने के लिए खरपतवार नाशक हेतु अनुदान के लिए मूल बजट में केवल 12 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। इस व्यवस्था को बढ़ाकर 163 लाख किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पौध संरक्षण सेवा के अन्तर्गत भी खरपतवार नाश के लिए मूल बजट में किया गया 4.50 करोड़ रुपए का प्राविधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ है। अतः अनुपूरक मांग के माध्यम से 2.40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। कृषकों के आर्थिक विकास हेतु राज्य के तीन जनपदों, झांसी, जालौन तथा हमीरपुर में 20 लाख रुपए की लागत से शुष्क कृषि विकास की योजना कार्यान्वित की जा रही है। राज्य चीनी निगम तथा रिसीवरों के अधीन चलायी जा रही चीनी मिलों के श्रमिकों के वेतन, आवश्यक सामग्री की खरीद, आक्सीजन, मरम्मत तथा कार्यशील पूंजी हेतु आयोजनेतर पक्ष से 7.86 करोड़ रुपये तथा आयोजनागत पक्ष से 30 लाख रुपये के ऋण स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

इसके अतिरिक्त सहकारी चीनी मिल संपूर्णनगर (खीरी) तथा पूरनपुर (पीलीभीत) की स्थापना हेतु 2.50 करोड़ रुपये की अंश पूंजी विनियोजन किया गया है।

प्रदेश के 876 विकास खण्डों में एक विशेष योजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसके लिये अनुपूरक मांगों में कुल 23.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था सम्मिलित की गयी है, जिसमें 50 प्रतिशत सहायता केन्द्र सरकार की है।

पर्वतीय क्षेत्र में वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए जोशीमठ जिला चमोली में एक आवासीय गृह स्थापित किये जाने का प्रस्ताव अनुपूरक अनुदान में सम्मिलित किया गया है। इसमें वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों को जिन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है निःशुल्क आवास एवं भरण पोषण की व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्र की निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण तथा उनके बच्चों की शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु अनुपूरक अनुदान में एक योजना सम्मिलित की गई है।

प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानियों को ताम्र पत्र वितरित करने के लिए अनुपूरक मांगों द्वारा 2.68 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। जहां भी सम्मेलन होगा, वहां तक जाने के लिए भी उनकी व्यवस्था की गई है। जहां तक सम्भव हो सकेगा, हम उनको और सहायता देंगे।

यहां पर एन0 आई0 पी0 की बात कही गई कि स्वीकृति अभी वहां नहीं पहुंची है। मैंने इसके लिए बहुत प्रयास किया कि जिन कार्यक्रमों के लिए यह स्वीकृति है, वहां जल्दी पहुंच जाय। पिछले वर्ष इसमें हमें कुछ कामयाबी भी मिली, हम उम्मीद करते हैं कि उससे भी ज्यादा स्वीकृति हमको मिल जायेगी। उस रुपये को हम बेकार नहीं पड़ने देंगे, उस रुपए को अगले वर्ष हम काम में ले आयेंगे।

यहां पर नयी शिक्षा-प्रणाली की बात कही गई, मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि शिक्षा-प्रणाली में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। हम एक ऐसी शिक्षा-प्रणाली की कल्पना कर रहे हैं, जिसका आधार विद्यार्थी हो। उसके बारे

[श्री ब्रह्म दत्त]

में शिक्षकों को ट्रैनिंग दी जायेगी। कई बार यहां पर कहा गया कि जांच होनी चाहिए वहां चाहे वह कार्य जिला योजना के अन्दर हुआ हो या फिर 20 सूत्रीय कार्य-क्रम के अन्तर्गत । इसके लिए हमने एक अनुशरण समिति बनायी है, उसमें माननीय विधायक भी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य और चीजों की भी देख-भाल करेंगे। इस समय मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूं । हमने अपनी योजनाओं में किसी प्रकार की कटौती नहीं की है और इसी के साथ ही साथ हमने रिजर्व-बैंक आफ इण्डिया से कोई ओवर-ड्राफ्ट भी नहीं लिया है, जो एक सराहनीय कार्य है । इसके लिए रिजर्व-बैंक ने भी हमारी प्रशंसा की है । यदि वित्त की और आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए अनुपूरक मांग पेश करनी पड़ेगी। मुझे विश्वास है कि माननीय सदन इन अनुपूरक अनुदानों को पारित करेगा और इस तरह से प्रदेश के विकास के लिये इस वर्ष की रुपए की जो आवश्यकता होगी, उसको हम पूरा करने में सफल होंगे।

यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितना सामर्थ्य है, उसके मुताबिक हर चीज पर नजर रखे हुए हैं कि किसी चीज पर अनावश्यक रूप से व्यय न हो। जो रुपया जिन कामों को पूरा करने के लिये उपलब्ध हो रहा है, उनको उससे पूरा किया जाय और जो नये कामों के लिए स्वीकृति हो रही है, उनको शुरू कर, उनका पूरा उपयोग किया जाय। मान्यवर, इसी तरह से प्रदेश का विकास संभव है। मान्यवर, हम लोगों की कोशिश है कि हर क्षेत्र में विकास हो, कृषि का विकास हो, जहां तक कृषि के विकास का सवाल है, मान्यवर, उसमें हमें गौरव प्राप्त है कि कृषि के क्षेत्र में हमने प्रदेश में बहुत सफलताएं प्राप्त की है। देश भर में जितना गेंहूं का उत्पादन बढ़ा है, उसमें 2/3 हमारा योगदान है। इसके अलावा 1979-80 के वर्ष को आधार मानकर अगर विकास की दर देखें, तो विकास की दर उस अनुपात में हमने दुगुनी प्राप्त की है, जिसका जिक्र मैं बजट भाषण में भी कर चुका हूं। इसके बारे में विस्तार से चर्चा की आवश्यकता है, बजट जब सामने आयेगा तो उसमें हम निवेदन करेंगे। उस समय जो माननीय सदस्यों के सुझाव होंगे, उनके बारे में मैं अपनी राय दूंगा और जो आलोचना होगी, उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

मैं अपेक्षा करता हूं माननीय सदन से, जो उदारता और सहयोग उनका रहा है, उसी भावना से, इन अनुपूरक अनुदानों को पारित करेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मंत्री जी जिस समय मैं चर्चा का प्रारम्भ कर रहा था, उस समय मैंने रोजगार योजना के बारे में कुछ शंकायें प्रस्तुत की थी। उस पर आपने कहा था कि मेरी शंका निरर्थक है और उस सम्बन्ध में कोई संशोधन हो गया है। उस पर मैंने कहा था कि मैंने संशोधन पढ़ा है, वह एक प्रतिशत के बारे में है, जिसमें सबको पूरा नहीं होता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जो रिजर्व बैंक की ओर से आदेश आया है, उसे वे कृपया करके देख लें। उसे उन्होंने अगर न देखा होगा, तो उसे वे देख लें और देख करके भले ही उस पर कल उत्तर दे दें। मान्यवर,

उस स्थिति से सम्पूर्ण प्रदेश का नवयुवक प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा ग्रामीण और कोआपरेटिव के बारे में जो शंकायें थीं, उसकी भी कृपा कर सफाई दे दें।

श्री ब्रह्मदत्त–

जो ग्रामीण रोजगार योजना की बात है, उसकी बाबत मुझे खेद है, मैंने उसे नोट किया था, मैं भूल गया, उसमें कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुई थी। रिजर्व बैंक के जी0 ओ0 के मुताबिक, जिसका कि जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं, उसकी बाबत हमने रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर श्री कौल को यहां आमंत्रित किया था और देहरादून में उनके साथ विस्तार से बैठक हुई थी। यह स्पष्ट था कि रुपये से सीमा नहीं आकेंगे, बल्कि लक्ष्य की पूर्ति से सीमा आंकी जायेगी 37 हजार लोगों का इसकी बाबत लक्ष्य है।

मान्यवर, इसकी बाबत जिले की जो कमेटियां हैं, उसको भी देखना पड़ता है। हर आदमी चाहता है कि उसे 25 हजार मिल जाय, उसमें यह देखना पड़ता है कि उसे किस काम के लिये चाहिए वह क्या काम करता है। 37 हजार का जो लक्ष्य है, आशा है हम उसे प्राप्त कर लेंगे। जहां तक सवाल दूसरे बैंकों को उसमें इन्वाल्वड करने का है, जितने कामर्शियल बैंक हैं, उनके पास डिपाजिट बहुत हैं और क्रेडिट कम हैं। एक जमाना था 8-10 साल पहले जब 30 फीसदी क्रेडिट रेशियू था, अब 45 प्रतिशत हुआ है। लेकिन, अभी भी उसमें बढ़ाने की गुंजाइश बहुत है। मैं उम्मीद करता हूं कि रिजर्व बैंक ने उदारतापूर्वक उनको जो मार्गदर्शन दिया है कि लक्ष्य जो सौंपा गया है, वह लक्ष्य डिपाजिट को देखते हुए किया जायेगा, उनको वह पूरा करेंगे। और आशा है कि मार्च तक, जब यह बजट पास करने की बात होगी, तब तक मैं आपको सूचना दे सकूंगा इस दिशा में हुए प्रयत्नों की भूमि विकास बैंक और ग्रामीण विकास बैंक की बातें कही गयी। जहां तक ग्रामीण विकास बैंक की बात है, हम लोगों की इच्छा है कि सारे जिलों में यह फैल जांय। 56 जिलों में से 42 जिलों में यह बैंक कायम है और उत्तर प्रदेश के अलावा किसी अन्य प्रदेश में यह ग्रामीण बैंक नहीं है। एक पर्वतीय क्षेत्र के माननीय सदस्य ने पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीण बैंकों की स्थापना की बात कही थी। तो, उसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगले वर्ष तक पहाड़ के आठों जिलों में इस तरह के बैंक हो जा जायें और 1985 तक सारे प्रदेश में ग्रामीण बैंक की शाखायें खुल सकें। उससे कोआपरेटिव, भूमि विकास बैंक और कामर्शियल बैंक की जो कामियां हैं, वह पूरी हो सकेंगी।

1983-84 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–

अनुदान संख्या-1 आबकारी विभाग

*आबकारी मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-1 आबकारी विभाग के अन्तर्गत 15,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 1–आबकारी विभाग के अन्तर्गत 15,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–3 उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज)

*उद्योग मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–3 उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) के अन्तर्गत 75,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–3 उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) के अन्तर्गत 75,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 4–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)

*उद्योग मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 2,85,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 2,85,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

*उद्योग मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 4,26,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 4,26,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अनुदान संख्या 7—उर्जा—विभाग

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या7—उर्जा विभाग के अन्तर्गत 10,77,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7—उर्जा विभाग के अन्तर्गत 10,77,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 8—कार्मिक विभाग

सूचना राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 8—कार्मिक विभाग के अन्तर्गत 18,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 8—कार्मिक विभाग के अन्तर्गत 18,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 9—कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)

कृषि राज्य मंत्री (श्रीमती बेनी बाई)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 9—कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 93,74,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9—कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 93,74,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 10—कृषि-विभाग (कृषि)

कृषि राज्य मंत्री (श्रीमती बेनी बाई)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 10—कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 9,87,64,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाए ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10-कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 9,87,64,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 11—खाद्य तथा रसद विभाग

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री (श्री जैराज गौतम)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11—खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 2,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाए ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11—खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 2,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 13—गन्ना विकास विभाग—(चीनी उद्योग)

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 13—गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 11,71,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाए ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13—गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 11, 71, 44, 000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 14—गृह विभाग (कारागार)

नियोजन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14—गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 11,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाए ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14—गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 11 77,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 15—गृह विभाग (पुलिस)

गृह राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 15 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 46, 77, 000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाए ।

अनुदान संख्या 15—गृह विभाग (पुलिस)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 15-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 46, 77, 000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 17—गोपन विभाग

गृह राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17—गोपन विभाग के अन्तर्गत 1, 03, 000 रुपए की अनुपूरक मांग अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाए ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 17—गोपन विभाग के अन्तर्गत 1, 03, 000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 18—ग्राम्य विकास विभाग

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18—ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत 55, 20, 82, 000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाए ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18—ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत 55,20,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 19—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत 3, 41, 28, 000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत 3,41,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 20—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

स्वास्थ्य राज्यमंत्री (श्री हरि सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 20—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 2,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 2,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 21–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 54, 80, 000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 54, 80, 000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 22–नगर विकास विभाग

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 5, 20, 40, 000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 5,20,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 26–नियोजन विभाग

नियोजन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26–नियोजन विभाग के अन्तर्गत 1, 000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26–नियोजन विभाग के अन्तर्गत 1, 000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 27–निर्यात प्रोत्साहन विभाग

उद्योग राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अमीन)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27–निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अन्तर्गत 78,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

संख्या 27—निर्यात प्रोत्साहन विभाग

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27—निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अन्तर्गत 78,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 28—निर्वाचन विभाग

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28—निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 2,17,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28—निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 2,17,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 29—न्याय विभाग

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 29—न्याय विभाग के अन्तर्गत 25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 29—न्याय विभाग के अन्तर्गत 25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 30—पंचायती राज विभाग

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 30—पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत 1,42,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 30—पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत 1,42,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 31—परिवहन विभाग

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 31—परिवहन विभाग के अन्तर्गत 10,02,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31–परिवहन विभाग के अन्तर्गत 10,02,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 32–पर्यटन विभाग

पर्यटन राज्य मंत्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 81,33,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 81,33,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 33–पर्वतीय विकास विभाग

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33–पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 10,05,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33–पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 10,05,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 34–पशुधन विभाग

गृह राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34–पशुधन विभाग के अन्तर्गत 6,93,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34–पशुधन विभाग के अन्तर्गत 6,93,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 35–पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)

गृह राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35–पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 12,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35—पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 12,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 37—प्राविधिक शिक्षा विभाग

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37—प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 2,80,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37—प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 2,80,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 38—मत्स्य विभाग

गृह राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38—मत्स्य विभाग के अन्तर्गत 7,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38—मत्स्य विभाग के अन्तर्गत 7,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 39—मुस्लिम वक्फ विभाग

नियोजन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 39—मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 3,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39—मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 3,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 41—राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता)

वित्त राज्य मंत्री (श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 41—राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) के अन्तर्गत 5,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 41—राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) के अन्तर्गत 5,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 44—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 3,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 3,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 46—वन विभाग

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 46—वन विभाग के अन्तर्गत 8,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 46—वन विभाग के अन्तर्गत 8,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 49—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 88,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

पूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 88,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 50—वित्त विभाग (राज्य लाटरी)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50—वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 8,93,21,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50—वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 8,93,21,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 55—विज्ञान एवं प्रौद्योग विभाग

विज्ञान एवं प्रौद्योग राज्य मंत्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 55—विज्ञान एवं प्रौद्योग विभाग के अन्तर्गत 12,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55—विज्ञान एवं प्रौद्योग विभाग के अन्तर्गत 12,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 56—शिक्षा विभाग

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 56—शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 32,58,39,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56—शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 32,58,39,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 57—श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 57—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 24,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 57—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 24,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 58—श्रम विभाग (सेवायोजन)

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58—श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 36,21,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58—श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 36,21,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 60—संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60—संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 1,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60—संस्थागत वित्त (निदेशालय) के अन्तर्गत 1,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 61—संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री कर)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 61—संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत 26,92,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या 61--संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 61-संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अंतर्गत 26,92,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 62-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)–

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 62-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अंतर्गत 4,54,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 62-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 4,54,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 63-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)–

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 63-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अंतर्गत 1,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 63-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अंतर्गत 1,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 64–सचिवालय प्रशासन विभाग

सूचना राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 64–सचिवालय प्रशासन विभाग के अंतर्गत 84,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 64–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 84,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग

गृह राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 2,33,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग के अंतर्गत 2,33,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 66--सहकारिता विभाग

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 66--सहकारिता विभाग के अन्तर्गत 23,18,58,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 66--सहकारिता विभाग के अन्तर्गत 23,18,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 68--सांस्कृतिक कार्य विभाग

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 68--सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 16,70,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68--सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 16,70,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 1,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

(इस समय 4 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 69–सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत 1,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 72–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री विद्या भूषण)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 55,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 55,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 73–सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री विद्या भूषण)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 73–सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 43,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73–सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 43,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 74–सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री विद्या भूषण)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 74–सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 1,81,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 74–सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अंतर्गत 1,81,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 75–सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री विद्या भूषण)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 75–सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 16,29,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75–सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अंतर्गत 16,29,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 76–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

उद्योग राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अमीन)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 10,00,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अंतर्गत 10,00,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 77–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

उद्योग राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अमीन)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–77 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 18,83,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 18,83,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 78–सूचना विभाग

सूचना राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 78–सूचना विभाग के अन्तर्गत 58,98,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 78—सूचना विभाग के अन्तर्गत 58,98,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या—80 स्पोर्ट्स विभाग

गृह राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)—

मान्यवर, आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 80—स्पोर्ट्स विभाग के अन्तर्गत 11,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 80—स्पोर्ट्स विभाग के अन्तर्गत 11,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या—81 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गोपाल राम दास)—

मान्यवर, आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 81—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 41,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 81—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 41,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिये स्वीकार की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-84 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1984

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-84 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक 1984 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-84 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक 1984 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(विनियोग विधेयक की प्रतियां बांटी गयीं।)

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-84 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1984 पुरः स्थापित करता हूं।

श्री ब्रह्म दत्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-84 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1984 पर विचार किया जाये ।

श्री भीखा लाल–

मान्यवर, मैं इसका विरोध करना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, करीब 263 करोड़ रुपये से अधिक की मांगों के लिये यह विनियोग विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है । अनुपूरक अनुदान सामान्यतः दो कारणों से मांगा जाता है। एक तो यह कि जिन मदों के लिये सामान्य बजट में जितने धन की व्यवस्था की जाती है अगर उतने में खर्च पूरा नहीं होता तब अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जाती है। दूसरे यह कि जब कोई नया खर्च शुरू किया जाता है, नया काम होता है, तब उसके लिये अनुपूरक बजट में प्राविधान किया जाता है ।

मान्यवर, इस अनुपूरक अनुदान में अनुदान संख्या–28 है, निर्वाचन विभाग द्वारा इसके लिये 2 करोड़ 17 लाख 28 हजार रुपये की मांग की जा रही है। कारण यह बताया गया कि भारत के निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि विधान सभा की निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण कराया जाय और छपवाया जाय । इसका सामान्य बजट में कोई प्राविधान नहीं था इसलिए धन मांगा जा रहा है। दूसरा स्थानीय निकायों की नामावलियों का पुनरीक्षण कराया जाय तथा छपायी करवायी जाय इसका प्राविधान सामान्य बजट में न होने की वजह से मांग की जा रही है मान्यवर, आखिर में लिखते हैं कि इस पुनरीक्षण एवं स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन हेतु भी वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में प्राविधान नहीं है। चूंकि उपरोक्त व्यय आवश्यक एवं अपरिहार्य व्यय है अतः 2,17,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग प्रस्तुत है ।

तो मान्यवर इसका अर्थ यह है कि यह जो मांग की जा रही है इसका व्यय भी 31 मार्च तक होना है। स्थानीय निकाय की वोटर लिस्ट का आप पुनरीक्षण करायेंगे और छपवायेंगे, साथ ही साथ आप निर्वाचन भी करायेंगे इसलिये खर्च मांग रहे हैं, स्थानीय निकाय के लिये अलग और जिला परिषदों के लिये अलग। इसका अर्थ यह हुआ कि 31 मार्च तक स्थानीय निकायों तथा जिला परिषदों के चुनाव करा देंगे। अगर ऐसी बात है तो माननीय वित्त मंत्री जी घोषणा करें कि स्थानीय निकायों के चुनाव कब कराने जा रहे हैं और जिला परिषदों के चुनाव कब कराने जा रहे हैं। अगर चुनाव नहीं हो सकते और जैसी मेरी धारणा है कि बजट सत्र चल रहा है, सभी लोग दिलचस्पी रखते हैं तो अभी चुनाव नहीं हो सकते । अगर चुनाव नहीं करायेंगे तो चुनाव कराने के लिये अनुपूरक अनुदान को स्वीकृत कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप खर्च करने की स्थिति में हैं तो यह घोषणा करें कि फलां तारीख को स्थानीय निकायों तथा जिला परिषदों के चुनाव करा दिये जायेंगे । अगर आप घोषणा नहीं करते हैं तो इस पैसे को मांगने का आपको कोई अधिकार नहीं है । इसलिये मैं इस विनियोग विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री ब्रह्म दत्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं हैं उसके उत्तर में मैं यह कहना चाहता हूं कि 2 करोड़ 17 लाख 28 हजार रुपये की मांग में से 1 करोड़59 लाख 82 हजार रुपया छपाई के लिये है। 36 हजार रुपया स्थानीय निकायों के निर्वाचन

के लिये जो व्यय है उसमें वेतन, मंहगाई, भत्ता, यात्रा भत्ता आदि है। यह निर्वाचन कार्यालय के लिए है। जिला परिषदों के निर्वाचन लगभग आधे हो गये हैं केवल अध्यक्ष का बाकी है। कोआप्शन बाकी है, हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको शीघ्र कराया जाय। मुख्यतः जो निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची है वह तैयार होती है, जब वह तैयार करा लेंगे तो फिर यथा सम्भव चुनाव करायेंगे।

श्री भीखा लाल–

मार्च के अन्दर हो जायेंगे?

श्री ब्रह्म दत्त–

वह तो आप जानते हैं और हम भी जानते हैं। 31 मार्च, तक सम्भव नहीं है। तब तक हम इसकी तैयारी पूरी कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है.....

*श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें। जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि जिला परिषद् के कुछ चुनाव हो गये हैं तो जो चुनाव हो गये हैं वह भी इस सप्लीमेन्टरी डिमांड से कबर ही नहीं होते हैं वह तो मूल जो मांगा गया था उससे कबर हो गये। इस बरसात में, जो आपको मूल बजट में दिया गया है। उसके बाद कौन से चुनाव हुये हैं जिसका खर्च सप्लीमेन्टरी बजट में आया है। जिला परिषद् के मेम्बरों के चुनाव हो गये, प्रमुख का चुनाव पहले हो गया यह जो सप्लीमेन्टरी आप रख रहे हैं उसमें आप जो मांग रहे हैं वह किस चुनाव का खर्च मांग रहे हैं?

श्री ब्रह्म दत्त–

अगर आप इसे पढ़ें तो इसमें जो निर्वाचन सूची है और जो निर्वाचन व्यय कार्यालय का शामिल है वह शामिल है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1983-84 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1984 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 3 अनुसूची, खण्ड 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1983–84 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1984

31 मार्च, 1984 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1983–84 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, 1984 कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

2—ऐसे त्रिविध परिव्यय चुकाने के लिए, जो 31 मार्च, 1984 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 2,63,44,30,000 रुपये (दो अरब तिरसठ करोड़ चवालिस लाख तीस हजार रुपये) होता है, अधिक न हो।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष 1983-84 के लिये 2,63,44,30,300 रुपयों का दिया जाना

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है उनका विनियोग 31 मार्च, 1984 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

विनियोग

अनुसूची

(धाराएं 2 व 3 देखें)

1	2		3		
			निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	
1	आबकारी विभाग	राजस्व	30	..	30
		पूंजी	15,00	..	15,00
3	उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	75,00	..	75,00
4	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	2,85,00	22,28	3,07,28
		पूंजी	..	..	..
5	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	5,50	..	5,50
		पूंजी	4,21,00	..	4,21,00
7	ऊर्जा विभाग	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	10,77,00	..	10,77,00
8	कार्मिक विभाग	राजस्व	18,01	..	18,01
		पूंजी	..	..	..
9	कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)	राजस्व	57,14	..	57,14
		पूंजी	36,60	..	36,60

अनुसूची (क्रमशः)

1	2		3		
			निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
अनुदान क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
10	कृषि विभाग (कृषि)	राजस्व	6,94,47	18	6,94,65
		पूंजी	2,93,17	..	2,93,17
11	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	2,00	..	2,00
		पूंजी	..	..	..
13	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	63	..	63
		पूंजी	11,70,81	..	11,70,81
14	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	11,77	..	11,77
		पूंजी	..	..	..
15	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	35,65	59	36,24
		पूंजी	11,12	..	11,12
17	गोपन विभाग	राजस्व	1,03	..	1,03
		पूंजी	..	..	..
18	ग्राम्य विकास विभाग	राजस्व	54,68,29	39	54,68,68
		पूंजी	52,53	..	52,53
19	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)	राजस्व	3,41,28	..	3,41,28
		पूंजी	..	..	..
20	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	2	..	2
		पूंजी	..	..	..
21	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	54,80	..	54,80
		पूंजी	..	..	..
22	नगर विकास विभाग	राजस्व	4,05,40	..	4,05,40
		पूंजी	1,15,00	..	1,15,00

अनुसूची (क्रमशः)

1	2		3		
			निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
अनुदान/सेवायें और प्रयोजन क्रम-संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
26	नियोजन विभाग	राजस्व	1	..	1
		पूंजी	..	..	..
27	निर्यात प्रोत्साहन विभाग	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	78,00	..	78,00
28	निर्वाचन विभाग	राजस्व	2,17,28	..	2,17,28
		पूंजी	..	..	..
29	न्याय विभाग	राजस्व	25	..	25
		पूंजी	..	..	..
30	पंचायती राज विभाग	राजस्व	1,42,41	..	1,42,41
		पूंजी	..	..	..
31	परिवहन विभाग	राजस्व	2,25	..	2,25
		पूंजी	10,00,00	..	10,00,00
32	पर्यटन विभाग	राजस्व	2,26	..	2,26
		पूंजी	79,07	..	79,07
33	पर्वतीय विकास विभाग	राजस्व	4,09,75	63	4,10,38
		पूंजी	5,95,88	..	5,95,88
34	पशुधन विभाग	राजस्व	5,63,36	..	5,63,36
		पूंजी	1,29,91	..	1,29,91
35	पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व	9,70	..	9,70
		पूंजी	2,83	..	2,83
37	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	2,55,54	..	2,55,54
		पूंजी	25,39	..	25,39

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची—(क्रमशः)

1	2		3		
			निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
अनुदान/सेवायें और प्रयोजन क्रम-संख्या-			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
38	मत्स्य विभाग	राजस्व	7,00	..	7,00
		पूंजी	..	..	..
39	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	3,28	..	3,28
		पूंजी	..	..	..
41	राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता)	राजस्व	5,00,00	..	5,00,00
		पूंजी	..	..	..
*43	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व	..	2,27	2,27
		पूंजी	..	..	
44	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	3,85	..	3,85
		पूंजी	..	..	..
*45	लोक सेवा आयोग	राजस्व	..	10,60	10,60
		पूंजी	..	..	..
46	वन विभाग	राजस्व	8,53	1,44	9,97
		पूंजी	4	..	4
49	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	88,58	..	88,58
		पूंजी	..	..	..
50	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	8,43,21	..	8,43,21
		पूंजी	50,00	..	50,00
53	विधान परिषद सचिवालय	राजस्व	..	75	75
		पूंजी	..	..	..

*भारत विनियोग से संबंधित क्रम-संख्या

विधान सभा

1	2		3		
			निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य को संचित निधि पर भारित	योग
55	विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग	राजस्व	12,27	..	12,27
		पूंजी	..	..	..
56	शिक्षा विभाग	राजस्व	32,52,15	..	32,52,15
		पूंजी	6,24	..	6,24
57	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	24,10	..	24,10
		पूंजी	..	..	..
58	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	36,21	..	36,21
		पूंजी	..	..	..
60	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	1,58	..	1,58
		पूंजी -	..	..	..
61	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)	राजस्व	26,92	..	26,92
		पूंजी	..	..	..
62	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	4,54	..	4,54
		पूंजी	..	..	..
63	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजी-करण)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	1,80	..	1,80
64	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	84	..	84
		पूंजी	..	..	..
65	सतर्कता विभाग	राजस्व	2,33	..	2,33
		पूंजी	..	..	..
66	सहकारिता विभाग	राजस्व	1,16,58	78	1,17,36
		पूंजी	22,02,00	..	22,02,00
68	सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	16,70	..	16,70
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची (समाप्त)

1	2		3		
			निम्नलिखित धनराशि से अनधिक (हजार रुपयों में)		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
69	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	-1,00	..	1,00
		पूंजी	..	..	..
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	4,16	8,23	12,39
		पूंजी	50,89	..	50,89
73	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व	4,53	14,46	18,99
		पूंजी	38,69	..	38,69
74	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व	1,18	..	1,18
		पूंजी	1,80,10	..	1,80,10
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	16,29,62	..	16,29,62
		पूंजी	8	1,50	1,58
76	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	4,58,06	..	4,58,06
		पूंजी	5,42,00	..	5,42,00
77	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	17,45,26	..	17,45,26
		पूंजी	1,38,01	2,87	1,40,88
78	सूचना विभाग	राजस्व	58,98	..	58,98
		पूंजी	..	..	..
80	स्पोर्ट्स विभाग	राजस्व	11,76	..	11,76
		पूंजी	..	..	..
81	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग	राजस्व	35,90	..	35,90
		पूंजी	5,95	..	5,95
	योग	राजस्व	1,78,83,22	62,60	1,79,45,82
		पूंजी	83,94,11	4,37	83,98,48
	कुल योग		2,62,77,33	66,97	2,63,44,30

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1983–84 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1984 पारित किया जाय ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन, मैं आपके द्वारा यह आश्वासन चाहता हूं वित्त मंत्री जी से कि यह अप्रोप्रियेशन बिल तो आप पारित कर रहे हैं, मेहरबानी करके भविष्य में आप इस बात का ध्यान रखें कि इसका मखौल न हो, इसका मजाक न हो कि कहीं 31 मार्च से पहले तीसरा सप्लीमेंट्री बजट न सामने आ जाय। अब इसका मूल बजट आपने प्रस्तुत कर दिया, मुझे खतरा है कि मार्च से पहले एक सप्लीमेन्टरी और बिल न लाकर रख दें। आज इस बात की भी घोषणा कर दें कि कोई सप्लीमेन्टरी बिल नहीं आयेगा ।

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, जहाँ तक तृतीय अनुपूरक अनुदान की बात आपने कही, वह तो मैं निश्चित लाऊंगा, क्योंकि भारत सरकार से कुछ रुपया और मिलेगा और कुछ नये काम होंगे, इसलिए वह तो लाना ही है है। नये काम में आप भी बाधा नहीं डालेंगे और न ही केन्द्र सरकार से सहायता लेने में बाधा डालेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1983–84 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1984 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

वर्ष 1984-85 के लिए लेखानुदान का प्रस्ताव

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:—

"31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल, मई तथा जून, 1984 में, 1984-85 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान के विवरण, जो 17 फरवरी, 1984 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1–4 में दिये हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 10,48,20,35,000 रुपये से अधिक न हो ।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि "31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल, मई तथा जून, 1984 में 1984–85 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान के विवरण, जो 17 फरवरी, 1984 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1–4 में दिये हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 10,48,20,35,000 रुपये से अधिक न हो ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1984

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1984 को पुरः-स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(विधेयक की प्रतियां वितरित की गयीं ।)

श्री ब्रह्मदत्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(कुछ रुक कर)

श्री ब्रह्मदत्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1984 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1984 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, 3 , अनुसूची , खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1984

1 अप्रैल, 1984 ई0 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिए राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है––

1––यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1984 कहलायेगा ।

संक्षिप्त शीर्षनाम

2––ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो 1 अप्रैल, 1984 ई0 को प्रारंभ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के सिलसिले में करने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से उतना रुपया निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग 13,52,68,24,000 रुपये (केवल तेरह अरब, बावन करोड़, अड़सठ लाख, चौबीस हजार रुपये) होता है, अधिक न हो ।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष 1984-85 के लिये 13,52,68,24,000 रुपयों का दिया जाना

3––इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया जाता है उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में दिये गये हैं ।

विनियोग

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

1	2		3		
			निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	आबकारी विभाग	राजस्व	55,83	2	55,85
		पूंजी	3,75	..	3,75
2	आवास एवं नगर भूमि विभाग	राजस्व	1,12,24	1,29,25	2,41,49
		पूंजी	4,11,50	64,21	4,75,71
3	उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज)	राजस्व	27,14	1	27,15
		पूंजी	..	..	..
4	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	7,49,90	65,53	8,15,43
		पूंजी	1,60,85	57,63	2,18,48
5	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	12,16	1	12,17
		पूंजी	2,52,50	1,25	2,53,75
6	उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)	राजस्व	3,05,39	..	3,05,39
		पूंजी	13	..	13
7	ऊर्जा विभाग	राजस्व	21,45	..	21,45
		पूंजी	83,30,45	..	83,30,45
8	कार्मिक विभाग	राजस्व	9,73	..	9,73
		पूंजी	..	..	..
9	कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)	राजस्व	2,26,45	1,46	2,27,91
		पूंजी	56,33	..	56,33
10	कृषि विभाग (कृषि)	राजस्व	14,20,70	53	14,21,23
		पूंजी	11,69,55	13	11,69,68
11	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	3,17,28	50,23	3,67,51
		पूंजी	1,21,93,75	9,59,37	1,31,53,12

अनुसूची (क्रमशः)

1	2		3		
			निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
अनुदान/ क्रम-सख्या	सेवायें और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
12	गन्ना विकास विभाग	राजस्व	1,87,97	65	1,88,62
		पूंजी	1,50,00	1,22	1,51,22
13	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	3,49,85	3,02,81	6,52,66
		पूंजी	3,25,00	..	3,25,00
14	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	3,07,04	1	3,07,05
		पूंजी	1	..	1
15	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	45,87,03	4,23	45,91,26
		पूंजी	2,46	3,53	5,99
16	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	1,72,21	..	1,72,21
		पूंजी	..	..	..
17	गोपन विभाग	राजस्व	6,70	..	6,70
		पूंजी	..	..	..
18	ग्राम्य विकास विभाग	राजस्व	70,02,51	3	70,02,54
		पूंजी	31,74	..	31,74
19	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)	राजस्व	28,71,61	4	28,71,65
		पूंजी	..	..	..
20	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	14,35,24	1	14,35,25
		पूंजी	3,75,00	..	3,75,00
21	चिकित्सा विभाग (सावजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	12,43,82	1	12,43,83
		पूंजी	..	..	..
22	नगर विकास विभाग	राजस्व	16,50,09	3	16,50,12
		पूंजी	3,05,75	..	3,05,75

अनुसूची—(क्रमशः)

1	2		3		
			निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
अनुदान/सेवायें और प्रयोजन क्रम-संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
23	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	11,12	..	11,12
		पूंजी	..	..	..
24	नागरिक सुरक्षा विभाग	राजस्व	1,81,76	1	1,81,77
		पूंजी	..	..	..
25	नियुक्ति विभाग	राजस्व	95	..	95
		पूंजी	..	..	..
26	नियोजन विभाग	राजस्व	1,02,35	..	1,02,35
		पूंजी	10	..	10
27	निर्यात प्रोत्साहन विभाग	राजस्व	18,61	..	18,61
		पूंजी	..	.	..
28	निर्वाचन विभाग	राजस्व	1,04,59	..	1,04,59
		पूंजी	..	..	..
29	न्याय विभाग	राजस्व	4,32,74	71,12	5,03,86
		पूंजी	..	..	..
30	पंचायती राज विभाग	राजस्व	3,38,31	5	3,38,36
		पूंजी	..	..	..
31	परिवहन विभाग	राजस्व	7,11;11	3	7,11;14
		पूंजी	1	..	1
32	पर्यटन विभाग	राजस्व	14,43	..	14,43
		पूंजी	..	..	..
33	पर्वतीय विकास विभाग	राजस्व	21,11,49	93	21,12,42
		पूंजी	11,43,16	86	11,44,02

अतर सिंह पंवार सभा

अनुसूची (क्रमशः)

1	2		3		
			निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
34	पशुधन विभाग	राजस्व	4,95,03	1,36	4,96,39
		पूंजी	57,76	1,50	59,26
35	पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व	54,48	1	54,49
		पूंजी	75,63	..	75,63
36	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	4,58	..	4,58
		पूंजी	..	..	..
37	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	4,13,83	1	4,13,84
		पूंजी	15,86	..	15,86
38	मत्स्य विभाग	राजस्व	89,71	1	89,72
		पूंजी	8	..	8
39	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	5,51	..	5,51
		पूंजी	..	..	..
40	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	4,67,91	6	4,67,97
		पूंजी	..	..	..
41	राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता)	राजस्व	2,70,16	2,75,12	5,45,28
		पूंजी	35,56	4,73	40,29
42	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	राजस्व	16,90,40	34,93	17,25,33
		पूंजी	3,02	81,16	84,18
*43	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व	..	6,84	6,84
		पूंजी	..	..	..
44	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	8,52	..	8,52
		पूंजी	38	..	38
*45	लोक सेवा आयोग	राजस्व	..	32,83	32,83
		पूंजी	..	..	..

*भारित विनियोग से संबंधित क्रम-संख्या

विधान सभा उत्तर प्रदेश

1	2		3		
अनुदान/ सेवायें और प्रयोजन क्रम-संख्या			निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य संचित निधि पर भारित	योग
46	वन विभाग	राजस्व	9,65,56	5	9,65,61
		पूंजी	4,36	..	4,36
47	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	50,00,25	86,78,59	1,36,78,84
		पूंजी	97,50	1,92,12,19	1,93,09,69
48	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व	21,60,08	3,26	21,63,34
		पूंजी	..	..	..
49	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	95,26	..	95,26
		पूंजी	..	..	..
50	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	7,53,35	..	7,53,35
		पूंजी	13,65	..	13,65
51	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व	1,76,66	1	1,76,67
		पूंजी	..	..	..
52	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	46,68	1,25,25	1,71,93
		पूंजी	..	..	..
53	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	21,31	66	21,97
		पूंजी	..	..	..
54	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	61,77	88	62,65
		पूंजी	..	..	..
55	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	46,11	..	46,11
		पूंजी	..	..	..
56	शिक्षा विभाग	राजस्व	1,31,66,34	87,52	1,32,53,86
		पूंजी	17,25	..	17,25

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची—(क्रमशः)

1	2		3		
			निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
57	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	2,37,08	1	2,37,09
		पूंजी	..	..	..
58	श्रम विभाग (सेवा योजन)	राजस्व	2,41,20	5	2,41,25
		पूंजी	..	..	..
59	संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	25	..	25
60	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	4,83	1	4,84
		पूंजी	94	..	94
61	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर)	राजस्व	3,18,43	10	1853
		पूंजी	..	..	..
62	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	15,14	..	15,14
		पूंजी	..	..	..
63	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	65,7	1	65,38
		पूंजी	1,22	..	1,22
64	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	3,39,72	1	3,39,73
		पूंजी	..	.	..
65	सतर्कता विभाग	राजस्व	37,29	1,92	39,21
		पूंजी	..	..	..
66	सहकारिता विभाग	राजस्व	1,51,32	86,30	2,37,62
		पूंजी	4,79,09	93,76	5,72,85
67	सहायता और पुर्नवासन विभाग	राजस्व	8,41	1	8,42
		पूंजी	10,01	13	10,14

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची—(समाप्त)

1	2		3		
			निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
अनुदान क्रम-संख्या	सेवायोजन और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
68	सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	24,72	1	24,73
		पूंजी	..	..	..
69	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	1,74	1	1,75
		पूंजी	..	..	..
70	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	2,95	..	2,95
		पूंजी	..	..	.
71	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	10,09,74	1	10,09,75
		पूंजी	..	..	.
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	99,30	31	99,61
		पूंजी	3,51,16	25	3,51,41
73	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व	87,47	1,61	89,08
		पूंजी	1,17,41	12	1,17,53
74	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व	20,49	5	20,54
		पूंजी	4,16,51	81	4,17,32
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	18,15,31	3	18,15,34
		पूंजी	24,03,56	13	24,03,69
76	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	9,50,00	3	9,50,03
		पूंजी	11,17,88	..	11,17,88
77	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	50,72,93	1	50,72,94
		पूंजी	80,61,50	1	80,61,51
78	सूचना विभाग	राजस्व	64,99	..	64,99
		पूंजी	..	..	..

1	2		3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
79	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	16,52	1	16,53
		पूंजी	..	..	..
80	स्पोर्टस विभाग	राजस्व	42,56	..	42,56
		पूंजी	..	..	..
81	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग	राजस्व	20,72,66	1	20,72,67
		पूंजी	..	..	..
82	क्षेत्रीय विकास विभाग	राजस्व	7,26,76	..	7,26,76
		पूंजी	1,07,50	..	1,07,50
		राजस्व	6,65,20,23	99,64,90	7,64,85,13
	योग	पूंजी	3,83,00,12	2,04,82,99	5,87,83,11
	कुल योग		10,48,20,35,	3,04,47,89	13,52,68,24

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड एक, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बृहस्पति दत्त–

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1984 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1984 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत 3 सूचनाएं पाप्त हुयीं हैं । एक राजेन्द्र कुमार गुप्त की, एक सरदार सिंह की और एक राधेश्याम पटेल की। मैंने श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना को स्वीकार किया है और बाकी को अस्वीकार किया है ।

मोदी टेक्सटाइल्स मिल (मोदीनगर) के मजदूर नेताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत बन्द किये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में आज होने वाले वक्तव्य को स्थगित कराये जाने पर आपत्ति

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 19 के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री का लिखकर मेरे पास आया है। उन्होंने लिखा है कि मोदी टेक्सटाइल मिल (मोदी नगर) के मजदूर नेताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत बन्द किये जाने के फल-स्वरूप उत्पन्न हुई स्थिति के सम्बन्ध में श्री मुख्तार अनीस, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना पर माननीय श्रम राज्य मंत्री जी का वक्तव्य आज की कार्य सूची के मद संख्या 19 के अनुसार निर्धारित है। माननीय श्रम राज्यमंत्री अति आवश्यक कार्यवश बम्बई गये हुए हैं और चूंकि उन्होंने इस संबंध में सारी वार्ता में भाग लिया था, अतः यह वक्तव्य उन्हीं के द्वारा दिया जाना उपयुक्त होगा। ऐसी स्थिति में आपसे अनुरोध है कि आप कृपया इस वक्तव्य को किसी अन्य तिथि हेतु स्थगित करने के आदेश देने का कष्ट करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मुझे इस पर कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष–

आप पहले मेरी बात सुन लें। मैंने अभी माननीय अम्मार रिजवी, माननीय मुख्तार अनीस और रियासत हुसैन साहब को अपने कक्ष में बुलाया था। आपसी बातचीत से जो निर्णय हुआ है मैं समझता हूं उसको थोड़ा आप बता दें तब इसको देखा जायेगा।

*श्री रियासत हुसैन–

इस मामले की जो गम्भीरता थी 19 तारीख की डेट फिक्स की गई थी। 19 तारीख से पहले जो साढ़े तीन हजार श्रमिक 9 अक्टूबर को पेरोल पर थे उनको ले लिया जायेगा। 19 तारीख तो गुजर गई। इसका श्रम मंत्री जी से नहीं माननीय मुख्य मंत्री जी से सम्बन्ध है जो नेतागण एन0एस0ए0 में बन्द हैं उनको पेरोल पर छोड़ दिया जायेगा और उनके मामले को एक महीने में मेरिट के आधार पर शार्ट आउट कर लिया जायेगा। यह बात हुई थी इसके बारे में मंत्री जी बताने की कृपा करें।

*श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, जैसी कि बातचीत हुई थी आपके कक्ष में, मुझे इस बात का खेद है कि यहां पर श्रम मंत्री जी नहीं हैं और उनके उपस्थित न होने के कारण इस मामले को टाला जा रहा है। मान्यवर, सारी बात यही है कि मोदीनगर में जो अशान्ति है उसको देखते हुए मैंने कहा कि इस मामले को लम्बित न टालिए। अध्यक्ष जी आप अपने कक्ष में बुलाकर श्रम सचिव को और गृह सचिव को जैसा हमारे माननीय रियासत साहब ने कहा है कि इस समस्या को हल होना चाहिए। एक तो यह कि 19 तारीख गुजर गयी आज 20 तारीख है जबकि 19 तारीख दी गई थी। सारे मजदूरों को मोदी नगर के अन्दर काम पर उपस्थित रहने को। सुनील शास्त्री जी का आश्वासन है दूसरी बात मुख्य मंत्री जी ने कहा और हमें वचन दिया कि एन0 एस0 ए0 के अन्दर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो मजदूर नेता बन्द हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद स्क्रूटनी की जाएगी किसी ने कत्ल आदि तो नहीं किया जो निर्दोष लोग हैं उन पर एन0एस0ए0 वापस ले लिया जाएगा। मान्यवर, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप अपने स्तर पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं, जिससे मोदीनगर की समस्या हल हो। यह मोदी के दबाव में आ गए हैं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपके कक्ष में क्या बातचीत हुई उसको जानने के हकदार हम नहीं हैं। हमको यह अधिकार नहीं है कि हम पूछें। मान्यवर, मैं एक संसदीय प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला था मोदीनगर का, जिसके लिए हमारे विरोधी दल के नेता को आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। मान्यवर, आज श्री सुनील शास्त्री को बयान देना था वह आपको पत्र लिखकर चले गये। मान्यवर, आपके द्वारा नियमों में व्यवस्था दी गई है कि कोई मंत्री किन्हीं अपरिहार्य कारणों से उपस्थित नहीं होना चाहता तो इस पर आपको विचार करना होगा। आज प्रातः मैंने औचित्य का प्रश्न उठाया और रैसपान्सबिलिटी की बात उठायी। लेकिन जो हमारा मोदीनगर के बारे में विषय आया था इसमें लेबर डिपार्टमेन्ट को करना है। उसमें शान्ति व्यवस्था का मामला है। न्याय का मामला है इसमें जैसा मुख्तार अनीस जी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का कानून बनते हैं उसका मामला है ऐसे मौके पर मात्र मंत्री जी की अनुमति से, मान्यवर, आप अनुमति दें दें बहुत ही आश्चर्य के साथ मैं कहना चाहता हूं मैं जानता हूं आप अनुमति नहीं देंगे।

मान्यवर, माननीय रियासत साहब से, माननीय मुख्तार अनीस से पूछ लीजिए। उनके मन में वेदना है लेकिन जब हमारे सामने इस संबंध की जानकारी है ही नहीं। हमारे सामने तो यह मामला है कि सरकार मजदूरों के मामले में संवेदनशील हो रही है। इसलिये मैं घोर आपत्ति करता हूं, सरकार की नियति पर। आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपको अनुमति देनी होगी वैसे तो यह आपके विवेक पर निर्भर करता है आपको अधिकार है लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सुनील शास्त्री की भर्त्सना करें। जो बहाना लेकर चले गये वैसे मान्यवर, मैं इतना हल्का आरोप नहीं लगाना चाहता। लेकिन मान्यवर, उन्हें जाना ही था तो इस मामले को किसी दूसरे प्रभारी मंत्री के रूप में खड़ा होना चाहिए था। हम मजदूरों के मामले पर अन्य दृष्टिकोण प्रकट करते। इसलिए मैं चाहता हूं कि भर्त्सना करें। मैं विचार करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

इसमें माननीय मुख्तार अनीस जी से पूछ लें। वक्तव्य के लिए सरकार तैयार है सब तो तैयार हों। दूसरी बात यह है सुनील शास्त्री जी मेरे कक्ष में स्वयं आए थे और उन्होंने प्रार्थना की थी और सारी स्थिति बतायी थी। अगर उन्हें प्रदेश में ही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

कहीं जाना होता, जैसे कि अक्सर प्रोग्राम लग जाते हैं, तो मैं आज्ञा न देता। जब बजट प्रस्तुत हुआ था, उस दिन माननीय रियासत हुसैन साहब ने यह बात मुझसे कही थी कि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, शासन का जो भी दृष्टिकोण इस पर हो, आ जाय तो अच्छा रहेगा। जहां तक आज्ञा की बात है, मैंने उसको देखा, मैं सन्तुष्ट था, उनका जाना आवश्यक था, अतः मैंने उनको आज्ञा दे दी। भविष्य में मंत्रिगण ध्यान रखें कि इस तरह के वक्तव्य, जो आवश्यक हैं, के समय इस तरह के कार्यक्रमों को, जहां तक हो सके, क्योंकि असेम्बली का सेशन ज्यादा महत्वपूर्ण है और कमेटियों में इधर-उधर जाना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, इस तरह के कार्यक्रमों को न रखें। आप लोग भविष्य में इस बात का ध्यान रखें।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, उस समय जो मजदूर नेता अनशन कर रहे थे, उस समय दो बातें स्पष्ट हुई थीं। उस समय कुछ सोच समझ कर 19 तारीख तय हुई होगी कि इस बीच मोदी से बात हो जायेगी और औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी। यह कहा गया था कि मजदूरों को वापस ले लेंगे और जो नेता बन्द हैं उनको पैरोल पर छोड़ देंगे। कुछ सोच समझ कर मुख्य मंत्रीजी ने और श्रम मंत्रीजी ने समय लिया होगा। वह समय पूरा हो गया। माननीय मंत्री जी रहें या न रहें वह मैटर यहीं है। अवधि पूरी हो गयी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो वक्तव्य स्थगित करने की बात आयी है। इसके मूल में दो बातें थीं। श्रमिक जो काफी दिनों से बाहर पड़े थे, पैरोल पर थे, उन्हें मिल में वापस लिया जाय। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में मजदूर नेता गिरफ्तार हैं, उन्हें छोड़ा जाय। क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ है? क्या इस सम्बन्ध में कोई सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के माध्यम से आपके पास पहुंची है कि इन दोनों आश्वासनों का पालन हुआ या नहीं? हम यह तो जानने के हकदार हैं ही।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, यह जो पत्र लिखा गया है, उनका कार्यक्रम बहुत पहले से ही निश्चित था। वहां भी वह कुछ राज्य के सरकारी कार्य से ही गये हैं। नेताओं की तथा मजदूर नेताओं के साथ जो बातें हुई हैं, वह माननीय श्री सुनील शास्त्री जी से हुई हैं। जहां तक वक्तव्य को पढ़ने का सवाल है, यह फारमलिटीज तो कोई भी मंत्री पूरी कर सकता है, किन्तु इस मामले में उनका यहां उपस्थित रहना अत्यन्त आवश्यक था। वैसे माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जो आदेश दें, उसका पालन किया जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि उनका यह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, इस संबंध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या उस समय उन्हें यह मालूम नहीं था कि इसे 20 तारीख को न रखा जाय, क्योंकि उस दिन मुझे बाहर जाना है। इससे तो हमारा जो पुराना आरोप है, वह साबित होता है कि ये लोग श्रमिकों के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस महत्वपूर्ण मामले को टालना चाहते हैं। यह सरकार इस मामले को उसी प्रकार टाल रही है, जिस प्रकार संसदीय कार्य मंत्री ने इस सदन में कहा था कि नौका दुर्घटना में मृत परिवार जनों को 5-5 हजार रुपए कल तक पहुंच जायेंगे, परन्तु आज 4 दिन हो गये हैं, 3,00 बजे तक की सूचना के आधार पर उन्हें यह धनराशि नहीं मिली है। यदि सुनील शास्त्री जी का यह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, तो उन्हें यह 21 तारीख में रखना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष–

आप जो बात कह रहे हैं, वह सही है। मुझे यह मालूम नहीं था कि यह उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। अब आप जब कह रहे हैं, तब मुझे मालूम हो रहा है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। यदि आपको मालूम था तो इस पर सोच-विचार के आप निर्णय लेते।

श्री अम्मार रिजवी–

जिस वक्त इसकी सूचना मिली, उसी वक्त आपको पत्र लिखा। श्री मुख्तार अनीस और श्री रियासत हुसैन जी, उनके (मजदूरों को) पैरोल पर छोड़ने तथा मजदूरों को रि-इन्सटेट करने के संबंध में यह तय हुआ था कि आपके (माननीय अध्यक्ष) कक्ष में कल 10.00 बजे, जो संबंधित अधिकारी हैं, उन्हें बुला लिया जाय, उसमें माननीय सदस्य भी उपस्थित होंगे, और उनसे पूछ लिया जायेगा और उसे कार्यान्वित कराया जायेगा। जहां तक वक्तव्य के पढ़ने का प्रश्न है, जो तिथि आप निर्धारित करें, वह हमें मान्य है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं इस सरकार की हृदयहीनता की घोर आलोचना करता हूं। यहां पर फिर एन0 एस0 ए0 के बारे में नहीं कहा गया, इसलिये मैं इस सदन के अपने साथियों सहित बहिष्कार करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मुख्य मंत्री के सचिव श्री योगेन्द्र नरायण जी को सभी बातें बता दी गयीं थीं, आज 20 तारीख को यह इसलिए रखा गया था कि हम यह सुन सकें कि मजदूरों को रि-इन्सटेट कर दिया गया है तथा उन्हें पैरोल पर छोड़ दिया गया है, लेकिन आज फिर हमें वही बातें सुनने को मिल रही हैं। शासन की तरफ से इतनी गम्भीर लापरवाही की जा रही है, इसलिए मैं इस सदन का अपने साथियों सहित त्याग करता हूं। इतने अहम् मसले पर आप हमें आज सुबह 10.00 बजे भी बुला सकते थे।

(श्री रियासत हुसैन जनता पार्टी के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

डाक्टर बृज किशोर मिश्र–

मान्यवर, वे तो पूंजीपतियों के पोषक हैं, श्रमिकों के रहनुमा तो हम लोग हमेशा से रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

इसकी बाबत कल प्रातः जो मेरे कक्ष में बैठक होगी, उसके बाद ही यह निर्णय होगा कि यह मामला कल ही लिया जाय या 24 तारीख को लिया जाय। शासन उस तरह से अपनी तैयारी करे।

अब हम उठते हैं, कल पुनः 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 44 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
20 फरवरी, 1984

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी "क"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 51 का उत्तर पीछे पृष्ठ 499 पर)

क्रमांक	व्यय तिथि	व्यय मद	धनराशि
1	2	3	4
	(1) वाचनालय फण्ड में किये गये व्यय का विवरण		रु0
1	24-11-81	समाचार पत्र	150-00
2	,,	,,	18-00
3	,,	जी0 पी0 एफ0 फार्म	30-00
4	,,	समाचार पत्र	21-80
5	4-12-81	मोहर	6-00
6	,,	टाइप पेपर	22-00
7	29-12-81	एजूकेशन मैनुअल	40-00
8	16-1-82	फोटो कराई	15-00
9	,,	समाचार पत्र	116-65
10	,,	शीशे	108-00
11	29-1-82	समाचार पत्र	15-20
12	,,	किताबें	48-00
13	,,	किताबें	24-00
14	,,	एक टार्च	17-50
15	,,	3 घड़ा	15-00
16	,,	पर्दों तथा झंडे की धुलाई	3-00
17	1-4-82	हुक्स	6-00
18	,,	रिसीवर	5-00
19	,,	समाचार पत्र	128-85
20	,,	सदस्य शुल्क	63-00
		योग ..	853-00
	(2) जलपान मद में किये गये व्यय का विवरण		
1	20-10-81	चना व लाई	550-00
2	20-4-82	,,	831-20
3	19-5-82	बूंदी	800-00
		योग ..	2,181-20
	(3) आडोविजुअल मद में किये गये व्यय का विवरण		
	20-4-82	3 ट्यूब लाइट ..	257-50
		योग ..	257-50

1	2	3	4
	(4) रेडक्रास मद में किये गये व्यय का विवरण		रु0 शून्य
	(5) स्काउट फण्ड मद में किये गये व्यय का विवरण		
1	3-11-82	स्काउट सदस्यता शुल्क ..	75-00
2	20-4-82	,, ..	223-50
		योग ..	298-50
	(6) निर्धन छात्र निधि में दिये गये व्यय का विवरण		
	20-10-81	पुस्तकें छात्रों को बाँटने हेतु ..	186-05
		योग ..	186-05
	(7) क्रीड़ा मद में व्यय की गई धनराशि का विवरण		
1	6-11-81	फर्श का क्रय ..	260-00
2	6-11-81	,, ..	29-34
3	24-11-81	झाड़ सींक ..	18-00
4	,,	टार्च के सेल ..	6-00
5	,,	आलमारी की चाबी ..	18-00
6	26-11-81	,, ..	45-85
7	14-12-81	स्टील इयू0 एटी0 वी0 जी0 आई0 टी0 यूनियन निपिल आदि नल का सामान	498-25
8	,,	4 फर्श छात्राओं के प्रयोगार्थ ..	1520-00
9	23-12-81	हुक्स ..	11-00
10	,,	कुन्डी ..	1-50
11	,,	साँकल ..	4-00
12	,,	चोवा ..	2-00
13	,,	5 तख्त ..	100-00
14	,,	1 घंटी ..	13-00
15	,,	मजदूरी भुगतान ..	54-00
16	,,	,, ..	275-15
17	16-1-82	शरदकालीन क्रीड़ा शुल्क अनुदान	50-00
18	28-1-82	कब्जे दो ..	1-80
19	,,	मसनद किराया ..	30-00
20	,,	2 फावड़ा ..	18-50
21	,,	5 स्टिम किराया ..	35-00
22	,,	रिक्शा किराया ..	1-00
23	,,	1 लालटेन ..	6-00
24	,,	1 नाजिल ..	3-75

अविशुद्ध प्रतिलिपि

1	2	3		4
				रु 0
25	28–1–82	6 पिन	..	1–50
26	,,	वार्सल	..	1–95
27	,,	पम्प	..	0–30
28	,,	शीट	..	2–00
29	,,	एयर की	..	1–00
30	,,	एस्ट्रे	..	5–00
31	,,	अगरबत्ती	..	1–25
32	,,	मेन्टल गैस लालटेन	..	8–00
33	30–1–82	10 बोरी सीमेन्ट	..	300–00
34	1–4–82	लोहे की परात	..	12–00
35	,,	नसेनी किराया बालू	..	40–00
36	,,	1 झाड़न अगोछा	..	6–00
37	,,	सींकें झाड़ू	..	10–00
38	,,	,,	..	10–00
39	,,	जंजीर 4	..	12–00
40	,,	स्विच बिजली	..	12–00
41	,,	4 घंटी	..	20–00
		योग	..	3445–14

(8) परीक्षा मद में किये गये व्यय का विवरण

1	20–10–81	प्रश्न पत्र छपाई	..	657–00
2	,,	आर्ट पेपर	..	135–00
3	,,	परीक्षा कापी	..	130–00
4	,,	ट्रेसिंग पेपर	..	15–00
5	,,	लाल स्याही	..	13–00
6	,,	ब्लू इंक	..	15–75
7	,,	डोरा	..	22–50
8	,,	अंश शुल्क	..	13–00
9	,,	सुतली	..	4–25
10	,,	खाका	..	22–50
11	5–11–81	स्टेशनरी	..	1155–75
12	23–12–81	प्रश्न पत्र छपाई	..	719–50
13	8–5–82	,,	..	463–50
14	,,	,,	..	78–39
		योग	..	3445–14

नत्थी "ख"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 54 का उत्तर पीछे पृष्ठ 509 पर)

दिनांक 7--8--1982 को अधिकारियों एवं पदाधिकारियों के बीच हुयी बैठक में मांगों पर लिये गये निर्णय एवं उन पर कृत कार्यवाही का विवरण----

मांग	निर्णय	अब तक की गयी कार्यवाही
1---कृषि विभाग को तकनीकी घोषित किया जाना।	इस मामले को फिलहाल स्थगित रखा जाय।	दिनांक 20--7--1983 की संघ की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कृषि विभाग के अधिकारी/कर्मचारी जो तकनीकी कार्य करते हैं अपने को तकनीकी समझें तथा इस कन्सेप्शन को इस प्रकार विकसित करें कि कृषक भी उन्हें तकनीकी समझें। फिर भी इस संबंध में कार्यवाही की जा रही है।
2---वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर स्वीकृत नये वेतनमानों की असंगतियां दूर किया जाना।	इस संबंध में समिति शीघ्र गठित किये जाने हेतु मुख्य सचिव से अनुरोध किया जाय।	वित्त वेतन आयोग ने समिति के गठन पर सहमति नहीं दी है।
3---विभागीय मैनुअल शीघ्र बनाया जाना।	मैनुअल को 6 माह के अन्दर ही अंतिम रूप दिये जाने का निर्णय किया गया और यह तय किया गया कि यह कार्य सचिवालय के किसी सेवा निवृत्ति अधिकारी से कान्ट्रेक्ट बेसिस पर करा लिया जाय।	कान्ट्रेक्ट बेसिस पर मैनुअल तैयार कराने के लिये सचिवालय के दो सेवा निवृत्ति अधिकारियों ने जो शर्तें सूचित की है उनका परीक्षण कृषि निदेशक से परामर्श करके किया जा रहा है।
4---अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग के सदस्यों को देय पदोन्नति तुरन्त की जाय	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग--2 में पदोन्नति के लिये वर्ष 1980--81 तक की रिक्तियों का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग भेजा जाय।	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग--2 में पदोन्नति के लिये वर्ष 1980--81 तक की रिक्तियों का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को भेज दिये गये हैं।
5---सेवाओं का विनियमितीकरण।	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग--1 के विनियमितीकरण के शेष 2 मामलों को भी पूरा किया जाय।	वर्ग--1 के शेष 2 मामलों को विनियमित कर दिया गया है।
	वर्ग--2 के शेष 64 विनियमितीकरण के मामलों में आदेश जारी कर दिया जाय।	वर्ग--2 के 64 मामलों में से 38 के विनियमितीकरण आदेश जारी कर दिये गये हैं। शेष 26 मामलों पर कृषि निदेशक द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

मांग	निर्णय	अब तक की गयी कार्यवाही
	वर्ग--3 के मामलों में यदि वे विनियमितीकरण की शर्तें पूरी करते हैं तो उनका भी विनियमितीकरण किया जाय।	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग--3 के कुछ सदस्यों को विनियमितीकरण आदेश कृषि निदेशक द्वारा जारी किये जा चुके हैं। शेष के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।
6--स्थायीकरण	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग--1 (विकास) के 123 पदों पर सदस्यों का स्थायीकरण शीघ्र किया जाय।	एक का स्थायीकरण आदेश जारी कर दिया गया है। एक पद के स्थायीकरण का मामला विचाराधीन है। शेष पदों के स्थायीकरण के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है।
	विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्थानान्तरित पदों के पृथकीकरण आदेश जारी न होने के कारण शोध शाखा के 136 पदों पर स्थायीकरण न होने के कारण शोध शाखा के 136 पदों पर स्थायीकरण नहीं हो पाया है। निर्णय हुआ कि ऐसे पदों के पृथकीकरण की विज्ञप्ति तुरंत जारी किया जाय।	मामला कृषि निदेशक के उत्तर पर विचाराधीन है।
		अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग--2 के कुल 2000 स्थायी पदों के विपरीत अब तक लगभग 1446 अभ्यर्थियों के आदेश कृषि निदेशक द्वारा जारी कर दिये गये हैं। प्रोन्नति कोटा के सदस्यों का मामला लोक सेवा आयोग को संदर्भित है।
	भूमि संरक्षण की क्षेत्रीय विकास विभाग को हस्तान्तरित 62 इकाइयों के अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग के पदों/सदस्यों के स्थायीकरण की कार्यवाही कृषि निदेशक द्वारा की जाय।	क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत 62 इकाइयों के स्थायी पदों पर स्थायीकरण की कार्यवाही कृषि निदेशक द्वारा की जा रही है

उत्तर प्रदेश संसदीय विधि प्रकोष्ठ

मांग	निर्णय	अब तक की गयी कार्यवाही
	कृषि निदेशक को यह भी कहा गया कि विभिन्न संवर्गों के अस्थायी पदों को स्थायी करने का प्रस्ताव शासन को भेजें।	विभिन्न सदस्यों के अस्थायी पदों को स्थायी कराने की कार्यवाही कृषि निदेशक द्वारा की जा रही है।
7—सेलेक्शन ग्रेड	कृषि निदेशक ने बैठक में यह सूचित किया कि अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-3 के सदस्यों को सेलेक्शन ग्रेड के पदों पर नियुक्त करने से संबंधित आदेश 15 दिन के अंदर जारी कर दिया जायेगा।	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग—3 के सदस्यों के सेलेक्शन ग्रेड से संबंधित आदेश कृषि निदेशक द्वारा जारी कर दिये गये हैं।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी "ग"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 80 का उत्तर पीछे पृष्ठ 508 पर)

क्र0 सं0		विद्यालय का नाम
1	जूनियर हाई स्कूल	हनुमतनगर
2	,,	निगतपुर
3	,,	पथरौर
4	,,	कोटा शिव प्रताप
5	,,	मनई
6	,,	बमनी
7	,,	अतरेला
8	,,	खजुरा
9	,,	नेमना
10	,,	पड़रीला
11	,,	मरहरी
12	,,	मेसोड़ बनाय पहाड़ी
13	प्राइमरी पाठशाला	ओदार
14	,,	नेकहा
15	कन्या प्रा0पा0	परही
16	,,	रामपुर अतरी
17	,,	सिद्धी
18	,,	गढ़वा
19	,,	महुली
20	,,	शिवुर
21	,,	खुजुरी
22	,,	महुगढ़
23	,,	सुखड़ा
24	,,	फिल्ली महुंवा
25	,,	महली कलाँ
26	,,	पडरी
27	,,	हरपुरा
28	,,	गोपालपुर
29	,,	हुमरकंवा
30	,,	बखेरा
क्रम समायोजनान्तर्गत		
31	प्रारम्भिक पाठशाला	लोबन्च
32	,,	खेरा
33	,,	घमुहापुर
34	,,	लोवन्च
35	वि0प0 वि0 नगरपालिका	मीरजापुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "घ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 84 का उत्तर पीछे पृष्ठ 510 पर)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद विद्यालय महाराजगंज (गोरखपुर) के पत्र दिनाँक 2-7-82 जो जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर को सम्बोधित एवं शिक्षा मंत्री शिक्षा सचिव तथा शिक्षा निदेशक, उ0 प्र0 लखनऊ को पृष्ठाँकित है, पर बिन्दुवार आख्या ।

शिकायत	आख्या
1--मैंने एक शिकायती पत्र दिनाँक 12 मई, 1982 को आपके बड़े बाबू को दिया था जिसकी आख्या जिला सलाहकार समिति शिक्षा समिति, गोरखपुर की बैठक दिनाँक 28-6-82 को प्राप्त किया। मेरे द्वारा आरोपित तथ्यों के अनुसार जाँच आख्या नहीं है। जाँचकर्त्ता ने मात्र उपस्थिति रजिस्टर हाजिरी देखकर के बिना विद्यालय पर आए संबंधित कर्मचारी को बिना विद्यालय पर देखे एवं शिक्षकों, गैर शिक्षकों आदि के बयान लिए, उपस्थित मान लिया है, जो अपने आप में ही जाँच ठीक नहीं लगती है। आरोप व जाँच आमने सामने है, जिसे देखने से लगता है कि जाँचकर्त्ता ने खुलेआम जाँच में पक्षपात किया हैं।	जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर द्वारा जाँच आख्या प्रेषित करने पर आरोप लगाया गया है जो भी जाँच की गई होगी, वह अभिलेखों के आधार पर की गई होगी। राजकीय अधिकारी द्वारा जाँच संबंधी कार्य सर्वथा निष्पक्ष रूप से ही किया जाता है।
2--ऐसी दशा में मै निम्नाँकित बातों को प्रकाश में लाना चाहता हूं जिसकी आवश्यकतानुसार खुली गोपनीय जाँच चाहता हूं। जब मैं एक शिक्षक के साथ-साथ एक विधायक हूं और विद्यालय पर मै जाता हूं तथा अन्य शिक्षक व गैर शिक्षक भी वहाँ अपना कार्य करते हैं तो मिलके मुझसे व अन्य उपरोक्त लोगो के ब्यान क्यों नहीं लिया गया। जबकि मौके की जाँच से व आकस्मिक दौड़ा से शिकायतें सत्य हो जाती है। विवेचना करके बचाव सोचते हुए मात्र उपस्थिति रजिस्टर देखकर उपस्थिति होना सत्य मान लिया था। वस्तुस्थिति यह है कि सर्वश्री टेहू व शोभी से एक दिन पूरे माह के दिवसों में हस्ताक्षर कराकर वेतन बनने हेतु जाँच में प्रस्तुत किया जाता हैं। अतः उपस्थिति पजिका पर अंकित उपस्थिति गोरखपुर में देखना त्रुटि पूर्ण है जबकि शिकायत कर दी गई थी।	माननीय सदस्य श्री फिरंगी प्रसाद विशारद स्वावलम्बी इंटर कालेज, बिशुनपुर (गोरखपुर) में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हैं। जाँच के समय दिनाँक 24-1-83 को माननीय सदस्य जी विद्यालय पर मेरे साथ गए। जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर द्वारा जांच किए जाने पर आरोप लगाया गया है विद्यालय में टेहू तथा शोभी की नियुक्ति एवं उपस्थिति तथा वेतन भुगतान करने के संबंध में शिकायत की गई है। वेतन बिल प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर से प्राप्त होता है और उसी आधार पर पारित करने की परम्परा है? उपस्थिति का सत्यापन प्रधानाचार्य द्वारा ही माना जाता है।

शिकायत	आख्या
3—जाँच कर्त्ता की जाँच पूर्ण संदेहात्मक है। एक अनुचर गोरखपुर शहर में रहता है तथा दूसरा वासगाँव में रहता है। दोनों एक ही दिन गोरखपुर शहर में उपस्थिति रजिस्टर जाने पर पूरे मास का हस्ताक्षर करते हैं। इस प्रकार दोनों विशिष्ट पदाधिकारियों के आश्रति लगते हैं जिसकी सत्यता जाँच से स्पष्ट होगी।	विद्यालय में नियुक्त अनुचर टेहू तथा शोभी के विरुद्ध शिकायत की गई है। शोभी की नियुक्ति 2–11–81 को तथा टेहू की नियुक्ति 1–1–82 को रिक्त स्थान पर संस्था द्वारा की गई है। शोभी वर्तमान समय में कार्य कर रहा है और जाँच के समय भी उपस्थिति रहा। टेहू 1–7–82 को त्याग पत्र देकर चला गया है। यह स्थान रिक्त है। शोभी ने जाँच के समय स्वीकार किया कि वह विद्यालय में कार्य करता है तथा अपना-पूर्ण वेतन प्राप्त करता है।
4—इन दोनों अनुचरों से हस्ताक्षर कराकर वेतन मिलने पर वेतन का कुछ भाग ले लिया जाता है। इस क्रम में यह कहा जाता है कि आप काम तो करते नहीं इस नाते पूरी धनराशि नहीं मिलेगी इसके बदले में आपकी नौकरी की पुष्ट रूप से चल रही है। इन दोनों से अपने निजी काम घर पर लिये जा रहे थे और अब भी लिया जा रहा है।	शिकायत निराधार है।
5—बिना कार्य के वेतन देय सरकारी धनराशि का दुरुपयोग है। इसकी यों गोरखपुर में उपस्थित रजिस्टर को देख लेने से निष्कर्ष निकाल लेने से अनुचित है। मौके की जाँच से ही सही धारणा बनाई जा सकती थी, ऐसा नहीं किया गया।	दोनों अनुचरों की उपस्थित प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित होने पर ही वेतन का भुगतान हुआ है।
6—उप शिक्षा निदेशक, सप्तम मंडल, गोरखपुर ने पत्रांक दे।/700203 दिनाँक 28-9-81 के हर तथ्यों को अनुचरों सर्वश्री टेहू व शोभी हेतु पद सृजित हुए जो मानक प्रधानाचार्य ने प्रस्तुत किया है एवं तथ्य दिया है, संदेहात्मक है। इस प्रस्तुत तथ्यों को पुनः रिकार्ड देखकर सत्यापन होना चाहिये। तत्कालीन उप शिक्षा निदेशक श्री इन्दु प्रकाश ने गलत रूप से पद सृजन की अनुमति देकर एक पर अपने आदमी टेहू हेतु किया तथा एक प्रधानाचार्य ने अपने गाँव के एक अपने हलवाहे व चरवाहे के लड़के के हेतु लिया। दोनों ने मिलकर काम किया है जिससे पद सृजन में गलत तथ्यहीन कारण प्रस्तुत किये गये हैं।	विद्यालय हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट साहित्यिक वर्ग में मान्यता प्राप्त है। जि0 वि0 नि0 गोरखपुर कार्यालय द्वारा दिनाँक 18–3–81 को 629 छात्र संख्या प्रमाणित की गई है। इस कार्यालय के पत्रांक दे/7102-03 81–82 दिनाँक 28–9–81 द्वारा दो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का पद स्वीकृत किया गया। कुल दस पद सृजित हैं, जो मानक के अन्तर्गत है। कौन अनुचर किसका आदमी है, यह पता पाना संभव नहीं है।

शिकायत	आख्या
7—इस प्रकार उप शिक्षा निदेशक के कार्य देखकर आप व आपके अधीनस्थ जांच कराकर गलत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किये हैं जिससे मौके की जाँच तथा पूछताछ पूर्णतः भ्रामक है ।	आरोप स्पष्ट नहीं है । जि0वि0नि द्वारा की गई जांच को ही गलत बताई गई है, इस सम्बन्ध में कुछ कहना समीचीन नहीं प्रतीत होता ।
8—प्रधानाचार्य ने अपने पत्रांक नियुक्ति पद-सृजन/63-2 दिनांक 13-10-81 के द्वारा सेवायोजन कार्यालय, गोरखपुर से नामों की मांग की गई है। ऐसा एक स्थान पर लिखा है वहीं इसी जांच रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि सेवा योजन कार्यालय से नामों की मांग केवल की गई है। इस प्रकार लगता है कि सेवा योजन कार्यालय की सूचना भेजी नहीं गई है । मात्र इसे दिखा दिया गया है । यदि भेजी गई तो पुनः स्मरण पत्र क्यों नहीं गया । यदि भेजा गया, तो कब भेजा गया एवं नियुक्ति किस तिथि को की गई ।	प्रधानाचार्य ने लिखित दिया है कि टेहू तथा शोभी का नाम सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत है । उन्होंने यह भी कहा है कि सेवा योजन कार्यालय से नाम मांगा गया था । अनुचरों की नियुक्ति करने का अधिकार प्रधानाचार्य को है प्रधाना चार्य का कथन है कि इन अनुचरों की नियुक्ति विभागीय नियमानुसार की गई है और इस नियुक्ति को सहमति भी जि0 वि0 नि0 द्वारा दिनांक 5-1-82 को प्रदान की गई है ।
9—विद्यालय के स्थानीय गावों में क्या अनुचर पद हेतु योग्यता रखने वालों की कमी है कि 50 किलोमीटर व 40 किलोमीटर से लोगों को सूचना देकर उनको रक्खा गया । पता चला है, इसमें कोई हरिजन नहीं है ।	अनुचरों की नियुक्ति संस्था द्वारा करने का प्राविधान है । प्रधानाचार्य का लिखित वक्तव्य है कि विभागीय नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति की गई है । वर्तमान समय में शोभी विद्यालय में कार्य कर रहा है जो अनुसूचित जाति (चमार) है ।
10—शासनादेशानुसार हरिजन पदों की देख रेख हेतु एवं इनके कल्याण हेतु जिला हरिजन कल्याण अधिकारियों को भी सूचित करने का नियम है। इसे नहीं किया गया है। इसका उत्तर भी जांच रिपोर्ट में गोल कर दिया गया है ।	इस संबंध में भविष्य के लिये प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को सचेत कर दिया जायेगा ।
11—यह शिकायत सही है कि बिलम्ब से आने वाले लोगों को चिह्नित किया जाता है परन्तु कुछ ऐसे लोग हैं जिनको घर जाने आने के लिये पूरी छूट है और बाद में अनुपस्थिति तिथियों में हस्ताक्षर कर देते है इसे भी जांच रिपोर्ट में नहीं बताया गया है ।	विद्यालय के 19 अध्यापकों ने लिखित स्वीकार किया है कि सभी अध्यापकों के साथ एक सा व्यवहार किया जाता है ।

नत्थी "ङ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 94 का उत्तर पीछे पृष्ठ 513 पर)

वर्ष	अनुदान की धनराशि	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान के विरुद्ध भौतिक उपलब्धि	
1	2	3	4	5
पंचायती राज विभाग द्वारा स्वीकृति	रु0			
1—1980–81	20,000	अतिवृष्टि एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत एवं पुनर्स्थापना।	स्टेडियम व चक्कर रोड का निर्माण	—
2—1980–81	50,000	"	स्टेडियम चक्कर रोड तिदवारी मार्ग का निर्माण	—
3—1980–81	8,160	ओ0 डी0 आर0 तथा वी0 आर0 सड़कों का रखरखाव	गिट्टी का कार्य कनवारा मार्ग	—
4—1981–82	4,000	साधारण सड़क अनुदान	बांदा कनवारा, चक्कर रोड व बबेरु मार्ग का निर्माण तथा पुलिया निर्माण	—
5—1982–83	50,000	साधारण सड़क अनुदान	कर्वी–राजापुर वाया बूढ़ामार्ग में पुलिया का निर्माण	कार्य 31-3-84 तक पूर्ण होगा
6—1982–83	8,160	ओ0 डी0 आर0 तथा वी0 आर0 सड़कों का रख रखाव	मिट्टी का कार्य	—
7—1982–83	2,80,000	अतिवृष्टि एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत एवं पुनर्स्थापना	मऊजमना घाट मार्ग बबेरु मार्ग व पलरा –तिदवारी पुलिया तथा कर्वी राजारवाया बूढ़ा मार्ग कि0 मी0 6–7 का निर्माण कार्य कराया गया।	—
8—1983–84	50,000	साधारण सड़क अनुदान	कर्वी-राजापुर वाया बूढ़ा मार्ग के कि0 मी0 6 व 7 मे 4 पुलियों का निर्माण	कार्य प्रारम्भ है। 31–3–84 तक पूर्ण होगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
	रु0			
9—1983-84	8,160	ओ0 डी0 आर0 तथा वी0 आर0 सड़कों का रख-रखाव।	मिट्टी का कार्य	—
योग ..	5,78,480			
शिक्षा विभाग से प्राप्त				
1—1981-82	1,50,000	10 स्कूल भवनों की आवश्यक मरम्मत	1—अमलोर,—2—चहितारा, 3—उमरहना, 4—सरैया, 5—तिदवारी, 6—पैलानी, 7—पलहरी, 8—गाढ़ा, 9—बछरन तथा 10—गोरपुरवा स्कूल भवनों की।	—
2—1981-82	3,00,000	19 स्कूल भवनों की आवश्यक मरम्मत	1—गुरेह, 2—मिरगहनी, 3—अतराहट, 4—गोवनी, 5—मधुरी, 6—मानपुर, 7—रसिन, 8—पिडारन, 9—अधोव, 10—पारा, 11—मभुवा, 12—मभला, 13—मानिकपुर, 14—संगवार, 15—खोपा, 16—कुचारम, 17—बड़ोखर, बुजुर्ग, 18—टिटिहरा तथा 19—निवादामलहरा,	7 भवनों का कार्य पूर्ण हो गया है शेष कार्य 31-3-84 तक पूर्ण होगा।
कुल योग ..	10,28,480			

उत्तर प्रदेश विधानसभा

नत्थी "च"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 161 का उत्तर पीछे पृष्ठ 535 पर)

श्री धनपत सिंह, जिला कृषि अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी, बाँदा के विरुद्ध अब तक प्राप्त शिकायती पत्रों की सूची—

1—मध्य युग समाचार पत्र, दिनाँक 28–1–80 की प्रति (दो पृष्ठ)

2—हम हैं कृषि विभाग के कर्मचारी गण जनपद बाँदा का 4 पृष्ठीय शिकायती पत्र

3—चित्रकूट समाचार पत्र, दिनाँक 8—3–80 की कटिंग

4—मध्य युग समाचार पत्र, दिनाँक 30–1–80 की कटिंग।

5—श्री रमेश चन्द्र कुरील, सदस्य विधान सभा का पत्र दिनाँक 7–2–80

6—श्री नौशाद अली भारतीय, महामंत्री जनता पार्टी, जनपद बाँदा का पत्र दिनाँक 13–3–80

7—श्री दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा सुन्दर लाल सिंह कृषि फार्म अतर्रा (बाँदा) का दिनाँक रहित पत्र।

8—श्री सत्यनारायण चपरासी मऊ आदि विभाग के छटनी शुदा कर्मचारीगण का दिनाँक रहित पत्र।

9—श्री कुशल सिंह प्रान्तीय महामंत्री, उत्तर प्रदेश चतुर्थ सेवा राज्य कर्मचारी संघ लखनऊ का शिकायती पत्र, दिनाँक 29–9–82 व दूसरे संलग्नक।

10—श्री शिव कुमार त्रिपाठी, अध्यक्ष जिला काँग्रेस कमेटी (आई) का शिकायती पत्र, दिनाँक 7–7–83 व संलग्नक श्री तीरथ प्रसाद द्विवेदी, भूतपूर्व कामदार का दिनाँक रहित पत्र।

11—श्री राम गोपाल, अध्यक्ष असहाय कर्मचारी संघ कृषि विभाग बाँदा का शिकायती पत्र, दिनाँक 15–12–82।

12—श्री सुन्दर लाल सिंह, संयोजक ब्लाक कमेटी (आई) रामनगर बाँदा का शिकायती पत्र, दिनाँक 19–4–81।

13—श्री कुशाल सिंह, महामंत्री, उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ का शिकायती पत्र दिनाँक 5–5–81।

14—हम हैं कृषि विभाग कर्मचारीगण बाँदा का तीन पृष्ठीय दिनाँक रहित शिकायती पत्र।

15—हम हैं विभाग कर्मचारी संघ जनपद बाँदा का दिनाँक रहित शिकायती पत्र।

16—श्री राम आसरे शुक्ला, भूतपूर्व कामदार बाँदा का शिकायती पत्र, दिनाँक 15–7–80

17—श्री कमल कुमार पाण्डेय, प्रसार व्यवस्थापक एसोसियेट जर्नल्स लिमिटेड लखनऊ का शिकायती पत्र दिनाँक 13–9–80।

18—कर्मचारीगण कृषि कार्यालय बाँदा का दिनाँक रहित शिकायती पत्र।

19—दैनिक भास्कर समाचार पत्र की कटिंग।

20—बेवा स्व0 मूलचन्द्र चौरसिया का पत्र दिनाँक रहित।

नत्थी "छ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 167 का उत्तर पीछे पृष्ठ 537 पर)

क्र0 सं0	राजाज्ञा सं0 व दिनाँक	अनुदान की धनराशि	अनुदान का प्रयोजन
1	2	3	4
		रु0	
1	वर्ष 1980 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत तथा पुनस्थापना हेतु शा0 आ0 संख्या 9884ग/33-3-257/80 दिनाँक 27-12-80।	20,000	मार्गों का रख रखाव, निर्माण एवं मरम्मत
2	वर्ष 1980-81 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत तथा पुनस्थापना हेतु अनुदान शा0 आ0 संख्या 695ग/33-3-257/1980 दिनाँक 23-2-81।	50,000	,,
3	वर्ष 1980-81 के लिये ओ0 डी0 आर0 तथा बी0 आर0 शा0 आ0 सं0 959ग/33-3-192/79 दिनाँक 25-3-81।	8,160	,,
4	शा0 आ0 स0 5310ग/33-3-143/81 दिनाँक 12-8-81।	1,04,000	,,
5	82-83 के लिये ओ0 डी0 आर0 तथा बी0 आर0 शा0 आ0 स0 2247ग/33-3-254/81 दिनाँक 1-4-82।	8,160	,,
6	साधारण सड़क अनुदान शा0 आ0 सं0 3402 (17) ग/33-3-143/81 दिनाँक 2-7-82।	50,000	,,
7	शा0 आ0 स0 7600ग/33-3-208/82 दिनाँक 27-12-82।	2,80,000	,,
8	साधारण सड़क अनुदान शा0 आ0 सं0 3377ग/33-3-76/82 दिनाँक 20-5-83।	50,000	,,
9	वर्ष 83-84 केलिये ओ0 डी0 आर0 तथा बी0 आर0 शा0 सं0 851ग/33-3-254/दिनाँक 2-4-83।	8,160	,,
	योग	5,78,480	
	1--शिक्षा--		
1	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाँदा द्वारा प्राप्त	1,50,000	स्कूल भवनों की मरम्मत
2	शिक्षा अनुदान शा0 आदेश संख्या 2582/15 (5)-81-287/80 दिनाँक 11-3-81।	3,00,000	
		4,50,000	

नत्थी "ज"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या नत्थियां 174 का उत्तर पीछे पृष्ठ 539 पर)

जनपद मिर्जापुर के चुनार एवं राजगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1981–82 एवं 82–83 में शुष्क खेती के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्रफल (हे0) में

क्र0 सं0 नाम विकास खण्ड	खरीफ 81–82 (आच्छादित क्षेत्र फल हे0 में)	रबी 81–82 (आच्छादित क्षेत्र फल हे0 में)	योग
1—जमालपुर	1006	5017	6023
2—नरायनपुर	3153	3605	6758
3—सीखड़	350	2543	5893
4—राजगढ़	9245	17758	27003
5—बौरावल	13195	23658	36853
योग ..	29949	52581	82530

	खरीफ वर्ष 1982–83 (आच्छादित क्षेत्रफल हे0 में)	रबी वर्ष 1982–83 (आच्छादित क्षेत्रफल हे0 में)	योग
1—जमालपुर	814	3769	4583
2—नारायनपुर	2721	3440	6161
3—सीखड़	3379	4849	8228
4—राजगढ़	9098	15092	24190
5—बौरावल	13238	19427	32665
योग ..	29250	45577	75827

पी0 एस0 यू0 पी0—एल0 380 विधान सभा (673)—(1984)—8131